हिन्दी
व्याकरण
और
रचना

हिन्दी व्याकरण और रचना

हिन्दी पाठ्यपुस्तक-समिति के सदस्य

डा० नगेन्द्र (अध्यक्ष), पं० अयोध्यानाथ शर्मा (उपाध्यक्ष), पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, डा० विनयमोहन शर्मा, डा० हरवंशलाल शर्मा, प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, डा० विजयपाल सिंह, डा० कन्हैयालाल सहल, श्री विश्वंभरदत्त भट्ट, प्रो० विमल घोष, डा० रवीन्द्र ह० दवे, डा० भालचंद्र तेलंग, श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, **विशेष आमंत्रित** : प्रो० रघुनाथ सफाया, श्री कृष्णगोपाल रस्तोगी, श्री श्रीपति शर्मा, **सहयोजित सदस्य** : श्री सुरेन्द्रसिंह वर्मा, श्री वेदप्रकाश शास्त्री

'हिन्दी व्याकरण और रचना' की परामर्श-समिति

डा० विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य करुणापति त्रिपाठी, प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, प्रो० ब्रजभूषण शर्मा, डा० भोलाशंकर व्यास, डा० भोलानाथ तिवारी, श्री सुरेन्द्रसिंह वर्मा, श्री वेदप्रकाश शास्त्री

सचिव

श्री अनिल विद्यालंकार

श्री कृष्णगोपाल रस्तोगी (जून १९६४ से जुलाई १९६५ तक)

संपादन-सलाहकार

प्रो० ब्रजभूषण शर्मा

अनुसंधान-अधिकारी

श्री प्रभाकर द्विवेदी

श्री रूपलाल वर्मा

हिन्दी व्याकरण और रचना

लेखक

डा० भोलाशंकर व्यास
डा० भोलानाथ तिवारी
डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्राक्कथन

उपर्युक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा उसके अनुरूप पाठ्यग्रंथों की रचना राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है। कुछ वर्षों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है और उसकी ओर से इस दिशा में आवश्यक अनुसंधान तथा निर्माण की योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से एक योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर एक समिति का संगठन किया गया है जिसके तत्त्वावधान में इस ग्रंथमाला का संपादन तथा प्रकाशन हो रहा है। इस समिति में अनुभवी शिक्षक, हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विद्वान तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

हिन्दी पाठ्यपुस्तक-समिति के तत्त्वावधान में अब तक **गद्य-संकलन** और **काव्य-संकलन** नामक दो पाठ्यपुस्तकें तथा **एकांकी-संकलन**, **कहानी-संकलन** और **काव्य के अंग** नामक तीन सहायक पुस्तकें उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रकाशित हो चुकी हैं और पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली प्रशासन तथा कतिपय अन्य राज्यों के स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। इन पुस्तकों पर अनुभवी अध्यापकों की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिससे समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और कार्यकर्ताओं को संतोष है।

उपरलिखित पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन अन्य पुस्तकों का निर्माण भी हिन्दी पाठ्यपुस्तक-समिति के तत्त्वावधान में हुआ है :

(१) **जीवनी-संकलन**
(२) **हिन्दी व्याकरण और रचना**
(३) **हिन्दी साहित्य का इतिहास**

ये पुस्तकें भी अब उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए सुलभ हैं। आशा है कि ये सभी पुस्तकें मिलकर इन छात्रों को हिन्दी भाषा और साहित्य के विषय में अभीष्ट जानकारी दे सकेंगी।

इन नवनिर्मित पुस्तकों में से प्रत्येक की विशेषताओं का उल्लेख उसकी भूमिका में कर दिया गया है। सामान्यतया हमारा उद्देश्य रहा है कि :

१. पुस्तकों की सामग्री सुबोध और रोचक होने के साथ-साथ उपयोगी और प्रेरणादायी हो ।
२. हिन्दी साहित्य के सभी कालों, विशिष्ट विधाओं और विचार-धाराओं का उनमें प्रतिनिधित्व हो ।
३. हिन्दी में प्रतिष्ठाप्राप्त प्राचीन और अर्वाचीन कवियों एवं लेखकों के जीवन और उनकी कुछ रचनाओं के साथ छात्रों का परिचय हो सके ।
४. ग्यारहवीं कक्षा पास करते-करते छात्र हिन्दी भाषा और साहित्य का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे वे हिन्दी में पढ़ने, सोचने और लिखने में समर्थ हो जाएँ ।
५. छात्र न केवल साहित्य का आस्वादन कर सकें वरन् वे स्वयं भी साहित्य-रचना की ओर प्रवृत्त हो सकें ।

हमें आशा है कि ये पुस्तकें उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होंगी ।

प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी व्याकरण और रचना' का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को हिन्दी की गठन से परिचित कराना, उसके विश्लेषण की क्षमता प्रदान करना और शुद्ध भाषा लिखना सिखाना है। इन कक्षाओं के छात्रों को न केवल अपनी भाषा के व्यावहारिक व्याकरण के सभी अंगों की जानकारी हो जानी चाहिए अपितु उन्हें शब्दों के यथास्थान उचित प्रयोग का भी इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि वे अपने भावों की सही और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति कर सकें। आशा है प्रस्तुत पुस्तक छात्रों में इस प्रकार की योग्यता का विकास करने में सहायक हो सकेगी ।

पिछली पुस्तकों की तरह इस पुस्तक के निर्माण में भी हमें अनेक विद्वानों और शिक्षा-विशेषज्ञों का सहयोग मिला है। हिन्दी पाठ्यपुस्तक-समिति के विद्वान सदस्यों, संपादन-सलाहकारों तथा अन्य विशेषज्ञों को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्रिय योगदान किया है ।

अंत में हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिनके निरंतर सहयोग के बिना यह अनुष्ठान पूर्ण न हो पाता ।

विषय-सूची

अध्यापक बंधुओं से

'व्याकरण' का अर्थ है 'टुकड़े-टुकड़े करना'। व्याकरण भाषा को टुकड़े-टुकड़े करके इसका ठीक स्वरूप दिखलाता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण वह ज्ञान है जो किसी भाषा को विश्लेषित करके उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध बोलने, लिखने और समझने का ढंग सिखलाता है।

हर भाषा में एक आंतरिक व्यवस्था होती है। भाषा को ठीक से समझने एवं उस पर अधिकार पाने के लिए उस व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। किसी भाषा के व्याकरण में उस व्यवस्था का ही स्पष्टीकरण रहता है।

किसी भाषा के परिनिष्ठित रूप पर ठीक से अधिकार पाने में सबसे बड़ी कठिनाई अपनी मातृभाषा के कारण होती है। मातृभाषा को हम जीवन के प्रारंभ से ग्रहण करते हैं, अतः वह हमारी प्रकृति में समा जाती है। उसके बाद हम किसी भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं तो जीवन के प्रारंभ से अर्जित भाषा के प्रयोग हमें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रजभाषी अपनी मातृभाषा 'ब्रज' के प्रभाव के कारण ही 'मेरे पास पैसे नहीं हैं' के स्थान पर 'मेरे पैसे नहीं हैं' का प्रयोग करते सुने जाते हैं। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों के लोग अपनी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिन्दी बोलने में 'ने' का प्रयोग 'को' के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए इन लोगों के मुँह से 'मैंने जाना है' या 'तुमने करना है' जैसे प्रयोग प्रायः सुनाई पड़ते हैं जबकि इनके शुद्ध हिन्दी रूप हैं--'मुझे (या मुझको) जाना है', 'तुम्हें (या तुमको) करना है'। इसी प्रकार भोजपुरी, मगही, मैथिली या बंगला-भाषी लोग 'ने' के प्रयोग में अशुद्धियाँ करते हैं। इनकी अपनी बोली या भाषा में 'ने' नहीं है, अतः ये लोग 'राम ने खाया' के स्थान पर 'राम खाया' बोल जाते हैं। व्याकरण की समुचित शिक्षा से इन स्थानीय प्रभावों से मुक्त होकर किसी भाषा का प्रयोग उसके प्रकृत या शुद्ध रूप में किया जा सकता है।

जीवित भाषा परिवर्तनशील होती है। उसके स्वरूप में प्रभाव तथा बोलनेवाले की मनोवैज्ञानिक स्थिति में परिवर्तन आदि कई कारणों से परिवर्तन आते रहते हैं। कुछ नई बातें जुड़ती हैं। कुछ पुरानी बातें छूटती हैं। व्याकरण का यह भी कार्य है कि वह इस बात का निर्णय करे कि ये परिवर्तन

या स्थानीय प्रभाव आदि किस सीमा तक ग्राह्य तथा अग्राह्य हैं। इस प्रकार भाषा का परिनिष्ठित रूप क्या है, इसका पता भी हमें व्याकरण से ही चलता है।

इसका आशय यह हुआ कि किसी जीवित भाषा का व्याकरण स्थायी नहीं होता। उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसी कारण व्याकरण भाषा के प्रभाव को अस्वाभाविक रूप से रोक कर नहीं, बल्कि उसके सतत प्रवाह के साथ स्वयं भी आगे बढ़ कर ही उस भाषा के साथ न्याय कर सकता है, उस भाषा का सच्चा व्याकरण बन सकता है।

प्रस्तुत व्याकरण पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखा गया है। अतः इसकी अपनी सीमाएँ हैं, और इसमें भाषा के पूरे कलेवर में व्यक्त अनेकरूपताओं की शुद्धि-अशुद्धि आदि के संबंध में निर्णय संभव नहीं हो सका है। इसमें आज की हिन्दी का यदि सर्वसम्मत नहीं तो, बहुसम्मत परिनिष्ठित रूप ही विश्लेषित किया गया है। विवादास्पद विषयों को उठाना उच्चतर माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को उलझा सकता है, अतः ऐसे विवाद पूर्णतः छोड़ दिए गए हैं। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि एक जीवित भाषा के रूप में ही हिन्दी को विश्लेषित किया जाए तथा वह व्याकरण किसी भी रूप में भाषा को बोझिल न बनाए और न ही उसकी सहज शैली को विकृत करे।

विश्वास है, पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपादेय सिद्ध होगी। सुझावों के लिए हम आभारी होंगे।

अध्याय १

भाषा और उसके अवयव

मानव समाज में अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के भाव और विचार ध्वनियों के माध्यम से दूसरों तक पहुँचते हैं। अतः मनुष्य ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करता है जो दूसरों के कानों तक पहुँचकर उसके अभीष्ट विचारों को ग्रहण करा सकें। आदिम युग में दृश्य संकेतों के आधार पर मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता था। बाद में ध्वनियों का सार्थक समूह ही अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बना। भाषा एक ओर जहाँ विचार-विनिमय का साधन है वहाँ वह विचार करने का भी साधन है। विचार करते समय मनुष्य को भाषा की सहायता की अपेक्षा होती है। कभी-कभी अपने विचारों को वह स्वयं (दूसरों को सुनाने के लिए नहीं) ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करता रहता है, उन्हें स्वयं सुनता है और ग्रहण करता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक न पहुँचाकर स्वयं ही वक्ता और श्रोता दोनों का काम करता है।

भाषा की प्रकृति और कार्य पर विचार करते हुए सबसे पहले उसका प्रतीक पक्ष सामने आता है। **भाषा प्रतीक है।** प्रतीक का अर्थ है वह जिससे किसी दूसरी वस्तु का बोध हो। जब हम **कलम** शब्द का प्रयोग करते हैं तब वस्तुतः शब्द कलम स्वयं वस्तु कलम नहीं होता, वरन् वस्तु कलम का प्रतीक होता है जिसके माध्यम से हम वस्तु कलम का संकेत पाते हैं। प्रतीक के लिए आवश्यक है कि उसमें और उससे द्योतित वस्तु में जो संबंध है, वह प्राकृतिक न होकर सामाजिक और पारंपरिक हो। शब्द कलम, वस्तु कलम का प्रतीक इसलिए

है कि शब्द श्रौर वस्तु के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है । श्रगर कोई संबंध है तो वह केवल सामाजिक एवं पारंपरिक है । स्वयं कलम में वस्तु कलम का कोई प्राकृतिक गुण निहित नहीं रहता जिसके श्राधार पर वस्तु कलम का बोध हम कलम शब्द द्वारा करने में समर्थ होते हैं । श्रगर ऐसा होता तो वस्तु कलम के लिए जितने भी प्रयुक्त शब्द हैं उनमें एकरूपता नहीं तो कुछ-न-कुछ समानता श्रवश्य रहती, किन्तु हम उसके लिए **कलम, लेखनी, पेन** (श्रंग्रेजी) श्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें हमें कोई भी साम्य नहीं मिलता ।

लेकिन हर प्रतीक को भाषा का प्रतीक नहीं माना जा सकता । चौराहे पर लाल रोशनी देखकर श्रगर कोई गाड़ी रुक जाती है श्रौर हरी रोशनी देखकर श्रागे बढ़ जाती है तो लाल श्रौर हरी रोशनी भी रास्ते पर रुकने श्रौर श्रागे बढ़ने का प्रतीक हो सकती है, क्योंकि उनके बीच का संबंध भी प्राकृतिक न होकर सामाजिक एवं पारंपरिक होता है । पर इसके वावजूद ऐसे प्रतीक को भाषात्मक प्रतीक नहीं कहा जाता । भाषात्मक प्रतीक के लिए श्रावश्यक है कि वह **ध्वन्यात्मक** हो । लाल श्रौर हरी रोशनी प्रतीक तो हैं पर ध्वन्यात्मक न होकर दृश्य प्रतीक हैं । इसके साथ यह भी जरूरी है कि वह मुँह से उच्चरित हो श्रर्थात वह मनुष्य के वाक्-यंत्र द्वारा निकली ध्वनि हो । श्रतः **भाषा मुँह से उच्चरित ध्वन्यात्मक प्रतीक है ।**

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रतीक का सीधा श्रौर प्राकृतिक संबंध उस वस्तु के साथ नहीं होता जिसका वह बोध कराता है । प्रतीक शब्द श्रौर उसके द्वारा बोधित वस्तु के बीच का संबंध वहुत कुछ यादृच्छिक (मनमाना) होता है । श्रतः कहा जा सकता है कि **भाषा मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीक है ।**

यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्या यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीक के किसी भी रूप को भाषा की संज्ञा दी जा सकती है ? श्रगर यह कहा जाए–'राम शीला पढ़ाता है को' तो क्या इसे हिन्दी भाषा का वाक्य माना जाएगा ? इसमें **राम शीला पढ़ाता** श्रादि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक हैं तथा **है** श्रौर **को** भी किसी न किसी स्तर पर हिन्दी भाषा की सार्थक इकाई हैं । फिर भी इनके

सम्मिलित प्रयोग मात्र से हिन्दी भाषा का वाक्य नहीं बन पाता। किसी भी भाषा का वाक्य बनने के लिए आवश्यक है कि यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों के समूह को एक निश्चित क्रम में नियमपूर्वक प्रयोग में लाया जाए। प्रस्तुत ध्वनि-समूहों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रतीकों को **कर्ता + कर्म + क्रिया** के अनुसार, उनकी उचित विभक्तियों के साथ आना चाहिए क्योंकि हिन्दी भाषा की प्रकृति ऐसी है। अतः वाक्य का रूप होना चाहिए—'राम शीला को पढ़ाता है।' इस प्रकार कहा जा सकता है कि **भाषा मुखोच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था है।**

जहाँ तक भाषा के व्यावहारिक पक्ष का प्रश्न है वह मानव समाज के लिए विचार-विनिमय का सर्वाधिक सुगम एवं सक्षम माध्यम है। पशु-पक्षी अपनी अनुभूति को दूसरों तक पहुँचाने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं पर वे विचार-विनिमय नहीं करते। बातचीत करने का सामर्थ्य एकमात्र मानव समाज के पास है। केवल उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा द्वारा ही यह कार्य संभव है। संसार में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, पर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक भाषा का प्रयोग नहीं करता। हिन्दी भाषा का प्रयोग एक निश्चित सामाजिक समुदाय ही करता है। इस भाषा की अभिव्यक्ति-पद्धति से अपरिचित व्यक्ति को यह केवल अर्थहीन ध्वनि-समूहों का प्रवाह ही प्रतीत होगी। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भाषा का प्रयोग मनुष्यों के एक निश्चित समूह के व्यक्ति ही करते हैं। अतः भाषा के व्यावहारिक पक्ष को लेकर हम कह सकते हैं कि **भाषा, मनुष्यों के एक निश्चित समुदाय के व्यक्तियों द्वारा विचार-विनिमय अथवा विचार करने का सक्षम माध्यम है।**

भाषा की प्रकृति और उसकी व्यावहारिक उपादेयता को ध्यान में रखते हुए भाषा की परिभाषा कुछ इस रूप में दी जा सकती है : **भाषा मुखोच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति आपस में विनिमय अथवा स्वयं विचार करते हैं।**

इस प्रकार भाषा मूलतः ध्वनियों का सार्थक समूह है जिन्हें वक्ता अपने भावों या विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए अपने ध्वनियंत्रों से उत्पन्न करता है। इस तरह भाषा का मूल रूप मौखिक है

और उसको व्यक्त करने तथा ग्रहण करने के साधन क्रमशः वाक्यंत्र और श्रवणयंत्र हैं। पुस्तकों में हम जिस भाषा को नेत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, वह उसका गौण रूप है। वास्तव में भाषा के लिखित रूप का आधार मौखिक भाषा ही है। मौखिक भाषा को ही लिपि-चिह्नों द्वारा दृश्य रूप दिए जाने पर भाषा के लिखित रूप का जन्म होता है।

व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन करता है। यद्यपि इस प्रकार के अध्ययन का मूल क्षेत्र मौखिक भाषा ही रहती है, तथापि भाषा के लिखित रूप को भी अध्ययन का विषय बनाया जाता है। भाषा और लिपि के परस्पर संबंध से कभी-कभी यह भ्रांति भी फैल जाती है कि दोनों अभिन्न हैं। वस्तुतः भाषा लिपि के बिना भी रह सकती है। आदिम जातियों की कई भाषाएँ केवल मौखिक रूप में ही व्यवहृत हैं, उनके पास कोई लिपि नहीं है। पर लिपि भाषा के बिना नहीं रह सकती। किसी भाषाविशेष के लिए परंपरा के आधार पर एक विशेष लिपि रूढ़ हो जाती है। जैसे, हिन्दी के लिए देवनागरी लिपि, पर इसे अन्य लिपि (फ़ारसी या रोमन) में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। वैयाकरणों के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द-समूह वाक्य कहलाता है। जैसे, 'मोहन वहाँ गया,' इस वाक्य में 'मोहन' 'वहाँ' और 'गया' अलग-अलग शब्द हैं, परंतु इनका समष्टि रूप वाक्य है। इस तरह **पूर्ण अर्थबोधक ध्वनि-समूह को वाक्य कहते हैं।**

मनुष्य अपने विचारों को वाक्य में ही अभिव्यक्त करता है। वाक्य विश्लेषित होकर न तो उसके मस्तिष्क में आते हैं और न बोलते समय उनके विश्लेषण की आवश्यकता ही पड़ती है। उदाहरण के लिए 'लड़का पढ़ता है' इस वाक्य को वह समष्टि रूप में बोलता है, और श्रोता उसे समष्टि रूप में सुनता है। उक्त उदाहरण में तीन शब्द हैं— लड़का, पढ़ता और है। किन्तु वक्ता या श्रोता के लिए इस विश्लेषित रूप का कोई महत्त्व नहीं होता। वह इन्हें समग्र रूप में ही ग्रहण करता है।

पद : प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहते हैं, परंतु दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सार्थक उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि-समुदाय शब्द कहलाता है, जैसे, **पुस्तक, पढ़ना**। इसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना दिया जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। 'लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़के ने कविता सुनाई' इन वाक्यों में **लड़का, पुस्तक, पढ़ता है, लड़के ने, कविता** और **सुनाई** पद हैं।

पद और शब्द

वाक्य पदों से मिलकर बनता है। किन्तु पदों के भी आगे सार्थक खंड किए जा सकते हैं जिन्हें शब्द कहते हैं। शब्दों की सत्ता वाक्य के बाहर ही होती है। वाक्य में आने पर शब्द या उनके समूह पद बन जाते हैं। पद बनते समय शब्द या तो अपने मूल रूप में ही रहता है अथवा उसके रूप में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन हो जाता है। उदाहरण के लिए **लड़का** शब्द को ही लें। 'लड़का पुस्तक पढ़ता है' और 'लड़के ने पुस्तक पढ़ी' इनमें से पहले वाक्य में पद **लड़का** का रूप शब्द **लड़का** के ही समान है। पर दूसरे वाक्य में वह परिवर्तित और परिवर्धित होकर **लड़के ने** के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि **स्वतंत्र सार्थक उच्चरित ध्वनि-समुदाय शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त उसके व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं।**

अक्षर : एक या एक से अधिक ध्वनियों की वह इकाई जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में होता है, अक्षर कहलाती है। अक्षर में एक स्वर ध्वनि अवश्य होती है। शब्द या तो एकाक्षरी हो सकते हैं या अनेकाक्षरी। एकाक्षरी शब्दों के उदाहरण हैं : **आ, जा, राम, कौन** आदि। अनेकाक्षरी शब्दों के उदाहरण हैं : कुशलता (कु+शल्+ता), हिमालय (हि+मा+लय्) आदि।

ध्वनि : ध्वनि भाषा की वह न्यूनतम इकाई है जिसके द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। अ, आ आदि स्वर तथा **क्, ख्, ग्** आदि व्यंजन ध्वनियाँ हैं।

इस प्रकार भाषा के संबंध में वाक्य, पद, शब्द, अक्षर और ध्वनि पर विचार किया जाता है। अगले अध्याय में इनमें से ध्वनि पर विस्तृत विवेचन किया गया है।

प्रश्न

१. भाषा की परिभाषा बताइए ।
२. भाषा के मौखिक और लिखित रूप में क्या संबंध है ?
३. शब्द और पद में क्या अंतर है ?
४. अक्षर किसे कहते हैं ?
५. वाक्य किसे कहते हैं ?

अध्याय २

ध्वनि

ध्वनियों की उच्चारण-प्रक्रिया

किसी भी भाषा की ध्वनियों का उच्चारण ओठों से लेकर गले तक के भिन्न-भिन्न उच्चारण-अवयवों की सहायता से होता है। जब हम साँस लेते हैं तो नाक और मुँह से होकर साँस हमारे फेफड़ों में श्वास-नलिका के माध्यम से जाती है। और जब हम साँस बाहर निकालते हैं तो इसी मार्ग से बाहर आती है। यही श्वास-वायु जब श्वास-नलिका से बाहर निकलते हुए गले से लेकर ओठों तक किसी भी उच्चारण-अवयव के द्वारा रोकी जाती है तो विशेष प्रकार की ध्वनि उच्चरित होती है। जिस स्थान पर यह श्वास-वायु रोकी जाती है उसे उच्चरित **ध्वनि का** स्थान **और जिस उच्चारण-अवयव के द्वारा श्वास को उस स्थान पर रोकते हैं** उसे करण कहते हैं। उदाहरण के लिए **त** के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर आती हुई श्वास-वायु को जिह्वा-नोक, ऊपर के दाँतों से सटकर रोक देती है। इस तरह साँस को रोकने का काम जिह्वा करती है अतः वह **त** ध्वनि के उच्चारण का करण है। यह साँस दाँतों के पीछे रोकी जाती है, इसलिए दाँत इस ध्वनि का **स्थान** हैं।

प्रमुख उच्चारण-अवयव निम्नलिखित हैं :

१. ओष्ठ
२. दाँत
३. मसूड़ा (वर्त्स)
४. कठोर तालु
५. मूर्धा
६. कोमल तालु

७. कौआ ११. जिह्वामूल
८. जिह्वानोक १२. मुख-विवर
९. जिह्वामध्य १३. नासिका-विवर
१०. जिह्वापश्च १४. स्वर-यंत्र
१५. श्वास-नलिका

उपर्युक्त उच्चारण- अवयव नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं :

ऊपर के चित्र में गले से लेकर ओठों तक के विभिन्न उच्चारण-अवयवों का संकेत किया गया है। गले में दो प्रकार

की नलियाँ हैं, एक अन्न-नलिका (१६), दूसरी श्वास-नलिका (१५)। उच्चारण-प्रक्रिया में अन्न-नलिका कोई योग नहीं देती। श्वास-नलिका के माध्यम से मुख-विवर की ओर आती हुई साँस श्वास-नलिका के ऊपरी सिरे पर स्थित स्वर-यंत्र (१४) से होकर बाहर निकलती है। इसके बाद साँस मुख-विवर (१२) में प्रवेश करती है। मुख-विवर के पिछले हिस्से पर मुँह की छत के पीछे एक लटकती हुई मांसपेशी है जिसे कौआ (७) कहते हैं। यह मुख-विवर को नासिका-विवर से अलग करता है और आवश्यकता पड़ने पर नासिका-विवर (१३) को बंद कर साँस को केवल मुख-विवर से निकलने देता है। जब कौआ नासिका-विवर को बंद नहीं करता तो साँस विभक्त होकर मुख-विवर और नासिका-विवर दोनों से निकलती है। ऐसी स्थिति में जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं।

मुख-विवर में कौए से लेकर ओठों तक कहीं भी साँस को पूरी तरह या आंशिक रूप में रोका जा सकता है। वह स्थान जिस जगह साँस को रोका जाता है, संबद्ध ध्वनि का स्थान कहलाता है। ऊपरी ओष्ठ (१), ऊपरी दाँत (२), मसूड़ा या वर्त्स (३), कठोर तालु (४), मूर्धा (५), कोमल तालु (६) और कौआ (७) चित्र में दिखाए गए वे स्थान हैं जहाँ साँस निचले ओठ या जिह्वा के किसी भाग के द्वारा रोकी जाती है। स्वर-यंत्र (१४) के भीतर दो स्वर-तंत्रियाँ होती हैं जो साधारणतः साँस लेने के समय एक दूसरी से अलग हटी रहती हैं और उनके बीच के विवर (स्वर-यंत्र-मुख) से साँस आती-जाती है। लेकिन इनके द्वारा भी साँस में रुकावट डाली जा सकती है। अलग-अलग ध्वनियों में जिह्वा का अलग-अलग भाग दाँत, वर्त्स एवं तालु के किसी भाग से सटकर या उसकी ओर उठकर साँस को रोकता है। इस दृष्टि से जिह्वा के भी चार भाग किए जा सकते हैं – जिह्वानोक (८), जिह्वामध्य (९), जिह्वापश्च (१०), और जिह्वामूल (११)।

स्वर और व्यंजन

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फेफड़ों से निकलकर मुख और नासिका-विवर में आनेवाली हवा के सहारे ही ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। फेफड़ों से आती हवा के निकलते समय उसके रास्ते में रुकावट के होने अथवा न होने के आधार पर ध्वनियों को मुख्यत: दो भागों में बाँटा जाता है : **स्वर** और **व्यंजन**।

स्वर वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में मुँह न तो बिल्कुल बंद होता है (जैसे **क्** या **प्** के उच्चारण में) न इतना सँकरा होता है कि हवा रगड़ खाकर निकले (जैसे **स**, **श** के उच्चारण में) और न मुख-विवर की मध्यरेखा पर जीभ द्वारा ऐसी रुकावट होती है कि हवा को बगल से (जैसे **ल्** के उच्चारण में) निकलना पड़े। इस प्रकार स्वरों के उच्चारण में हवा विना किसी रुकावट के निकलती है।

इसके विपरीत **व्यंजन** उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुँह को बंद करके फिर खोलते हैं, या इतना सँकरा कर लेते हैं कि हवा रगड़ खाकर निकले अथवा मुख-विवर की मध्यरेखा पर हवा को जीभ द्वारा इस प्रकार रोकते हैं कि हवा वगल से निकले। वस्तुत: रुकावट का मापदंड सापेक्षिक है। हिन्दी में दो व्यंजन ध्वनियाँ (**य व**) ऐसी हैं, जिनमें वहुत कम रुकावट पाई जाती है। इसलिए इन्हें अर्ध-स्वर अथवा अर्ध-व्यंजन कहते हैं।

उपर्युक्त वर्गीकरण को चार्ट के रूप में पृष्ठ ११ पर दिया गया है।

हिन्दी व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण के स्थानों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। हर ध्वनि का उच्चारण विशेष ढंग से किया जाता है जिसे उस ध्वनि का प्रयत्न कहते हैं। हिन्दी व्यंजनों की दृष्टि से ये प्रयत्न ८ प्रकार के होते हैं :

(१) **स्पर्श**–'स्पर्श' का अर्थ है 'छूना'। जब कोई करण उच्चारण अवयव के किसी दूसरे अंग को छूकर ध्वनि का उच्चारण

हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

	द्वयोष्ठ्य	दंतोष्ठ्य	दंत्य	वर्त्स्य	तालव्य	मूर्धन्य	कोमल तालव्य	अलिजिह्वीय	स्वर-यंत्रमुखी
स्पर्श	प् फ्		त् थ् द् ध्			ट् ठ् ड् ढ्	क् ख् ग् घ्	क़्	
स्पर्श-संघर्षी					च् छ् ज् झ्				
अनुनासिक	म् म्ह			न् न्ह्	ञ	ण्	ङ्		
पार्श्विक				ल् ल्ह्					
प्रकंपी				र्					
उत्क्षिप्त						ड़् ढ़्			
संघर्षी		फ़् व्		स् ज़्	श्	(ष्)	ख़् ग़्		ह्
अर्धस्वर	व				य				

करता है तो इस प्रयत्न को स्पर्श कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा के निकलने के पहले जब जिह्वापश्च कोमल तालु का स्पर्श करता है तो **क्, ख्, ग्, घ्** ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं।

(२) **संघर्षी**–कभी-कभी उच्चारण के दो अंग इतने पास आ जाते हैं कि मुख-मार्ग के सँकरा हो जाने के कारण हवा घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है। **स्, श्** या **ह्** ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं।

(३) **स्पर्श-संघर्षी**–जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रयत्न में **स्पर्श** और संघर्षी दोनों ही तत्त्व हैं। इसके उच्चारण में स्पर्श की भाँति करण स्पर्श करने के बाद शीघ्रता से उच्चारण-स्थान से अलग नहीं हटता, करण के हटने की गति बहुत धीमी होती है, अतः उच्चारण का बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। उदाहरण के लिए **च्** में उच्चारण का प्रयत्न **त्** की भाँति शुरू होता है लेकिन जिह्वा अपने उच्चारण-स्थान से इस तरह धीमी गति से हटती है कि कुछ समय के लिए साँस को एक सँकरे मार्ग से होकर निकलना पड़ता है जो संघर्ष का कारण बनता है। **च्, छ्, ज्, झ्** ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं।

(४) **अनुनासिक**–इसमें मुँह के साथ-साथ हवा नाक से भी निकलती है जैसे, **म्, न्, ण्** आदि।

(५) **पार्श्विक**–पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ है 'बगल का'। इसमें जीभ तालु को छूती तो है किन्तु बगल का (दोनों या एक तरफ का) रास्ता खुला रहता है, जिससे हवा निकलती रहती है। हिन्दी की एकमात्र पार्श्विक ध्वनि है–**ल्**।

(६) **प्रकंपी**–प्रकंपी का अर्थ है 'कंपन करने या काँपने वाला'। किसी ध्वनि के उच्चारण में जब करण को कँपाया जाए तो उस प्रयत्न को प्रकंपी कहते हैं। हिन्दी की **र्** ध्वनि प्रकंपी है।

(७) **उत्क्षिप्त**–इसका अर्थ है, 'उठाकर फेंका हुआ'। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से फेंकते हैं उन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। हिन्दी की **ड़** और **ढ़** ध्वनियाँ उत्क्षिप्त हैं।

(८) **अर्ध-स्वर**—इसके उच्चारण में करण हवा को रोकने के लिए ऊपर तो उठता है, किन्तु इतना अधिक नहीं कि वह पूर्ण रूप से व्यंजन का रूप ले सके। हिन्दी में **य्, व्** अर्ध-स्वर हैं। **य्** के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कठोर तालु के पास जाता है तथा **व्** में दोनों ओठ एक दूसरे के समीप आते हैं।

स्वर-तंत्रियों की स्थिति के आधार पर ध्वनियों के दो रूप होते हैं: **घोष** और **अघोष**। जब स्वर-तंत्रियाँ एक दूसरे से इतनी अलग रहती हैं कि हवा स्वर-यंत्र-मुख से बिना स्वर-तंत्रियों को प्रकंपित किए निकल जाती है तो **अघोष** ध्वनियों का उच्चारण होता है। लेकिन जब स्वर-तंत्रियाँ एक दूसरे के इतनी नजदीक आ जाती हैं कि स्वर-यंत्र-मुख के सँकरे हो जाने से हवा उन्हें प्रकंपित करती हुई निकलती है तो घोष ध्वनियों का उच्चारण होता है। हिन्दी में सभी स्वर, वर्गों के अंतिम तीन व्यंजन तथा **ड़्, ढ़्, य्, र्, ल्, व्, ह्** घोष हैं और वर्गों के प्रथम दो व्यंजन तथा **स्, श्, फ्** अघोष हैं।

हवा के निकलने की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं: **अल्पप्राण** और **महाप्राण**। **अल्पप्राण** उन व्यंजनों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, और **महाप्राण** उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है। हिन्दी में वर्गों के पहले, तीसरे और पाँचवें व्यंजन अल्पप्राण हैं तथा दूसरे और चौथे महाप्राण।

हिन्दी स्वरों का वर्गीकरण

स्वरों के वर्गीकरण के मुख्यतः पाँच आधार हैं:

१. **जीभ का कौन-सा भाग उठता है**: इस आधार पर अग्र, मध्य, पश्च तीन भेद हो सकते हैं।

२. **वह कितना उठता है**: इस आधार पर संवृत, अर्ध-संवृत, अर्ध-विवृत, विवृत ये चार भेद होते हैं।

३. **ओष्ठ-विवर गोलाई में है या फैला हुआ :** इसके आधार पर दो भेद होते हैं : वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी ।

४. **उच्चारण करने में कितना समय लगता है :** इस आधार पर ह्रस्व (जिसमें कम समय लगे) और दीर्घ (जिसमें ज्यादा समय लगे) दो भेद होते हैं।

५. **उच्चारण में नासिका-विवर से भी हवा निकलती है या केवल मुख से :** इस आधार पर स्वरों के मौखिक और अनुनासिक दो भेद होते हैं।

उपर्युक्त आधारों पर हिन्दी स्वरों के प्रमुख वर्ग निम्नांकित हैं :

(१)	**अग्र**	इ, ई, ए, ऐ
	मध्य	अ
	पश्च	उ, ऊ, ओ, औ, आ
(२)	**संवृत**	इ, ई, उ, ऊ
	अर्ध-संवृत	ए, ओ
	अर्ध-विवृत	ऐ, औ, अ
	विवृत	आ
(३)	**वृत्तमुखी**	उ, ऊ, ओ, औ
	अवृत्तमुखी	इ, ई, ए, ऐ, अ, आ
(४)	**ह्रस्व**	अ, इ, उ
	दीर्घ	आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ
(५)	**मौखिक**	अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ
	अनुनासिक	अँ, आँ, इँ, ईं, उँ, ऊँ, एँ, ऐं, ओं, औं

स्वर-संयोग

स्वर-संयोग से तात्पर्य है एक से अधिक स्वरों का शब्द में एक साथ पाया जाना । संयुक्त स्वर तथा स्वर-संयोग का मुख्य अंतर यह है कि संयुक्त स्वर एक ही अक्षर में पाए जाते हैं, किन्तु स्वर-संयोग उन स्वर ध्वनियों का होता है जिनका उच्चारण एक अक्षर में न कर अलग-अलग

अक्षरों में किया जाता है। उदाहरण के लिए **गैया, कौआ** का उच्चारण क्रमश: ग् + अ + इ + या, क् + अ + उ + आ है। इनमें ऐ या औ का उच्चारण एक ही अक्षर में होगा, अलग-अलग अक्षरों में नहीं। किन्तु **पढ़ाई, नहाए, आइए** जैसे शब्दों में उच्चारण करते समय आ+ई, आ+ए, आ+इ+ए ; स्वर ध्वनियाँ अलग-अलग अक्षरों के रूप में उच्चारित होंगी। ये उदाहरण संयुक्त स्वर के न होकर स्वर-संयोग के हैं। स्वर-संयोग के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :

अ ई	–कई, नई
अ ए	–गए, नए
आ ओ	–गाओ
आ ई	–नाई, भाई
आ ऊ	–कमाऊ
आ ए	–दिखाए, पढ़ाए
इ ए	–लीजिए, दीजिए
उ आ	–जुआरी
उ ई	–सुई, रुई
उ ए	–जुए
ए ई	–लेई
ओ ई	–कोई, रोई
आ इ ए	–आइए, जाइए

संयुक्त व्यंजन

जब दो या अधिक व्यंजन ध्वनियों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए भक्त, सत्य, रत्न, अभ्यास, उत्सव जैसे शब्दों में क्रमशः क्+त्, त्+य्, त्+न्, भ्+य्, त्+स् संयुक्त व्यंजन हैं। स्वास्थ्य में स्+व् तथा स्+थ्+य् संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें **स्व** में दो और **स्थ्य** में तीन व्यंजन ध्वनियाँ हैं।

द्वित्व व्यंजन

एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे, **क्क (पक्का)**, **च्च (सच्चा)**, **ज्ज (सज्जन)**, **ब्ब (डिब्बा)**, **म्म (सम्मान)** आदि।

द्वित्व व्यंजन की प्रथम ध्वनि केवल महाप्राण नहीं होती है। जैसे, मक्खी, मक्खन आदि।

हिन्दी वर्णमाला :

स्वर – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, (ऋ), ए, ऐ, ओ, औ, (ऑ) =10+2

टिप्पणी :

(१) **ऋ** को हिन्दी में **रि** के समान बोला जाता है। जैसे, **ऋण** शब्द का उच्चारण **रिण** या **कृपा** का उच्चारण **क्रिपा** होता है।

(२) **ऑ** अर्धविवृत वृत्तमुखी पश्च दीर्घ स्वर है जिसकी दीर्घता हिन्दी के दीर्घ **आ** से कुछ कम है। यह अंग्रेजी से आए शब्दों में प्राप्त होता है। जैसे, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलिज आदि।

(३) **ऐ**, **औ** मूल स्वर हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है किन्तु **य** के पूर्व **ऐ** तथा **व** के पूर्व **औ** का उच्चारण संयुक्त स्वर (क्रमशः **अइ** और **अउ**) के रूप में होता है जैसे तैयार (**तइयार**), कौआ (**कउआ**)। दो स्वरों के योग से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं।

(४) (ऑ को छोड़कर) सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी उपलब्ध हैं जिनके ऊपर चंद्रबिन्दु का चिह्न (ँ) लगाया जाता है। जैसे,

अ	सवार	अँ	सँवार
आ	बाट	आँ	बाँट
इ	विधि	इँ	बिंध
ई	कही	ईं	कहीं

उ	उगली (उगल दी)	उँ	उँगली
ऊ	पूछ	ऊँ	पूँछ
ए	वढ़े	एँ	बढ़ें
ऐ	है	ऐं	हैं
ओ	गोद	ओं	गोंद
औ	चौक	औं	चौंक

(विशेष : अ, आ, उ, ऊ को छोड़कर शेष स्वरों की मात्राओं के साथ अनुनासिकता केवल बिन्दु (ं) द्वारा सूचित की जानी चाहिए)

(५) शब्दांत में **अ** का प्रायः उच्चारण नहीं होता । जैसे, राम्, काम्, आप्, सब् ।

स्वरों की मात्राएँ

अ	×	ए	े
आ	ा	ऐ	ै
इ	ि	ओ	ो
ई	ी	औ	ौ
उ	ु	ऑ	ॉ
ऊ	ू		

व्यंजन

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	व	भ	म

=२५

य	र	ल	व
श	ष	स	ह
	ड़	ढ़	

फ़		ज़
क़	ख़	ग़

क्ष	त्र	ज्ञ

टिप्पणी

१. ङ और ञ स्वतंत्र रूप में नहीं उच्चरित होते ।

२. **ष्** का उच्चारण अब **श्** के समान ही होने लगा है ।

३. उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिन्दी में **फ़्, ज़्, क़्, ख़्, ग़्**, का प्रयोग होता है। इनमें **फ़्, ज़्** का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है । बोलचाल की हिन्दी में ध्वनियाँ क्रमशः फ, ज, क, ख, ग हो जाती हैं।

४. क्ष, त्र, ज्ञ वस्तुतः एक-एक व्यंजन न होकर दो-दो व्यंजन ध्वनियों के योग हैं : क्+ष=क्ष, त्+र=त्र । ज्ञ मूलतः ज्+ञ था पर अब वह **ग्यँ** रूप में उच्चरित होता है ।

५. हिन्दी में (ँ) तथा (ं) इन दो चिह्नों का भी प्रयोग होता है। इनमें (ँ) को चंद्रबिंदु कहते हैं तथा (ं) को अनुस्वार । अनुनासिक स्वर को ँ के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे : अँ, आँ, ऊँ, उँ आदि । (ं) ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, के स्थान पर आता है। नासिक्य व्यंजन तथा अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान रखने की हैं :

(१) विकल्प	(२) नासिक्य व्यंजन	(३) अनुस्वार
ङ्+क, ख, ग, घ (पंक, पङ्क)	+म (वाङ्मय)	+ह (संहार)

ञ+च, छ, ज, झ (चंचल, चञ्‌चल)		+य (संयत, संयम)
ण+ट, ठ, ड, ढ (घंटा, घण्टा)	+ण (अक्षुण्ण), + म (मृण्मय) +य (पुण्य), +व (कण्व)	
न+त, थ, द, ध (संत, सन्त)	+न (अन्न), +म (जन्म) +य (अन्याय), +व (अन्वय)	+श (अंश), +स (संसार), +र (संरचना), +ल (संलग्न)
म+प, फ, ब, भ (पंप, पम्प)	+म (सम्मान), +न (निम्न), +व (संविधान) +य (साम्य), +र (नम्र) +ल (म्लान)	

क्रमांक एक में अनुस्वार या नासिक व्यंजन का प्रयोग विकल्प से होता है। क्रमांक दो में केवल नासिक्य व्यंजन तथा क्रमांक तीन में केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है।

अनुस्वार एवं अनुनासिक का भेद हिन्दी में महत्त्वपूर्ण है। जैसे, हंस तथा हँस, वेदांत तथा बेदाँत।

आक्षरिक संरचना

एक या अधिक ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है, अक्षर कही जाती है। एक अक्षर में व्यंजन अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वर प्रायः एक ही होता है। हिन्दी में निम्नलिखित प्रकार की अक्षरों की संरचना पाई जाती हैं :

१. केवल स्वर, जैसे, आ, ओ

२. स्वर+व्यंजन, जैसे, अब्, आज्, आँख्

३. व्यंजन + स्वर, जैसे, न, खा, हाँ
४. व्यंजन + स्वर + व्यंजन, जैसे, घर्, देर्, साँप्
५. व्यंजन + व्यंजन + स्वर, जैसे, क्या, क्यों
६. व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन + स्वर, जैसे, स्त्री
७. व्यंजन + व्यंजन + स्वर + व्यंजन, जैसे, प्यास्
८. स्वर + व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन, जैसे, अस्त्
९. स्वर + व्यंजन + व्यंजन = अन्त्
१०. व्यंजन + स्वर + व्यंजन + व्यंजन, जैसे, सन्वत, शान्त्
११. व्यंजन + स्वर + व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन, जैसे, शस्त्
१२. व्यंजन + व्यंजन + स्वर + व्यंजन + व्यंजन, जैसे, स्वर्ग, प्राप्त्

अक्षर-विभाजन का स्वरूप

स्वर–व्यंजन की जिन स्थितियों में हिन्दी में अक्षर-विभाजन होता है, वे इस प्रकार हैं :

स्वर–स्वर	हु–आ
	ला–ई
	आ–ओ
	हु–ई
स्वर–व्यंजन	अ–ति, ल–गा–तार
	बँ–धी, आँ–गन्
स्वर (व्यंजन)–व्यंजन + व्यंजन	श(त्)–त्रु, आ–(श)–श्रम,
	अ(ब्)–भ्यास
व्यंजन–व्यंजन	खट्–मल

बलाघात :

किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है, उसे **बलाघात** कहते हैं। बलाघात अक्षर पर होता है, किसी स्वर या व्यंजन पर नहीं। हिन्दी में बलाघात है, लेकिन उसका अर्थबोधक महत्त्व नहीं है।

वलाघात के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं :

१. एकाक्षर शब्दों में वलाघात स्वभावतः उसी पर होता है जैसे, **जो, वह** ।
२. एकाधिक अक्षरवाले शब्दों में यदि सभी अक्षर ह्रस्व हों तो वलाघात, उपांत्य (अंतिम से पूर्व) अक्षर पर होता है । जैसे **क**-मल, अ-**ग**-णित
३. तीन अक्षरवाले शब्दों में यदि मध्य अक्षर दीर्घ हो तो वलाघात उसी पर पड़ेगा । जैसे म -**सा**-ला, झू -**मे**-गा, स-**मा**-धि
४. वाक्य में वलाघात शब्द स्तर पर देखा जा सकता है । ऐसा वलाघात अर्थबोधक होता है ।
   सोहन ने मोहन को डंडे से मारा (अर्थात् और किसी ने नहीं सोहन ने)
   सोहन ने **मोहन** को डंडे से मारा (अर्थात् किसी और को नहीं मोहन को)
   सोहन ने मोहन को **डंडे से** मारा (अर्थात् किसी और चीज़ से नहीं डंडे से)
   सोहन ने मोहन को डंडे से **मारा** (अर्थात् सिर्फ धमकाया नहीं, मारा)

बलाघात और संगम

बोलने में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती जाती है । कुछ ध्वनियाँ बिल्कुल एक दूसरे के समीप आती हैं तो कुछ ध्वनियों के बीच का स्थान कुछ समय के लिए रिक्त रहता है । इस प्रकार से वाक्य के अंत में विराम, वाक्यांशों के मध्य अल्पविराम, शब्दों के मध्य अल्पतर विराम और शब्दों के मध्य में भी अक्षरों के बीच अल्पतम विराम रहता है । उपर्युक्त स्थानों पर विराम की विभिन्न स्थितियों का विवेचन ही संगम के अंतर्गत आता है ।

जब दो पद समीप आते हैं तो पहले पद का अंत्य भाग और द्वितीय पद का आदि भाग जुड़ जाता है । यह मिलन की विधि ही संगम-

स्थिति है। शब्दों के मध्य विराम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ सकता है।

रोको मत, जाने दो।
रोको, मत जाने दो।

इन वाक्यों के अर्थ में अंतर संगम की भिन्नता के कारण ही है। विराम संगम का ही एक रूप है। इसके प्रमुख भेद दो हैं :

१. पूर्णविराम : इसके लिए पूर्णविराम, प्रश्नवाचक या आश्चर्य-सूचक चिह्न प्रयुक्त होते हैं।

२. अल्पविराम : यह वाक्य के मध्य कुछ कम समय के लिए विराम का द्योतक है। इसके लिए अल्पविराम (,) का प्रयोग होता है।

सुर तथा सुरलहर

बोलने में भावों के अनुसार सुर के उतार-चढ़ाव में अंतर आता है। सुर का यह उतार-चढ़ाव ही सुरलहर है। उदाहरण के लिए 'अच्छा' शब्द को लें। सामान्य कथन, प्रश्नवाचक और आश्चर्य इन तीनों भावों को व्यक्त करने के लिए तीन प्रकार की सुरलहर का प्रयोग करेंगे :

(१) सामान्य कथन
अच्छा

(२) प्रश्नवाचक
अच्छा ?

(३) आश्चर्य
अच्छा !

संधि

संधि का अर्थ है मेल या जोड़। **जब दो ध्वनियाँ पास-पास आने के कारण मिल जाती हैं तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे 'संधि' कहते हैं।** संधि और संयोग में यह फर्क है कि संधि की व्यवस्था

में दो ध्वनियाँ मिलकर एक तीसरे रूप को ग्रहण कर लेती हैं, किन्तु संयोग की अवस्था में उनमें कोई विकार नहीं होता। उदाहरण के लिए **सत्+जन** मिलकर **सज्जन** बन जाता है, यहाँ **त्+ज्=ज्ज** की संधि है, किन्तु **सत्पुरुष** शब्द में **त्** और **प** की संधि नहीं होती, यहाँ दो व्यंजन ध्वनियों का केवल संयोग है।

संधि तीन प्रकार की होती हैं–

(१) स्वर संधि (२) व्यंजन संधि (३) विसर्ग संधि।

हिन्दी लेखन में संधि का प्रयोग अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होता है। तद्भव रूपों में इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं, जैसे :

सब्+ही=सभी
यहाँ+ही=यहीं

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल को 'स्वर संधि' कहते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के अनेक रूप हैं किन्तु हिन्दी में इसके मुख्यतः चार भेद पाए जाते हैं : (क) दीर्घ या सवर्ण संधि (ख) गुण संधि (ग) वृद्धि संधि (घ) यण संधि।

(क) **दीर्घ या सवर्ण संधि** : ह्रस्व या दीर्घ अ-आ, इ-ई, उ-ऊ परस्पर एक दूसरे के समीप आएँ और मिलकर क्रमशः सवर्ण दीर्घ स्वर **आ, ई** और **ऊ** में परिवर्तित हो जाएँ तो इसे **दीर्घ या सवर्ण संधि** कहते हैं। जैसे :

अ+अ	=आ	:	परम	+अर्थ	=परमार्थ
अ+आ	=आ	:	रत्न	+आकर	=रत्नाकर
आ+अ	=आ	:	रेखा	+अंश	=रेखांश
आ+अ	=आ	:	विद्या	+अर्थी	=विद्यार्थी
आ+आ	=आ	:	विद्या	+आलय	=विद्यालय
इ+इ	=ई	:	मुनि	+इंद्र	=मुनीन्द्र
इ+ई	=ई	:	गिरि	+ईश	=गिरीश
ई+ई	=ई	:	नदी	+ईश	=नदीश
उ+उ	=ऊ	:	बहु	+उद्देशीय	=बहूद्देशीय

अन्य प्रकार के सवर्ण संधिज रूप हिन्दी में प्राय: नहीं मिलते।

(ख) **गुण संधि** : जव **अ** अथवा **आ** के आगे **इ** अथवा **ई** आते हैं तो दोनों मिलकर **ए** हो जाते हैं। इसी तरह जव **अ** अथवा **आ** के आगे **उ** अथवा **ऊ** आते हैं तो दोनों मिलकर **ओ** हो जाते हैं। **अ** तथा **आ** के वाद **ऋ** आने पर **अर्** हो जाता है। इस प्रक्रिया को गुण संधि कहते हैं। जैसे :

अ +इ =ए : नर +इंद्र =नरेन्द्र
आ +ई =ए : महा +ईश =महेश
आ +इ =ए : महा +इंद्र =महेन्द्र
अ +उ =ओ : चंद्र +उदय =चंद्रोदय
आ +उ =ओ : महा +उत्सव=महोत्सव
अ +ऋ=अर् : सप्त +ऋषि =सप्तर्षि
आ +ऋ =अर् : महा +ऋषि =महर्षि

(ग) **वृद्धि संधि** : जव **अ** या **आ** के आगे **ए** या **ऐ** आते हैं तो दोनों मिलकर **ऐ** हो जाते हैं। इसी तरह जव **अ** या **आ** के आगे **ओ** या **औ** आते हैं तो इनकी संधि **औ** हो जाती है। इस प्रकार की संधि को 'वृद्धि संधि' कहा जाता है।

अ + ऐ = ऐ : मत +ऐक्य =मतैक्य
आ + ए = ऐ : सदा +एव =सदैव
आ + ऐ = ऐ : महा +ऐश्वर्य =महैश्वर्य
अ + ओ = औ : वन +ओषधि =वनौषधि
आ + औ = औ : महा +औषध =महौषध

(घ) **यण संधि** : जव **इ-ई** और **उ-ऊ** के वाद कोई असवर्ण अर्थात् असमान स्वर आता है तो **इ-ई** के स्थान पर **य्** और **उ-ऊ** के वदले **व्** हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहा जाता है।

इ+अ =य : यदि +अपि =यद्यपि
इ+उ =यु : अभि +उदय =अभ्युदय
इ+ए =ये : प्रति +एक =प्रत्येक

व्यंजन संधि

(१) **घोषीकरण** : यदि शब्द में पहले अघोष व्यंजन ध्वनि क्, च्, ट्, त्, प् आएँ और उसके बाद कोई सघोष ध्वनि अर्थात् ग्, घ्, ज्, झ्, ड्, ढ्, द्, ध्, ब्, म् अथवा कोई स्वर ध्वनि आए तो अघोष ध्वनि भी अपने वर्ग की घोष ध्वनि बन जाती है।

वाक् +ईश =वागीश
दिक् +अंत =दिगंत
षट् +आनन =षडानन
जगत् +ईश =जगदीश
सत् +गति =सद्गति
सत् +आनंद =सदानंद
भगवत् +भक्ति =भगवद्भक्ति

(२) **अनुनासिकीकरण** : जब किसी अघोष ध्वनि क्, च्, ट्, त्, प् के बाद कोई अनुनासिक ध्वनि न, म आदि आती है तो अघोष ध्वनि के स्थान पर उसी वर्ग की अनुनासिक ध्वनि हो जाती है।

जैसे :

वाक् +मय =वाङ्मय
जगत् +नाथ =जगन्नाथ

(३) **तालव्यीभाव** : जब त् के बाद च्, छ्, ज् या झ आए तो त् का क्रमश: **च्** या **ज्** हो जाता है।

उत्+चारण=उच्चारण
शरत्+चंद्र=शरच्चंद्र
सत् +जन=सज्जन

(४) यदि **त्** के बाद **ल्** ध्वनि आती है तो त् का ल् हो जाता है।

जैसे:

उत् +लास=उल्लास

(५) छ् के पहले किसी स्वर के होने पर छ् का च्छ् हो जाता है जैसे ;

परि+छेद=परिच्छेद

वि + छेद = विच्छेद

आ + छादन = आच्छादन

कहीं-कहीं संधि करते समय स का ष हो जाता है। जैसे :

वि + सम = विषम

विसर्ग संधि

(१) यदि विसर्ग के पहले **अ** हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे :

अत: + एव = अतएव

(२) यदि विसर्ग के पहले **अ** हो और बाद में घोष व्यंजन (स्पर्श या स्पर्श-संघर्षी) हो, या अंत:स्थ ध्वनि य् या ह् हो तो विसर्ग के बदले **ओ** हो जाता है। जैसे :

मन: + योग = मनोयोग

रज: + गुण = रजोगुण

(३) यदि विसर्ग के पहले **अ, आ** छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र् हो जाता है। जैसे :

नि: + आश = निराश

दु: + गुण = दुर्गुण

बहि: + मुख = बहिर्मुख

(४) विसर्ग के आगे यदि **श** या **स** हो तो विसर्ग विकल्प से बाद में आनेवाले व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे :

दु: + शील = दुश्शील या दु:शील

नि: + संदेह = निस्संदेह या नि:संदेह

(५) यदि विसर्ग के आगे **त** हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे :

मन: + ताप = मनस्ताप

(६) यदि विसर्ग के पहले इ या उ हो और बाद में क्, ख्, प्, फ् में से कोई व्यंजन ध्वनि हो तो विसर्ग का ष् हो जाता है। जैसे:

निः + फल = निष्फल

दुः + कर्म = दुष्कर्म

प्रश्न

१. स्वर और व्यंजन ध्वनियों में क्या अंतर है ?

२. घोष और अघोष में क्या अंतर है ?
वर्णमाला में कौन-से वर्ण घोष हैं और कौन-से अघोष ?

३. संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ? कुछ ऐसे शब्द बताइए जिनमें दो तथा तीन व्यंजनों के संयोग हों।

४. अनुस्वार के प्रयोग के क्या नियम हैं ?

५. बलाघात से अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार आता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

६. संधि किसे कहते हैं ? कल्पांत, रत्नाकर, गिरीश, परोपकार, इत्यादि, दिग्गज, जगदीश, मनस्ताप का संधि-विच्छेद कीजिए।

७. नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए :
रमा + ईश, परम + अर्थ, अभि + इष्ट, महा + इंद्र, महा + ऋषि, अनु + इत, पुरुष + उत्तम, तत् + लीन, सम् + पूर्ण, सम् + हार, दुः + कर्म।

दूसरे वाक्य में **रेलगाड़ी** शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ क्रिया का वही रूप प्रयुक्त हुआ है जो स्त्रीलिंग प्राणी अमीना के साथ है।

लिंग का वाक्य-रचना में प्रभाव

हिन्दी में संज्ञा के लिंग का प्रभाव मुख्यत: दो स्थानों पर पड़ता है, विशेषण के प्रयोग में और क्रियापद की रचना में। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, आकारांत विशेषण के रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। इसी प्रकार क्रियापद के विभिन्न आकारांत शब्दों के रूप भी कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार बदलते हैं।

कुछ उदाहरण :

विशेषण : मुझे **नीला** कागज चाहिए।
मुझे **नीली** स्याही चाहिए।

क्रिया : आलोक दिन-रात **पढ़ता रहता था**।
अर्चना दिन-रात **पढ़ती रहती थी**।
उन दिनों यह अखबार **पढ़ा जाता था**।
उन दिनों यह पत्रिका **पढ़ी जाती थी**।

वचन

भाषा में संज्ञा शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि कभी तो वे केवल एक का बोध कराते हैं और कभी एक से अधिक का। एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप के द्वारा कराया जाता है, उसे वचन कहते हैं। हिन्दी में दो वचन होते हैं–(१) एकवचन, (२) बहुवचन।

१. एकवचन–किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करानेवाले संज्ञा शब्द के रूप को एकवचन कहते हैं। जैसे, लड़का, नदी, गाय, बहू। 'लड़का खेलता है, गाय चरती है, नदी बहती है' में एकवचन का प्रयोग है।

२. बहुवचन–एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करानेवाले संज्ञा शब्दों के रूप को बहुवचन कहते हैं। जैसे, लड़के, नदियाँ, किताबें, बहुएँ, चिड़ियाँ।

'लड़के खेलते हैं, नदियाँ वहती हैं', में वहुवचन का प्रयोग है।

भाववाचक संज्ञाएँ सामान्यत: एकवचन में आती हैं। जैसे : लज्जा, करुणा, सुंदरता, लोभ आदि।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

(क) कारक-चिह्नों से रहित पुलिंग शब्द :

१. यदि कारक-चिह्नों का प्रयोग न हो तो आकारांत पुलिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुलिंग शब्दों का रूप एकवचन और वहुवचन में एक जैसा रहता है। उदाहरणार्थ – घर, बालक, कवि, मुनि, माली, धोबी, साधु, गुरु, उल्लू, डाकू, रेडियो।

वालक खेल रहा है।	बालक खेल रहे हैं।
धोबी कपड़ा धो रहा है।	धोबी कपड़े धो रहे हैं।

२. आकारांत पुलिंग शब्दों का कारक-चिह्न रहित वहुवचन वनाने में **आ** के स्थान पर **ए** कर देते हैं, जैसे पैसा–पैसे, लोटा–लोटे, लड़का–लड़के। संस्कृत के तत्सम आकारांत पुलिंग शब्द (राजा, पिता, नेता, योद्धा, देवता आदि), द्विरुक्ति से वने हुए शब्द (मामा, नाना, वावा, आदि) तथा कुछ अन्य शब्द (अगुआ, मुखिया, तना, सूरमा आदि) कारक-चिह्न रहित एकवचन तथा वहुवचन में एक जैसे रहते हैं।

(ख) कारक-चिह्नों से रहित स्त्रीलिंग शब्द :

१. व्यंजनांत, आकारांत, उकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के कारक-चिह्न रहित व्यंजन में **एँ** जोड़ देते हैं ; जैसे : गाय से गाएँ, रात से रातें, माता से माताएँ, वस्तु से वस्तुएँ, वहू से वहुएँ आदि।

ऊकारांत शब्दों में **एँ** जोड़ने के पूर्व **ऊ** को **उ** कर देते हैं।

२. इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वहुवचन वनाने के लिए **याँ** जोड़ देते हैं ; जैसे तिथि से तिथियाँ, राशि से राशियाँ आदि।

३. ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम **ई** को ह्रस्व कर **याँ** जोड़ते हैं ; जैसे, थाली से थालियाँ ; गली से गलियाँ, टोपी से टोपियाँ आदि।

४. **इया** से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए अंतिम **या** को **याँ** कर देते हैं ; जैसे : कुटिया से कुटियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ आदि।

(ग) कारक-चिह्न के सहित पुंलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द :

कारक-चिह्नों से युक्त होने पर शब्दों का बहुवचन बनाने में लिंग के कारण कोई अंतर नहीं पड़ता।

१. संज्ञाओं के कारक-चिह्न सहित बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ओं जोड़ दिया जाता है—

एकवचन	**कारक-चिह्नों के साथ बहुवचन**
घर	घरों में
माता	माताओं को
मुनि	मुनियों को
गली	गलियों में
वस्तु	वस्तुओं में
वधू	वधुओं के लिए

इनमें अंतिम **ई, ऊ** को क्रमशः **इ, उ** कर देते हैं। **इ** के बाद **ओं** प्रत्यय के पूर्व **य्** आ जाता है।

२. संस्कृत के आकारांत शब्दों को छोड़कर शेष आकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय **आ** के स्थान पर **ओं** कर देते हैं। जैसे :

एकवचन	**कारक-चिह्न के साथ बहुवचन**
घोड़ा	घोड़ों ने, घोड़ों को आदि।

३. आकारांत संस्कृत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए **आ** के बाद **ओं** जोड़ा जाता है—लता=लताओं, पिता=पिताओं

वचन-विषयक कुछ टिप्पणियाँ

१. कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन न करके, **जन, गण** या **लोग** आदि शब्द जोड़ देते हैं। कारक-चिह्न सहित होने पर इनके अंत में **ओं** जोड़ देते हैं :

गुरु—गुरुजन—गुरुजनों के आशीर्वाद

२. किसी व्यक्ति के प्रति आदर का भाव दिखाने के लिए उसके साथ वहुवचन विशेषणों और क्रियाओं का प्रयोग होता है :

--गांधीजी एक वार हमारे नगर में पधारे थे।

--पिताजी पटना गए हैं।

इस प्रसंग में **वह** सर्वनाम के स्थान पर **वे** का ही प्रयोग होता है।

--युधिष्ठिर वड़े धर्मात्मा थे। **वे** कभी असत्य नहीं बोलते थे।

३. यदि किसी समयसूचक संज्ञा के पहले निश्चित संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ हो तो वह संज्ञा एकवचन में ही रहती है :

--वह **चार घंटे से** प्रतीक्षा कर रहा है।

--मोहन **दस दिन** से बीमार है।

--वह **तीन महीने** तक यहीं रहेगा।

४. संज्ञा के तीनों भेदों में प्रायः केवल जातिवाचक संज्ञा का ही वहुवचन में प्रयोग होता है।

कारक

वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्द के साथ जो संबंध व्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। यह संबंध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बोधित होता है, उसे कारक-विभक्ति या केवल कारक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'भारत के प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने एशिया की शांति के लिए ताशकंद में पाकिस्तान से समझौता किया था,' वाक्य में **प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने, ताशकंद में शांति के लिए, पाकिस्तान से, समझौता** इन पाँचों पदों या पद-समुच्चयों का वाक्य की क्रिया **किया था** से संबंध सूचित होता है। इसी तरह **भारत के** तथा **एशिया की** का क्रमशः **प्रधान मंत्री** और **शांति** के साथ संबंध प्रतीत होता है। अतः **भारत के, शास्त्री ने, एशिया की, शांति के लिए, ताशकंद में, पाकिस्तान से, समझौता** का वाक्य में इन पदों से जो संबंध है उसे कारक-संबंध कहेंगे। यह कारक-संबंध जिन रूपों से व्यक्त होता है वे रूप कारक-विभक्ति या केवल कारक भी कहलाते हैं, जो कहीं कर्ता, कहीं कर्म, कहीं करण आदि के भाव का बोध कराते हैं। इस भाव का बोध कराने के लिए जिन स्वतंत्र चिह्नों का प्रयोग किया गया है, जैसे **ने** (कर्ता), **के-की** (संबंध),

के लिए (संप्रदान), **में** (अधिकरण), **से** (करण), उन्हें **कारक-चिह्न** या **परसर्ग** कहा जाता है। **परसर्ग** वे कारक-चिह्न हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य पदों से जोड़ते हैं।

किन्तु कभी-कभी बिना विभक्ति या परसर्ग के भी, वाक्य में प्रयोग से ही शब्द का कारण-संबंध स्पष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में शब्द का कारकीय रूप परसर्गरहित होता है :

कर्ता–	**लड़का** पढ़ता है। **लड़के** पढ़ते हैं।
	मेरा **हाथ** दुखता है। उसका **घर** गिर पड़ा।
कर्म–	वह **पुस्तक** पढ़ता है। मैं **पुस्तकें** पढ़ता हूँ।
	किसान **घर** बनाता है। मेरा **हाथ** मत पकड़ो।
करण–	नौकर के **हाथ** चिट्ठी भेज देना।
अधिकरण–	लड़का **घर** गया।
	वह बहुत छटपटाया, पर उसके **हाथ** कुछ न आया।

संस्कृत वैयाकरण कारक की परिभाषा केवल क्रिया की दृष्टि से मानते हैं। उनके मत से कारक वही है, जिसका संबंध क्रिया से हो। इसीलिए वे संबंध कारक को कारक नहीं मानते। वहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा शब्द से होता है। हिन्दी की उपर्युक्त कारक-परिभाषा में क्रिया से ही संबंध होना शर्त नहीं है। यह संबंध वाक्य के किसी भी शब्द से हो सकता है, अतः यहाँ कारक मूलतः सात हैं, और संबोधन को भी कारकों में गिन लेने पर इनकी संख्या आठ हो जाती है :

(१) कर्ता, (२) कर्म, (३) करण, (४) संप्रदान, (५) अपादान, (६) संबंध, (७) अधिकरण तथा (८) संबोधन। इन आठों कारकीय रूपों का विवेचन आगे किया जा रहा है।

कर्ता कारक

वाक्य में क्रिया या व्यापार का विधान करनेवाले पद को कर्ता कारक कहते हैं। यह पद वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है जो क्रिया से सीधा संबद्ध रहता है। क्रिया इसी के व्यापार या अस्तित्व का बोध कराती है।

(१) कर्ता कारक के साथ प्रायः किसी कारक-बोधक चिह्न या परसर्ग का प्रयोग नहीं पाया जाता। कर्ता के अविकारी एकवचन तथा बहुवचन का प्रयोग ऐसा ही होता है :

राम पुस्तक पढ़ता है।
लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं।
बच्चे गेंद खेलेंगे।
बच्चा सो गया था।

(२) भूत कृदंत (पढ़ा, खाया, लिखा) से बनी सकर्मक क्रियाएँ होने पर कर्ता के साथ **ने** का प्रयोग होता है : 'मैंने आम खाया, राम ने पुस्तक पढ़ी'। **बोलना, भूलना, लाना, ले आना, ले जाना** सकर्मक क्रियाओं के भूत कृदंत के साथ **ने** का प्रयोग नहीं होता।

कुछ सकर्मक क्रियाओं के आने पर कर्ता के साथ विकल्प से **ने** का प्रयोग होता है। जैसे, 'मैंने छींका, उसने खाँसा या वह खाँसा'।

(३) यद्यपि कर्ता का परसर्ग केवल **ने** बताया गया है, पर इसमें **को, से** का प्रयोग भी मिलता है।

कृदंत क्रिया तथा विधि या 'चाहिए' का भाव द्योतित करने वाली क्रिया के साथ कर्ता कारक में **को** का प्रयोग मिलता है :

यात्रियों को घंटी बजाना मना है।
छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
अब **राम को** पढ़ना चाहिए।
लोगों को सोच-समझ कर वोट देना चाहिए।
मुझको (मुझे) जाना है।

(४) कर्ता की असमर्थता या आवश्यकता का बोध कराने के लिए कर्ता के साथ **से** परसर्ग का प्रयोग होता है :

राम से खेला नहीं जाता।
बुड्ढे से चने नहीं चबाए जाते।
मुझ से न रहा गया।

यहाँ **राम से, बुड्ढे से, मुझ से** कर्ता कारक हैं, करण नहीं।

(५) कर्मवाच्य प्रयोगों में कर्ता के साथ **के द्वारा** परसर्ग का व्यवहार होता है :

चोर सिपाहियों द्वारा खूब पीटा गया।

हिन्दी में इस प्रकार के वाक्य प्रायः कम प्रचलित हैं। वहुप्रचलित प्रयोग होगा – सिपाहियों ने चोर को खूब पीटा।

कर्म कारक

सकर्मक क्रियापदों वाले वाक्यों में क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिपाही ने **चोर को** पीटा, लड़का **पत्थर** फेंकता है, मैं **राम से** नहीं बोलूंगा, इन वाक्यों में **पीटना, फेंकना, बोलना,** क्रिया का फल क्रमशः **चोर, पत्थर** तथा **राम** पर पड़ता है।

(१) कर्म कारक का प्रयोग प्रायः विना परसर्ग के होता है।

जैसे, मैं चाय पीता हूँ।
वह पुस्तक पढ़ता है।

(२) पुरुषवाचक कर्म के साथ (निश्चित व्यक्ति होने पर) **को** का प्रयोग होता है। जैसे,

राम सीता को खोजते फिर रहे थे।
नौकर को बुलाओ।

वस्तुओं के प्रसंग में **को** का प्रयोग विकल्प से होता है :

इस आम को काटो।

गौण कर्म के साथ भी **को** का प्रयोग होता है :

उसने भाई को पत्र लिखा।
राम ने मुझ को वताया कि गाड़ी ६ वजे छूटती है।

सकर्मक अपूर्ण क्रिया के कर्म के साथ **को** का प्रयोग होता है :

वह निर्धनता को पाप मानता है।
वह इस वात को अपमानजनक समझता है।

(३) बोलना, कहना, लड़ना, पूछना, माँगना, बताना, मिलना, प्रेम करना, प्रार्थना करना, घृणा करना क्रियाओं के साथ **से** का प्रयोग होता है :

मैं **उससे** मिलूंगा।
मैंने **श्याम से** बोलना बंद कर दिया।

करण कारक

जिसकी सहायता से कार्य हो वह करण कारक में होता है। इसके द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है। 'वह **चाकू से** कलम बना रहा है', 'तुम **पेंसिल से** पत्र लिखते हो'। करण कारक में **से** कारक-चिह्न प्रयुक्त होता है। **से** के अतिरिक्त **द्वारा** भी करण में लगता है :

मैं हवाई जहाज द्वारा जा रहा हूँ।

यह **आँखों** देखी घटना है या **कानों** सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिए, जैसे विशेष प्रयोग भी मिलते हैं जहाँ करण कारक के परसर्ग का लोप मिलता है।

संप्रदान कारक

जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक में होता है। **को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के अर्थ, के निमित्त** आदि का प्रयोग संप्रदान के कारक के चिह्नों के रूप में होता है।

मैंने घड़ी **राम को** दी।

बच्चा **फल के लिए** रो रहा था।

वे सिनेमा **देखने के लिए** इतनी दूर गए।

संप्रदान का गौण कर्म के रूप में प्रयोग होने पर भी इन्हीं परसर्गों का प्रयोग होता है। गौण कर्म को समझने के लिए, यह जानना जरूरी है कि कर्म की दो कोटियाँ होती हैं :–(१) प्रधान कर्म तथा (२) गौण कर्म। क्रिया या व्यापार जिसके लिए किया जाता है, वह गौण कर्म है, तथा व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, वह प्रधान कर्म है। जैसे :

उसने **स्कूल को अपनी ज़मीन** दान में दे दी।

उसने **आचार्य को अपना पुत्र** सौंप दिया।

इन वाक्यों में प्रधान कर्म, **अपनी ज़मीन** और **अपना पुत्र** है, **स्कूल को** तथा **आचार्य को** का प्रयोग गौण कर्म के रूप में है। ऐसे प्रयोगों में गौण परसर्गयुक्त होता है, तथा प्रधान कर्म परसर्गरहित। दो अन्य उदाहरण हैं :

माँ **बालक के लिए मिठाई** लाती है।

बाजार से **बच्चे के लिए गेंद** ले आना।

अपादान कारक

किसी से अलग होने का भाव जिस कारक से प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग करण की भाँति ही **से** है। भेद यह है कि करण में **से** साधन या सहायता का भाव द्योतित करता है, किन्तु अपादान में पृथकता या अलगाव का।

वह **घोड़े से** गाँव गया। (करण)
सवार **घोड़े से** गिर पड़ा। (अपादान)

अपादान के अन्य उदाहरण :–

पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिर गया।
गंगा **हिमालय से** निकलती है।
सड़क से हटकर दुकान लगाओ।

संबंध कारक

संबंध कारक उस पद में होता है जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा पद के साथ संबंध प्रकट हो। जैसे, **पुस्तक का** पृष्ठ फटा है, **राम की** घड़ी खो गई, इस **कक्षा के** सभी लड़के सुशील हैं। इन वाक्यों में **पुस्तक का, राम का, कक्षा के** आदि शब्द संबंध कारक में हैं। संबंध कारक के रूपों की एक विशेषता यह है कि इसके साथ प्रयुक्त परसर्ग संबद्ध संज्ञा शब्द के लिंग, वचन के अनुसार बदलता है। इस तरह संबंध कारक का रूप आकारांत विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। संबंध कारक के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं :–

देश का राजा, **लड़के का** हाथ, **जगत का** कर्ता, **नगर के** लोग, **रवि वर्मा** के चित्र, **कोल्हू के** बैल, **लड़के के** हाथ में, **लोहे की** गाड़ी, **मनुष्य की** बड़ाई, **सोने की** अँगूठियाँ।

अधिकरण कारक

क्रिया के व्यापार के आधार का बोध करानेवाले संज्ञा या सर्वनाम रूप अधिकरण कारक में होते हैं। जैसे, '**मेज पर** पुस्तक रखी है, **पिंजड़े**

में मैना बैठी है।' इसके मुख्य चिह्न हैं: **में** तथा **पर**। यों अधिकरण के परसर्गरहित रूप भी मिलते हैं: 'राम के घर लड़का हुआ है' में **घर** अधिकरण कारक में प्रयुक्त परसर्गरहित रूप है। अधिकरण कारक में **में** तथा **पर** के अतिरिक्त **भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, मध्य** आदि का भी **के** (**का** का विकारी रूप) के साथ प्रयोग होता है। जैसे, **घड़े के अंदर** पानी है। **अलमारी के भीतर** किताबें हैं, **छत के ऊपर** मत जाओ, आदि।

संज्ञा की पुनरुक्ति होने पर, अथवा कई अन्य स्थितियों में भी अधिकरण कारक के प्रयोग परसर्गरहित होते हैं:

वह **घर-घर** माँगता फिरता है।
उस **समय** मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी।
राम **के घर** एक भी दाना नहीं है।
मैं उनके **दरवाज़े** कभी नहीं जाऊँगा।
सूरज छः **बजे** निकलता है।
हम आपके **पाँव** पड़ते हैं।

संबोधन कारक

किसी को संबोधित करने या बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। इसके चिह्न, **ऐ, हे, ओ, अरे** आदि हैं।

ऐ नौकर!, हे कृष्ण!, अहो मित्र!, अरे लड़के!, ओ बच्चे!, अरे भाइयो!

किन्तु बिना किसी चिह्न के भी संबोधन का प्रयोग होता है:— लड़के! यहाँ आओ, बेटे! कुछ काम करो।

कारक-चिह्नों की तालिका

कारक	परसर्गरहित	मुख्य परसर्ग	गौण परसर्ग
कर्ता		ने	को, से, द्वारा
कर्म		को	से

कारक	परसर्गरहित	मुख्य परसर्ग	गौण परसर्ग
करण		से	
संप्रदान		को, के लिए आदि	
अपादान		से	
संबंध		का	
अधिकरण		में, पर, के भीतर आदि	
संबोधन		ऐ, ओ, अरे, हे	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि संप्रदान, अपादान तथा संबंध में परसर्गरहित रूप कभी प्रयुक्त नहीं होते। कविता में सामान्य नियम का उल्लंघन भी मिलता है।

प्रश्न

१. संज्ञा की परिभाषा बताते हुए, इसके प्रमुख भेदों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए।

२. हिन्दी व्याकरण में कितने लिंग होते हैं? पुलिंग या स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ प्रमुख संकेत दीजिए।

३. एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम बताइए।

४. कारक किसे कहते हैं? हिन्दी में कितने कारक होते हैं? सबके उदाहरण दीजिए।

५. कर्म और संप्रदान तथा करण और अपादान का अंतर स्पष्ट कीजिए।

६. नीचे लिखे शब्दों में पुलिंग और स्त्रीलिंग छाँटिए :
हाथी, दही, पुस्तक, नाक, आग, आत्मा, वायु, विद्वान, यशस्वी, चींटी, जूँ, मेज़, स्टूल, पलंग, मोती।

७. निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए :
गाय, भैंस, बाबू, शेर, पंडित, गुणवान, विद्वान, कुम्हारिन, पापिन, बिल्ली, राँड, ननद, बहू, सास।

८. निम्नलिखित शब्दों के अविकारी बहुवचन बनाइए :
आम, रात, घोड़ा, राजा, आत्मा, मुनि, रात्रि, धोबी, नदी, बहू, चौबे, जूँ, कोदों।

९. शुद्ध कीजिए :
हमने पढ़ना है। मैं तुमको पूछता हूँ। दवात पर स्याही है। वह पलंग में बैठा है। प्यारों बच्चों, यहाँ आओं। वह अपने बाबे के साथ बाज़ार गया। सावधान, तुम्हारा मृत्यु निकट है। इस पाठशाले में कितना अध्यापक है।

अध्याय–४

सर्वनाम

जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं, तुम, वह।

भाषा में यदि सर्वनाम न होते तो हमें कहना पड़ता : '**मोहन** ने **राम** से कहा कि **मोहन राम** के घर से **मोहन** की पुस्तकें लाएगा।'

किन्तु अब हम सर्वनाम की सहायता से कहते हैं : 'मोहन ने राम से कहा कि **मैं तुम्हारे** घर से **अपनी** पुस्तकें लाऊँगा।'

इस प्रकार सर्वनामों के प्रयोग के कारण बार-बार संज्ञा को दुहराना नहीं पड़ता, अतः वाक्य सुंदर और संक्षिप्त हो जाते हैं।

सर्वनाम के प्रयोग के संबंध में निम्नांकित बातें स्मरण रखने की हैं :

(१) सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं अतः संज्ञा की भाँति ही कारक के कारण उनमें भी विकार या परिवर्तन होता है। किन्तु संज्ञा से एक अंतर भी है। संज्ञा का संबोधन कारक में भी प्रयोग होता है, पर सर्वनाम का नहीं।

(२) संज्ञा की भाँति सर्वनाम भी एकवचन और बहुवचन दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं।

(३) सर्वनाम किसी पुलिंग शब्द के लिए प्रयुक्त हो रहा हो या स्त्रीलिंग के लिए, उसका रूप एक ही रहता है। अर्थात् संज्ञा शब्द का (जिसके स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा हो) लिंग उसे प्रभावित नहीं करता। **वह, तुम, मैं,** आदि सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बिना किसी अंतर के आ सकते हैं।

(४) सर्वनामों के संबंध कारक के रूप (मेरा घोड़ा, मेरी गाय, तेरा काम, तेरी घड़ी, उसका नाम, उसकी चीज आदि) विशेषण के समान काम करते हैं, इसीलिए ये विशेष्य शब्द के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं।

सर्वनाम ६ प्रकार के होते हैं :

(१) पुरुषवाचक, (२) निजवाचक, (३) निश्चयवाचक, (४) अनिश्चयवाचक, (५) प्रश्नवाचक, (६) संबंधवाचक।

पुरुषवाचक

कहनेवाले, सुननेवाले तथा किसी तीसरे (जिसके संबंध में बात हो) के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं :

(१) उत्तम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष, (३) अन्य पुरुष।

उत्तम पुरुष

बोलने (या लिखने) वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे – मैं, हम, मुझे, हमारे।

मैं के कारक-रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता :	(विभक्ति रहित) मैं	हम, हम लोग
	(विभक्ति सहित) मैंने	हमने, हम लोगों ने
कर्म	: मुझे, मुझको	हमें, हमको, हम लोगों को
करण	: मुझसे, मेरे द्वारा	हमसे, हम लोगों से, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा
संप्रदान	: मुझे, मुझको, मेरे लिए	हमें, हमको, हम लोगों को, हमारे लिए, हम लोगों के लिए
संबंध	: मेरा, मेरी, मेरे	हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, की, के
अधिकरण	: मुझमें, मुझ पर	हममें, हम पर, हम लोगों में, **हम लोगों पर**

आजकल प्रायः लोग एकवचन में भी **हम** तथा उससे बननेवाले **हमने, हमें, हमसे, हमारा** आदि रूपों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए बहुवचन में स्पष्टता के लिए **लोग** लगाकर बनाए गए रूपों का प्रयोग प्रायः होने लगा है। **मैं** के लिए **हम** का प्रयोग साधु नहीं कहा जा सकता।

मध्यम पुरुष

सुनने वाले (या जिससे बात की जाए या जिसे लिखा जाए) के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे, तू, तुम, आप, तुम्हारा।

तू के कारक-रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	: (विभक्ति रहित) तू	तुम, तुम लोग
	(विभक्ति सहित) तूने	तुमने, तुम लोगों ने
कर्म	: तुझे, तुझको	तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को
करण	: तुझसे, तेरे द्वारा	तुमसे, तुम लोगों से, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा
संप्रदान	: तुझे, तुझको, तेरे लिए	तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए
अपादान	: तुझसे	तुमसे, तुम लोगों से
संबंध	: तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों को, की, के
अधिकरण	: तुझमें, तुझपर	तुममें, तुमपर, तुम लोगों में, पर

मध्यम पुरुष में एकवचन में **तू** के रूपों का प्रयोग अत्यधिक आदर और प्यार (भगवान, माँ आदि), घृणा या अनादर के लिए होता है। बहुत अधिक परिचय होने पर भी आपस में **तू** का व्यवहार होता है। सामान्यतः एकवचन में **तुम** तथा उससे बने रूपों (तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा आदि) का प्रयोग होता है जो यथार्थतः बहुवचन है। इसीलिए **तुम** के साथ क्रिया तथा विशेषण बहुवचन में आते हैं।

एक से अधिक व्यक्तियों के लिए **तुम लोग, तुम लोगों ने, तुम लोगों को** आदि रूपों का प्रयोग होता है।

मध्यम पुरुष के आदर के लिए **तुम** के स्थान पर **आप** का प्रयोग होता है। **आप** के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होता। उसके साथ में अन्य पुरुष वहुवचन की क्रिया लगती है। जैसे, आप कहाँ जा रहे हैं?

आप के कारक-रूप

	एकवचन	**बहुवचन**
कर्ता :	(विभक्ति रहित) आप	आप, आप लोग
	(विभक्ति सहित) आपने	आपने, आप लोगों ने

अन्य सभी कारकों में एकवचन में **आप** तथा वहुवचन में **आप लोगों** के साथ विना किसी परिवर्तन के कारक-चिह्न (से, को, का, में, पर आदि) लगा देते हैं (जैसे, आपको, आप लोगों से आदि)।

आप के साथ क्रिया के उस रूप का प्रयोग नहीं होता जो **तुम** के साथ होता है। जैसे, **आप बैठिए,** (**बैठो** नहीं), **आप जाएँगे,** (**जाओ** नहीं)।

अन्य पुरुष

जिस व्यक्ति या वस्तु के वारे में वात कही जा रही हो, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे, **वह, वे, उस** आदि।

वह के कारक-रूप

	एकवचन	**बहुवचन**
कर्ता :	(विभक्ति रहित) वह	वे, वे लोग
	(विभक्ति सहित) उसने	उन्होंने, उन लोगों ने, उनने
कर्म :	उसे, उसको	उन्हें, उनको, उन लोगों को
~~कारक~~ :	उससे, उसके द्वारा	उनसे, उन लोगों से, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा

	एकवचन	बहुवचन
संप्रदान	: उसे, उसको, उसके लिए	उन्हें, उनको, उन लोगों को, उनके लिए, उन लोगों के लिए
अपादान	: उससे	उनसे, उन लोगों से
संबंध	: उसका, की, के	उनका, की, के; उन लोगों का, की, के
अधिकरण	: उसमें, उस पर	उनमें, उन पर; उन लोगों में, पर

वह का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए होता है। यदि समीप के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो **यह** का प्रयोग करते हैं। **यह** और **वह** के रूपों में बहुत साम्य है। कर्ता के विभक्ति रहित रूपों में **व** के स्थान पर **य** कर देने, तथा अन्य सभी कारकों के रूपों में **वह** के रूपों में **उ** के स्थान पर **इ** कर देने से **यह** के रूप बन जाते हैं। मध्यम पुरुष की तरह ही अन्य पुरुष में भी आदर के लिए एकवचन के रूपों का प्रयोग न करके **वे, ये, उन्हें, उनसे, इनसे** आदि बहु-वचन के रूपों का प्रयोग करते हैं।

यह के कारक-रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	: (विभक्ति रहित) यह	ये, ये लोग
	(विभक्ति सहित) इसने	इन्होंने, इन लोगों ने, इनने
कर्म	: इसे, इसको	इन्हें इनको, इन लोगों को
करण	: इससे, इसके द्वारा	इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा
संप्रदान	: इसे, इसको, इसके लिए	इन्हें, इनको, इनके लिए, इन लोगों के लिए
अपादान	: इससे	इनसे, इन लोगों से
संबंध	: इसका, की, के	इनका, की, के; इन लोगों का, की, के
अधिकरण	: इसमें, पर	इनमें, पर; इन लोगों में, पर

यदि बात करते समय **अन्य पुरुष** भी उपस्थित हों तो अन्य पुरुष में **ये** (एकवचन) और **ये लोग** का भी प्रयोग होता है। जैसे, 'मोहन, देखो, ये आज हमारे यहाँ ठहरेंगे।'

निजवाचक

जो सर्वनाम **निज** या **अपने आपको** बतलाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, 'मैं यह काम आप कर लूँगा।'

ऊपर कहा जा चुका है कि आदरार्थ **आप** का प्रयोग होता है, पर उस **आप** से निजवाचक का **आप** भिन्न है। यह भिन्नता प्रमुखतः तीन प्रकार की है :

(१) पुरुषवाचक आदरसूचक **आप** का बहुवचन **आप** या **आप लोग** होता है पर निजवाचक में **आप** ही दोनों वचनों में होता है। जैसे, 'मैं **आप** आ जाऊँगी' या 'वे लोग आप आ जाएँगे'।

(२) पुरुषवाचक आदरसूचक **आप** प्रमुखतः मध्य पुरुष और कभी-कभी अन्य पुरुष के लिए आता है पर निजवाचक **आप** तीनों पुरुषों के लिए। जैसे, 'तुम अपने आप खा लेना, मैं अपने आप चला जाऊँगा, वह अपने आप चला गया' आदि।

(३) पुरुषवाचक आदरसूचक **आप** वाक्य में अकेले आता है। जैसे, 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' किन्तु निजवाचक **आप** दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ आता है। जैसे, 'वह आप (या अपने-आप) कर लेना या राम आप आ रहा है'।

निजवाचक आप के कारक-रूप

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
कर्ता	: आप या अपने-आप	मैं **आप** (या अपने-आप) आ जाऊँगा। हम लोग **आप** (या अपने-आप) आ जाएँगे।
कर्म	: आपको, अपने को, अपने-आप को	तुम **अपने-आप** को मत बिगाड़ो। तुम लोग **अपने-आप** को क्या समझते हो ?

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
करण	: आप से, अपने से, अपने आप से, अपने आप, आप से आप	राम ने **अपने से** खा लिया। उन्होंने **अपने आप** देख लिया।
संप्रदान	: आपको, अपने को, अपने आपको	तुम लोग सभी कुछ **अपने को** देते हो।
अपादान	: आपसे, अपने से, अपने-आपसे	**अपने से** उसे दूर रखना।
संबंध	: अपना, नी, ने	मैंने **अपना** काम कर लिया।
अधिकरण	: अपने में, आप में, आपस में	तुम लोग **अपने से** या **आपस में** लड़ रहे हो।

कुछ अन्य निजवाचक सर्वनाम

वह **खुद** आएगा। मैंने **स्वयं** (या **स्वतः**) काम कर लिया। उसे **निज** के (या निजी) काम से मुझे भेजना है।

निश्चयवाचक सर्वनाम

ऐसा सर्वनाम जिससे दूर या समीप की किसी निश्चित वस्तु के संबंध में बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे, यह, वह, इसका, उसका।

निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं :

(१) समीप की वस्तु के लिए, जैसे, यह। 'यह तुम ले चलो'।

(२) दूर की वस्तु के लिए, जैसे, वह। 'वह तुम ले आओ'।

इन्हें क्रम से **निकटवर्ती निश्चयवाचक** (यह), तथा **दूरवर्ती निश्चयवाचक** (वह) कहते हैं।

इनके रूप ऊपर अन्य पुरुष के प्रसंग में दिए जा चुके हैं।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो जैसे, कोई, कुछ, किसी का। 'कोई जाएगा' वाक्य में **कोई** के प्रयोग से यह निश्चित नहीं होता कि कौन जाएगा। इसी प्रकार 'कुछ दो' में **कुछ** से किसी विशेष वस्तु का निश्चय नहीं होता।

अनिश्चयवाचक सर्वनामों में **कोई** का प्रयोग मनुष्य आदि चेतन के लिए तथा **कुछ** का प्रयोग जड़ और छोटे जंतुओं या कीड़ों आदि के लिए प्रायः होता है, यद्यपि इसके विरोधी प्रयोग भी मिल जाते हैं। जैसे **कुछ** (अर्थात् कुछ लोग) कहते हैं कि उसका दिमाग खराब है या **कोई** भी चीज लेते आना।

कोई के कारक-रूप

कारक		एकवचन	बहुवचन
कर्ता :	(विभक्ति रहित)	कोई	कोई
	(विभक्ति सहित)	किसी ने	किन्हीं ने

संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के रूप एकवचन में **किसी** के आगे तथा बहुवचन में **किन्हीं** के आगे कारक-चिह्न लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे, 'किसी को मत मारो'। आजकल प्रायः **कोई** तथा कारक-चिह्नों के साथ **किसी** का ही प्रयोग चलता है। **किन्हीं** का प्रयोग बहुत कम हो गया है। **कोई** को दो बार कहकर भी बहुवचन का भाव व्यक्त करते हैं, जैसे, 'कोई-कोई कहते हैं,' 'किसी-किसी में हैं' आदि।

दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम **कुछ** है। **कुछ** का रूप नहीं बदलता, अर्थात् यह सर्वत्र **कुछ** ही रहता है। **कुछ** में विभिन्न कारकों के कारक-चिह्न लगाकर विभिन्न कारक-रूप बनाए जा सकते हैं। **कुछ** के प्रयोग के संबंध में निम्नांकित बातें याद रखने की हैं :

कर्ता तथा कर्म कारकों में **कुछ** का प्रयोग दोनों वचनों में (विस्तर पर **कुछ** है, **कुछ** कहते हैं, **कुछ** खरीद लाओ, **कुछ** को मारो) होता है, पर बहुवचन के प्रयोग में इसमें संख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) का भाव रहता है। इस प्रकार इन कारकों में सर्वनाम रूप में **कुछ** का शुद्ध प्रयोग केवल एकवचन में होता है। बहुवचन में यह विशेषण हो जाता है। अन्य कारकों में **कुछ** का प्रयोग केवल बहुवचन में ही **कोई** के अर्थ में होता है। जैसे, 'कुछ में पानी है', या 'कुछ की आँखें ठीक हैं'। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि **कुछ** का प्रयोग संख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में है, जिसके विशेष्य (संज्ञा) का लोप हो गया है।

प्रयोग की उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वनाम रूप में **कुछ** केवल कर्ता और कर्म कारक में विभक्ति रहित रूप में प्रयुक्त होता है। अन्यत्र **कुछ** का प्रयोग होता तो है पर उसे सर्वनाम नहीं कहा जा सकता।

प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 'क्या', 'किसका।' 'वहाँ **कौन** है', तथा 'तुम्हारे पास **क्या** है' वाक्यों में इनका प्रयोग स्पष्ट है।

कौन का प्रयोग प्राय: मनुष्यों तथा **क्या** का पशुओं, कीड़ों तथा निर्जीव पदार्थों आदि के लिए होता है। **सा** जोड़कर 'कौन' सभी के लिए (कौन-सा पौधा, कौन-सी बात) आता है। 'यह भी क्या आदमी है?' जैसे प्रयोगों में **क्या** नहीं का भाव व्यक्त करता है।

कौन **के कारक-रूप**

		एकवचन	बहुवचन
कर्ता	:	(विभक्ति रहित) कौन	कौन
		(विभक्ति सहित) किसने	किन्होंने, किनने
कर्म	:	किसको, किसे	किन्हें, किनको, किन लोगों को
करण	:	किससे	किनसे, किन लोगों से
संप्रदान	:	किसको	किनको, किन लोगों को
अपादान	:	किससे	किनसे, किन लोगों से
संबंध	:	किसका, की, के	किनका, की, के; किन लोगों का, की, के
अधिकरण	:	किसमें, किस पर	किनमें, पर; किन लोगों में, पर

क्या का रूप सर्वदा एक रहता है। यह कर्ता तथा कर्म-कारक में एकवचन में विभक्ति रहित रूप में आता है। जैसे, 'क्या हुआ? क्या लोगे?' अन्य कारकों में इसके स्थान पर कौन के **किस, किन** वाले उपर्युक्त रूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे, 'पानी किसमें है?' कुछ लोग **कौन** के रूपों के स्थान पर ब्रज भाषा **काहे** का भी प्रयोग करते हैं (जैसे–'काहे से, काहे का, काहे में,' आदि), पर ये प्रयोग शुद्ध नहीं कहे जा सकते।

संबंधवाचक

१. **जो** भी परिश्रम करेगा, **वह** पास हो जाएगा।
२. **जिसने** यह गलती की है, **उसे** सजा मिलेगी।
३. **जिसे** देखो, **वही** परेशान है।
४. **जिसकी** यह पुस्तक है, **उससे** पूछ कर ले लो।

हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य के मोटे अक्षरों में छपे शब्द आपस में संबद्ध हैं। प्रत्येक वाक्य में पहले आनेवाला उपवाक्य, उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, जो बाद में आनेवाले उपवाक्य में आया है तथा पहले आनेवाले उपवाक्य में प्रयुक्त **जो, जिसने, जिसे, जिसकी** आगे आनेवाले **वह, वही, उससे** के साथ संबंध दिखला रहे हैं।

किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को **संबंधवाचक** सर्वनाम कहते हैं। **जो** तथा इसके विभिन्न रूप संबंधवाचक सर्वनाम हैं।

जो के कारक-रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	: (विभक्ति रहित) जो	जो
	(विभक्ति सहित) जिसने	जिन्होंने, जिनने, जिन लोगों ने
कर्म	: जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको
करण	: जिससे, जिसके द्वारा	जिनसे, ~~जिनको~~, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा
संप्रदान	: जिसे, जिसको, जिसके लिए	जिन्हें, जिनको, जिनके लिए, जिन लोगों के लिए
अपादान	: जिससे	जिनसे, जिन लोगों से
संबंध	: जिसका, की, के	जिनका, की, के; जिन लोगों का, की, के
अधिकरण	: जिसमें, जिस पर	जिनमें, पर; जिन लोगों में, पर

संबंधवाचक सर्वनाम **जो** के साथ कभी-कभी **सो** का प्रयोग भी

होता है। जैसे 'जो देगा **सो** लेगा।' ऐसा प्रयोग तो बहुत प्रचलित था, पर अब यह परिनिष्ठित नहीं माना जाता। **सो** के विभिन्न रूपों का प्रयोग भी अब प्रायः प्रचलित नहीं है।

प्रश्न

१. सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है?
२. सर्वनाम को कितने भेदों में विभाजित किया गया है?
३. निजवाचक **आप** और आदरसूचक **आप** के प्रयोग में क्या अंतर है? वाक्यों में प्रयुक्त करते हुए स्पष्ट कीजिए।
४. **यह, वह, कुछ, आप, जो** शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? प्रत्येक का प्रयोग करते हुए बतलाइए।
५. निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में क्या अंतर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
६. सर्वनाम के किन रूपों का प्रयोग विशेषण की भाँति होता है? क्या उन रूपों में लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तन भी होते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।
७. नीचे लिखे सर्वनामों के रूप उनके सामने दिए गए कारक में दोनों वचनों में लिखिए:

सर्वनाम	**कारक**
मैं	संप्रदान और अधिकरण
तू	करण और संबंध
वह	कर्म और अपादान
आप (निजवाचक)	अपादान और संबंध
आप (आदर वाचक)	संप्रदान और अपादान
यह	कर्ता और अधिकरण
कोई	कर्म और संबंध
जो	संप्रदान और कर्म
कौन	करण और अपादान

८. **आप** शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में कीजिए।
९. वाक्य में प्रयोग करके **कोई** और **कुछ** तथा **कौन** और **क्या** में अंतर स्पष्ट कीजिए।

१०. नीचे प्रश्नवाचक **कौन** के कुछ प्रयोग दिए जा रहे हैं। यदि उनके अर्थ में कोई अंतर हो तो उसे स्पष्ट कीजिए :

(क) कौन आ रहा है ?
(ख) कौन-कौन आ रहे हैं ?
(ग) कौन-कौन लोग आ रहे हैं ?
(घ) कौन जानता है, आगे क्या होगा।

११. नीचे प्रश्नवाचक **क्या** के कुछ प्रयोग दिए जा रहे हैं। उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए :

(क) तुम क्या चाहते हो ?
(ख) देखते-ही-देखते यह क्या से क्या हो गया ?
(ग) क्या ही सुंदर दृश्य है !
(घ) तुम क्या खाकर मारोगे ?
(ङ) तुम क्या मारोगे—बाघ या हिरन ?
(च) क्या तुम मारोगे ?
(छ) क्या तुम अभी नहीं चल रहे हो ?

१२. निम्नलिखित सर्वनाम कैसे बने हैं, समझाकर बताइए :
यही, वही, उसी, जिसकी, किसी, उन्हीं, तुम्हीं, इन्हीं, जिन्हीं, किन्हीं और हमीं।

१३. **कुछ, कई, बहुत** और **बहुतेरे** का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों तरह से कीजिए।

१४. इन वाक्यों को शुद्ध कीजिए :

(क) दूध में कौन पड़ गया ?
(ख) तुम तुम्हारे घर अभी चले जाओ।
(ग) तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता।
(घ) मैं सवेरे तुम्हारे यहाँ गया था पर आप घर पर नहीं थे, इसलिए हम लौट आए।
(ङ) यह लोग तुमसे क्या कहते हैं ?
(च) तेरे को पिताजी ने तुरंत बुलाया है।

अध्याय–५

विशेषण

जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे, काला घोड़ा, लंबा आदमी, कई पुस्तकें, थोड़ा पानी। यहाँ **काला** से घोड़े की, **लंबा** से आदमी की, **कई** से पुस्तकों की और **थोड़ा** से पानी की विशेषता प्रकट होती है। अतः ये **काला, लंबा, कई** और **थोड़ा** शब्द विशेषण हैं।

विशेषण प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर देता है : कैसा ? (छोटा, पीला), कितना ? (ज़्यादा, कम, दो सेर), कितने ? (दो, चार) कहाँ का ? (बनारसी, जापानी), कब का ? (कल का), कितने समय का ? (दस दिन का)।

विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं।

विशेषणों के प्रमुख चार भेद हैं : गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और सार्वनामिक।

गुणवाचक विशेषण :

जो शब्द किसी संज्ञा के गुण का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, 'ताजा फल,' 'ऊँचा मकान'। 'गुण' का अर्थ यहाँ केवल अच्छाई से न होकर किसी भी विशेषता से है। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। यह विशेषण प्रायः किसी वस्तु के **रंग** (काला, पीला), **आकार** (चौकोर, लंबा), **स्वाद** (मीठा, कड़वा), **स्पर्श** (कोमल, कठोर, खुरदरा), **गंध** (सुगंधित, दुर्गन्ध पूर्ण), **ध्वनि** (मधुर, कर्कश), **काल** (नया, पुराना), **स्थान** (ग्रामीण, अमरीकी),

दशा (रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा) आदि से संबद्ध विशेषता बतलाता है। इनके अतिरिक्त बहुत-से गुणवाचक ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति या पदार्थ के आंतरिक गुणों का बोध कराते हैं। जैसे, उपयोगी, आदरणीय, अपूर्व, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, दृढ़ आदि।

संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, **एक** आम, **दो** आदमी, **दूसरी** चीज़, **चौथी** पुस्तक।

इस विशेषण की संख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, और कभी अनिश्चित हो सकती है। जैसे, **दस आदमी, कुछ आदमी**। इन्हीं आधारों पर संख्यावाचक विशेषण के **निश्चित संख्यावाचक** और **अनिश्चित संख्यावाचक** दो भेद किए जा सकते हैं।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित भेद होते हैं:

(१) **गणनासूचक**–ये विशेषण, वस्तुओं की गिनती बतलाते हैं। जैसे, **दो** बच्चे, **चार** घोड़े, **पाँच** किताबें आदि। गणना-सूचक के **पूर्णांकसूचक** (जैसे, **एक, दो, तीन**) और **अपूर्णांकसूचक** (जैसे, **सवा, डेढ़, पौने दो, साढ़े तीन**) दो भेद होते हैं। इन्हें क्रम से **पूर्ण संख्यावाचक** तथा **अपूर्ण संख्यावाचक** भी कहते हैं।

(२) **क्रमसूचक**–ये विशेषण क्रम के अनुसार संज्ञा का स्थान बत-लाते हैं। जैसे, **पहला** लड़का, **दूसरी** पुस्तक, **तीसरा** मकान।

(३) **प्रत्येकसूचक**–इसके द्वारा कई चीज़ों में हर एक का बोध होता है। जैसे, **प्रत्येक** आदमी, **हर** सातवें दिन, **प्रति** वर्ष।

(४) **समुदाय सूचक**–जिससे समुदाय का बोध हो। जैसे, **दर्जन, गुरुस, कोड़ी, सैकड़ा**।

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे, **कुछ** आम, **थोड़े** आदमी, **सब** लड़के, **बहुत** पुस्तकें।

निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आनेवाले गणनावाचक विशेषण (**चार, आठ, बीस** आदि) के पूर्व **लगभग** तथा **करीब** या बाद में **एक** या **ओं** प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित संख्या का बोध हो जाता है। जैसे, **लगभग बीस** आदमी, **करीब पचास** घोड़े, **सौ-एक** लड़के, **पचीसों** स्त्रियाँ। कभी-कभी गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे, **तीन-चार** व्यक्ति, **चालीस-पचास** पुस्तकें, **सौ-दो सौ** रुपए आदि। **अनगिनत, असंख्य, बेशुमार** भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।

गणनावाचक विशेषण के कुछ विशेष प्रयोग

(क) जब एक ही कोटि के सभी पदार्थों या व्यक्तियों को एक साथ कहना हो तो संख्या के साथ **ओं** लगाते हैं। जैसे, **तीनों** आम, **चारों** आदमी, **सातों** घोड़े। दो के साथ **ओं** न लगाकर **नों** लगाते हैं। जैसे, **दोनों** लड़के। इसी अर्थ में किसी भी संख्या के साथ **के** लगाकर उसी संख्या को दोहराया जाता है। जैसे, वह **पंद्रह के पंद्रह** लड्डू खा गया।

(ख) दस और बीस के साथ बल देने (जैसे **दसियों** बार, **बीसियों** सैनिक टूट पड़े, तेरे जैसे **बीसियों** देखे हैं) के लिए **इयों** जोड़ते हैं। इसी अर्थ में पचास, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ और अरब आदि के साथ **ओं** का प्रयोग होता है। '**हजारों** सैनिकों ने एक साथ आक्रमण किया, **लाखों** रुपए बर्बाद हो गए, आसमान में **करोड़ों** तारे हैं।'

(ग) यदि किसी संख्या के आधार पर पदार्थों या व्यक्तियों का विभाजन किया जाए तो उस संख्या की आवृत्ति कर देते हैं। जैसे, 'ये पचास आम हैं, हर बच्चे को **दो-दो** दे दो। **एक-एक** को देख लूंगा।' इसी प्रकार कुछ अनिश्चित संख्यावाचक शब्द भी आवृत्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे, **थोड़ी-थोड़ी** पुस्तकें आदि।

(घ) कभी-कभी दो संख्यावाचक विशेषण समास के रूप में (अर्धनिश्चय का अर्थ व्यक्त करने के लिए) प्रयुक्त होते हैं। जैसे, एक-दो, दो-तीन, दो-चार, तीन-चार, चार-पाँच, पाँच-छै, पाँच-सात, छै-सात, सात-आठ, आठ-नौ, आठ-दस, नौ-दस, दस-ग्यारह, दस-बारह, दस-पंद्रह, दस-बीस, लाख-दो लाख, थोड़े-बहुत, कम-ओ-बेश, न्यूनाधिक आदि।

परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण वस्तु की तोल, नाप, या माप की विशेषता बतलाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे, **सेरभर** आटा, **थोड़ा** दूध। इसके भी **निश्चित** और **अनिश्चित** दो भेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए **सेरभर** आटा, **चार** गज कपड़ा, तथा **पाँच** हाथ ज़मीन आदि में काले छपे शब्द निश्चित परिमाणवाचक हैं तो **बहुत**, **कुछ**, **थोड़ा** आदि **अनिश्चित परिमाणवाचक**।

विशेष प्रयोग

(क) संज्ञा शब्द जब परिमाण का बोध कराते हैं तब वे परिमाणवाचक विशेषण का काम करते हैं। जैसे, **एक घड़ा** दूध, **दो बाल्टी** पानी, **एक मुट्ठी** चावल। अधिक का बोध कराने के लिए इन परिमाणवाचक विशेषणों में **ओं** का प्रयोग होता है। जैसे, **घड़ों** पानी, **मनों** आटा, **सेरों** दूध।

(ख) कभी-कभी दो परिमाणवाचक विशेषण समास के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, **न्यूनाधिक, बहुत-कुछ, थोड़ा-बहुत।**

(ग) कभी-कभी परिमाणवाचक विशेषण की आवृत्ति भी होती है। जैसे, **बहुत-बहुत** धन्यवाद, **कुछ-कुछ** अँधेरा, **थोड़ा-थोड़ा** पानी।

बहुत-से विशेषण ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। **कुछ, सब, थोड़े, बहुत** आदि ऐसे ही विशेषण हैं। कुछ रोटियाँ, सब आम, थोड़े लड़के तथा बहुत घोड़े आदि वाक्यों में **कुछ, सब, थोड़े** तथा **बहुत** शब्द संख्यावाचक हैं, पर कुछ दूध, सब आटा, थोड़ा चूना तथा बहुत पानी आदि वाक्यों में ये सब परिमाणवाचक हैं।

सार्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। **मेरा, तुम्हारा, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ** आदि ऐसे ही सर्वनाम हैं। ये शब्द, सर्वनाम रूप में प्रयुक्त हैं या विशेषण

रूप में, इसे जानने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्वनाम अकेले आते हैं, किन्तु विशेषण संज्ञा के साथ। अर्थात् ये शब्द जब अकेले आएँ तो सर्वनाम होंगे, और संज्ञा के साथ आएँ तो विशेषण। उदाहरणार्थ, 'तुम्हारी पुस्तक अच्छी है किन्तु **मेरी** भी खराब नहीं है', '**यह** ले लो', '**वह** आ रहा है' आदि वाक्यों में **मेरी**, **यह**, **वह** सर्वनाम हैं तो '**जो** आदमी गया था, आ गया, **कोई** आदमी आ रहा है, **कुछ** कुत्ते दौड़ रहे हैं, मेरी पुस्तक अच्छी है' में **जो, कोई, कुछ, मेरी** विशेषण हैं।

सार्वनामिक विशेषण दो रूपों में मिलते हैं। कुछ में तो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं, जैसे कि उपर्युक्त रूप थे, किन्तु कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे संबद्ध होते हैं। जैसे, **यह** से **ऐसा** और **इतना**, **वह** से **वैसा** और **उतना** तथा **कैसे** से **कैसा** और **कितना** आदि। **ऐसा, जैसा, वैसा** आदि सर्वनाम के प्रकार के बोधक हैं, और **इतना, उतना, जितना, कितना** आदि परिमाण के बोधक।

विशेषणों के रूप

शब्द के अंत में आनेवाली ध्वनि के आधार पर विशेषणों के दो वर्ग होते हैं: (१) आकारांत ; जैसे, अच्छा, बड़ा, खोटा, आदि। (२) अन्य अंत्य, जैसे, चंचल, उड़ाऊ, मंदबुद्धि, अनाड़ी, भारी आदि।

केवल आकारांत विशेषणों में ही लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं अन्यों में नहीं। जैसे, **अच्छा** लड़का, **अच्छे** लड़के, **अच्छी** लड़की ; **चंचल** लड़का, **चंचल** लड़की, **चंचल** लड़के।

यह ध्यान देने की बात है कि अनाड़ी, भारी, परोपकारी, बनारसी, जापानी जैसे शब्द मूल रूप में ही ईकारांत हैं किन्तु **बड़ी, छोटी** जैसे शब्द मूल न होकर क्रमशः **बड़ा, छोटा** से बने हैं।

यदि एकवचन विशेष्य के बाद कोई विभक्ति-चिह्न लगा हो या वह संबोधन कारक में हो तो आकारांत विशेषण के **आ** का **ए** हो जाता है। जैसे, '**छोटे** बच्चे ने गिलास तोड़ दिया', '**बड़े** लड़के, जरा इधर तो आना।'

आकारांत विशेषण के बाद यदि पुंलिंग बहुवचन विशेष्य हो तो

भी **आ** का **ए** हो जाता है। जैसे, **अच्छे** लड़के परिश्रम करते हैं, **अच्छे** लड़कों को डाँटने की आवश्यकता नहीं।

स्त्रीलिंग विशेष्य किसी भी वचन या कारक में हो, उसके साथ आकारांत विशेषण ईकारांत रूप में ही आता है। जैसे, **छोटी** लड़की गा रही है, **छोटी** लड़कियाँ गा रही हैं, **छोटी** लड़की ने भोजन बनाया, **छोटी** लड़कियों ने भोजन बनाया।

कुछ आकारांत विशेषणों (जैसे सवा, घटिया, उम्दा, बढ़िया, दुखिया, बंबइया, कलकतिया) के रूप लिंग-वचन के आधार पर नहीं बदलते।

जब संज्ञा का लोप हो जाता है और विशेषण का ही संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसके भी संज्ञा की तरह (देखिए कारक अध्याय) रूप चलते हैं तथा कारक-चिह्न लगाए जाते हैं। जैसे, 'नीचों को कोई नहीं पूछता' वाक्य में **नीच व्यक्तियों** में संज्ञा (व्यक्तियों) का लोप होने से विशेषण **नीच** का रूप परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार '**विद्वानों** का सर्वत्र सम्मान होता है,' तथा '**वीरों** के हृदय में कायरता नहीं होती' आदि वाक्यों में संज्ञा के लोप के कारण **विद्वान** तथा **वीर** आदि शब्दों के रूपों में संज्ञा की भाँति परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार विशेषण जब संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तो उसमें उसी के अनुसार वचन और कारक के परिवर्तन होते हैं।

विशेषणों में तुलना

विशेषण न केवल किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाते हैं, अपितु वे यह भी बतला सकते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति अन्यों की तुलना में कैसा है। जैसे, राम **लंबा** है, मोहन **राम से लंबा** है। सोहन **सबसे लंबा** है। तुलना बताने के लिए प्रायः विशेषण से पहले **से** का प्रयोग होता है। यों **से** के स्थान पर **की अपेक्षा, की तुलना में, की बनिस्बत, को देखते हुए, के मुकाबिले, के मुकाबिले में,** और **के देखे** का भी प्रयोग होता है। बल देने के लिए विशेषण से पहले **ज़्यादा, अधिक** और **कम** का प्रयोग होता है। जैसे, वह तुमसे **ज़्यादा** सुंदर है, राम मोहन से **अधिक** शैतान है।

तुलना वताने के लिए **से** के स्थान पर **में** का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे, 'गाय और भैंस के दूध **में** गाय का दूध अच्छा होता है', 'दिल्ली और वनारस **में** दिल्ली अधिक वड़ा शहर है'।

यदि हमें विशेष्य के वारे में यह वताना हो कि वह सवसे वढ़कर है तो विशेषण से पहले **सबसे** लगा देते हैं। जैसे वह मकान **सबसे** सुंदर है, यह गली **सबसे** गंदी है।

कुछ तत्सम विशेषणों के साथ दो की तुलना वताने के लिए **तर** और सवसे अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए **तम** प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यों **उच्चतर, बृहत्तर** आदि कुछ शब्दों को छोड़कर **तर** का प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं के वरावर होता है। **तम** के प्रयोग अवश्य होते हैं। जैसे वह मेरा **निकटतम** मित्र है, इस प्रदर्शनी में विज्ञान के **आधुनिकतम** आविष्कार दिखाए गए हैं।

विशेषणों की रचना

रचना की दृष्टि से विशेषण चार प्रकार के हो सकते हैं :

(१) मूल – वे शब्द जो मूल रूप से विशेषण हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, धूर्त, चालाक, वृद्ध।

(२) प्रत्यय एवं उपसर्ग से –

(क) प्रत्ययांत–जिसमें मूल शब्द तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में से कोई एक हो और किसी प्रत्यय के आधार पर इससे विशेषण बनाया गया हो। जैसे–

(अ) संज्ञा से–इमारती, बनारसी, व्यावहारिक, आदरणीय, तुलनात्मक, दिल्लीवाला, राम का, मोहन की।

(आ) सर्वनाम से–मेरा, तुम्हारा, अपना, उसकी, तुम-सा, आप-सा, उस-सा, अपनेवाला, ऐसा, इतना, इतने, वैसा, उतना, उतने, कैसा, कितना, कितने, जैसा, जितना, जितने।

(इ) विशेषण से–लालवाला, बड़ावाला।

(ई) क्रिया से–ये मोटे रूप में तीन प्रकार के हैं :

— वर्तमानकालिक कृदंत – **बहता** जल, **चलती** गाड़ी,

-- भूतकालिक कृदंत – **टूटा** छाता, **थका** आदमी ।
-- अन्य कृदंत – भुलक्कड़, उड़ाऊ, हँसनेवाला ।
वर्तमानकालिक तथा भूतकालिक कृदंतों के वाद विकल्प से हुआ का प्रयोग भी होता है । जैसे **बहता हुआ** पानी, **थका हुआ** आदमी ।

(ङ) अव्यय से – ऊपरी, भीतरी, ऊपरवाला, भीतरवाला ।

(ख) उपसर्गादि–अचल, अटल, अथाह, बेबुनियाद, बेचैन, निःशंक, निस्सार, निर्भय, निडर, निराकार, साकार, बेहिसाव ।

(ग) उपसर्गादि प्रत्ययांत– अनिवर्चनीय, असहनीय, अविभाज्य, अभोज्य, अकथ्य, अकथनीय, अखाद्य, अनुत्तरदायित्वपूर्ण ।

(३) समस्त – जो विशेषण दो या अधिक शब्दों (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि) के मेल से वने हों जैसे, सरल हृदय, टेढ़ा-मेढ़ा, चलता-फिरता, दुधारी ।

(४) विशेषण फ्रेज़ या विशेषण पदबंध

नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए–

इमारती लकड़ी महँगी है ।

इमारत बनाने के काम आने वाली लकड़ी महँगी है ।

पहले वाक्य में **इमारती** शब्द विशेषण है, जिसके स्थान पर दूसरे वाक्य में कई शब्द आए हैं। इन सारे शब्दों से मिलकर एक विशेषण पदबंध बनता है । इस प्रकार विशेषण पदबंध में एक से अधिक शब्द होते हैं जो मिलकर के किसी संज्ञा की विशेषता वतलाते हैं । कुछ उदाहरण हैं :

(क) **विदेशों में रहनेवाले** लोगों में **भारत देखने की** इच्छा रहती है ।

(ख) **हमारे छात्रों द्वारा आयोजित** प्रदर्शनी में **इस प्रदेश के ही कारीगरों द्वारा तैयार की गई** कलाकृतियाँ रखी गई हैं ।

(ग) यह आवश्यक नहीं कि **सुंदर दिखाई पड़ने वाला** फूल **सूँघने में भी अच्छा** हो ।

इस तरह हिन्दी में विशेषण पदबंधों का प्रयोग भी काफ़ी होता है ।

का, रा, ना

हिन्दी संबंध कारक के रूप सदा विशेषण का-सा ही काम करते हैं जैसे–

(१) वनारसी ग्राम ।
वनारस का ग्राम

(२) भारतीय कला
भारत की कला

(३) जापानी खिलौने
जापान के खिलौने

आकारांत होने के कारण संबंधित शब्दों के लिंग, वचन के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। कुछ उदाहरण हैं :

राम का घोड़ा
राम की गाय
अपना मकान
अपनी पुस्तक
तुम्हारा लड़का
तुम्हारी वात
अपना काम
अपने लोग

उपर्युक्त में **रा** का प्रयोग उत्तम और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ (मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा), **ना** का प्रयोग निजवाचक के साथ (अपना), तथा **का** का प्रयोग किसी भी संज्ञा (राम का घोड़ा), अन्य पुरुष सर्वनामों (उसका, इसका, जिनका), संज्ञावत प्रयुक्त विशेषणों (वड़ों की वात), क्रिया (खाने का सोडा, धोने का साबुन) तथा अव्यय (ऊपर का मकान, नीचे की नाली) के साथ होता है।

वाला

का की तरह ही **वाला** भी एक अत्यंत प्रचलित प्रत्यय है, और इसका प्रयोग भी विशेषण वनाने के लिए संज्ञा (पूँछवाले जानवर,

पैसेवाले लोग), सर्वनाम (आपवाला कोट), क्रिया (उड़नेवाला घोड़ा, रोनेवाले बच्चे, पढ़नेवाले विद्यार्थी) तथा अव्यय (ऊपरवाला शीशा, अंदरवाला कपड़ा) के साथ होता है।

सा, जैसा

संज्ञा और सर्वनाम के साथ **सा** या **जैसा** लगाकर भी विशेषण की रचना होती है। जैसे, **राम-सा, राम-जैसा, तुम-सा, तुम-जैसा।** संबंध के रूपों के साथ भी **सा** या **जैसा** का प्रयोग होता है। जैसे, **राम का-सा, राम के जैसा, मेरे-जैसा, अपना-सा, अपने-जैसा।**

विशेषण बनानेवाले कुछ प्रमुख अन्य प्रत्यय और उपसर्ग नीचे दिए जा रहे हैं :

इक– लौकिक, दैनिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक।

इत– पठित, लिखित, शिक्षित, हर्षित, अनुवादित, शंकित।

ईय– राष्ट्रीय, प्रांतीय, भारतीय, संघीय, जातीय।

ईन– प्रातःकालीन, नमकीन, रंगीन, नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन।

मय– सुखमय, करुणामय, दयामय, जलमय, प्रेममय।

अनीय– पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, पठनीय, दर्शनीय।

तव्य– दातव्य, द्रष्टव्य।

य– पूज्य, असभ्य, मान्य, श्रद्धेय, पेय, गेय, अजेय।

वान– धनवान, ज्ञानवान, बलवान, गुणवान, धैर्यवान, रूपवान।

मान– श्रीमान, आयुष्मान, बुद्धिमान, शक्तिमान।

ई– दानी, ज्ञानी, मानी, अभिमानी, पंजाबी, बंगाली, पहाड़ी।

आलु– दयालु, श्रद्धालु, कृपालु, ईर्ष्यालु।

आऊ– खाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, पंडिताऊ।

ऊ– चालू, ढालू, पेटू, बाज़ारू, घोटू, तोंदू, भोंदू, बुद्धू।

ईला– चमकीला, रँगीला, छबीला, लचीला, चुटीला, नुकीला।

एरा– चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, घनेरा।

अक्कड़– भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़।

वाला– फलवाला, हँसनेवाला, ऊपरवाला, रोनेवाला ।
इया– कलकतिया, कनौजिया, बंबइया, पुरबिया ।
दायक– सुखदायक, दुखदायक, कष्टदायक, आरामदायक, आनंददायक, फलदायक ।
दायी– सुखदायी, दुखदायी, कष्टदायी, आनंददायी, फलदायी ।
द– सुखद, दुखद ।
प्रद– संतोषप्रद, आनंदप्रद, ज्ञानप्रद, फलप्रद, बलप्रद, कष्टप्रद ।

विशेषण बनाने वाले कुछ उपसर्ग :

दु– दुभाषिया, दुनाली, दुमंजिला, दुसूती, दुधारी ।
दुर्– दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ ।
दुस्– दुस्सह, दुष्कर ।
निर्– निर्दोष, निर्विकार, निर्भय, निर्बल, निर्गुण, निर्दयी, निर्जन, निरामिष, निरर्थक ।
नि– निडर, निबल, निहत्था, निकम्मा, निगोड़ा ।
निस्– निश्चल, निश्छल, निष्प्राण, निष्फल, निष्कपट, निस्तेज, निष्काम, निश्चेष्ट ।
प्र– प्रबल, प्रखर, प्रख्यात, प्रसिद्ध, प्रयुक्त ।
सु– सुलभ, सुगम, सुघड़, सुडौल, सुबोध ।
स– सफल, सजीव, सजातीय, सक्रिय, सचेष्ट, सचेत, सगुण, सजल ।
ला– लापरवाह, लावारिस, लाजवाब, लापता, लाइलाज ।
बे– बेईमान, बेजान, बेचारा, बेढब, बेधड़क, बेदाग, बेरहम, बेहोश, बेकसूर ।

कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं । इन्हें **प्रविशेषण** कहते हैं । जैसे, बहुत, बड़ा, अत्यंत, अति, अतीव, महा, बेहद, घोर आदि । उदाहरण के लिए :

(क) यह प्रश्न **बहुत** कठिन है ।
(ख) वह **बड़ा** सुंदर है ।

(ग) यह समाचार **अत्यंत** दुखदायी है।

(घ) वह **महामूर्ख** है।

वाक्य में विशेषणों का स्थान

वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण-प्रयोग दो प्रकार के होते हैं: विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं उन्हें **विशेष्य विशेषण** कहते हैं। जैसे, 'काली गाय आ रही है' में **काली** विशेष्य विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य के पहले आया है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है **विधेय विशेषण** कहलाता है जैसे, 'गाय **काली** है' में **काली** विधेय विशेषण है।

विशेष्य विशेषण के संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि विशेषण और विशेष्य के बीच में कोई ऐसी संज्ञा नहीं आनी चाहिए जिसके कारण उसके संबंध को समझने में भ्रांति हो।

उदाहरण के लिए:

मुझे गाय का **गर्म दूध** चाहिए।

मुझे **गर्म** गाय का **दूध** चाहिए।

स्पष्ट रूप से यहाँ दूसरा वाक्य भ्रामक है।

प्रश्न

१. नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और विशेषण शब्दों को चुनिए:

"संसार का सबसे बड़ा विजय-तोरण, वह बुलंद दरवाजा, छाती निकाले दक्षिण की ओर देख रहा है। इसने उन मुगल योद्धाओं को देखा होगा जो सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण की ओर बढ़े थे। इसने विद्रोही औरंगजेब की उमड़ती हुई सेना को घूरा होगा और पास ही पराजित दारा के स्वरूप में अकबर के आदर्शों का पतन भी इसे दीख पड़ा होगा। अंतिम मुगलों की सशस्त्र सेनाएँ भी इसी के सामने से निकलीं। यदि आज यह दरवाज़ा अपने संस्मरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढेर बोल उठे तो भारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जाए और न जाने कितनी ऐतिहासिक त्रुटियाँ ठीक की जा सकें।"

२. किसी व्यक्ति या वस्तु का शब्द-चित्र एक अनुच्छेद में अंकित कीजिए। उसके आधार पर बताइए कि भाषा में विशेषण की महत्ता और उपयोगिता क्या है।

३. विशेषण और विशेष्य की परिभाषा लिखकर दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

४. पाँच ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें से तीन वाक्यों में विशेषण को विशेष्य से पहले रखा गया हो और दो में विशेष्य के बाद में।

५. संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में क्या अंतर है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किस प्रकार भिन्न हैं?

६. संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

७. क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक की भाँति भी होता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

८. पाँच ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें परिमाणबोधक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हों।

९. कुछ ऐसे विशेषण शब्दों के उदाहरण दीजिए जो सर्वनाम की भाँति प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट कीजिए।

१०. क्या कभी विशेषण शब्द भी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं? प्रयोग करके दिखाइए।

११. तुलना का क्या अर्थ है? विशेषणों में तुलना कैसे-कैसे होती है, सोदाहरण बताइए।

१२. विशेषण बनाने के नियमों को सोदाहरण बताइए।

१३. निम्नलिखित विशेषण शब्दों को दोनों लिंगों के विशेष्यों के साथ प्रयोग कर विशेषण संबंधी लिंग परिवर्तन के नियम बताइए :
सुंदर, प्रिय, काला, सदाचारी, दयालु, चालू, बुद्धिमान, श्रीमान, उम्दा, घटिया, बढ़िया और बड़ा।

१४. वचन और कारक के प्रभाव से विशेषण शब्दों में होनेवाले परिवर्तन सोदाहरण बताइए।

१५. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए :
मेरे पिता जी आरोग्य हो गए। भिखारी भरपेट रोटी खाकर संतोष हो गया। बीस विद्यार्थी परीक्षा में बैठे; वे बीसों उत्तीर्ण हो गए। तुम आज बहुत लज्जा हुए हो। भारत का गौरव कभी लोप नहीं होगा। तुम लोग कौन बात पर झगड़ पड़े? यह किताब का क्या मोल है? कौन घर पर रहते हो? बहुतों धनी लोगों को मैंने देखा है। कोई काम में शीघ्रता मत करो।

१६. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विशेषण शब्दों द्वारा कीजिए :

--------कद, किन्तु आयत-------और--------शरीर, रंग-----, ----------- मुखाकृति, अचानक-----------बंदूक के छूट जाने से---------आँख जाती रही थी, फिर भी चेहरे की---------मुद्रा में अंतर न आया था। होठों के संपुट उसके-------विश्वास को प्रकट करते थे। और उसके सम्मुख उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना------- था। यह था-------जसवंतराय होल्कर। अपने---------- सरदारों से घिरा यह------------इस समय--------व्यग्र और ---------मुद्रा में टहल रहे थे। उसकी---------आँख से ज्वाला निकल रही थी।

अध्याय–६

क्रिया

क्रिया वह शब्द या शब्द-समूह है जिससे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो। जैसे, 'राम दौड़ता है, गिलास टूट गया, आम मेज़ पर है,' इन वाक्यों में राम के दौड़ने के कार्य, गिलास के टूटने की घटना तथा आम के मेज़ पर होने का भाव क्रमशः **दौड़ता है, टूट गया** तथा **है** शब्दों से प्रकट होता है, अतः ये क्रियाएँ हैं।

क्रिया वाक्य का केन्द्र-बिन्दु होती है और कर्ता, कर्म और अव्ययों की पहचान का आधार बनती है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है, यद्यपि कभी-कभी वह प्रच्छन्न रहती है।

धातु

किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है, उसे उस क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे, चलना, चलता, चला, चलो, चलिए, चलिएगा में **चल** समान रूप से आया है, अतः **चल** धातु है। केवल ये धातुएँ इस नियम की अपवाद हैं : **ले, दे, कर, हो, जा** । इनके कुछ रूपों में धातु परिवर्तित रूप में आती है। जैसे, **ले**-लिया, ली, लो, लूँगा ; **दे**-दिया, दो ; **कर**-किया, की ; **हो**-हुआ, है, हूँ ; **जा**-गया आदि।

शब्द-कोश में क्रियाएँ **ना** वाले रूप में दी हुई होती हैं : जाना, सोना, पढ़ना, बोलना आदि। इनमें से **ना** का लोप कर देने पर जो अंश बच जाता है वह धातु है। मूल धातु का प्रयोग तू के साथ आज्ञार्थक क्रिया के रूप में भी होता है। जैसे, तू अभी मत जा।

अकर्मक-सकर्मक

वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं : सकर्मक और अकर्मक।

सकर्मक क्रिया : सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है। जैसे, 'वह पीता है' में **पीता है** क्रिया, दूध, पानी, शरबत आदि (कर्म) की अपेक्षा रखती है, अतः **पीना** सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार खाना, तोड़ना, लिखना भी सकर्मक क्रियाएँ हैं।

अकर्मक क्रिया : अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे, मोहन **दौड़ता** है, वह **बैठा** है, मैं **हँस** रहा हूँ, वाक्यों में **दौड़ना, बैठना** और **हँसना** अकर्मक क्रियाएँ हैं।

सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान कर्ता और क्रिया के बीच में **क्या** या **किसे** आदि प्रश्न करने से हो जाती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं :

मोहन स्कूल में **पढ़ता** है। (अकर्मक)
मोहन पुस्तक **पढ़ता** है। (सकर्मक)

या

जूता **काटता** है। (अकर्मक)
वह लकड़ी **काटता** है। (सकर्मक)

द्विकर्मक : देना, बतलाना, कहना, सुनना, आदि कुछ क्रियाएँ **द्विकर्मक** हैं। जैसे, राम ने **मोहन को पेन्सिल** दी। मैंने ही **तुम्हें** यह **बात** बतलाई।

द्विकर्मक क्रिया के दोनों कर्मों में व्यक्ति को **गौण कर्म** तथा वस्तु को **प्रधान कर्म** कहा जाता है। प्रधान कर्म विभक्ति चिह्न रहित रहता है, जबकि गौण कर्म **'को'** आदि विभक्ति चिह्न से युक्त होता है। ऊपर के वाक्यों में **पेन्सिल** तथा **बात** प्रधान कर्म हैं और **मोहन** और **तुम्हें** गौण कर्म हैं।

कृदंत : धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर क्रिया, विशेषण, संज्ञा या अव्यय का रूप बनता है, उसे कृत् प्रत्यय कहते हैं, और कृत् के द्वारा जिस रूप की रचना होती है उसे कृदंत (कृत्+अंत) कहते हैं। जैसे,

१. वह घर **जाता** है। (क्रिया)
२. **चलती** गाड़ी से मत उतरो। (विशेषण)
३. काम **करना** मनुष्य का धर्म है। (संज्ञा)
४. वे यहाँ तक **आकर** लौट गए। (अव्यय)

उपर्युक्त वाक्यों में **जाता, चलती, करना,** और **आकर,** कृदंत हैं जो क्रमशः जा, चल, कर और आ धातुओं में **ता, ती, ना** और **कर** प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इनका प्रयोग क्रमशः क्रिया, विशेषण, संज्ञा और अव्यय के रूप में हुआ है।

हिन्दी क्रियाओं की रचना में मुख्यतः निम्नलिखित कृदंतों का प्रयोग होता है :

ता (चलता है, चलती है-----)
आ (चला, चली-----)
ना (चलना)
कर (चलकर)
ते (चलते ही, चलते-चलते)
एगा (चलेगा, चलेगी-----)
ए (चले, चलूँ, चलिए-----)

सहायक क्रिया

हिन्दी वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द की होती है और कभी एक से अधिक शब्दों की। जैसे,

(क) मैंने पुस्तक **पढ़ी**।
राम ने आम **खाया**।
(ख) मैं पुस्तक **पढ़ता हूँ**।
राम रोटी **खा रहा है**।

क्रिया के लिए जिन शब्दों का मिलाकर प्रयोग होता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। यदि क्रिया एक से अधिक शब्दों की बनी हो तो उन्हें मिलाकर क्रियापद कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में काले छपे अंश क्रियापद हैं।

यदि क्रियापद में एक से अधिक क्रियाएँ हों तो उनमें एक क्रिया मुख्य होती है। पीछे के वाक्यों में पहली क्रियाएँ यथा **पढ़ना** और **खाना मूल क्रियाएँ** हैं क्योंकि वाक्य में क्रिया का मूल अर्थ वे ही व्यक्त करती हैं। **मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में अन्य जितनी भी क्रियाएँ आती हैं 'सहायक क्रियाएँ' कहलाती** हैं। ये मूल क्रिया की सहायता करती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में **हूँ, है** सहायक क्रियाएँ हैं।

सहायक क्रिया मूल क्रिया की सहायता दो तरह से करती है :

(१) उसके अर्थ में विशेषता लाकर। जैसे, वह गिर गया, मैं चल पड़ा, राम रोने लगा, वाक्यों में **गया, पड़ा, लगा** सहायक क्रियाएँ मूल क्रियाओं में क्रमशः पूर्णता, आकस्मिकता तथा प्रारंभ की विशेषताएँ ला रही हैं।

(२) **व्याकरणिक कार्य अर्थात काल, वाच्य आदि का निर्माण करके।** जैसे, 'राम आया था, मोहन गाता है,' में **था** और **है** सहायक क्रियाएँ काल बता रही हैं। इसी प्रकार 'यहाँ बाल काटे जाते हैं,' में **जाते** सहायक क्रिया कर्मवाच्य बता रही है।

इस तरह सहायक क्रिया कभी तो मूल क्रिया की **अर्थ की दृष्टि** से सहायता करती है और कभी **व्याकरण की दृष्टि** से।

हिन्दी में निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है :

हो, रह, आ, उठ, कर, चाह, चुक, जा, डाल, दे, पड़, लग, ले, पा, सक, बन, बैठ, चल, आदि। इनमें से सक केवल सहायक क्रिया के रूप में ही आता है। अन्य धातुएँ कभी मूल क्रिया-रूप में और कभी सहायक क्रिया-रूप में प्रयुक्त होती हैं।

उपर्युक्त सहायक क्रियाओं में हो का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसके रूप निम्नलिखित हैं :

वर्तमान

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	है	हैं
मध्यम पुरुष	हैं	हो
उत्तम पुरुष	हूँ	हैं

भूत

अन्य पुरुष	था	थे
मध्यम पुरुष	था	थे
उत्तम पुरुष	था	थे

स्त्रीलिंग में **था** और **थे** के स्थान पर क्रमशः **थी** और **थीं** का प्रयोग होगा।

भविष्य

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	होगा	होंगे
मध्यम पुरुष	होगा	होंगे
उत्तम पुरुष	हूँगा, होऊँगा	होंगे

स्त्रीलिंग में **गा** तथा **गे** के स्थान पर **गी** का प्रयोग होता है।

संभावनार्थ

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	हो	हों
मध्यम पुरुष	हो	हों
उत्तम पुरुष	होऊँ	हों

रंजक क्रियाएँ : अर्थ में विशेषता लानेवाली सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं ।

कुछ प्रमुख रंजक क्रियाएँ प्रयोग के साथ नीचे दी जा रही हैं :

उठना– अचानकता : मुर्दा जी उठा, राम चिल्ला उठा ।

करना– अभ्यास : वह लिखा करता है ।

चाहना– पूर्णता या समाप्ति : जब वह मरा चाहता है, बारह बजा चाहते हैं ।

चुकना– पूर्णतया समाप्ति : वह पढ़ चुका है ।

जाना– निरंतरता : वह अब भी रोए जाती है ।
पूर्णता, समाप्ति : घर जल गया ।

डालना–समाप्ति : उसने काम कर डाला ।

देना– अनुमति : मुझे भी बोलने दो, मेरा पत्र लिख दो । ऐसी समाप्ति जहाँ क्रिया का फल वक्ता के हित में हो : अपना पता लिख दो, कपड़े धो दो ।

लेना– ऐसी समाप्ति जहाँ क्रिया का फल क्रिया के कर्ता के हित में हो : मेरा पता लिख लो, खाना खा लो ।

पड़ना– आकस्मिकता : बच्चा रो पड़ा ।
पराधीनता : तुम्हें भी जाना पड़ेगा ।

पाना– सामर्थ्य : मैं कर पाता तो बताता ।

रहना– निरंतरता : वह पढ़ता रहा, मैं दौड़ता रहा ।

लाना– आरंभ : मैं स्कूल जाने लगा ।

सकना– शक्यता : मैं पढ़ सकता हूँ ।

काल

क्रिया का काल किसी वस्तु के अस्तित्व या काम के समय का बोध कराता है, जैसे,

१. राम घर आ रहा है ।

२. राम घर आया ।

३. राम घर आएगा ।

इन वाक्यों में **आ** धातु के तीन तरह के रूपों का प्रयोग हुआ है—**आ रहा है, आया** और **आएगा**। प्रथम वाक्य का क्रिया-रूप वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध कराता है, द्वितीय में बीते हुए समय में होने का और तृतीय में आनेवाले समय में। इस प्रकार कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को तीन तरह का माना जाता है :

१. वर्तमान काल
२. भूत काल
३. भविष्य काल

(१) वर्तमान काल—जिन क्रियाओं का व्यापार अभी चल रहा है वे वर्तमान काल की क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे,

१. वह पुस्तक पढ़ता है।
२. तुम जा रहे हो।

इन वाक्यों में **पढ़ता है, जा रहे हो,** क्रिया-रूपों से वर्तमान समय में घटित होनेवाले कार्य का भाव द्योतित होता है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं।

(२) भूत काल—जिन क्रियाओं का व्यापार समाप्त हो चुका हो, उन्हें भूत काल की क्रियाएँ कहते हैं। जैसे,

१. राम ने रावण को मारा।
२. तू पढ़ रहा था।
३. उसने यह पुस्तक पढ़ी थी।

उपर्युक्त वाक्यों में **मारा, पढ़ रहा था** तथा **पढ़ी थी** क्रिया-रूपों से बीते हुए समय में व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। अतः ये भूत काल की क्रियाएँ हैं।

(३) भविष्य काल—जिनकी क्रियाओं का व्यापार अभी होना बाकी है, उन्हें भविष्य काल की क्रियाएँ कहते हैं। जैसे,

१. मैं अब गीता पढ़ूंगा।

२. सीता गाना गाएगी।
३. राम आज स्कूल नहीं जाएगा।

इन वाक्यों में **पढ़ूँगा, गाएगी** और **जाएगा** क्रियाओं का कार्य अभी होना बाकी है, यह कार्य आनेवाले समय में होगा, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएँ हैं।

क्रिया-रूपों की रचना

उपर्युक्त तीन कालों के कई उपभेद होते हैं, जिनकी रचना मूल धातु में कुछ प्रत्ययों और अन्य धातु-रूपों के योग से होती है। नीचे ये उपभेद, उदाहरणों तथा उन अंशों की सूची के साथ दिए जा रहे हैं, मूल धातु में जिनके योग से क्रिया की रचना होती है :

हिन्दी में तीनों कालों के निम्नलिखित प्रकार के उपभेद किए जा सकते हैं :

वर्तमान काल

उपभेद	उदाहरण	रचना खंड
(१) सामान्य वर्तमान	वह पढ़ता है	–ता है
	वह पढ़ा करता है	–आ करता है
	वह पढ़ता रहता है	–ता रहता है
(२) अपूर्ण वर्तमान	वह पढ़ रहा है	–रहा है
(३) पूर्ण वर्तमान	उसने पढ़ा है	–आ है
	वह पढ़ चुका है	–चुका है
(४) पूर्ण सातत्य बोधक	वह पढ़ता रहा है	–ता रहा है

भूत काल

उपभेद	उदाहरण	रचना खंड
(१) सामान्य भूत	वह पढ़ता (था)	–ता (था)
	वह पढ़ा करता (था)	–आ करता (था)
	वह पढ़ता रहता (था)	–आ रहता (था)
	वह पढ़ रहा था	–रहा था

(२) अपूर्ण भूत	वह पढ़ रहा था	–रहा था
(३) पूर्ण भूत	उसने पढ़ा (था)	–आ (था)
	वह पढ़ चुका (था)	–चुका (था)
(४) पूर्ण सातत्य बोधक	वह पढ़ता रहा था	–ता रहा था

भविष्य काल

उपभेद	उदाहरण	रचना खंड
(१) सामान्य	वह पढ़ेगा	–एगा
	वह पढ़ा करेगा	–आ करेगा
(२) अपूर्ण	वह पढ़ रहा होगा	–रहा होगा
(३) पूर्ण	उसने पढ़ लिया होगा	–लिया होगा
	वह पढ़ चुका होगा	–चुका होगा

कालों की इस परिगणना के बाद, अब हम प्रत्येक काल के प्रयोग और उसकी रचना के बारे में कुछ विचार करेंगे।

(१) सामान्य वर्तमान : जिस क्रिया से वर्तमान समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से या आदतन होने का संकेत होता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। यदि क्रिया की आवृत्ति पर बल देना हो तो––आ करता है, या––ता रहता है का प्रयोग होता है।

सामान्य वर्तमान काल बनाने के लिए धातु के पश्चात् पुलिंग एकवचन में **ता**, बहुवचन में **ते**, और स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में **ती** जोड़कर होना सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग करते हैं।

पुलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह जाता है।	वे जाते हैं।
मध्यम पुरुष	तू जाता है।	तुम जाते हो।
उत्तम पुरुष	मैं जाता हूँ।	हम जाते हैं।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह जाती है।	वे जाती हैं।
मध्यम पुरुष	तू जाती है।	तुम जाती हो।
उत्तम पुरुष	मैं जाती हूँ।	हम जाती हैं।

निषेधार्थक वाक्यों में **होना** क्रिया के रूपों का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता और स्त्रीलिंग बहुवचन में धातु के पश्चात् **ती** लाने के बदले **तीं** प्रयुक्त होता है।

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह नहीं जाता।	वे नहीं जाते।
मध्यम पुरुष	तू नहीं जाता।	तुम नहीं जाते।
उत्तम पुरुष	मैं नहीं जाता।	हम नहीं जाते।

आगे के प्रसंगों में जहाँ-जहाँ 'आ' या **ता** कृदंतों का संकेत किया गया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि पुलिंग एकवचन के लिए आकारांत रूपों का प्रयोग, पुलिंग बहुवचन के लिए एकारांत रूपों का प्रयोग, तथा स्त्रीलिंग एकवचन, बहुवचन के लिए इकारांत रूपों का प्रयोग होता है।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह नहीं जाती।	वे नहीं जातीं।
मध्यम पुरुष	तू नहीं जाती।	तुम नहीं जातीं।
उत्तम पुरुष	मैं नहीं जाती।	हम नहीं जातीं।

(२) अपूर्ण वर्तमान काल : वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह प्रकट होता है कि काम भूतकाल में ही आरंभ हो गया था,

परंतु वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, जारी है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इस काल का प्रयोग भविष्य में होनेवाले कार्य का संकेत करने के लिए भी होता है :

१. मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ।

२. आलोक अगले वर्ष यूरोप जा रहा है।

अपूर्ण वर्तमान काल की रचना के लिए धातु के बाद पुंलिंग एकवचन और बहुवचन में क्रमशः **रहा, रहे** और स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में **रही** जोड़कर **होना** सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे--

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ रहा है।	वे पढ़ रहे हैं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ रहा है।	तुम पढ़ रहे हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ रहा हूँ।	हम पढ़ रहे हैं।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ रही है।	वे पढ़ रही हैं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ रही हैं।	तुम पढ़ रही हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ रही हूँ।	हम पढ़ रही हैं।

(३) पूर्ण वर्तमान काल : वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि भूतकाल में आरंभ हुआ काम वर्तमान काल में अभी-अभी पूरा हो गया है या काम को समाप्त हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ हो, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे---

१. वे लोग मेले गए हैं।

२. हम लोगों ने यह कहानी सुनी है।

३. मैं नाश्ता कर चुका हूँ।

ऊपर के वाक्यों में **गए हैं**, **सुनी है** और **कर चुका हूँ** क्रियाओं से यह प्रकट होता है कि **जाने**, **सुने**, और **करने** का काम भूतकाल में आरंभ हुआ था किन्तु वह वर्तमान काल में समाप्त हो चुका है। अतः ये क्रियाएँ पूर्ण वर्तमान काल की हैं। **चुकना** के प्रयोग से क्रिया के पूर्ण होने के भाव में वृद्धि हो जाती है।

पूर्ण वर्तमान काल वनाने के लिए क्रिया आ कृदंत (पढ़ा, सुना आदि) के पश्चात् **होना** सहायक क्रिया के वर्तमान काल के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

पुंलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह आया है।	वे आए हैं।
मध्यम पुरुष	तू आया है।	तुम आए हो।
उत्तम पुरुष	मैं आया हूँ।	हम आए हैं।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह आई है।	वे आई हैं।
मध्यम पुरुष	तू आई है।	तुम आई हो।
उत्तम पुरुष	मैं आई हूँ।	हम आई हैं।

यदि क्रिया की पूर्णता पर वल देना हो तो मूल धातु के वाद **चुका** और उसके वाद **होना** क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है।

(४) पूर्ण सातत्य बोधक वर्तमान : वर्तमान काल की जिस क्रिया से मालूम हो कि कोई कार्य भूत काल में लंबे समय तक चलकर अभी समाप्त हुआ है पूर्ण सातत्य बोधक कहलाता है। इसकी रचना के लिए अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में मूल धातु के बाद **-ता** जोड़ते हैं।

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ता रहा है।	वे पढ़ते रहे हैं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ता रहा है।	तुम पढ़ते रहे हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ता रहा हूँ।	हम पढ़ते रहे हैं।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ती रही है।	वे पढ़ती रही हैं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ती रही है।	तुम पढ़ती रही हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ती रही हूँ।	हम पढ़ती रही हैं।

(५) सामान्य भूत : जिस काल से भूत काल में क्रिया के सामान्य रूप से या आदतन होने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूत काल कहते हैं। इसकी रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है :

(क) मूल धातु+ता+(था)

(ख) मूल धातु+आ+करता+(था)

(ग) मूल धातु+रह+ता+(था)

कोष्ठक में था को देने का अर्थ (यहाँ या आगे भी) यह है कि इसका प्रयोग होता भी है और नहीं भी। **था** होने पर क्रिया पर बल अधिक होता है।

सामान्य वर्तमान काल की तरह यहाँ भी यदि क्रिया की आवृत्ति पर बल देना हो तो –आ करता (था) या –ता रहता (था) का प्रयोग होता है

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह लिखता (था)	वे लिखते (थे)
मध्यम पुरुष	तू लिखता (था)	तुम लिखते (थे)
उत्तम पुरुष	मैं लिखता (था)	हम लिखते (थे)

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह लिखती (थी)	वे लिखती (थीं)
मध्यम पुरुष	तू लिखती (थी)	तुम लिखती (थीं)
उत्तम पुरुष	मैं लिखती (थी)	हम लिखती (थीं)

(६) **अपूर्ण भूत : भूत काल की जिस क्रिया से यह प्रकट होता है कि जिस समय की बात की जा रही है, उस समय कोई कार्य हो रहा था, अपूर्ण भूत कहलाता है।** इस काल की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है :

धातु + रहा + था

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चल रहा था।	वे चल रहे थे।
मध्यम पुरुष	तू चल रहा था।	तुम चल रहे थे।
उत्तम पुरुष	मैं चल रहा था।	हम चल रहे थे।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चल रही थी।	वे चल रही थीं।
मध्यम पुरुष	तू चल रही थी।	तुम चल रही थीं।
उत्तम पुरुष	मैं चल रही थी।	हम चल रही थीं।

(७) **पूर्ण भूत : भूत काल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूत काल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, पूर्ण भूत कहलाता है।** इस काल में क्रिया के साथ जब तक आवृत्ति का अलग से संकेत न हो तब तक क्रिया के एक बार होने का ही बोध होता है।

इसकी रचना निम्नांकित प्रकार से होती है :

(क) धातु + आ + (था)

(ख) धातु + चुका + (था)

चुका के प्रयोग से क्रिया के समाप्त होने के भाव में वृद्धि हो जाती है।

पुंलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह चला (था)।	वे चले (थे)।
मध्यम पुरुष	तू चला (था)।	तुम चले (थे)।
उत्तम पुरुष	मैं चला (था)।	हम चले (थे)।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह चली (थी)।	वे चली (थीं)।
मध्यम पुरुष	तू चली (थी)।	तुम चली (थीं)।
उत्तम पुरुष	मैं चली (थी)।	हम चली (थीं)।

(१) निम्नलिखित धातुओं में **आ** या उसके अन्य रूपों के जोड़ने पर धातुओं में कुछ परिवर्तन हो जाता है :

लेना—लिया, लिए, ली, लीं
देना—दिया, दिए, दी, दीं
करना—किया, किए, की, कीं
होना—हुआ, हुए, हुई, हुईं
जाना—गया, गए, गई, गईं
पीना—पिया, पिए, पी, पीं
जीना और सीना के रूप भी पीना की तरह होते हैं।

(२) यदि व्यंजनांत (चल्, रह्, पढ़् आदि) के अतिरिक्त कोई भी धातु हो तो उसमें **आ** जोड़ देने पर 'य' का आगम (खा–खाया,

ले–लिया, खो–खोया आदि) हो जाता है। केवल **हो** इसका अपवाद है।

(८) पूर्ण सातत्य बोधक भूत : भूत काल की जिस क्रिया से यह संकेत हो कि क्रिया भूत काल में लंबे समय तक चल कर समाप्त हो गई, उसे पूर्ण सातत्य बोधक भूत कहते हैं।

इसकी रचना निम्नांकित प्रकार से होती है :

धातु + ता + रहा + था

पुंलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह पढ़ता रहा था।	वे पढ़ते रहे थे।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ता रहा था।	तुम पढ़ते रहे थे।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ता रहा था।	हम पढ़ते रहे थे।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह पढ़ती रही थी।	वे पढ़ती रही थीं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ती रही थी।	तुम पढ़ती रही थीं।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ती रही थी।	हम पढ़ती रही थीं।

(९) सामान्य भविष्य : भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक (पढ़ेगा) या अनेक बार (पढ़ा करेगा) होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं।

इसकी रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है :

(क) धातु+एगा

(ख) धातु+आ+कर+एगा

एगा के रूप पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार निम्नलिखित रूप में वदलते हैं :

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	––एगा	—एँगे
मध्यम पुरुष	––एगा	––ओगे
उत्तम पुरुष	––ऊँगा	––एँगे

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	––एगी	—एँगी
मध्यम पुरुष	––एगी	—ओगी
उत्तम पुरुष	—ऊँगी	—एँगी

नीचे इन प्रत्ययों के साथ पठ् धातु के रूप दिए जा रहे हैं :

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ेगा ।	वे पढ़ेंगे ।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ेगा ।	तुम पढ़ोगे ।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ूँगा ।	हम पढ़ेंगे ।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ेगी ।	वे पढ़ेंगी ।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ेगी ।	तुम पढ़ोगी ।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ूँगी ।	हम पढ़ेंगी ।

टिप्पणी—एगा तथा इसके रूपों के जुड़ते समय **हो**, **ले** तथा **दे** धातुओं के रूपों से कुछ विकार हो जाता है :

——होगा——होंगे——होगे——होऊँगा (हूँगा)

——लेगा——लेंगे——लोगे——लूँगा

——देगा——देंगे——दोगे——दूँगा

(१०) अपूर्ण भविष्य : भविष्य काल की जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि भविष्य में किसी निश्चित समय में कोई कार्य हो रहा होगा, उसे अपूर्ण भविष्य कहते हैं।

इस काल की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है : धातु+रहा+होगा

पुंलिग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह सो रहा होगा।	वे सो रहे होंगे।
मध्यम पुरुष	तू सो रहा होगा।	तुम सो रहे होगे।
उत्तम पुरुष	मैं सो रहा हूँगा।	हम सो रहे होंगे।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह सो रही होगी।	वे सो रही होंगी।
मध्यम पुरुष	तू सो रही होगी।	तुम सो रही होगी।
उत्तम पुरुष	मैं सो रही हूँगी।	हम सो रही होंगी।

(११) पूर्ण भविष्य : भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि भविष्य में जिस समय की बात की जा रही है, उस समय तक कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा, उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं।

इस काल की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है:

धातु+लिया+होगा

धातु+चुका+होगा

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह जा चुका होगा।	वे जा चुके होंगे।
मध्यम पुरुष	तू जा चुका होगा।	तुम जा चुके होगे।
उत्तम पुरुष	मैं जा चुका हूँगा।	हम जा चुके होंगे।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह जा चुकी होगी।	वे जा चुकी होंगी।
मध्यम पुरुष	तू जा चुकी होगी।	तुम जा चुकी होगी।
उत्तम पुरुष	मैं जा चुकी हूँगी।	हम जा चुकी होंगी।

विधि

ऊपर के विवेचन से यह पता चलता है कि क्रिया किस काल में हुई, हो रही है या होगी; किन्तु क्रिया पर विचार करते हुए हम यह भी जान सकते हैं कि इसके द्वारा किसी बात का निश्चित रूप से होना बताया गया है, अथवा कोई आदेश, अनुरोध, संदेह, संभावना, आशा आदि का भाव प्रकट किया गया है। क्रिया के इस पक्ष को **विधि** कहते हैं।

उदाहरण के लिए :

वह आएगा।

शायद वह आए।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों की क्रियाएँ भविष्य काल की हैं, किन्तु इनमें से पहली क्रिया आने का निश्चित भाव प्रकट करती है, जबकि दूसरी आने के बारे में केवल संभावना का संकेत करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रिया का सही भाव समझने के लिए हमें क्रिया के काल के साथ-साथ उसकी विधि भी जाननी चाहिए।

अर्थ के अनुसार हिन्दी क्रियाओं की विधि के पाँच भेद किए जाते हैं: (१) निश्चयार्थ, (२) सँभावनार्थ, (३) संदेहार्थ, (४) आज्ञार्थ, (५) संकेतार्थ।

(१) निश्चयार्थ : क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के निश्चित रूप से होने या प्रश्न किए जाने का बोध होता है, उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे,

१. मैं टहलने **जाता हूँ**।
२. सीता ने एक गीत **गाया**।
३. क्या आप शहर नहीं **जाएँगे**?

ऊपर उद्धृत प्रथम दो वाक्यों की क्रिया **जाता हूँ** और **गाया** क्रिया-रूपों से जाने का और गाने के व्यापार का निश्चित रूप से होना सूचित होता है, तथा तीसरे वाक्य में (शहर) जाने के बारे में प्रश्न किया गया है।

(२) संभावनार्थ : क्रिया के जिस रूप के द्वारा अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उसे संभावनार्थ कहते हैं। यथा,

१. संभव है, तुम उत्तीर्ण **हो जाओ**। (अनुमान)
२. हम चाहते हैं कि वह सफल **हो जाए**। (इच्छा)
३. हमें बड़ों की आज्ञा **माननी चाहिए**। (कर्तव्य)

(३) संदेहार्थ : क्रिया का वह रूप जिससे किसी बात का संदेह सूचित हो, संदेहार्थ कहलाता है। यथा,

१. शायद मोहन इस समय **सो रहा हो**।
२. हो सकता है कि गाड़ी **लेट हो जाए**।

इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य का निश्चित रूप से होना विदित नहीं होता। अपितु उनके होने की संभावना ही प्रकट होती है।

(४) आज्ञार्थ : क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं, उसे आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे,

१. यहाँ **आओ**। (आज्ञा)
२. घड़े में पानी **भर लाओ**। (आज्ञा)
३. सदा सच **बोलो**। (उपदेश)
४. कभी चोरी **मत करो**। (निषेध)
५. कृपया आप कल **आएँ** (अनुरोध)

(५) संकेतार्थ : जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो या जब दो घटनाओं में कार्य और कारण का भाव प्रकट किया गया हो, तो इस प्रकार के अर्थ को सूचित करने वाले क्रिया-रूप संकेतार्थ कहलाते हैं। इसे हेतुहेतुमद या क्रियातिपत्ति भी कहते हैं। जैसे,

१. यदि मैं तुम्हारे स्थान पर **होता तो ऐसा न करता**।
२. यदि तुम कठिन परिश्रम **करोगे तो पास हो जाओगे**।

उपर्युक्त उदाहरणों में (ऐसा न) **करता** और (पास) **हो जाओगे** क्रिया का होना क्रमशः (यदि मैं तुम्हारे स्थान पर) **होता** और (यदि तुम कठिन परिश्रम) **करोगे,** प्रथम दोनों घटनाओं पर निर्भर है, इनके विना क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती।

उपर्युक्त पाँच भेदों में संदेहार्थ, संभावनार्थ और संकेतार्थ ये तीनों वस्तुतः एक ही के विभिन्न रूप हैं। इस तरह इन तीनों को एक मानकर कहा जा सकता है कि विधि की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः तीन भेद होते हैं।

काल के प्रसंग में क्रिया के जिन रूपों की परिगणना हो चुकी है, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित रूप भी क्रिया की विधि बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं :

संभावनार्थ

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह पढ़ता हो।	वे पढ़ते हों।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ता हो।	तुम पढ़ते हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ता होऊँ।	हम पढ़ते हों।

(क) स्त्रीलिंग के लिए मूल धातु के साथ **–ता, –ते,** के स्थान पर **–ती** का प्रयोग होता है।

(ख) **–ता** के स्थान पर **–आ** कर देने पर क्रिया के भूत काल में संभावना प्रकट होती है :

(क) शायद यह पत्र उसने लिखा हो।
(ख) संभव है चोर भाग गए हों।
(ग) शायद वह सो गई हो।

(ग) संदेहार्थ

(क) संदिग्ध वर्तमान काल
(ख) संदिग्ध भूत काल

(घ) आज्ञार्थ

(क) प्रत्यक्ष विधि
(ख) परोक्ष विधि

(च) संकेतार्थ

(क) सामान्य संकेतार्थ काल
(ख) अपूर्ण संकेतार्थ काल

उपर्युक्त कालों में से ग्यारह कालों का विवेचन समय तथा अवस्थानुसार कालों का वर्गीकरण करते समय किया जा चुका है। नीचे शेष कालों का वर्णन किया जा रहा है––

(१) संभाव्य वर्तमान काल : जिस वर्तमान काल से अपूर्ण क्रिया की संभावना सूचित हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं।

क्रिया के सामान्य वर्तमान कालिक रूप के पश्चात् **होता** सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्य काल के रूप जुड़ने पर संभाव्य वर्तमान काल वनता है। जैसे,

चल धातु

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चलता हो।	वे चलते हों।
मध्यम पुरुष	तू चलता हो।	तुम चलते हो।
उत्तम पुरुष	मैं चलता होऊँ।	हम चलते हों।

स्त्रीलिंग में **–ता** और **–ते** के स्थान पर **–ती** का प्रयोग किया जाता है।

(२) **संभाव्य भूत कालः** जिस काल से भूतकालीन क्रिया की पूर्णता की संभावना सूचित होती है, उसे संभाव्य भूत काल कहते हैं। जैसे,

१. संभव है, वह वहाँ पहुँच **गया हो**।

२. कहीं तुम लौट न **आए हो**।

उपर्युक्त वाक्यों में **गया हो, आए हो** क्रियाओं से कार्य के पूर्ण हो जाने की संभावना सूचित होती है।

संभाव्य भूत काल की रचना के लिए क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप के आगे **होना** क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप जोड़े जाते हैं।

चल धातु

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चला हो।	वे चले हों।
मध्यम पुरुष	तू चला हो।	तुम चले हो, होओ।
उत्तम पुरुष	मैं चला होऊँ।	हम चले हों।

स्त्रीलिंग में **चला** और **चले** दोनों के स्थान पर **चली** हो जाता है।

(३) संभाव्य भविष्य काल : वह भविष्य काल जिसकी क्रिया से भविष्य में घटित होने वाली घटना के विषय में संभावना प्रकट हो, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे,

१. मैं घर जाऊँ।
२. तू पानी पीए।

उपर्युक्त वाक्यों में **जाऊँ** और **पीए** क्रियाओं से **जाने** और **पीने** के व्यापार के संबंध में संभावना सूचित होती है। अतः ये क्रियाएँ संभाव्य भविष्य काल में हैं।

संभाव्य भविष्य काल की रचना के लिए धातु के पश्चात् उत्तम पुरुष एकवचन में **ऊँ**, बहुवचन में **एँ**, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के एकवचन में **एँ** तथा इनके (मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के) बहुवचन में क्रमशः **ओ** और **एँ** प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे,

जा धातु

(पुंलिंग या स्त्रीलिंग)

	एकवचन	**बहुवचन**
अन्य पुरुष	वह जाए।	वे जाएँ।
मध्यम पुरुष	तू जाए।	तुम जाओ।
उत्तम पुरुष	मैं जाऊँ।	हम जाएँ।

देना, लाना और होना कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं, जिनके कुछ रूप इस नियम के अपवाद हैं। जैसे, देऊँ, या दूँ, लें, होवें, या हों।

(४) संदिग्ध वर्तमान काल : वह वर्तमान काल जिसकी क्रिया से व्यापार के होने में संदेह सूचित होता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे,

१. माली फूल **तोड़ता होगा**।
२. लड़के विद्यालय **जाते होंगे**।

उपर्युक्त वाक्यों में तोड़ने और जाने के व्यापार के होने में संदेह प्रकट होता है, अतएव व्यापार की संदिग्धता प्रकट करने वाली **तोड़ता होगा** और **जाते होंगे** क्रियाएँ संदिग्ध वर्तमान काल में हैं ।

धातु के सामान्य वर्तमानकालिक रूप (जो धातु के पश्चात् **ता, ती, ते** प्रत्यय लगाकर वनता है) के पश्चात् **होना** क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूपों को लगाने से संदिग्ध वर्तमान काल वनता है । जैसे,

पढ़ धातु

पुंलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ता होगा ।	वे पढ़ते होंगे ।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ता होगा ।	तुम पढ़ते होगे ।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ता हूँगा ।	हम पढ़ते होंगे ।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ती होगी	वे पढ़ती होंगी ।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ती होगी ।	तुम पढ़ती होगी ।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ती हूँगी ।	हम पढ़ती होंगी ।

(५) संदिग्ध भूत काल : वह भूत काल जिसकी क्रिया से व्यापार के होने में संदेह प्रकट होता है, संदिग्ध भूत काल कहलाता है । जैसे,

१. उसने परीक्षा **दी होगी** ।
२. माली ने फूल **तोड़ा होगा** ।

ऊपर के वाक्यों में **दी होगी** और **तोड़ा होगा** क्रिया-रूपों से (परीक्षा) देने और (फूल) तोड़ने के व्यापार के होने

में संदेह का बोध होता है। अतः उक्त क्रिया-रूप संदिग्ध भूत काल के हैं।

सामान्य भूत काल के पश्चात् **होना** क्रिया के सामान्य भविष्य काल के रूप का प्रयोग करने पर संदिग्ध भूत काल की रचना होती है। जैसे,

चल धातु

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चला होगा।	वे चले होंगे।
मध्यम पुरुष	तू चला होगा।	तुम चले होगे।
उत्तम पुरुष	मैं चला हूँगा।	हम चले होंगे।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चली होगी।	वे चली होंगी।
मध्यम पुरुष	तू चली होगी।	तुम चली होगी।
उत्तम पुरुष	मैं चली हूँगी।	हम चली होंगी।

प्रत्यक्ष विधि

जिस विधि क्रिया से यह सूचित होता है कि आज्ञापालन आज्ञा देने वाले के सामने होगा, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे,

१. तुम विद्यालय **जाओ**।
२. वह कुछ **कहे**।
३. मैं कुछ **सुनूं**।

उपर्युक्त वाक्यों में **जाओ, कहे** और **सुनूँ** क्रिया-रूपों से यह सूचित होता है कि जाने, कहने, और सुनने में व्यापार का पालन

आज्ञा देनेवाले के सामने होगा। अतः उक्त रूप प्रत्यक्ष विधि के रूप हैं।

मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़कर, प्रत्यक्ष विधि का रूप-निर्माण संभाव्य भविष्यत् के समान होता है। मध्यम पुरुष एकवचन में केवल धातु का ही रूप प्रत्यक्ष विधि क्रिया में प्रयुक्त होता है। जैसे,

बोल धातु

पुंलिंग या स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह बोले।	वे बोलें।
मध्यम पुरुष	तू बोल।	तुम बोलो।
उत्तम पुरुष	मैं बोलूँ।	हम बोलें।

आदरसूचक **आप** के साथ प्रत्यक्ष विधिकाल में धातु के पश्चात् इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे,

आप बोलिए, पहले आप खाइए।

लेना, देना, करना, पीना आदि कुछ क्रियाओं के आदरसूचक के प्रत्यक्ष विधि के रूप क्रमशः लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए आदि बनते हैं।

परोक्ष विधि

जिस विधि क्रिया से यह सूचित होता है कि आज्ञा का पालन आज्ञा देनेवाले के नेत्रों के परोक्ष अर्थात् आज्ञा देने के कुछ समय बाद होगा, उसे परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं। जैसे, –तू स्कूल मत **जाना**। आप फिर ऐसी त्रुटि न **कीजिएगा**। इन उदाहरणों में **जाना** और **कीजिएगा** क्रिया से यह प्रकट होता है कि आज्ञापालन कुछ समय उपरांत होगा, अर्थात् आज्ञा देनेवाले के नेत्रों के परोक्ष होगा। अतः ये दोनों क्रियाएँ परोक्ष विधि में हैं।

परोक्ष विधि क्रिया का कर्त्ता सदा मध्यम पुरुष में ही होता है। परोक्ष विधि क्रिया में **तू** और **तुम** कर्त्ता के साथ क्रिया के सामान्य रूप (क्रियार्थक संज्ञा) का प्रयोग होता है और आदरार्थ **आप** कर्त्ता के साथ धातु में **–इ ए गा** जोड़ देते हैं।

१. तू (या तुम) चोरी मत **करना**।
२. आप किसी के सामने मेरी बात न **चलाइएगा**।

उपर्युक्त वाक्यों में **तू** या **तुम** कर्त्ता के साथ क्रिया के सामान्य रूप **करना** तथा आप कर्त्ता के साथ **चलाइएगा** (चला+इ ए गा) का प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही रूप क्रिया की परोक्ष विधि क्रिया को प्रकट करते हैं।

सामान्य संकेतार्थ काल : वह काल जिसकी क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, उसे सामान्य संकेतार्थ काल कहते हैं । जैसे,

यदि वह यहाँ **रहता** तो न **मारा जाता**।

इस वाक्य में **रहता** क्रिया-रूप पर **मारा जाना** क्रिया का होना निर्भर है, अतः **रहता** क्रिया-रूप सामान्य संकेतार्थ काल का है।

धातु के पश्चात् वर्तमानकालिक **ता, ती, ते** प्रत्यय का प्रयोग कर, बने हुए रूप को कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित कर देने से सामान्य संकेतार्थ काल का रूप बनता है।

इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। जैसे,

चल धातु

पुंलिग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चलता।	वे चलते।
मध्यम पुरुष	तू चलता।	तुम चलते।
उत्तम पुरुष	मैं चलता।	हम चलते।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह चलती।	वे चलतीं।
मध्यम पुरुष	तू चलती।	तुम चलतीं।
उत्तम पुरुष	मैं चलती।	हम चलतीं।

अपूर्ण संकेतार्थ काल : जिस काल से कार्य की अपूर्णता का बोध होता है, उसे अपूर्ण संकेतार्थ काल कहते हैं। अपूर्ण संकेतार्थ की रचना के लिए **होना** सहायक क्रिया के साथ सामान्य संकेतार्थ काल का रूप जोड़ते हैं। यथा,

खा धातु

पुंलिंग

	एकवचन	वहुवचन
अन्य पुरुष	वह खाता होता।	वे खाते होते।
मध्यम पुरुष	तू खाता होता।	तुम खाते होते।
उत्तम पुरुष	मैं खाता होता।	हम खाते होते।

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह खाती होती।	वे खाती होतीं।
मध्यम पुरुष	तू खाती होती।	तुम खाती होतीं।
उत्तम पुरुष	मैं खाती होती।	हम खाती होतीं।

पूर्ण संकेतार्थ काल : जिस काल से क्रिया की पूर्णता का संकेत होता है, उसे पूर्ण संकेतार्थ कहते हैं। जैसे, वह वहाँ **गया होता** तो उससे अवश्य मिलता।

इस वाक्य में **गया होता** क्रिया-रूप से कार्य की पूर्णता द्योतित होती है। अतः यह क्रिया-रूप पूर्ण संकेतार्थ काल में है।

पूर्ण संकेतार्थ काल की रचना क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप के पश्चात् सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ काल के रूप

जोड़ने से बनते हैं। जैसे,

मैं चला होता, वह पढ़ा होता, तुम गए होते आदि।

वाच्य

नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ो :

किसान ईख बोता है।
स्त्रियाँ भोजन बनाती हैं।

इन दोनों वाक्यों में क्रिया कर्त्ता के अनुसार है। पहले वाक्य में कर्त्ता (किसान) पुलिंग, एकवचन है। अतः क्रिया (बोता है) भी पुलिंग एकवचन में है। दूसरे वाक्य में कर्त्ता (स्त्रियाँ) स्त्रीलिंग, बहुवचन है। इस प्रकार जहाँ क्रिया कर्त्ता के अनुसार होती है, वहाँ वह कर्तृवाच्य में कहलाती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है।

वैसाख में (किसानों द्वारा) ईख **बोई जाती है**। (स्त्रियों द्वारा) भोजन **बनाया जाता है**।

यहाँ क्रियाएँ कर्त्ता के अनुसार न होकर कर्म (ईख, भोजन) के अनुसार है। वाक्य में जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो उसे **कर्मवाच्य** में कहते हैं। इस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।

इन दोनों वाच्यों के अतिरिक्त तीसरा वाच्य भाववाच्य होता है जिसमें क्रिया न तो कर्त्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, अपितु सर्वदा एक-सी रहती है। जैसे,

बच्चों से यहाँ सोया नहीं **जाएगा**।
मोहन से वहाँ तक नहीं **चला जाएगा**।
सीता से आज नहीं **गाया जाएगा**।

इन वाक्यों में क्रिया स्पष्टतया कर्त्ता के अनुसार नहीं है। ऐसी क्रिया भाववाच्य में कहलाती है। ध्यान देने योग्य है कि भाववाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का ही प्रयोग होता है। हाँ इसमें (को-युक्त अपवादों को छोड़कर) कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता।

ऊपर कालों के प्रसंग में जितने भी वाक्य दिए गए हैं, सभी कर्तृवाच्य में हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए :

(क) क्योंकि कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में कर्त्ता बन जाता है इसलिए केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग कर्मवाच्य में हो सकता है।

(ख) कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य के कर्म के बाद मुख्य धातु का **आ** अथवा **या** में अंत होनेवाला (पूर्ण कृदंत) रूप प्रयुक्त होता है। उसके बाद **जा** धातु आती है। और इसी धातु में वे प्रत्यय जुड़ जाते हैं जो कर्तृवाच्य में मुख्य धातु के साथ जुड़े थे। उसके बाद क्रिया के शेष शब्द आते हैं। आकारांत शब्दों का रूप नए कर्त्ता के अनुसार स्त्रीलिंग में ईकारांत और पुलिंग बहुवचन में एकारांत हो जाता है।

(ग) कर्मवाच्य बनाते हुए प्रायः कर्तृवाच्य के कर्त्ता को छोड़ देते हैं, या उसके बाद **द्वारा, के द्वारा, से** आदि शब्द लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे,

उसके द्वारा रोज़ अखबार पढ़ा जाता है।
गोष्ठी में आज एक कहानी पढ़ी जाएगी।
वर्ग में आज एक भी पाठ नहीं पढ़ाया गया।
अभी घर पर रोटी खाई जा रही होगी।

भाववाच्य का प्रयोग मुख्यत सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान आदि में होता है। भाववाच्य की रचना निम्न प्रकार से होती है : धातु+आ+(नहीं) जा+कालसूचक अंश मुझसे + चल + आ + नहीं + जा + ता। उससे बैठ+आ+नहीं+जा+एगा।

प्रेरणार्थक

हिन्दी में कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक के जोड़ों में पाई जाती हैं :

हँसना--हँसाना गिरना--गिराना

उठना--उठाना निकलना--निकलाना

टूटना--तोड़ना सोना--सुलाना

हिन्दी की सकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप भी मिलता है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ क्रिया का कार्य कर्त्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करा रहा होता है। जैसे,

आँधी में बहुत से पेड़ **गिर जाते हैं**। (अकर्मक)

देखो उसने दूध **गिरा दिया**। (सकर्मक)

मज़दूरों से वह पुरानी दीवाल **गिरवा दो**। (प्रेरणार्थक)

प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए सकर्मक क्रिया में **'आ'** के स्थान पर **'वा'** कर देते हैं।

छपाना -- छपवाना

गिराना -- गिरवाना

पिसाना -- पिसवाना

कटाना -- कटवाना

लिखाना -- लिखवाना

हँसाना -- हँसवाना

बताना -- बतवाना

क्रिया पद

हिन्दी वाक्यों का क्रिया पद एक या अनेक शब्दों से बनता है। अनेक शब्दीय क्रिया पद का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है।

नाम धातु

धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के आधार पर जो धातुएँ बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। इनका भी अन्य धातुओं की भाँति क्रिया-रूप में प्रयोग होता है।

	शब्द	प्रत्यय	नाम धातु
संज्ञा	हाथ	इया	हथिया (ना)
,,	बात	,,	बतिया (ना)
,,	लात	,,	लतिया (ना)
,,	जूता	,,	जुतिया (ना)
,,	झूठ	ला	झुठला (ना)
विशेषण	चिकना	०	चिकना (ना)
,,	आधा	इया	अधिया (ना)
सर्वनाम	अपना	०	अपना (ना)

यहाँ हम देखते हैं कि स्वर यदि दीर्घ हों तो उसे ह्रस्व कर देते हैं तथा **इया**, **ला**, **या**, अथवा **शून्य** प्रत्यय जोड़ते हैं।

क्रिया पद के खंड

(क) कर्तृवाच्य की क्रिया के मुख्यत: तीन खंड किए जा सकते हैं। पहले खंड में मूलधातु अकेली या रंजक धातु के साथ आ सकती है। दूसरे खंड में **रह**, **चुक** या **सक** में से कोई धातु हो सकती है। तीसरे खंड में काल सूचक **हो** के रूप आते हैं।

१	२	३
वह पुस्तक पढ़ता	रहा	है।
राधा गाना गा	चुकी	होगी।
मैं उर्दू लिख	सकता	हूँ।

(ख) कर्मवाच्य के क्रिया पद में ऊपर के खंडों के अतिरिक्त एक खंड और होता है जो पहले खंड के बाद आता है। इस खंड में

केवल **जा** ही आ सकता है। ऊपर के तीन वाक्यों के कर्मवाच्यीय रूप ये होंगे--

	१	२	३	४
(उसके द्वारा)				
पुस्तक	पढ़ी	जाती	रही	है।
(राधा के द्वारा)				
गाना	गाया	जा	चुका	होगा।
(मेरे द्वारा) उर्दू	लिखी	जा	सकती	है।

(ग) भाववाच्य के क्रिया पद में मूल धातु के बाद **आ** (या) आता है और उसके बाद **वा** के विभिन्न रूप :

इससे चला नहीं जाता।

जा के बाद **रह** या **सक** धातुएँ भी आ सकती हैं:

उससे उठा नहीं जा रहा (है)।

इतना वजन इससे उठाया नहीं जा सकेगा।

प्रश्न

१. क्रिया की परिभाषा देते हुए धातु तथा क्रिया का अंतर स्पष्ट कीजिए।

२. काल और विधि का भेद बताते हुए बताइए कि हिन्दी व्याकरण में कितने काल तथा कितनी विधियाँ होती हैं।

३. वाच्य किसे कहते हैं ? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

४. द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ? द्विकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण दीजिए।

५. प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? प्रथम प्रेरणार्थक (सकर्मकता युक्त) तथा द्वितीय प्रेरणार्थक धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय का संकेत कीजिए।

६. नाम धातु की परिभाषा बताते हुए उसे बनाने के नियम सोदाहरण बताइए।

७. संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं तथा इसकी रचना कितने प्रकार से हो सकती है ?

८. कृदंत किसे कहते हैं ? धातु से वर्तमानकालिक तथा भूतकालिक कृदंत बनाने के नियमों का उल्लेख कीजिए।

९. निम्नलिखित धातुओं के सामान्य वर्तमान तथा सामान्य भूत काल के रूप बनाइए :

पढ़्, चल्, आ, खा, कर्, दे, सो, रो।

१०. निम्नलिखित धातुओं के संभावना, आज्ञा तथा संदेह के रूप लिखिए। रूप तीनों कालों में होने चाहिए :

खो, ले, पढ़, सुन्, जा, पा।

११. वाच्य-परिवर्तन कीजिए :

मैं आम खाऊँगा।
राम ने बालि का बध किया।
शेक्सपियर ने कई नाटक लिखे।
तुमसे ज्यादती की गई।
तुम्हारे द्वारा वह पीटा गया।
मोहन के द्वारा वह पुस्तक पढ़ ली गई।

१२. रेखांकित शब्दों के व्याकरणिक रूपों का संकेत कीजिए :

मुझसे सोया नहीं जाता।
उससे पानी पिया जाता है।
वह पढ़कर विद्यालय से चल पड़ा।
महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है।
अभी वह आ ही रहा होगा।
वह खाते-खाते ही उठ पड़ा।
चूसे हुए आमों की गुठलियाँ बाहर फेंको।
यह पत्र अपने नौकर से भिजवा दीजिएगा।
क्या मैं वहाँ चला जाऊँ ?

अध्याय-७

अव्यय

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बचे हुए शब्द, **अव्यय** के अंतर्गत आते हैं। मूल अर्थ के अनुसार अव्यय वे शब्द हैं, जिनमें कोई परिवर्तन न हो। संस्कृत में तो यह बात ठीक थी, किन्तु हिन्दी में यह पूरी तरह लागू नहीं होती। हिन्दी में अव्यय के अतिरिक्त भी कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं (जैसे – भारी, बुद्धू, कोमल आदि) जिनमें परिवर्तन नहीं होता और दूसरी ओर कुछ अव्यय भी ऐसे हैं जिनके रूप बदलते हैं। जैसे – 'मोहन **दौड़ा-दौड़ा** आया, सीता **दौड़ी-दौड़ी** आई या रमेश **लेटा हुआ** पढ़ रहा है, विमला **लेटी हुई** पढ़ रही है।' ऐसी स्थिति में हिन्दी अव्यय की परिभाषा रूप पर आधारित न कर यदि कार्य पर आधारित करें तो कदाचित अधिक उपयोगी होगा।

अव्यय निम्नलिखित कार्य करते हैं :

(क) वे क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, कारण, परिमाण, तुलना, सादृश्य, उद्देश्य आदि बतलाते हैं।

(ख) कुछ अव्यय शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं।

(ग) कुछ अव्यय विस्मय, हर्ष आदि का भाव व्यक्त करते हैं।

(घ) कुछ अव्यय संबोधन का द्योतन करते हैं।

(ङ) कुछ अव्यय अवधारण, वल, निषेध, स्वीकार आदि व्यक्त करते हैं ।

अव्यय तीन प्रकार के होते हैं :

(क) क्रिया विशेषण

(ख) समुच्चय बोधक

(ग) विस्मयादि बोधक

क्रिया विशेषण

क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उन अव्यय शब्दों को कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता वतलाते हैं। उदाहरण के लिए 'वह व्यक्ति **धीरे-धीरे** चल रहा है' वाक्य में **धीरे-धीरे** चलने की विशेषता वतला रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषताएँ रीति, परिमाण आदि——कई प्रकार की हो सकती हैं। इनके अतिरिक्त क्रिया का स्थान (यहाँ, वहाँ आदि), उसकी दिशा (इधर, उधर आदि), उसका काल (अव, तव आदि) तथा अनेक अन्य वातें वतलानेवाले शब्द भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। क्रिया के अतिरिक्त क्रिया विशेषण की विशेषता वतलानेवाले शब्द भी (जैसे, वह **बहुत** धीरे-धीरे चल रहा है) क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं, क्योंकि अंततः वे क्रिया विशेषण की विशेषता के माध्यम से क्रिया की ही विशेषता वतलाते हैं। क्रिया विशेषण एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द (पद) भी जिसे **क्रिया विशेषण फ्रेज** या **क्रिया विशेषण पदबंध** कह सकते हैं। उदाहरणार्थ, '**मकान के चारों ओर** वाग है' में **मकान के चारों ओर** अव्यय पदबंध है।

अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण मुख्यतः १३ प्रकार के होते हैं :

(१) **स्थानबोधक**——जिससे स्थान का बोध हो। जैसे – यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, वाएँ, नीचे, ऊपर, वाहर, भीतर, दूर, पास, निकट, सर्वत्र, सामने, दाहिने, मध्य, इधर-उधर,

नीचे-ऊपर आदि। संज्ञा या सर्वनाम के संबंध कारक के रूपों से अनेक स्थानबोधक पदबंध बनते हैं। जैसे – नदी के किनारे, सीने के आरपरा, मेरे चारों ओर आदि। अधिकरण कारक भी वास्तव में स्थानसूचक अव्यय ही हैं। जैसे – दिल में, सीने पर, घर में आदि।

(२) **दिशाबोधक**––जिससे दिशा का बोध हो। जैसे – इधर, उधर, जिधर, किधर, की तरफ़, की ओर।

(३) **कालबोधक**––जिससे काल का बोध हो। जैसे – अब, जब, कब, तब, आज, कल, परसों, नरसों, पहले, सदा, सर्वदा, हमेशा, अभी, जभी, कभी, सुबह, प्रातः, सायं, वर्षों बाद, दिनभर, तब तक, प्रति दिन, हर घड़ी, सुबह के समय, छुट्टी के दिन, पढ़ते समय।

(४) **रीतिबोधक**––जो क्रिया के होने या किए जाने का ढंग बताए। जैसे – कैसे, जैसे, वैसे, ऐसे, यों, धीरे, अनायास, सहज, शीघ्रता-पूर्वक, पैदल, हौले, विनयपूर्वक।

एक से अधिक शब्दों से : धैर्य से, येन-केन प्रकारेण, चुपके-चुपके, झट से, हौले-हौले, धीरे-धीरे, जैसे-तैसे, चलकर, हँसकर, मुस्कराकर, हँसते-हँसते, बच्चों की तरह।

(५) **अकस्माततबोधक**––जिससे अचानकता प्रकट हो। जैसे – अकस्मात, अचानक, सहसा, एकाएक।

(६) **निश्चयबोधक**––जिससे निश्चय का बोध हो। जैसे – अवश्य, अलबत्ता, ज़रूर, निस्संदेह, बेशक।

(७) **यथार्थताबोधक**––जिसमें यथार्थता का भाव हो। जैसे – वस्तुतः, यथार्थतः, सचमुच, वास्तव में, दर असल, असल में, दर हकीकत (दर असल में, या दर हकीकत में – जैसे रूप अशुद्ध हैं)।

(८) **अनिश्चयबोधक**––जिसमें अनिश्चय हो। जैसे – शायद, संभवतः कदाचित, संभव है, मुमकिन है आदि।

(९) **स्वीकारबोधक**––जिसमें स्वीकृति का भाव हो। जैसे – हाँ, जी, ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक।

(१०) **निषेधबोधक**––जिसमें अस्वीकृति का भाव हो। जैसे – नहीं, न, ना, मत।

(११) **कारणबोधक**––जिसमें कारण का भाव हो। जैसे – अतः, क्यों, अतएव, किसलिए, इसलिए, काहे को, इसीलिए, के उद्देश्य से, पिटने के डर से, देश की सेवा करने के लिए, पिता जी का देहांत हो जाने के कारण।

(१२) **परिमाणबोधक**––जिससे परिमाण या मात्रा का बोध हो। जैसे – इतना, उतना, जितना, कितना, बहुत, कम, अधिक, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, सब से ज्यादा।

(१३) **अवधारक**––ही, तो, भी, न।

क्रिया विशेषण की रचना

(क) मूल शब्द––यहाँ, वहाँ, अब, यों, ऐसे।

(ख) परसर्ग जोड़कर––यहाँ से, आज से, नम्रता से, गाँव को, शाम को, पढ़ने को, दिन में, रात में, कमरे में।

(ग) प्रत्यांत––स्नेहपूर्वक, वस्तुतः, मुख्यतया, क्रमशः, घंटों, महीनों, दिनों, गाकर।

(घ) उपसर्गयुक्त––अस्पष्ट, बेधड़क, बेहिसाब, अकारण।

(ङ) समस्त––यथाशक्ति, दिनोंदिन, सुबह-शाम, दिन-रात, हाथों-हाथ, रात-दिन, देश-विदेश।

(च) आवृत्ति––घड़ी-घड़ी, साफ़-साफ़, पढ़ते-पढ़ते, चिल्ला-चिल्लाकर, हँस-हँसकर आदि।

(छ) पदबंध––तन-मन-धन से, सुबह से शाम तक, सोने से पहले, जाने के बाद, जहाँ देखो वहाँ, आपके आदेशानुसार, पहाड़ की तलहटी में।

(ज) जब	तब
जब जब	तब तब
जब तक	तब तक
से	तक
से	तक के लिए
यदि	तो
यद्यपि	तथापि
चाहे	परंतु
चाहे जैसा	तो भी
भले ही	परंतु

समुच्चय बोधक

जो अव्यय दो शब्दों, पदबंधों (फ्रेजों) या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे – 'राम और श्याम जा रहे हैं' वाक्य में **और** राम तथा श्याम दो शब्दों को जोड़ रहा है। 'धरती के ऊपर और आसमान के नीचे बहुत-सी अद्भुत वस्तुएँ हैं' में **'और' धरती के ऊपर** तथा **आसमान के नीचे** दो पदबंधों को जोड़ता है। 'शाम हुई और सूरज छिप गया' में **और** दो वाक्यों—'शाम हुई, सूरज छिप गया'— को जोड़ता है।

समुच्चय बोधक के दो भेद हैं—समानाधिकरण और व्यधिकरण।

समानाधिकरण : मुख्य शब्दों, पदबंधों (फ्रेजों) या वाक्यों को जोड़नेवाले अविकारी शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके चार भेद हैं—(१) संयोजक, (२) विकल्प सूचक, (३) विरोध सूचक और (४) परिणाम सूचक।

(१) संयोजक : जिस अव्यय से दो शब्दों या वाक्यांशों का मेल प्रकट हो, उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। मुख्य संयोजक अव्यय हैं—और, तथा, एवं, व।

और : हिन्दी में **और** का वहुत प्रयोग मिलता है। बोलचाल में तो **और** की भरमार हो जाती है। इसका प्रयोग सर्वनाम और विशेषण के रूप में भी होता है। जैसे – तुम और कहाँ जाओगे ? मैं पिता जी से और रुपए माँगूँगा।

तथा : इसका प्रयोग **और** की आवृत्ति वचाने के लिए किया जाता है। एक ही वाक्य में जव पहले **और** आ गया हो तो उसके वाद संयोजक के रूप में **तथा** का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे – इस दिवस के लिए कितनी वलियाँ चढ़ाई गईं, कितना रुदन और शोक **तथा** क्षुधा के प्रेतों और मृत्यु का कितना तांडव हुआ।

एवं : यह भी **और** का पर्याय है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत-निष्ठ शब्दों के बीच ही ठीक लगता है। जैसे – विदेशी भी संस्कृत साहित्य के काव्यवैभव को देखकर विस्मित **एवं** मुग्ध हो जाते हैं।

व : यह उर्दू शब्द **और** का पर्याय है। प्रायः हिन्दी के सभी वैयाकरण इसके प्रयोग को वर्जित वताते हैं और वड़े-वड़े लेखक इसका प्रयोग नहीं करते। पहली वात तो यह है कि शब्दों के बीच में इसका उच्चारण कठिनता से होता है। इसका प्रयोग अधिकतर सामासिक शब्दों में होता है; किन्तु उनमें भी यह उच्चारण की सुगमता के लिए संधि के अनुसार पूर्व शब्द में मिला दिया जाता है। जैसे – नामोनिशान, आबोहवा आदि। हम उन्हें हिन्दी में **नाम निशान आबहवा** के रूप में लिखते-बोलते हैं।

(२) विकल्प सूचक : जो दो या अधिक वस्तुओं में किसी एक का ग्रहण या दोनों का त्याग करता है, उसे विकल्प सूचक अव्यय कहते हैं। मुख्य विकल्प सूचक अव्यय हैं——या, अथवा, चाहे——चाहे, न कि, नहीं तो, या——या, क्या——क्या, न——न आदि।

या, अथवा, वा, किंवा—ये चारों पर्यायवाची हैं। **वा** और **किंवा** का प्रयोग आजकल उठ-सा गया है। **या** और **अथवा** में **या** सुगम और वहुप्रचलित है। हाँ एक ही वाक्य में द्विरुक्ति से वचाने के लिए

अथवा का प्रयोग होता है। **या** उर्दू शब्द है । इसलिए कुछ लेखक संस्कृत-निष्ठ हिन्दी लिखते समय **अथवा** का अधिक-से-अधिक प्रयोग करते हैं। कुछ हो **या** का प्रयोग ही सुगम तथा सुघड़ है। तुमने यह कहानी पढ़ी है **या** (**अथवा**) नहीं ।

कि : विभाजक **कि** उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक **कि** से सर्वथा भिन्न है । इसका अर्थ **या** के समान है किन्तु परिनिष्ठ भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता । बोलचाल की भाषा में **कि** वहुत प्रयुक्त है । 'तुम जाते हो **कि** नहीं, तुम गाते हो **कि** रोते हो ।'

या–या, चाहे–चाहे : जव ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं तव अकेले **या** की अपेक्षा अधिक वलार्थक एवं निश्चित होते हैं। **या** तो मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा **या** पढ़ना ही छोड़ दूँगा । **चाहे** वही इस घर में रहेगा **चाहे** मैं ही घर छोड़ दूँगा ।

क्या–क्या : कुछ वैयाकरण इन्हें संयोजक भी मानते हैं । पहले दो या अधिक विभाग कर उन सवका इकट्ठा उल्लेख करते हैं । जैसे – **क्या** विद्वान **क्या** मूर्ख प्रजातंत्र में सभी के मतों का मूल्य वरावर होता है ।

न–न : ये दो या अधिक शब्दों, पदबंधों, वाक्यों आदि में से प्रत्येक का निषेध वताते हैं। परीक्षा के दिनों में **न** मुझे नींद आती थी, **न** भूख लगती थी । कभी-कभी इनसे आवश्यकता भी सूचित होती है । जैसे– '**न** नौ मन तेल होगा **न** राधा नाचेगी ।' कभी-कभी इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है। जैसे –'**न** तुम आते **न** यह उपद्रव खड़ा होता ।'

न कि : इससे प्राय: दो बातों में से दूसरी का निषेध सूचित होता है। जैसे – मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, **न कि** तुम से ।

नहीं तो : यह **अन्यथा** का पर्याय है । इससे किसी बात के त्याग का फल सूचित होता है । मेहनत से पढ़ो, **नहीं तो** (अन्यथा) परीक्षा में फेल हो जाओगे ।

(३) विरोध सूचक : जो अव्यय शब्द दो वाक्यों में प्रथम का निषेध प्रकट करते हैं, उन्हें विरोध सूचक अव्यय कहते हैं। पर, परंतु, किन्तु, लेकिन, मगर, वरन्, बल्कि और प्रत्युत विरोध सूचक अव्यय हैं।

पर, परंतु, किन्तु, लेकिन : ये चारों पर्यायवाची हैं। **मगर** भी इनका पर्यायवाची है। किन्तु इसका प्रयोग साहित्यिक भाषा में प्राय: नहीं होता। मैंने उसे वहुत समझाया **किन्तु** (पर, परंतु, लेकिन) वह एक न माना।

वरन्, प्रत्युत, बल्कि : ये तीनों पर्यायवाची हैं। **वरन्** और **प्रत्युत** संस्कृत शब्द हैं और **बल्कि** उर्दू। इनमें **बल्कि** का ही अधिक प्रयोग मिलता है। इन तीनों का ही प्रयोग प्राय: एक कथन को कुछ दवाकर दूसरे को प्रधानता देने के लिए ही किया जाता है। जैसे– 'मैंने आचार्य से तुम्हारी शिकायत नहीं, **बल्कि** (प्रत्युत) तुम्हारी प्रशंसा ही की है। भारतीय महज भौतिक सुख ही नहीं **वरन्**, आत्मिक और आध्यात्मिक सुख भी चाहते हैं।

(४) परिणाम सूचक : जिन अव्यय शब्दों से यह जाना जाए कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है, उन्हें परिणाम सूचक कहते हैं। इसलिए, इससे, इस वास्ते, इस कारण आदि। परिणाम सूचक अव्यय है। **इसीलिए** का प्रयोग वलार्थक है। इन सब में **इसलिए** का प्रयोग सर्वाधिक होता है। संस्कृत-निष्ठ शैली में **अतः** और **अतएव** का अधिक प्रयोग होता है। मैं कल बीमार था **इसलिए** विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ 'मैं विद्यालय नहीं जा सका' उपवाक्य परिणाम सूचित करता है और 'मैं कल बीमार था' कारण वताता है।

व्यधिकरण : जिन अव्यय शब्दों के मेल से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरणसमुच्चय बोधक कहते हैं। इसके चार मुख्य उपभेद हैं : (१) कारण वाचक, (२) उद्देश्य वाचक, (३) संकेत वाचक, और (४) स्वरूप वाचक।

(१) कारण वाचक : इन अव्ययों से आरंभ होनेवाले वाक्य पूर्व वाक्य का समर्थन करते हैं —अर्थात् पूर्व वाक्य के अर्थ का कारण

उत्तर वाक्य के अर्थ से सूचित होता है। मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था, **क्योंकि** बीमार था। 'बीमार था' वाक्य में **क्योंकि** जुड़कर कारण बता रहा है पहले वाक्य का—मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था। क्योंकि, कारण, इसलिए कि, चूँकि आदि कारण वाचक अव्यय हैं।

(२) उद्देश्य वाचक : जिन अव्यय वाक्यों से उद्देश्य सूचित हो उन्हें उद्देश्य वाचक अव्यय कहते हैं। जिन वाक्यों के पहले उद्देश्य वाचक शब्द आते हैं उन्हें उद्देश्य वाचक वाक्य कहते हैं। ये प्रायः मुख्य वाक्य के बाद आते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो **ताकि परीक्षा** में प्रथम आओ।

जब उद्देश्य वाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुच्चय बोधक नहीं रहता। हाँ, तब मुख्य वाक्य **इसलिए** से प्रारंभ होता है। जैसे, तुम परीक्षा में प्रथम आओ, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ो। कि, ताकि, इसलिए कि, इसलिए, जो, जिसमें, जिससे आदि उद्देश्य वाचक अव्यय हैं।

(३) संकेत वाचक : जिन अव्यय शब्दों से वाक्यों में संकेत अथवा शर्त प्रकट होती है, उन्हें संकेत वाचक अव्यय कहते हैं। जैसे – **जो** सुखी होना चाहते हो **तो** डटकर परिश्रम किया करो। **यदि** तुम मेहनत से पढ़ते **तो** अवश्य पास हो जाते। जो---तो, यदि---तो, अगर---तो, यद्यपि---तथापि (तो भी, फिर भी), चाहे---परंतु, कि आदि संकेत वाचक अव्यय हैं। इनमें से **कि** को छोड़कर शेष सभी जोड़े में आते हैं। इन्हें नित्य संबंधी कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा जुड़नेवाले वाक्यों में से एक में **जो, यदि** (अगर) **चाहे** या **यद्यपि** आता है और दूसरे वाक्य में क्रमशः **तो, परंतु** या **तथापि** (तो भी) आता है। जिस वाक्य में **जो, यदि** (अगर), **यद्यपि** या **चाहे** का प्रयोग होता है उसे पूर्व वाक्य और दूसरे वाक्य को उत्तर वाक्य कहते हैं।

(४) स्वरूप वाचक : दो वाक्यों में जिन अव्यय शब्दों द्वारा पहली बात का अधिक स्पष्टीकरण होता है, उन्हें स्वरूप वाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण : आसमान में सफेद बादल जमा हो रहे हैं **मानो** धुनिया धुनी हुई रूई के अंबार लगा रहा हो। मैं जानता हूँ **कि** तुम्हीं

ने वदमाशी की है। कि, अर्थात्, जो, यानी, मानो, यहाँ तक कि, स्वरूप वाचक अव्यय हैं।

विस्मयादि बोधक

जिन अव्ययों से बोलने या लिखने वाले के मन के विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट हों, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे—

वाह ! क्या अच्छा वना है !

हाय ! बुढ़िया का वह सहारा भी जाता रहा !

अरे ! यह क्या ?

इन वाक्यों में **वाह** से हर्ष, **हाय** से शोक और **अरे** से विस्मय प्रकट हो रहा है। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से विल्कुल नहीं होता। ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं।

विभिन्न भावों को प्रकट करनेवाले प्रमुख विस्मयादि बोधक ये हैं :

१. विस्मय बोधक—हैं, अरे, क्या, सच।

२. हर्ष बोधक—अहा, वाह, शाबाश, धन्य-धन्य, जय।

३. शोक बोधक—आह, ऊँह, ओह, हा, हाय, राम-राम, वाप रे, दइया रे, वाप रे वाप।

४. अनुमोदन बोधक—ठीक, हाँ-हाँ।

५. तिरस्कार बोधक—छिः, हठ, दुर, धिक्, चुप, धत्।

६. स्वीकृति बोधक—जी हाँ, अच्छा, ज़रूर, हाँ।

७. संबोधन बोधक—अरे, रे, अजी, हे, हो, ए, ऐ।

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी प्रकार के शब्द विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं :

संज्ञा——शिव-शिव, राम-राम, सच।

सर्वनाम——क्या, कितना, इतना।

विशेषण——अच्छा, भला, कैसा।

क्रिया——चल हट।

अव्यय——वहाँ, कहाँ, और बाहर।

उपवाक्य आदि का भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे– 'इतना बड़ा आदमी——ऐसी गंदी बात, धिक् डूब मरो चुल्लूभर पानी में' आदि।

विस्मयादि बोधक का प्रयोग कभी-कभी संज्ञा के रूप में भी होता है——'**वाह वाह** से वातावरण गूँज उठा' या '**हाय हाय** मत कर'।

प्रश्न

१. अव्यय को अविकारी क्यों कहा जाता है ?

२. अव्यय के कितने भेद हैं ? उनके नाम लिखकर प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

३. अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेदों के नाम अलग-अलग लिखकर प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

४. समुच्चय बोधक जोड़ने के अतिरिक्त और क्या-क्या काम करते हैं ? उदाहरण सहित समझाइए ?

५. पाँच ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें से एक से हर्ष, दूसरे से शोक, तीसरे से ग्लानि, चौथे से घृणा और पाँचवें से आश्चर्य का भाव प्रकट होता हो।

६. निम्नलिखित शब्द किस प्रकार के अव्यय हैं :
हाय, बल्कि, वहाँ, इसलिए, हठात्, अर्थात्, धीरे
जहाँ——तहाँ, जब——तब और न——न।

७. पाँच ऐसे विशेषण दीजिए जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह भी होता है। इन वाक्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

८. विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द वाक्य में कहाँ आते हैं ?

९. परिमाण वाचक विशेषण और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, सोदाहरण बताइए।

१०. **न, नहीं** और **मत** के प्रयोग में जो अंतर है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

११. निम्नलिखित से वाक्य बनाइए :
या, इसलिए, क्योंकि, अर्थात्, न—न, चाहे—चाहे, यदि—तो, यद्यपि—तथापि।

अध्याय–८

पद-परिचय

वाक्य के हर पद का व्याकरणिक परिचय अर्थात् कौन पद व्याकरण के अनुसार क्या है और क्या काम करता है, पद-परिचय कहलाता है। उदाहरण के लिए '**मोहन** जाता है' वाक्य में मोहन व्यक्ति वाचक संज्ञा, पुलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, तथा **जाता है** क्रिया का कर्त्ता है। यह मोहन का पद-परिचय है। पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय होते हैं। नीचे सभी का पद-परिचय अलग-अलग दिया जा रहा है।

(१) संज्ञा का पद-परिचय

संज्ञा के पद-परिचय में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है :

संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध।

उदाहरण— (क) **राम** हमारी **कक्षा** में एक अच्छा **लड़का** है।

(ख) **भारत** की **सेना** ने **कश्मीर** में **युद्ध किया**।

राम— व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, है क्रिया का कर्त्ता।

कक्षा— जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, है क्रिया का अधिकरण।

भारत—— व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुलिंग, एकवचन, संबंध कारक, **सेना** से संबंध ।

सेना—— जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, **किया** क्रिया का कर्त्ता ।

(२) सर्वनाम का पद-परिचय

सर्वनाम के पद-परिचय में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है :

सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, संबंध ।

उदाहरण—— (क) **मैं उसे** जानता हूँ ।
(ख) **तुम किसको** चाहते हो ?

मैं—— पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, **जानता हूँ** क्रिया का कर्त्ता ।

उसे——पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुलिंग, एकवचन, कर्म कारक, **जानता हूँ** क्रिया का कर्म ।

तुम——पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुलिंग, वहुवचन किन्तु एकवचन रूप में प्रयुक्त, कर्त्ता कारक, **चाहते हो** क्रिया का कर्त्ता ।

किसको——प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुलिंग, एकवचन, कर्म कारक, **चाहते हो** क्रिया का कर्म ।

(३) विशेषण का पद-परिचय

विशेषण के पद-परिचय में निम्नलिखित वातें होती हैं :

भेद, लिंग और संबंध ।

उदाहरण——(क) **काली** गाय हमें **मीठा** दूध देती है ।
(ख) **भारतीय** सेना ने जर्मन सेना को हरा दिया ।

काली—गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, **गाय** विशेष्य का विशेषण ।

मीठा—गुणवाचक विशेषण, पुलिंग, **दूध** विशेष्य का विशेषण ।

भारतीय—गुणवाचक विशेषण, **सेना** विशेष्य का विशेषण ।

(४) क्रिया का पद-परिचय

क्रिया के पद-परिचय में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है :

भेद, प्रकार, काल, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, संबंध ।

उदाहरण—(क) मैं रोटी **खाता हूँ** ।

(ख) शिकारी ने एक हिरण को **मारा** ।

(ग) राम मेरी कक्षा का विद्यार्थी **है** ।

(घ) कृपया आप यहाँ **आइए** ।

खाता हूँ—सकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान, कर्तृवाच्य, पुलिंग, एकवचन, उत्तम पुरुष, इसका कर्त्ता **मैं** है और कर्म **रोटी** ।

मारा — सकर्मक क्रिया, सामान्य भूत काल, कर्तृवाच्य, पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्त्ता **शिकारी** है और कर्म **हिरण को** ।

है — अकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान, कर्तृवाच्य, पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्त्ता **राम** है ।

आइए — अकर्मक, प्रत्यक्ष विधि क्रिया, कर्तृवाच्य, पुलिंग, एकवचन, आदरसूचक, मध्यम पुरुष, इसका कर्त्ता **आप** है ।

(५) अव्यय का पद-परिचय

अव्यय के पद-परिचय में प्रकार (अव्यय के प्रकार) और संबंध का समावेश होता है ।

उदाहरण—(क) लड़का **बहुत** दौड़ा ।

(ख) तुम **कब** आए ?

(ग) वह **धीरे-धीरे** दौड़ता था ।

(घ) हरी **और** राम भाई हैं ।

(ङ) वह **न तो** चोर था, **न** जुआरी ।

(च) **हाय** ! मेरा मित्र मर गया ।

बहुत — परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, **दौड़ा** क्रिया का क्रिया विशेषण ।

कब — कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, **आए** क्रिया का क्रिया विशेषण ।

धीरे-धीरे—रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, **दौड़ता था** क्रिया का क्रिया विशेषण ।

और — समुच्चय बोधक अव्यय, हरी और राम को मिलाता है ।

हाय — विस्मयादि बोधक अव्यय, दुःख का द्योतक ।

प्रश्न

१. पद-परिचय किसे कहते हैं ?

२. भाषा-अध्ययन में पद-परिचय की क्या उपयोगिता है ?

३. संज्ञा और क्रिया के पद-परिचय में किन-किन बातों का विचार किया जाता है ?

४. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का पद-परिचय दीजिए :

(क) फल सभी को प्रिय होते हैं ।

(ख) रहीम एक अच्छा लड़का है ।

(ग) एक कौआ पीपल के पेड़ पर बैठा था ।

(घ) रमेश आगे गया ।

(ङ) वह धीरे से बोला ।

अध्याय–९

वाक्य-रचना

पहले बताया जा चुका है कि किसी भाव या विचार की पूर्ण व्यंजना करने का साधन वाक्य है। अतः वाक्य को ही भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई माना जाता है। वाक्य पदों के निश्चित क्रम का संयोजन है। मानव अपने अभिप्रेत भावों और विचारों को वाक्यों में ही प्रकट करता है। माना कि संकेत या किसी शब्द विशेष से भी मानव अपने अभीष्ट को प्रकट कर सकता है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति अविकसित अवस्था का द्योतक है। वह संकेत शब्द विशेष भी वाक्य का स्थानापन्न होता है। बालक द्वारा उच्चरित **पानी** मात्र एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं में एक वाक्य है। बालक अपनी शारीरिक असमर्थता तथा भाषा-अपरिपक्वता के कारण 'मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ' के स्थान पर केवल **पानी** शब्द से काम चलाता है।

शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ही सार्थक होते हैं। शब्द मात्र अभिप्रेत अर्थ नहीं दे सकते। अतः शब्दों को वाक्य के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होता है, अन्यथा वे अपना अभीष्ट अर्थ नहीं दे सकते। उपर्युक्त बालक द्वारा उच्चरित **पानी** शब्द भी वयस्कों के मस्तिष्क में पूरे वाक्य के रूप में उतरता है। तभी तो हम अनुमान करते हैं—'बालक प्यासा है। वह पानी पीना चाहता है।' इसी प्रकार एक लंबे कथन के बाद जब श्रोता **हाँ** या **नहीं** में उत्तर देता है तो वह एक शब्द न होकर पूरा वाक्य होता है जिसमें अन्य शब्द अनुच्चरित रहते हैं, किन्तु अनुमित हो जाते हैं।

संक्षेप में हमारा सोचना, विचारना यहाँ तक कि स्वप्न देखना भी वाक्यों में ही होता है। हम अपने उद्देश्य वाक्यों में प्रकट करते हैं और दूसरों के कथन को भी वाक्यों के माध्यम से ही समझते हैं।

वाक्य से हमारा तात्पर्य उस शब्द या पद-समूह से है जिससे कहनेवाले या लिखनेवाले का पूर्ण अभिप्राय सुननेवाले या पढ़नेवाले को भली प्रकार ज्ञात हो जाए। वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित संचय या समूह है। यह विशिष्ट क्रम से सजाए हुए ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जिनमें परस्पर योग्यता, आकांक्षा तथा आसत्ति हो। इस प्रकार वाक्य के धर्म हैं—आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति। इन तीनों के पारस्परिक सहयोग से ही वाक्य का अर्थ निष्पन्न होता है।

योग्यता : वाक्य के पदों में अर्थबोधन की सामर्थ्य को योग्यता कहते हैं। जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोधन में सहायक होता है तभी वाक्यार्थ उपलब्ध होता है। जैसे– 'किसान **आग से** खेत को सींचता है' वाक्य में **आग से** पद वाक्यार्थ में बाधा उपस्थित करता है। यही यदि **पानी से** कर दिया जाए तो वाक्य सार्थक हो जाता है।

आकांक्षा : वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद सुनने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जगती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे—**राम** शब्द उच्चरित करते ही उसके आगे सुनने की आकांक्षा होती है और 'राम घर से लौट आया है' कहते ही इस आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है।

आसत्ति : वाक्य के पदों को पास-पास रखने को आसत्ति कहते हैं। वाक्य के सभी पदों को लगातार एक ही बार उच्चरित करने पर ही वाक्यार्थ स्पष्ट होता है। यदि एक पद बोलकर रुक जाया जाए और बहुत विलंब करके दूसरा पद बोला जाए तो अर्थ निष्पत्ति में बाधा उपस्थित हो सकती है। अतः वाक्य देर तक रुक-रुक कर उच्चरित नहीं करना चाहिए।

वाक्य-रचना के अंतर्गत तीन बातें आती हैं : (१) पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार अन्वय, (२) अधिकार, और (३) क्रम नियोजन।

अन्वय : वाक्य-रचना में दो शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक अथवा काल का मेल रखना अन्वय कहलाता है। जैसे—बालक पढ़ता है। बालिका पढ़ती है।

अधिकार : शब्द का वह संबंध जिससे अन्य शब्द का कारक निश्चित होता है, अधिकार कहलाता है। वाक्यार्थ को स्पष्ट करने का कार्य कारक ही करता है। जैसे—हे भाई, माली ने राम के लिए छड़ी से बगीचे में पेड़ से आम का फल तोड़ा।

क्रम : अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखना क्रम कहलाता है। हिन्दी वाक्यों में शब्दों का क्रम है : कर्त्ता+कर्म+क्रिया। यानी वाक्य में सबसे पहले कर्त्ता आता है, उसके बाद कर्म और क्रिया सबसे अंत में आती है। इस प्रकार हिन्दी वाक्यों का शब्द-क्रम अंग्रेजी से सर्वथा भिन्न होता है।

अन्वय

(क) कर्त्ता और क्रिया का अन्वय

१. विभक्ति रहित कर्त्ता की क्रिया कर्त्ता के अनुसार होती है। उस पर कर्म की अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे—राम रोटी खाता है। सीता भात खाती है।

२. आदरसूचक एकवचन कर्त्ता के साथ क्रिया बहुवचन की आती है। जैसे—गुरुजी आए। कस्तूरबा बड़ी दयालु थीं। महात्माजी दुखियों के सच्चे मित्र थे।

३. वाक्य में एक ही लिंग, वचन तथा पुरुष के विभक्ति रहित कर्त्ता **और** से जुड़े रहने पर क्रिया उसी लिंग में रहकर बहुवचन होगी। जैसे—सुरेश और दिनेश आ रहे हैं। सीता और सावित्री जा रही हैं।

अपवाद—किन्तु ऐसे शब्दों से यदि एक ही वस्तु का बोध हो तो क्रिया एकवचन होगी। घोड़ा-गाड़ी पाँच सौ रुपए में बिकेगी।

४. भिन्न लिंग के दो एकवचन में चिह्न रहित कर्त्ताओं के साथ

क्रिया पुलिंग और बहुवचन होती है। जैसे–बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। राजा-रानी आए।

५. वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक चिह्न रहित कर्त्ता रहने पर क्रिया बहुवचन में और उसका लिंग अंतिम कर्त्ता के अनुसार होगा। किन्तु श्री कामता प्रसाद गुरु ऐसी स्थिति में क्रिया का लिंग और वचन दोनों अंतिम कर्त्ता के अनुसार मानते हैं जो उचित नहीं प्रतीत होता। जैसे–'छह पुरुष और एक बालक **जाता है**' न होकर **जाते हैं** होना चाहिए। इस विद्यालय में पाँच सौ लड़के और दो सौ लड़कियाँ पढ़ती हैं।

६. चिह्न रहित अनेक कर्त्ताओं के बीच विभाजक आने पर क्रिया का लिंग और वचन अंतिम कर्त्ता के अनुसार होने चाहिए। जैसे–तुम्हारी कलम और मेरा भाला बराबर नहीं हो सकता। वह वृद्ध और उसका पुत्र जाता है।

७. विभक्ति रहित अनेक कर्त्ताओं और क्रिया के बीच किसी समुदायवाचक शब्द के आने पर क्रिया का लिंग और वचन समुदायवाचक शब्द के अनुसार होगा। जैसे–इस युद्ध में हजारों नर-नारी, वृद्ध-युवा, बालक तथा बालिका, सबके सब तबाह हुए।

८. चिह्न रहित अनेक कर्त्ताओं का अर्थ एकवचन या बहुवचन जैसा हो, क्रिया का वचन उसी के अनुसार होगा। जैसे–रोटी-दाल अच्छी बनी है। इस कलम की कीमत दस रुपए पचास पैसे है।

९. मध्यम या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ कर्त्ता बनकर आने पर क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। यदि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कर्त्ता हों तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुकूल होगी। जैसे–तुम, वह और **मैं चलूँगा**। तू, वह और **हम चलेंगे**। वह और **तुम चलोगे**। वह और **तू चलेगा**।

१०. प्रतिनिधित्व की स्थिति में बहुवचन पुलिंग क्रिया का व्यवहार होता है। जैसे–(प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी) "हम देश की शान के खिलाफ कोई सौदा नहीं करेंगे।"

११. क्रिया कर्त्ता के विधेय का ख्याल न कर सदा मुख्य कर्त्ता के अनुसार होती है। जैसे–'लड़की लड़का हो गई। लड़का लड़की हो गया।'

१२. एक या अधिक उद्देश्यों का समानाधिकरण शब्द हो, तो क्रिया मूल शब्द के अनुसार होगी। स्त्री-पुत्र, धन-संपत्ति–अंत में **सभी मिटेंगे**।

१३. प्राण, होश, दर्शन, आँसू आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। मेरे प्राण सूख गए। उसके होश उड़ गए। आपके दर्शन दुर्लभ हैं।

१४. संदेहास्पद लिंग वाले शब्दों का अनुसरण करनेवाली क्रिया पुलिंग होती है। जैसे–कौन आया ?

(ख) कर्म और क्रिया का अन्वय

१. सविभक्ति कर्त्ता के साथ चिह्न रहित कर्म के रहने पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे–राम ने **रोटी खाई**। सीता ने **भात खाया**।

२. कर्त्ता और कर्म दोनों में विभक्ति चिह्न होने पर क्रिया एक-वचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में होगी। रानी ने अंगरक्षकों को पुकारा।

३. कर्त्ता विभक्ति सहित और कर्म लुप्त हो या उसकी जगह कोई वाक्य या क्रियार्थक क्रिया हो, तो क्रिया हमेशा एकवचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे–मुझे **झूठ बोलना नहीं** आता।

४. 'मुझे रोटी खानी चाहिए', 'मुझे भात नहीं खाना चाहिए' इस तरह की संरचना में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है।

(ग) संबंध और संबंधी का अन्वय

१. संबंध वाचक शब्दों के लिंग-वचन संबंधी के लिंग-वचन जैसे होते हैं। यह **मेरी पुस्तक** है। ये **मेरे जूते** हैं।

२. यदि कई संज्ञाएँ संबंधी बनकर आएँ तो संबंध चिह्न अपने पूर्व की संज्ञा के अनुसार होगा। जैसे–मेरी बहन और भाई विद्यालय

गए हैं । मेरे भाई और बहनें आज आई हैं ।

(घ) संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

१. सर्वनाम अपनी संज्ञा के लिंग, वचन का अनुसरण करता है । जैसे—राम से पूछो कि **वह** खाएगा या नहीं ? सीता से पूछो कि **वह** खाएगी या नहीं ?

२. आदरसूचक भाव व्यक्त करने के लिए सर्वनाम बहुवचन में प्रयुक्त होता है । जैसे—पं० जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे । **वे** आधुनिक भारत के निर्माता थे ।

३. कई संज्ञाओं के बदले एक सर्वनाम का यदि प्रयोग करना हो तो उस सर्वनाम का लिंग-वचन संज्ञा-समूह के लिंग-वचन जैसा होगा। जैसे—माता, पिता और भाई घर पर नहीं हैं, **वे** कहीं बाहर गए हैं ।

४. प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यक्ति (नेता, संपादक आदि) भी बहुवचन (हम) का प्रयोग करते हैं ।

टिप्पणी—एक ही संज्ञा के लिए कई तरह के सर्वनामों का प्रयोग वर्जित है (**तुम, आप** साथ-साथ नहीं चलते) ।

(ङ) विशेष्य और विशेषण का अन्वय

१. विशेषण विशेष्य के आगे आए वा पीछे, हमेशा विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार होता है । जैसे—यह गाय काली है । काली गाय मांगलिक होती है । अच्छे-भले लोग ऐसी बातें नहीं करते ।

२. कर्त्ता, कर्म या किसी भी स्थान पर संज्ञा के तिर्यक रूप में प्रयुक्त होने पर उसके साथ विशेषण का भी तिर्यक रूप ही लगता है । जैसे—उस **बड़े लड़के** ने मुझे मारा । उस **छोटे बच्चे** को बुलाओ ।

३. एक ही विशेष्य के यदि कई विशेषण हों तो सभी विशेषण एक ही तरह के होंगे । जैसे—काली, भूरी, चितकबरी बकरियाँ आदि । उजले, नीले, पीले फूल ।

४. अनेक समास रहित संज्ञाओं (विशेष्य) का विशेषण एक ही रहने पर विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे—छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियाँ आदि ।

टिप्पणी—केवल आकारांत विशेषण ही बदलते हैं अन्य नहीं ।

पदक्रम

हिन्दी विश्लेषणात्मक भाषा है। यह बनावट की दृष्टि से संस्कृत जैसी सामासिक भाषा नहीं है। अतः पदक्रम का हिन्दी में बहुत महत्त्व है। पदक्रम में थोड़ा-सा भी उलट-पुलट होने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। **वाक्य में पदों के उचित स्थान का विचार पदक्रम कहलाता है।** वाक्य-रचना करते समय सोचना पड़ता है कि वाक्य में कर्त्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि को किस क्रम से रखना चाहिए। मोटेतौर पर पद-क्रम के तीन विभाग कर सकते हैं——व्याकरण सम्मत साधारण क्रम, बल के लिए विशेष पदक्रम और आलंकारिक पदक्रम ।

व्याकरण सम्मत साधारण क्रम

(१) हिन्दी वाक्यों में प्रायः कर्त्ता पहले आता है। जैसे—अच्छे बालक कभी झूठ नहीं बोलते। किन्तु इस नियम का निर्वाह अनिवार्य नहीं है। हिन्दी वाक्य प्रायः अव्यय-कालबोधक और स्थानबोधक क्रिया विशेषण से प्रारंभ होते हैं। जैसे—उसकी एक रोमांचकारी यात्रा का वर्णन आज **हम** उसी के शब्दों में पढ़ेंगे। भारत के पश्चिम में **इराक** एक देश है ।

(२) हिन्दी वाक्यों में दूसरा स्थान कर्म या पूरक को दिया जाता है। इसके विस्तारक शब्द कर्त्ता के बाद और कर्म या पूरक के पहले आते हैं। गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है। जैसे—राष्ट्रपति ने सभी **वीर रणबाँकुरों को अशोक चक्र** प्रदान किया। राम ने **मोहन** को **पत्र** लिखा ।

(३) आमतौर पर हिन्दी वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में आती है।

(४) क्रिया विशेषण कर्त्ता के पहले और बाद भी आता है। किन्तु इसे निश्चित रूप से क्रिया के पहले आ जाना चाहिए। **एक-एक** कर मैं सबको देख लूँगा। **आज यहाँ** एक विशाल सभा का आयोजन होगा। वह **धीरे-धीरे** पढ़ता है।

(५) संबोधन सबसे पहले रखा जाता है। **हे राम**! मुझ से यह विपत्ति सही नहीं जाती। **नाथ**! अब तो दया करो।

(६) विस्मय और आश्चर्य बोधक शब्द पहले आते हैं। राम! राम! तुम्हें यही करना चाहिए। छिः छिः! इस घृणित कार्य के कर्त्ता तुम्हीं हो।

(७) समुच्चय बोधक अपने योजकों के बीच में आते हैं। जैसे–राम **और** श्याम घर पर ही हैं।

(८) समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं।

(९) समानाधिकरण शब्द की तरह ही विशेषण या क्रिया विशेषण उपवाक्य अपने मुख्य शब्द के बाद आते हैं। सुंदर, जिसने तुम्हारी कलम चुराई थी, अभी यहाँ आया था।

(१०) कारकों का वाक्य में स्थान––कारकों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। (क) करण कारक वाक्य में कर्त्ता के बाद और कर्म के पहले आता है। राम ने **कलम से** पत्र लिखा। (ख) संप्रदान कारक कर्त्ता के बाद, कर्म तथा करण के पहले आता है। मैं भाई **के लिए** पैसों से खिलौना खरीदूँगा। (ग) अपादान कारक कर्त्ता के बाद परंतु कर्म से पहले आता है। राम ने **अलमारी से** पुस्तक निकाली। (घ) अधिकरण कारक कर्त्ता के पहले या पीछे परंतु कर्म के पहले आता है। एक **सप्ताह** में उत्तर आ जाएगा।

(११) प्रश्न वाचक शब्द उसके पहले रखा जाता है जिसके विषय में मुख्यतया प्रश्न किया जाए। प्रश्न वाचक शब्द को उचित स्थान पर नहीं रखने से वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। जैसे—'तुम क्या लिख रहे हो ? क्या तुम लिख रहे हो ?' पहले वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम पत्र, कहानी आदि में से क्या लिख रहे हो। दूसरे में पूछा जा रहा है कि तुम लिखते हो या नहीं।

(१२) क्रिया विशेषण प्रायः वाक्य के पहले या क्रिया के समीप आता है। **कल** मैं भोपाल जाऊँगा। मैं **वहाँ** गोष्ठी में भाग लूँगा।

(१३) पूर्वकालिक क्रिया प्रधान क्रिया के पहले आती है और यदि प्रधान क्रिया का कर्म हो तो उससे भी पहले आती है। जैसे—प्रतिदिन वह **स्नान कर** पूजा करता है।

(१४) वाक्य में विशेषण प्रायः अपने विशेष्य के ठीक पहले आता है। जब एक ही साथ कई विशेषण आएँ तो उनके बीच अर्ध विराम, संयोजक आदि ठीक से लगाना चाहिए। भक्त वत्सल, दीनदयाल, अंतर्यामी और सर्वज्ञ ईश्वर का स्मरण करो।

बल

बल के लिए वाक्य में शब्दों का क्रम उलट-पुलट दिया जाता है।

(१) कभी-कभी अभिप्रेत अर्थ निकालने के लिए भी शब्दों का क्रम उलट दिया जाता है और एक ही वाक्य कई तरह से लिखे जाते हैं। जैसे—'पिताजी तुमको नहीं पढ़ाएँगे। तुम को पिताजी नहीं पढ़ाएँगे। तुमको नहीं पढ़ाएँगे पिताजी। नहीं पढ़ाएँगे तुमको पिताजी।' इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधारण के लिए जिस शब्द पर बल देना होता है उसको पहले रखा जाता है। फलतः कभी कर्त्ता पीछे और कर्म पहले तथा कभी क्रिया पहले रखी जाती है। क्रिया विशेषण और कारक आदि के क्रम भी बदल जाते हैं। जैसे— गुरुजी से जाकर उसने सब कुछ कह दिया (कर्म पहले कर्त्ता पीछे)। बुलाया था एक को, दौड़े आए सभी (क्रिया पहले)।

(२) बल देने के लिए अव्यय का प्रयोग कर्त्ता के बाद और कर्म के पहले रखना चाहिए। तुम **तुरंत** पत्र लिख दो। मैं **शीघ्र** भोजन करने जाऊँगा।

(३) अवधारण के लिए प्रश्नवाचक अथवा निषेधवाचक अव्यय या सर्वनाम अपने विषय के निकट का स्थान छोड़कर मुख्य और सहायक क्रिया के बीच में आ जाते हैं। जैसे—वह मेरा **होता कौन है?** तुझे चाहिए क्या? साथ **चलोगे न?**

(४) वाक्य के जिस अंश पर बल देना होता है, अवधारक **ही, भी, तो, तक, भर** आदि उसके बाद ही लगाए जाते हैं। जैसे—

राम ने **ही** रावण को मारा है।
राम ने रावण को **ही** मारा है।
राम ने रावण को मारा **ही** है।

वाक्य के भेद

सामान्यतया वाक्यों का वर्गीकरण तीन दृष्टियों से किया जाता है: (१) रचना या स्वरूप की दृष्टि से, (२) अर्थ की दृष्टि से, और (३) क्रिया की दृष्टि से।

रचना की दृष्टि से

रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: (१) साधारण या सरल वाक्य, (२) संयुक्त वाक्य, और (३) मिश्र वाक्य।

१. सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक ही समापिक क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहते हैं। जैसे—'लड़कियाँ मिठाई खरीदने बाजार जा रही हैं' वाक्य में **लड़कियाँ** उद्देश्य है और शेष शब्द विधेय। अतः यह सरल वाक्य है।

२. संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में साधारण वाक्यों यानी दो या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों को इस प्रकार समानाधिकरण समुच्चय अव्ययों से जोड़ा जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक होते हुए भी किसी

के आश्रित नहीं होते, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे–'मैं उसके घर गया और वहाँ मैंने उसे खूब डाँटा' वाक्य में दो स्वतंत्र सरल वाक्य हैं : (१) 'मैं उसके घर गया' और (२) 'मैंने उसे खूब डाँटा' जो **और** से जुड़े हैं।

३. मिश्र वाक्य : जिस वाक्य में एक सरल वाक्य (प्रधान उपवाक्य) के अतिरिक्त उसके आश्रित एक से अधिक अंगवाक्य (उपवाक्य) हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान कथन होता है और शेष उसके समर्थन में कहे जाते हैं। मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़े जाते हैं। 'आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि रमेश परीक्षा में प्रथम आया है' वाक्य में 'आपको सुनकर प्रसन्नता होगी' मुख्य कथन है अतः प्रधान उपवाक्य है और इस कथन की स्पष्टता या समर्थन के लिए 'रमेश परीक्षा में प्रथम आया है' उपवाक्य आया है। इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं।

अर्थ की दृष्टि से

अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद होते हैं: (१) विधिवाचक, (२) निषेधवाचक, (३) आज्ञावाचक, (४) प्रश्नवाचक, (५) विस्मयवाचक, (६) संदेहवाचक, (७) इच्छावाचक, (८) संकेतवाचक।

(१) विधिवाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–प्रातःकाल हो गया। आकाश के पूर्वी क्षितिज पर सूर्य अभी उगा ही है।

(२) निषेधवाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का भाव अभिव्यक्त होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–मैंने आज उसे नहीं देखा है। वह घर पर नहीं है।

(३) आज्ञावाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–घर से बाहर निकल जाओ। फिर कभी अपना काला मुँह नहीं दिखाना।

(४) प्रश्नवाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम क्या कर रहे हो ? तुम कौन हो ? तुम कब आए ? तुम क्यों आए हो ? तुम कैसे आए हो ? आदि।

(५) विस्मयवाचक वाक्य : जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—हाय ! हाय ! दुष्ट ने बच्चे को मार डाला। छि: छि: ! तुम क्यों छोटे बच्चे को मार रहे हो। अहा ! कैसी हरियाली छाई है ! शाबाश ! तुमने दुश्मन को पछाड़ दिया।

(६) संदेहवाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे— मैंने ऐसा कहा होगा। तुमने उसे देखा होगा।

(७) इच्छावाचक वाक्य : जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—भगवान तुम्हें दीर्घायु बनावे। परीक्षा में तुम सफल रहो।

(८) संकेतवाचक वाक्य : जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—तुम नहीं आते तो मैं उसका काम नहीं करता। यदि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती।

क्रिया की दृष्टि से

क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: (१) कर्त्तरि वाक्य, (२) कर्मणि वाक्य और (३) भाव वाक्य।

(१) कर्त्तरि वाक्य : जब वाक्य की क्रिया कर्त्ता के अनुसार हो तो उसे कर्त्तरि वाक्य कहते हैं। जैसे—राम रोटी खाता है। सीता भात खाती है।

(२) कर्मणि वाक्य : जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो, यानी कर्म को प्रधानता प्रदान की जाए तो कर्मणि वाक्य होता है। जैसे—

राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। सीता के द्वारा भात खाया जाता है। बहुत से वैयाकरण 'राम ने रोटी खाई और सीता ने भात खाया' जैसे वाक्यों को भी कर्मणि वाक्य मानते हैं।

(३) भाव वाक्य : जिस वाक्य में क्रिया न कर्त्ता के अनुसार हो न ही कर्म के अनुसार बल्कि वह हमेशा एकवचन और पुलिंग में हो तो उसे भाव वाक्य कहते हैं। जैसे--मुझसे चला नहीं जाता। सीता से रोया न गया। बहुत से वैयाकरण 'राम ने रोटी को खाया, सीता ने बच्चों को पढ़ाया' आदि जैसे वाक्यों को भी इसके अंतर्गत मानते हैं।

प्रश्न

१. भाषा में वाक्य का क्या महत्त्व है?

२. योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से आप क्या समझते हैं, समझाकर बताइए।

३. कर्त्ता और क्रिया की अन्विति के प्रमुख नियमों को सोदाहरण बताइए।

४. कर्म और क्रिया की अन्विति के किन्हीं चार नियमों का उल्लेख कीजिए।

५. विशेषण-विशेष्य की अन्विति के नियमों को सोदाहरण समझाइए।

६. वाक्य का सामान्य पदक्रम क्या है? उनमें परिवर्तन किस लिए किया जाता है?

७. रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, सोदाहरण बताइए।

८. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, सोदाहरण बताइए।

९. निम्नलिखित वाक्यों में जो अशुद्ध हों उन्हें शुद्ध कीजिए :

हमेशा झूठ बोलना उसकी आदत था।

तुम्हें उनसे बहुत-सी बातें सीखना पड़ेगा।

मेरा लक्ष्य केवल विद्याप्राप्ति होगी।

राम, लक्ष्मण और सीता बन को गई।

बैल और गायें यहाँ पानी पीती हैं।

बर्फ इतना जम गया कि पानी की नल ही फट गई।

हमें शिक्षा पद्धति को ऐसी बनाना है कि यह व्यावहारिक जीवन में काम आ सके।

कुँवर सिंह देश की सम्मान की रक्षा के लिए लड़े।

आपकी सहायतार्थ से सदा प्रस्तुत हूँ।

हमें गुरुजनों की इच्छानुसार काम करना चाहिए।

उसने संतोष का साँस लेकर कहा।

लड़कियों गाना गा रही थीं।

ज़रा हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा।

क्या तुम्हें चारों वेदों का नाम याद है?

उसने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं।

हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं।

मैं तीन भाई हूँ।

मैं क्या लिख दिया हूँ।

वह दौड़ती हुई गई और रोटी खाई।

राम उन्हें नहीं पहचाना है।

हरि ने वहाँ से चल पड़ा।

उस पुस्तक उसने दे दो।

हारने के बाद उन्होंने बंदूकों को समर्पित कर दिया।

वह अपने पिता को भी नहीं डरता।

हमने इसको विचार किया।

हमने दिल्ली से बंबई जाना है।

अध्याय–१०

वाक्य-विश्लेषण

किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग-अलग कर उनमें पारस्परिक संबंध दिखलाने की क्रिया को वाक्य-विश्लेषण कहते हैं।

लिखित भाषा में वाक्य प्रायः लंबे-लंबे लिखे जाते हैं। इससे वाक्य के अर्थ को समझने में कठिनाई उपस्थित हो सकती है। वाक्य-विश्लेषण के द्वारा हमें वाक्यार्थ को समझने में सुविधा होती है। हम वाक्य के टुकड़े-टुकड़े कर उनके परस्पर संबंधों को देखते हैं और इस प्रकार वाक्य में निहित अर्थ को ढूँढ़ निकालते हैं।

हम पहले वता चुके हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं––(१) साधारण या सरल वाक्य, (२) संयुक्त वाक्य और (३) मिश्र वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्यों का विश्लेषण अलग-अलग ढंग से होता है।

सामान्यतया वाक्य-विश्लेषण दो तरह से होता है। वाक्य के सभी अवयवों––उद्देश्य और विधेय और उनके विस्तारों को या तो तालिका वनाकर दिखाया जा सकता है या केवल उपवाक्यों को अलग-अलग कर उनके प्रकार, कार्य और पारस्परिक संबंध वताए जा सकते हैं। साधारणतः सरल वाक्यों का विश्लेषण पहले ढंग से और संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों का दूसरे ढंग से किया जाता है।

वाक्य-विश्लेषण में सवसे पहले वाक्य का प्रकार वताना चाहिए यानी दिया गया वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र में किस प्रकार का है।

यदि सरल वाक्य है तो ऊपर बताई हुई पहली विधि से और यदि संयुक्त या मिश्र में से कोई हो तो दूसरी विधि से वाक्य-विश्लेषण करना चाहिए।

सरल वाक्य का विश्लेषण

इसमें वाक्य का उद्देश्य (कर्त्ता), उद्देश्य का विस्तार, विधेय और उसका विस्तार आदि बताए जाते हैं। विधेय के अंतर्गत पहले समापिका क्रिया बताई जाती है। यदि क्रिया सकर्मक हुई तो उसका कर्म और उसके विस्तार आदि भी दिखाए जाते हैं। यदि क्रिया कर्तृ पूरक या कर्म पूरक हो तो उसके पूरक और विस्तार आदि दिखाए जाते हैं। अंत में क्रिया या विधेय का विस्तार (जिसके अंतर्गत काल, स्थान, रीति, साधन, कारण आदि बोधक क्रिया विशेषण शब्द) रखा जाता है।

अब हम कुछ सरल वाक्यों के विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं :

१. पके आम बड़े मधुर होते हैं।
२. तुम बाहर जाते हुए नौकर को बुलाओ।
३. शीला सुंदर लगती है।
४. तुम शराबी निकले।
५. धन से धर्म होता है।
६. हम लोग थक कर वृक्ष की छाया में बहुत देर तक बैठे रहे।
७. मैं गाय के दूध को पसंद करता हूँ।
८. गाँवों में प्रत्येक वर्ष बहुत-से लोग रोग के कारण मर जाते हैं।

साधारण वाक्य-विश्लेषण

वाक्य	उद्देश्य		विधेय				
	कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	समापिका क्रिया	कर्म	पूरक	कर्म या पूरक विस्तार	क्रिया या विधेय विस्तार
१. पके आम बड़े मधुर होते हैं।	आम	पके	होते हैं	—	मधुर	बड़े	—
२. तुम बाहर जाते हुए नौकर को बुलाओ।	तुम	—	बुलाओ	नौकर को	—	बाहर जाते हुए	—
३. शीला सुंदर लगती है।	शीला	—	लगती है	—	सुंदर	—	—
४. तुम शराबी निकले।	तुम	—	निकले	—	शराबी	—	—
५. धन से धर्म होता है।	धर्म	—	होता है	—	—	—	धन से
६. हम थक कर वृक्ष की छाया में बहुत देर तक बैठे रहे।	हम	—	बैठे रहे	—	—	—	थक कर वृक्ष की छाया में बहुत देर तक
७. मैं गाय के दूध को पसंद करता हूँ।	मैं	—	करता हूँ	दूध को	पसंद	गाय के	—
८. गाँवों में प्रत्येक वर्ष बहुत-से लोग रोग के कारण मर जाते हैं।	लोग	बहुत-से	मर जाते	—	—	—	गाँवों में प्रत्येक वर्ष, रोग के कारण

सरल वाक्यों में कभी-कभी उद्देश्य (कर्त्ता), विधेय (क्रिया आदि) और उनके विस्तार को पहचानने में कठिनाई होती है। इसके लिए हम नीचे कुछ संकेत दे रहे हैं। उद्देश्य (कर्त्ता) के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, उपवाक्य और अन्य संज्ञा स्थानापन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे–

संज्ञा––गाय एक चौपाया पशु है। **महल** सदा से झोंपड़ियों पर हँसता आया है।

सर्वनाम––मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।

विशेषण––धनी गरीबों के दुख की क्या जाने ?

क्रियार्थक संज्ञा––सोना स्वरूप के लिए लाभप्रद है।

संज्ञा पदबंध––भाग्य पर भरोसा करना कायरों का काम है। **झूठ-मूठ डींग मारना** अशोभनीय है।

× **क्रिया विशेषण**––गांधी जी का अंतर्बाह्य निर्मल था।

संज्ञा उपवाक्य––वे यहाँ कब आ रहे हैं, ज्ञात नहीं है।

उद्देश्य की प्रयोग स्थिति निम्नलिखित है :

१. कर्त्ता कारक में––**राम ने** रोटी खाई।

×२. कर्म कारक में––**मुझको अभी** घर जाना है।

×३. करण में––उससे सभा में कुछ बोला न गया।

उद्देश्य का विस्तार : उद्देश्य की विशेषता बतानेवाले शब्द या शब्द-समूह उद्देश्य का विस्तार कहे जाते हैं। जैसे–'**भारत के भूतपूर्व दृढ़ किन्तु शांतिप्रिय प्रधानमंत्री** श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु असमय हुई' वाक्य में श्री लालबहादुर शास्त्री के पूर्व आए काले छपे शब्द-समूह उद्देश्य के विस्तार हैं।

उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध, कृदंत, समानाधिकरण विशेषण पदबंध आदि के द्वारा होता है। जैसे–

१. **विशेषण** : काली गाय मांगलिक समझी जाती है।

२. **विशेषण पदबंध** : **लोक कल्याण की चिन्ता करनेवाले** नेताओं का आज नितांत अभाव है ।

३. **संबंध** —**राम की** कलम खो गई ।

४. **विशेषणवत् संज्ञा**—प्रयोग : राजा कंस मारा गया ।

५. **वर्तमान कालिक कृदंत** : निगम यहाँ सड़कें वना रहा है । **चलती** गाड़ी उलट गई ।

६. **भूतकालिक कृदंत** : **खाया और नहाया** शरीर नहीं छिपता । **धुला** कपड़ा कहाँ है ?

७. **समानाधिकरण** : **भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष**, श्री कामराज रामलीला मैदान में भाषण देंगे ।

विधेय का विस्तार : विधेय की विशेषता वतानेवाले शब्द या शब्द समूह विधेय का विस्तार कहलाते हैं । विधेय का विस्तार निम्न-लिखित शब्दों से होता है :

१. **सकर्मक क्रिया में कर्म और कर्म के विशेषण** : मेरी माँ **अच्छे-अच्छे, मीठे और सुस्वादु पकवान** वनाती है ।

२. **द्विकर्मक क्रिया के दोनों कर्म और उनके विशेषण** : सभापति महोदय ने **कुशाग्र और सुशील राय को एक अच्छी पुस्तक** इनाम में दी ।

३. **विधेय विशेषण और उसके विशेषक** : इस समाचार से सभी **बहुत प्रसन्न** हैं । राम **बहुत ही सुंदर और सुशील** थे ।

४. **कर्त्तरि पूरक संज्ञा और उसके विशेषण** : ये राम के **सबसे बड़े भाई** हैं ।

५. **कर्मणि पूरक संज्ञा और उसके विशेषण** : कांग्रेस दल ने श्रीमती गांधी को **भारत का तीसरा प्रधानमंत्री** चुना ।

६. **क्रिया विशेषण** : वालक **मीठा** गाता है । राम **धीरे-धीरे** पढ़ता है । राम ने रावण को **बाण से** मारा । (साधन सूचक अव्यय)

मैं **पाँच बजे के बाद ही** घर पहुँचता हूँ। (समय सूचक क्रिया विशेषण पदबंध)।

७. **पूर्व कालिक कृदंत** : वह **हँसकर** बोला।

८. **कृदंत** : बच्चा **रोता-रोता** घर गया। बच्चा **रोता हुआ** घर गया।

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

पहले हम बता चुके हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे–(१) मैं यहाँ आया और काम करने लगा। (२) वह गरीब है, परंतु ईमानदार है।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दो-दो सरल वाक्य मिले हुए हैं। वे दोनों स्वतंत्र हैं और अलग भी रह सकते हैं। सम्मिलित विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही दोनों आपस में **और, परंतु** से जुड़े हुए हैं। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य एक दूसरे के समानाधिकरण होते हैं। संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण पहले उनको उपवाक्यों (सरल वाक्यों) में बाँटकर किया जाता है। बाद में सरल वाक्यों की तरह विश्लेषण किया जाता है।

संयुक्त वाक्य के विश्लेषण का एक उदाहरण :

तुमने इस वर्ष खेतों में कठोर श्रम किया है और अभी फसल भी अच्छी है, किन्तु अच्छी उपज बहुत कुछ आगे के मौसम पर निर्भर है।

(क) तुमने इस वर्ष खेतों में कठोर श्रम किया है––मुख्य उपवाक्य, **ख ग** का समानाधिकरण।

(ख) और अभी फसल भी अच्छी है–– **क** का समानाधिकरण वाक्य।

(ग) किन्तु अच्छी उपज बहुत कुछ आगे के मौसम पर निर्भर है–– **ख** का समानाधिकरण; विरोध सूचक।

संयोजक––और, किन्तु।

मिश्र वाक्य का विश्लेषण

पहले हम बता चुके हैं कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का समर्थन करता है, या स्पष्टता प्रदान करता है। ये व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं।

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं :

(क) **संज्ञा उपवाक्य : जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की भाँति व्यवहृत हो यानी संज्ञा जैसा कार्य करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं।** यह संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है और उसी के जैसा कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रायः मुख्य उपवाक्य के कर्त्ता, कर्म, पूरक और समानाधिकरण के रूप में आता है। जैसे–

१. **जो कुछ भी आपने कहा** सच है—कर्त्ता
२. मैं जानता हूँ **कि तुम अच्छे आदमी हो**—कर्म
३. इसका विचार है **कि तुम गलती पर हो**—पूरक
४. उसका यह कहना **कि वही दल का नेता होगा**, हमें मान्य नहीं है—समानाधिकरण।

संज्ञा उपवाक्य प्रायः **कि** से प्रारंभ होता है।

(ख) **विशेषण उपवाक्य : जो आश्रित वाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो यानी विशेषण जैसा काम करे, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं।** यह किसी दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। जैसे–'जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है' वाक्य में **जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है** विशेषण उपवाक्य है जो **वह** सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह प्रायः जो, जिसने, जितना, जैसा आदि शब्दों से प्रारंभ होता है।

(ग) क्रिया विशेषण उपवाक्य : जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की भाँति व्यवहृत हो यानी क्रिया विशेषण जैसा कार्य करे उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।

क्रिया विशेषण उपवाक्य से नीचे लिखे प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं :

१. **जब आँधी आती है**, मेरा दिल काँपने लगता है (काल)।
२. आप वहीं पर रहते हैं, **जहाँ सरला का घर है** (स्थान)।
३. वह **जैसा चाहे**, वैसा करे (रीति)।
४. बच्चा **जैसे-जैसे बड़ा होता है**, वैसे-वैसे बुद्धिमान होता जाता है (परिणाम)।
५. **यदि तुम कठिन परिश्रम करते**, तो अवश्य पास हो जाते (कार्य-कारण)।

इनके अलावा उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा आदि का भी बोध होता है।

यह प्राय: यदि, यद्यपि, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों आदि व्यधिकरण अव्ययों से प्रारंभ होता है।

नीचे दो मिश्र वाक्यों के विश्लेषण दिए जा रहे हैं :

१. ये गुफाएँ, जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान् कलाकार थे, प्राचीन भारत की गौरव-गाथा को अपनी गोद में छिपाए वहाँ चुपचाप खड़ी हैं, जहाँ सामान्य आदमी की दृष्टि भी नहीं जाती।

यह एक मिश्र वाक्य है जिसमें निम्नलिखित उपवाक्य हैं :

(क) ये गुफाएँ प्राचीन भारत की गौरव-गाथा को अपनी गोद में छिपाए यहाँ खड़ी हैं—प्रधान उपवाक्य।

(ख) जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं—विशेषण उपवाक्य, क में **गुफाएँ** संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है।

(ग) कि हमारे पूर्वज कितने महान् कलाकार थे---संज्ञा उपवाक्य, **ख** में **जान सकते हैं** क्रिया का कर्म ।

(घ) जहाँ सामान्य आदमी की दृष्टि भी नहीं जाती---क्रिया विशेषण उपवाक्य, **क** में **खड़ी हैं** क्रिया का स्थान वता रहा है ।

२. मोहन ने कहा कि मैं वाजार जा रहा हूँ, जहाँ मेरे मित्र मिलेंगे जो मेरे शुभचिन्तक हैं ।

यह एक मिश्र वाक्य है जिसमें निम्नलिखित उपवाक्य हैं :

(क) मोहन ने कहा—प्रधान उपवाक्य ।

(ख) कि मैं वाजार जा रहा हूँ---संज्ञा उपवाक्य, **क** में **कहा** क्रिया का कर्म ।

(ग) जहाँ मेरे मित्र मिलेंगे---क्रिया विशेषण उपवाक्य, **ख** में **जा रहा हूँ** क्रिया का स्थान वता रहा है ।

(घ) जो मेरे शुभचिन्तक हैं---विशेषण उपवाक्य, **ग** में **मित्र** संज्ञा शब्द की विशेषता वता रहा है ।

प्रश्न

१. वाक्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं तथा इसकी क्या उपयोगिता है ?

२. सरल वाक्य के विश्लेषण की क्या विधि है ?

३. उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं ? कुछ वाक्यों को लेकर उनके उद्देश्यांश और विधेयांश का विश्लेषण कीजिए ।

४. संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य का अंतर बताते हुए मिश्र वाक्य के उपवाक्यों का सोदाहरण विवेचन कीजिए ।

५. पूरक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए।

६. उद्देश्य के खंड में किन-किन शब्द-भेदों का प्रयोग होता है?

७. उद्देश्य का विस्तार किन-किन शब्द-भेदों से होता है, सोदाहरण बताइए।

८. विधेय के अंतर्गत किस-किस प्रकार के पदों को रखा जाता है?

९. संज्ञा उपवाक्य क्या-क्या काम करते हैं? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए।

१०. निम्नलिखित वाक्यों का विश्लेषण कीजिए :

(क) बरहामपुर कालेज से स्नातक होने के बाद श्री गिरि ने आयरलैंड के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।

(ख) विधेयक में त्रिभाषा फार्मूले की पुष्टि की जाएगी, किन्तु उसमें यह नई सिफारिश रहेगी कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में छात्र, जो तीसरी भाषा सीखेंगे वह दक्षिण की कोई भाषा हो।

(ग) बंगाल के बैरिस्टर मिहिर सेन, जिन्होंने तैर कर कई जलडमरूमध्य पार किए हैं, तैराकी के अपने अनुभवों पर शीघ्र ही एक पुस्तक लिखने-वाले हैं, जिसे इंग्लैंड की एक प्रकाशन संस्था प्रकाशित करने जा रही है।

(घ) जहाँ सुखद घटनाएँ इंगलिश चैनेल के हर तैराक के समक्ष भयावह चित्र प्रस्तुत करती हैं, वहाँ कुछ ऐसे सहज स्वाभाविक क्षण भी देखने को मिलते हैं, जो किसी एवरेस्ट या उत्तरी ध्रुव अभियान में देखने को नहीं मिलते।

(ङ) 'सवाल' के पहले जवाब की उक्ति यदि शब्दशः किसी पर लागू होती है, तो बर्नार्ड शा पर, क्योंकि जिस किसी ने भी 'शा' को व्यंग्य में नीचा दिखाना चाहा, उसे खुद ही उनकी हाज़िर जवाबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ा।

(च) यही राष्ट्र-संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार-रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन् अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं।

(छ) चिरकाल से मनुष्य यही प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार वह उस अप्राप्य अमृत का पान करे, जिसे पीकर अमर हो जाए, किन्तु अभी तक उस अमृत का पता नहीं लगा।

अध्याय–११

विराम-चिह्न

बोलते हुए वाक्य के अंत में या कभी-कभी बीच में भी साँस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। इस प्रकार की रुकावट साँस लेने के अतिरिक्त वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए भी आवश्यक है । **लिखने में 'रुकावट' या 'विराम' के इन स्थलों को कुछ चिह्नों द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हें विराम-चिह्न कहते हैं ।**

विराम-चिह्न हमारे लिए तीन दृष्टियों से उपयोगी हैं :

(क) इनके कारण अर्थ में स्पष्टता आती है । अनेक वाक्य ऐसे होते हैं जिनका विराम-चिह्न के बिना कोई स्पष्ट अर्थ ही नहीं होता । उदाहरण के लिए 'रोको मत जाने दो' । इसमें यदि 'रोको' के बाद अल्प विराम लगाएँ तो अर्थ होगा 'रोक लो, जाने मत दो', और यदि 'मत' के बाद अल्पविराम लगाएँ तो अर्थ होगा, रोको मत, जाने दो । किन्तु इसके विपरीत यदि कहीं भी विराम-चिह्न न लगाएँ तो इसका अर्थ अनिश्चित रहेगा । इस तरह अनेक स्थलों पर अर्थ के स्पष्ट द्योतन में विराम-चिह्नों से सहायता मिलती है ।

(ख) यदि कोई लिखित वाक्य जोर से पढ़ना हो तो उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से भी विराम-चिह्न उपयोगी होते हैं। लंबे वाक्य एक साँस में नहीं पढ़े जा सकते । यदि पढ़ने का प्रयास किया भी जाए तो उनमें अस्वाभाविकता आ जाएगी । विराम-चिह्न उन स्थानों का द्योतन करते हैं, जहाँ हम रुककर साँस ले सकते हैं ।

(ग) पूर्णविराम, प्रश्नसूचक चिह्न तथा आश्चर्यसूचक चिह्न से वाक्य के लहजे में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए वाक्य के अंत में यदि पूर्णविराम का चिह्न होगा तो वाक्य सामान्य लहजे में पढ़ा जाएगा, और यदि प्रश्नसूचक या आश्चर्यसूचक होगा तो प्रश्न या आश्चर्य के लहजे में।

इस प्रकार उच्चारण तथा अर्थद्योतन दोनों ही के लिए विराम-चिह्नों की उपयोगिता निर्विवाद है।

हिन्दी में विराम-चिह्न के रूप में निम्नांकित चिह्नों का प्रयोग होता है :

नाम	चिह्न
१. अल्पविराम	,
२. अर्धविराम	;
३. पूर्णविराम	।
४. प्रश्नसूचक चिह्न	?
५. आश्चर्यसूचक चिह्न	!

पुस्तकों में इनके अतिरिक्त निम्नांकित विराम-चिह्न भी गिनाए जाते हैं, किन्तु वस्तुतः ये शुद्ध अर्थ में विराम-चिह्न नहीं हैं। पर इनका प्रयोग होता है, अतः इनकी जानकारी भी अपेक्षित है :

नाम	चिह्न
१. कोलन	:
२. डैश	—
३. कोलन तथा डैश	:—
४. योजक चिह्न	-
५. अवतरण चिह्न	" " अथवा ' '
६. कोष्ठक	( )
७. संक्षेप सूचक चिह्न	०
८. काकपद अथवा हंसपद	λ

उपर्युक्त सभी चिह्नों के संबंध में विवरण दिया जा रहा है :

(१) **अल्पविराम** : जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस विराम-चिह्न का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ बोलने या पढ़ने में बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है । इसका प्रयोग मुख्यत: निम्नांकित स्थितियों में होता है :

१. जहाँ एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आएँ किन्तु उनके बीच में **और** आदि समुच्चय बोधक शब्द न हो । जैसे–
—राम, मोहन, कृष्ण और गोपाल जा रहे हैं ।
—वह सुशील, मिलनसार, योग्य और सुंदर है ।
—शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ना, तैरना, खेलना सभी उपयोगी हैं ।
—लक्ष्मण जैसे भाई, सीता जैसी पत्नी, कर्ण जैसे दानी तथा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी दुर्लभ हैं ।

२. जहाँ **वह, तो, तब** आदि का लोप हो । जैसे–
—जो लड़का आया था, चला गया ।
—आना है, आ जाओ ।
—जब वह आया था, पानी बरस रहा था ।
पहले वाक्य में **वह** और दूसरे में **तो** और तीसरे में **तब** का लोप हो गया है ।

३. समानाधिकरण शब्दों के बीच में । जैसे–यूनान के राजा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया । बहुत से लोग ऐसी स्थिति में विराम-चिह्न नहीं लगाते ।

४. संबोधन कारक के बाद । जैसे–मोहन, तुम अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते हो । बहुत से लोग ऐसी स्थिति में संबोधन के अर्थ में आश्चर्यसूचक चिह्न भी लगाते हैं । जैसे–मोहन! तुम अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते हो ।

५. **पर, परंतु, किन्तु, लेकिन, मगर, तो भी** आदि अव्ययों के पूर्व । जैसे–वह आया, किन्तु देर से ।

६. हाँ, नहीं आदि के बाद पूर्ति के वाक्य आने पर । जैसे–हाँ, मैं भी चलूँगा ।

७. उपवाक्यों के आगे, पीछे या दोनों ओर। जैसे–
——चोर, जो पकड़ा गया था, भाग गया।
——पढ़ना-लिखना अच्छा है, इसे कौन नहीं जानता।

८. छंद के चरण के बीच में, जहाँ यति होती है।

(२) **अर्धविराम** : इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक, किन्तु पूर्णविराम से कुछ कम रुकना अपेक्षित हो। इसका प्रयोग अल्प या पूर्ण विराम की तुलना में बहुत कम होता है। प्रायः लोग इनके स्थान पर भी अल्पविराम का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी अर्धविराम के स्थान पर पूर्णविराम का प्रयोग करके वाक्य को दो या अधिक वाक्यों में विभाजित भी कर लेते हैं। यह मुख्यतः निम्न स्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है :

१. जहाँ मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का आपस में बहुत अधिक संबंध न हो। जैसे–रात बड़ी सुहावनी थी; चाँद मुस्करा रहा था; रह-रहकर कुछ पक्षी आसमान में उड़ते नजर आ जाते थे; पर मेरी आँखों में नींद न थी।

२. जहाँ बाद में वाक्य के परिणाम की व्याख्या हो। जैसे– यह दुःखद समाचार मिलते ही पूरा वातावरण बदल गया; गाजे-बाजे बंद हो गए; लोगों की मुस्कराती आँखें गीली हो गईं।

३. जहाँ वाक्य के उपवाक्य बहुत संबद्ध न हों। जैसे–कल किसे बुलाऊँ और किसे न बुलाऊँ; यह समारोह करूँ भी या न करूँ; मोहन को सूचित करूँ भी तो कैसे; कुछ समझ में नहीं आता।

(३) **पूर्णविराम** : यह प्रायः वाक्य की समाप्ति पर प्रयुक्त होता है जहाँ देर तक रुकना पड़ता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह निम्नांकित स्थानों पर आता है :

१. प्रत्येक वाक्य के अंत में। जैसे–मैं घर जा रहा हूँ।

२. छंदों में चरणों के अंत में। छंदांत में प्रायः दो पूर्णविराम (अर्थात् दो पाइयाँ) रखते हैं। आधुनिक मुक्त छंदों पर यह बात लागू नहीं होती।

(४) **प्रश्नसूचक चिह्‌न** : प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में, पूर्ण-विराम के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे–तुम्हारा नाम क्या है ?

इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि आज्ञा के रूप में पूछे गए प्रश्न 'बताओ, सोवियत संघ की राजधानी क्या है' या जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द, संबंधसूचक शब्द का काम करे 'आपने क्या कहा, मैं नहीं जानता' में प्रश्नसूचक चिह्‌न नहीं लगाया जाता। कभी-कभी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछने के लिए नहीं, अपितु यों ही डाँटने आदि के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे–क्या करते हो, बैठ जाओ। ऐसी स्थिति में प्रायः प्रश्नसूचक न लगाकर आश्चर्यसूचक चिह्‌न या पूर्णविराम लगाते हैं।

(५) **आश्चर्यसूचक चिह्‌न** : आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह निम्नलिखित स्थानों पर व्यवहृत होता है :

१. आश्चर्यसूचक वाक्य के अंत में, पूर्णविराम के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जैसे–तू आ भी गया !

२. आश्चर्यसूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे–अरे ! वह फेल हो गया।

३. कभी-कभी दो या तीन चिह्‌न भी अतिशय आश्चर्य के लिए साथ-साथ आते हैं। जैसे– अरे, वह मर गया! शोक !! महाशोक !!!

४. संबोधन का भाव व्यक्त करने के लिए भी कभी-कभी इस चिह्‌न का प्रयोग होता है। जैसे–राम ! जरा इधर आओ।

५. घृणा, क्षुब्धता, आक्रोश आदि का भाव व्यक्त करने के लिए यदि किसी प्रश्नसूचक वाक्य का प्रयोग हो तो भी अंत में इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे–छिः छिः तू कितना घृणित है !

कोलन (:), **डैश** (—), **कोलन तथा डैश** (:—) : इनके प्रयोग निम्न स्थलों पर होते हैं :

१. इन तीनों का प्रयोग वैकल्पिक रूप से, आगे आने वाले शब्द, वाक्यांश या वाक्य के निर्देशन के लिए होता है। जैसे—

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :

अथवा

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

अथवा

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :—

इन तीनों ही प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है।

२. डैश का प्रयोग निक्षिप्त वाक्य, वाक्यांश या शब्द के दोनों ओर होता है। जैसे—हमारे बड़े-बड़े नेताओं—जैसे गांधी, नेहरू, सुभाष—ने देश के लिए व्यक्तिगत सुखों का बलिदान कर दिया।

३. नाटक में या अन्यत्र किसी का कथन निर्देशित करने के लिए। जैसे—

राम—तुम चलोगे क्या ?

मोहन—हाँ, चलूँगा।

टिप्पणी : (२) और (३) के स्थान पर कोलन डैश (:—) का प्रयोग नहीं होता, डैश ही लगाए जाते हैं। कुछ लोग (३) में डैश के स्थान पर कोलन (:) का भी प्रयोग करते हैं।

योजक-चिह्न : संधि रहित दो या अधिक ऐसे शब्दों के बीच इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ कोई समास हो। जैसे—भारत-रत्न, सुख-दुख, तन-मन-धन, कवि-कुल-कमल-प्रभाकर आदि।

अवतरण चिह्न : इसे उद्धरण चिह्न भी कहते हैं।

१. इसका प्रयोग किसी के कथन को अक्षरशः उद्धृत करने के लिए करते हैं। जैसे—तुलसी ने कहा है, "पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं"।

२. वाक्य, वाक्यांश तथा शब्द (नाम या अन्य प्रकार का) पर बल देने या इन्हें स्पष्टतः अलग दिखाने के लिए या उपनाम के साथ भी यह चिह्न प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ :

—'कामायनी' महाकाव्य है।

—'कृष्ण' तत्सम शब्द है।

—सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे।

—द्विवेदी जी ने 'कवियों की उर्मिला-विषयक उदासीनता' लेख लिखा।

—'पराधीन होकर जीने से मरना अच्छा है,' हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का महामंत्र बन गया था।

—अब दुहरे अवतरण चिह्न (" ") के स्थान पर इकहरे अवतरण चिह्न (' ') का प्रयोग अधिक बढ़ता जा रहा है।

कोष्ठक : कोष्ठकों का प्रयोग गणित में तो बड़े व्यापक रूप से होता है, किन्तु अन्यत्र भी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे—राजीव (उसे रज्जू भी कहते हैं) बहुत भला लड़का था।

संक्षेपसूचक : किसी शब्द का संक्षिप्त रूप प्रकट करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग करते हैं। जैसे—डा० : डाक्टर, बी०ए० : बैचलर आफ आर्ट्स, सं०: संवत्, ई० : ईसवी आदि।

काकपद : इसे **हंसपद** भी कहते हैं। कौआ या हंस जब चलता है तो इसी प्रकार के निशान ज़मीन पर पड़ते हैं। इसी आधार पर इस चिह्न को ये नाम दिए गए हैं। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे—राम ^ अच्छा लड़का है। इस चिह्न को त्रुटिबोधक भी कहते हैं।

प्रश्न

१. विराम-चिह्न की क्या उपयोगिता है ?

२. अल्पविराम और अर्धविराम में क्या अंतर है ? दोनों के दो-दो उदाहरण दीजिए ।

३. कोलन, निर्देशक और कोलन-डैश में कोई अंतर है अथवा नहीं ?

४. पूर्णविराम का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है ?

५. निम्नलिखित अनुच्छेदों में उचित स्थानों पर उचित विराम-चिह्न लगाएँ :

(क) अरे अहमक अब दूसरा बर्तन क्या होगा जो बर्तन साफ रहने हैं उन्हीं में से किसी एक में इमली भिगो डाल और क्या यों------बस यही पीतल का लोटा काम दे जाएगा साफ तो इसे करना ही है एक बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाया करतीं ।

(ख) हैं हमारी सेना हार गई राजा ने आश्चर्य से कहा जी हाँ यह सच है मंत्री ने विनीत भाव से उत्तर दिया ।

अध्याय-१२

शब्द-रचना

किसी मूल शब्द (प्रकृति) के आरंभ या अंत में अन्य ध्वन्यात्मक तत्त्व जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, जो मूल शब्द से संबद्ध किसी न किसी अर्थ का बोध कराते हैं। **मूल शब्द के पूर्व जो ध्वन्यात्मक तत्त्व जोड़ा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं।** उदाहरण के लिए **अधिकार, अनुसरण, बेकार, नालायक,** जैसे शब्दों में क्रमशः **अभि, अनु, बे,** और **ना** उपसर्ग हैं। **मूल शब्द के पश्चात् जोड़े जानेवाले ध्वन्यात्मक तत्त्व को प्रत्यय कहते हैं।** जैसे––**दासता, बंगाली, मिठाई, उपदेशक, समझौता** में क्रमशः **ता, ई, आई, क,** और **औता** प्रत्यय हैं। यद्यपि कुछ वैयाकरण संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूपों के साथ जुड़नेवाले विभक्ति चिह्नों को और धातुओं के साथ क्रिया-रूपों में जुड़नेवाले काल-चिह्नों और विधि-चिह्नों को भी प्रत्यय मानते हैं, तथापि यहाँ प्रत्यय शब्द के अंतर्गत हम केवल उन्हीं को लेंगे, जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर किसी अन्य शब्द या प्रातिपदिक की रचना करते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय का स्वतः प्रायः कोई अर्थ नहीं होता, वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ-बोधन में सहायक होते हैं।

हिन्दी में संस्कृत, हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। इनमें संस्कृत से आए उपसर्ग विशेष हैं, जो संस्कृत के तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। संस्कृत में इन उपसर्गों में जोड़ने से मूल शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है। यह परिवर्तन हिन्दी में आए तत्सम शब्दों में भी मिलता है। मुख्य उपसर्ग निम्नलिखित हैं :

तत्सम और तद्भव

अति—— (अधिक) अत्यंत, अत्याचार, अतिकाल ।
अधि—— (ऊपर, श्रेष्ठ) अधिकार, अध्यात्म ।
अनु—— (पीछे, निम्न, समान) अनुकरण, अनुशासन, अनुज, अनुवाद ।
अप—— (बुरा, विरुद्ध, अभाव) अपमान, अपकीर्ति, अपहरण ।
अभि—— (पास, सामने) अभिमान, अभिमुख ।
अव—— (नीचे, हीन) अवगुण, अवनत ।
आ—— (तक, उलटा, और) आकर्षण, आदान, आजन्म, आबालवृद्ध ।
उत्—— (ऊपर, ऊँचा, श्रेष्ठ) उत्कर्ष, उल्लेख ।
उप—— (निकट, सदृश, गौण) उपकार, उपभेद, उपकुलपति, उपसभापति, उपमंत्री ।
दुर-दुस्-दुष्——(बुरा, कठिन, दुष्ट) दुर्गुण, दुराचार, दुस्सह, दुष्कर्म ।
नि—— (निषेध) निडर, निरोग, निकम्मा, निहत्था ।
निर्-निस्—— (बाहर, निषेध) निरपराध, निर्दोष, निस्संदेह ।
परा—— (चारों ओर, आसपास, पूरा) परिपूर्ण, परिभाषा ।
प्र—— (अधिक, आगे, ऊपर) प्रगति, प्रख्यात, प्रचार, प्रयोग, प्रस्थान, प्रलय ।
प्रति—— (विरुद्ध, सामने, एक-एक) प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रतिक्षण ।
वि—— (भिन्न, विशेष, उलटा) विस्मरण, विवाद, विदेश, विज्ञान, विशेष, विकास ।
सं—— (अच्छा, पूर्ण, साथ) संकल्प, संतोष, संहार ।
सु—— (अच्छा, अधिक) सुफल, सुकर्म, सुदूर ।
अ—— (अभाव या निषेध) अधर्म, अनीति, अज्ञान, अलौकिक, अछूत, अथाह ।
अन्—— (अभाव या निषेध) अनन्तर, अनिष्ट, अनाचार, अनेक, अनपढ़, अनजान, अनमोल ।

संस्कृत वैयाकरण इन्हें क्रमशः सुप् प्रत्यय और तिङ् प्रत्यय कहते हैं ।

अंतर्-- (भीतर) अंतर्वेदना, अंतर्देशी, अंतर्देशीय।
कु-- (बुरा) कुकर्म, कुरूप, कुफल, कुपरिणाम।
चिर-- (हमेशा, बहुत) चिरकाल, चिरायु।
स-- (सहित) सरस, सफल।
सत्-- (अच्छा) सज्जन, सत्कर्म, सद्गुरु, सत्पात्र।
स्व-- (अपना, निजी) स्वतन्त्र, स्वदेश, स्वभाव, स्वराज्य, स्वरूप।

विदेशी

ऐन-- (ठीक) ऐनवक्त।
कम-- (थोड़ा) कमउम्र, कमजोर।
खुश-- (अच्छा) खुशबू, खुशमिजाज, खुशकिस्मत।
गैर-- (निषेध) गैरहाज़िर, गैरसरकारी, गैरवाजिब।
दर-- (में) दरअसल, दरहकीकत।
ना-- (अभाव) नालायक, नामाकूल, नापसंद, नाउम्मीद।
बद-- (बुरा) बदहोश, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू।
बा-- (साथ) बाकायदा, बाज़ाब्ता।
बिला-- (बिना) बिलाकुसूर, बिलाशक, बिलानागा।
बे-- (बिना) बेबुनियाद, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम।
हर-- (प्रत्येक) हररोज, हरदम, हर तरह।
सब-- (अंग्रेजी का) (अधीन), सब-डिप्टी, सब-जज, सब-कमेटी।

प्रत्यय

मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर दो तरह के शब्दों की रचना की जाती है : कृदंत और तद्धित।

जो शब्द धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। धातु के अतिरिक्त अन्य के साथ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, वे तद्धित शब्द कहलाते हैं।

इस प्रकार प्रत्यय भी दो कोटियों में विभक्त हो जाते हैं :

(१) कृत् प्रत्यय तथा (२) तद्धित प्रत्यय।

कृत् (या कृदंत) प्रत्यय

ये प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों या रूपों का निर्माण करते हैं। कुछ प्रमुख कृत् प्रत्यय निम्नांकित हैं :—

(१) **कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय**—इस कोटि का प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया के कर्ता का बोध होता है :—

अक—पालक, पूजक, लेखक।
इका—(स्त्रीलिंग)—पालिका, लेखिका।
वाला—गानेवाला, बैठनेवाला, मारनेवाला।
ऊ—खाऊ, रट्टू।
इया—जड़िया।
वैया—गवैया, खेवैया, दिवैया।
ऐत—लड़ैत, चढ़ैत।
आकू—लड़ाकू, उड़ाकू।
हा—कटहा।

(२) **करणवाचक कृत् प्रत्यय**—इस कोटि के प्रत्ययों को जोड़कर धातु से उस पदार्थ का बोधक शब्द बनाया जाता है, जो क्रिया का करण होता है—

अन्—झाड़न, बेलन।
ऊ—झाड़ू।
ना—ओढ़ना।

(३) **क्रिया या भाव वाचक कृत् प्रत्यय**—क्रिया के भाव का द्योतन कराने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर कृदंत बनाए जाते हैं—

अन—सहन, मिलन, गढ़न, चलन।
अक—बैठक।
आ—घेरा, रगड़ा, झगड़ा।
आई—लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, उतराई, कमाई, लिखाई।
आव—बचाव, सजाव।
आवट—बनावट, सजावट, रुकावट, लिखावट।

आवा--चढ़ावा, पहिनावा, धावा ।

आहट--बुलाहट, घबराहट, गड़गड़ाहट, गुर्राहट ।

औता, औती--समझौता, सनौती ।

ती--बढ़ती, घटती ।

ना--चलना, खाना, पीना, रोना, सोना ।

(४) **वर्तमान कालिक कृत् प्रत्यय--**

ता--चलता, गाता, जाता ।

(५) **भूत कालिक कृत् प्रत्यय---**

आ--चला, लिखा, पढ़ा ।

तद्धित प्रत्यय

संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय के साथ तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर संवद्ध शब्द बनाए जाते हैं । ऐसे शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं । तद्धित प्रत्ययों की कई कोटियाँ हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं --

संस्कृत प्रत्यय

(१) अपत्यवाचक प्रत्यय

इन प्रत्ययों को जोड़कर अपत्य (पुत्र), वंशज, संबंधी, अनुयायी आदि के भाव का बोध कराया जाता है । इन शब्दों की रचना संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार होती है । इन प्रत्ययों की खास विशेषता यह है कि प्रकृति शब्द की पदादि स्वर ध्वनि, **अ**, **इ**, **ई**, **उ**, **ऊ** हो तो उसका वृद्धि रूप (**अ** का **आ**, **इ**, **ई** का **ऐ**, और **उ**, **ऊ** का **औ**) कर देते हैं, तथा अंत्य **उ** को अव तथा **आ**, **ई** का **एय** हो जाता है : वासुदेव (वसुदेव का पुत्र), राघव (रघु का पुत्र या वंशज), पांडव (पांडु का पुत्र या वंशज), शैव (शिव का पुत्र या भक्त), वैष्णव (विष्णु का पुत्र या भक्तपुत्र), वैनतेय (विनिता का पुत्र), कौन्तेय (कुंती का पुत्र), बौद्ध (बुद्ध का भक्त) ।

हिन्दी में इस अर्थ में **ई** प्रत्यय आता है, जैसे--सनातनी, आर्य-समाजी, कबीरपंथी, सतनामी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मद्रासी आदि ।

(२) संबंध बोधक प्रत्यय

इक : तार्किक (तर्क), धार्मिक (धर्म), ऐतिहासिक (इतिहास), नैतिक (नीति), पौराणिक (पुराण), वार्षिक (वर्ष), भौगोलिक (भूगोल), इनमें भी अ, इ, ई, उ, ऊ का क्रमश: आ, ऐ, ऐ औ, औ कर देते हैं।

(३) स्वार्थ प्रत्यय

क—बालक, घोटक।

(४) गुणवाचक प्रत्यय

इत—पुष्पित, कंटकित, आनंदित, हर्षित।
इम—अग्रिम, अंतिम।
इल—पंकिल, जटिल, फेनिल।
ई—क्रोधी, बंगाली, नामी।
ईन—कुलीन, नवीन, ग्रामीण।
ल—मंजुल, वत्सल, श्यामल, मांसल।
लु—दयालु, श्रद्धालु, कृपालु।
वान्—दयावान्, गुणवान्, ज्ञानवान्।
मान्—श्रीमान्, बुद्धिमान्, धीमान्।
वी—तपस्वी, मायावी, मेधावी, तेजस्वी।

(५) भाववाचक प्रत्यय

इमा—नीलिमा, (नील), रक्तिमा (रक्त), कालिमा (काला)
ता—कविता, समता, प्राचीनता, लघुता।
त्व—कवित्व, गुरुत्व, महत्त्व, पुरुषत्त्व।

(६) कर्तृ वाचक प्रत्यय

कार—कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार।

(७) समुदाय बोधक प्रत्यय

क—सप्तक, पंचक, अष्टक।

हिन्दी तद्धित प्रत्यय

(१) व्यवसाय का कर्तृबोधक प्रत्यय

आर--कुम्हार, सुनार, लुहार, चमार।

वान--गाड़ीवान, हाथीवान ।

हारा--लकड़हारा, पनहारा, मनिहारा, चुड़िहारा।

वाला--इक्केवाला, रोटीवाला ।

इया--आढ़तिया, वखेड़िया, रसोइया, गढ़तिया ।

एरा--सँपेरा, चितेरा (चित्र)।

(२) लघुताबोधक प्रत्यय

इनके प्रयोग से वस्तु का छोटापन, प्यार या हीनता का भाव द्योतित होता है। इन्हें **ऊनवाचक प्रत्यय** भी कहा जाता है।

इया--खटिया (खाट), फुड़िया (फोड़ा), डिबिया (डिब्बा), बिटिया (बेटी)।

ई--पहाड़ी (पहाड़), घाटी (घाट)।

ड़ा--बछड़ा, चमड़ा, मुखड़ा, लँगड़ा, अँतड़ी, दूखड़ा।

री--कोठरी, छतरी, बाँसुरी ।

वा--बेटवा (बेटा), पुरवा (पुर), बछवा (बाछा)

(३) भाववाचक प्रत्यय

आई--भलाई, बुराई, पंडिताई, सच्चाई ।

आस--मिठास, खटास।

आहट--कड़वाहट, चिकनाहट, गरमाहट।

औती--बपौती, बढ़ौती।

त--रंगत ।

पन--बचपन, बालपन, बड़प्पन, पागलपन।

पा--बुढ़ापा, रँडापा, मुटापा (मोटापा) ।

(४) गुणवाचक प्रत्यय

इस कोटि के प्रत्ययों को जोड़कर प्रायः विशेषण शब्द बनाए जाते हैं :

आ—भूख-भूखा, मैल-मैला, ठंड-ठंडा, प्यार-प्यारा ।

आ—गेरुआ, टहलुआ, (टहल) ।

आऊ—आगे-अगाऊ, बाट-बटाऊ, पंडित-पंडिताऊ ।

आलू—झगड़ा-झगड़ालू, लाज-लजालू ।

ई—जंगली, विदेशी, गुलाबी, बैंगनी, सरकारी ।

ईला—चमकीला (चमक) ।

ऊ—बाजारू, पेटू, नक्कू (नाक) ।

ऐल, ऐला—खपरैल (खपरा), बनैला (बन), मुछैला (मूँछ) ।

ला—पिछला (पीछे), धुँधला (धुँध), लाड़ला (लाड़), मँझला (मांझ) ।

हरा, हला—सुनहरा-ला (सोना), रुपहला (रूपा) ।

(५) क्रमवाचक प्रत्यय

ला—पहला ।

जादू—दूजा, तीजा ।

था—चौथा ।

वाँ—पाँचवाँ, सातवाँ, आठवाँ ।

रा—दूसरा, तीसरा ।

ठा—छठा ।

(६) प्रकार वाचक प्रत्यय

ऐसा—वैसा (वह), कैसा (कौन), जैसा (जो), ऐसा (यह), तैसा (तिस्), सर्वनाम की प्रथम ध्वनि में इसे जोड़ते हैं। **यह** का **य** लुप्त हो जाता है ।

(७) **स्थानवाचक प्रत्यय**

उपर्युक्त सर्वनामों की प्रथम ध्वनि में **अहाँ** जोड़ते हैं––वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ, तहाँ ।

(८) **सामुदायवाचक प्रत्यय**

का––एक्का, दुक्का, तिक्का, चौका ।

समास

जिस प्रकार प्रकृति शब्द के पूर्व उपसर्ग और बाद में प्रत्यय जोड़कर नए भाव का बोध कराने के लिए संवद्ध शब्दों की रचना की जाती है उसी प्रकार दो या अधिक शब्दों को परस्पर जोड़कर भी नए सम्मिलित भाव का बोध कराने के लिए शब्द वनाए जाते हैं। **दो या अधिक शब्दों के इस योग को समास प्रक्रिया कहा जाता है।** इस प्रकार वने रूपों को **सामासिक शब्द** या **समस्त पद** कहा जाता है । सामासिक शब्दों में प्रथम को **पूर्वपद** और द्वितीय शव्द को **उत्तरपद** कहा जाता है । उदाहरण के लिए गृहागत, चतुर्मुख, पीतांवर, यथाशक्ति जैसे समस्त पदों में क्रमश: **गृह, चतु, पीत**, और **यथा** पूर्वपद हैं, **आगत, मुख, अंबर** और **शक्ति** उत्तरपद। इन दोनों पदों की सापेक्षिक प्रधानता के आधार पर ही समासों का वर्गीकरण किया जाता है। समास में पूर्वपद की प्रधानता होने पर अव्ययीभाव समास होता है, उत्तरपद की प्रधानता होने पर तत्पुरुष और दोनों पदों की समान प्रधानता होने पर द्वंद्व कहलाता है। समास की एक चौथी कोटि भी है, जिसमें समस्तपद में पूर्वपद या उत्तरपद किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि वह किसी तीसरे अन्य पद का विश्लेषण होता है । यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता पाई जाती है । इसे वहुव्रीहि समास कहते हैं । इस प्रकार समास के मुख्यत: चार भेद हैं :

१. अव्ययीभाव––पूर्वपद प्रधान ।

२. तत्पुरुष (इसी में कर्मधारय और द्विगु सम्मिलित हैं)–– उत्तरपद प्रधान है ।

३. द्वंद्व––उभयपद प्रधान ।

४. वहुव्रीहि––अन्य पदार्थ प्रधान ।

समास का अर्थ है, संक्षिप्तता या संक्षेप । जब समास को तोड़कर अलग-अलग अंशों का अर्थबोध कराया जाता है तो उसे **समास विग्रह** कहते हैं, जैसे, **राजकुमार** का विग्रह है--राजा का कुमार ।

१. अव्ययीभाव समास–जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, पर कभी-कभी संज्ञा या अव्यय शब्दों की द्विरुक्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है ।

(अ) संस्कृत समस्त शब्द--यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथासंभव, आजन्म, आमरण ।

(आ) हिन्दी—भरपेट ।

(इ) फारसी-अरबी—हररोज़ ।

(ई) मिश्रित--हरघड़ी, हरदिन ।

संज्ञा या अव्ययों की पुनरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं :

(१) संज्ञा या अव्ययों की पुनरुक्ति से--घर-घर, हाथों-हाथ, रातों-रात, पल-पल, क्षण-क्षण ।

(२) अव्यय शब्दों की पुनरुक्ति से बने--बीचों-बीच, धीरे-धीरे, पहले-पहल ।

२. तत्पुरुष समास– जिस समास में उत्तरपद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । इस समास का प्रथम पद संज्ञा या विशेषण (या संख्या-वाचक शब्द) होता है। तत्पुरुष समास को सर्वप्रथम दो भागों में बाँटा जाता है : (१) व्यधिकरण तत्पुरुष और (२) समानाधिकरण तत्पुरुष ।

व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों पद समान विभक्ति के नहीं होते और पूर्वपद के विभक्ति चिह्न का प्रायः लोप पाया जाता है। केवल **अलुक्** कोटि के व्यधिकरण तत्पुरुष को ही कुछ वैयाकरण तत्पुरुष समास कहते

हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनों में परस्पर समानाधिकरण होता है अर्थात् वे एक ही विभक्ति में होते हैं। इस कोटि के समास को प्रथम कोटि से भिन्न बताने के लिए **कर्मधारय** कहा जाता है। यदि पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण है और उत्तर संज्ञा शब्द (विशेष्य) तो कर्मधारय की ही एक विशिष्ट कोटि मानी जाती है, जिसे **द्विगु** समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, धन-लोभ (धन के लिए लोभ) में धन तथा लोभ में समान विभक्ति न होने के कारण व्यधिकरण तत्पुरुष (संप्रदान तत्पुरुष) समास है। 'रक्तकमल' में **रक्त** तथा **कमल** में परस्पर समान विभक्ति के कारण समानाधिकरण तत्पुरुष (कर्मधारय) है, और सप्तर्षि में **सप्त** तथा **ऋषि** में समानाधिकरण होने पर भी प्रथम पद के संख्या वाचक शब्द होने के कारण द्विगु समास है।

व्यधिकरण तत्पुरुष : इसे केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसके पूर्वपद में प्रायः विभक्ति का लोप पाया जाता है। जिस कारक-विभवित का लोप होता है, उसी के आधार पर इसका नाम निर्देश किया जाता है और समास विग्रह में इसका संकेत किया जाता है। कर्त्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी कारकों से संबद्ध तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं।

कर्म-तत्पुरुष (द्वितीया): स्वर्गप्राप्त (स्वर्ग को प्राप्त), शरणप्राप्त (शरण को प्राप्त), देशगत (देश को गत)।

करण-तत्पुरुष (तृतीया) : सुख-युक्त (सुख से युक्त) कष्ट-साध्य (कष्ट से साध्य)।

संप्रदान-तत्पुरुष (चतुर्थी) : भूत-बलि (भूतों के लिए बलि), रण-निमंत्रण (रण के लिए निमंत्रण), देशार्पण (देश के लिए अर्पण), हथकड़ी (हाथ के लिए कड़ी), रोकड़बही (रोकड़ के लिए बही)।

अपादान-तत्पुरुष (पंचमी) : धर्मभ्रष्ट (धर्म से भ्रष्ट), रोगमुक्त (रोग से मुक्त), जन्मांध (जन्म से अंधा), विद्याहीन (विद्या से हीन), पदच्युत (पद से च्युत), कामचोर (काम से चोर), देशनिकाला (देश से निकाला), मद-शून्य (मद से शून्य)।

संबंध-तत्पुरुष (षष्ठी) : राजकुमार (राजा का कुमार), प्रजापति (प्रजा का पति), सेनानायक (सेना का नायक), राष्ट्रपति (राष्ट्र का पति), लखपति (लाखों का पति), वनमानुस (वन का मानुस), बैलगाड़ी (बैलों की गाड़ी), घुड़दौड़ (घोड़ों की दौड़) ।

अधिकरण-तत्पुरुष (सप्तमी) : युद्ध-निपुण (युद्ध में निपुण), ग्रामवास (ग्राम में वास), कलाप्रवीण (कला में प्रवीण), आपबीती (आप पर बीती), कानाफूसी (कान में फुसफुसाहट) ।

अलुक् समास : जिन व्यधिकरण तत्पुरुष समस्त पदों में पूर्वपद में विभक्ति चिह्न नहीं होता, उसे अलुक् समास कहते हैं । ये संस्कृत तत्सम शब्दों में ही मिलते हैं । विश्वंभर (विश्व को भरने वाला), सहसाकृत (एक दम से किया), वाचस्पति (वाणी का पति), मनसिज (मन में उत्पन्न), खेचर (आकाश में घूमनेवाला) ।

नञ् समास : तत्पुरुष की ही एक अन्य कोटि नञ् तत्पुरुष कहलाती है । इसमें **अ, अन, ना, गैर** आदि आते हैं : अधर्म, अन्याय, अधूरा, अनहोनी, नापसंद, गैरहाज़िर ।

समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय : कर्मधारय में दोनों पद समान विभक्ति के या समानाधिकरण होते हैं । इसके दो भेद हैं :

(१) विशेषता वाचक (२) उपमान वाचक ।

(१) विशेषता वाचक : दोनों पदों में परस्पर विशेष्य-विशेषण भाव सूचित होता है । इसमें कभी तो विशेषण पूर्व में हो सकता है, कभी बाद में, और कभी-कभी दोनों पद ही विशेषण हो सकते हैं :

विशेषण पूर्वपद : रक्तकमल, कृष्णसर्प, परमानंद, महाजन, नीलगाय, कालीमिर्च ।

विशेषणोत्तरपद : देशांतर (अन्य देश), पुरुषोत्तम (उत्तम पुरुष), नराधम (अधम नर) ।

दोनों ही पद विशेषण : शीतोष्ण (शीत उष्ण), शुद्धाशुद्ध (शुद्ध अशुद्ध), लाल-पीला, ऊँच-नीच, मोटा-ताजा ।

२. उपमान वाचक : उपमान कर्मधारय में दोनों पदों में परस्पर उपमान-उपमेय भाव रहता है। इसके मुख्यतः दो भेद हैं : (१) उपमान पूर्वपद और (२) उपमानोत्तर पद।

(१) उपमान-पूर्वपद : इसमें उपमान पहले आता है। जैसे—चंद्रमुख (चंद्र के समान मुख), घनश्याम (घन के समान श्याम)।

(२) उपमानोत्तरपद : इसमें उपमान बाद में आता है। चरण-कमल (चरण कमल के समान), पाणिपल्लव (पाणि पल्लव के समान)।

द्विगु : जिस विशेषतावाचक कर्मधारय में विशेषण शब्द संख्या वाचक हो तथा समस्त शब्द के द्वारा समाहार या समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे—त्रिभुवन (तीनों भुवनों का समाहार), पंचवटी (पाँच वटों का समुदाय), अष्टाध्यायी (आठ अध्यायों का समा-हार), पंसेरी (पाँच सेर), चौमासा, सतसई, चौराहा, चवन्नी, चौघड़ा।

द्वंद्व समास : जिस समास में दोनों पद समानतः प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं : (१) इतरेतर द्वंद्व, (२) वैकल्पिक द्वंद्व और (३) समाहार द्वंद्व।

१. इतरेतर द्वंद्व—इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय **और** का लोप होता है। जैसे—सीता-राम, राधा-कृष्ण, राम-लक्ष्मण, सुख-दुख, गाय-बैल, दाल-भात, नाक-कान।

२. वैकल्पिक द्वंद्व—इस कोटि के समास में विकल्पसूचक समुच्चय बोधक **वा, या, अथवा** आदि का लोप रहता है। यह समास परस्पर विरोधी भावों के बोधक शब्दों का होता है। जैसे—धर्माधर्म, भला-बुरा, छोटा-बड़ा, थोड़ा-बहुत, जात-कुजात।

३. समाहार द्वंद्व—इस कोटि के समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित होता है। जैसे—दाल-रोटी, रुपया-पैसा, सेठ-साहूकार, घास-फूस, घर-द्वार, खाना-पीना, साँप-बिच्छू, कहा-सुनी।

इसी कोटि में वे शब्द भी हैं जिनमें प्रतिध्वनि शब्दों का प्रयोग मिलता है। अड़ोस-पड़ोस, भीड़-भाड़, रोटी-वोटी, घोड़ा-वोड़ा, कमरा-वमरा। कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति के द्वारा भी ऐसे समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे—देखा-देखी, भाग-दौड़, तड़ा-तड़ी।

बहुब्रीहि समास : इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और यह अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे—पीतांबर (पीत है अंबर जिसका, कृष्ण), चतुर्भुज (चार हैं भुजाएँ जिसके, विष्णु), दशानन (दश हैं आनन जिसके, रावण), गजमुख (गज के मुख के समान है मुख जिसका, गणेश)।

कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर : कर्मधारय तथा बहुब्रीहि में भेद यह है कि कर्मधारय में पूर्व पद प्रायः उत्तरपद का विशेषण या विशेष्य, अथवा उपमान या उपमेय होता है। बहुब्रीहि के विग्रह में इसीलिए **वाला, वाली, जिसका, जिसकी**, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जो अन्य पद का संबंध घोषित करते हैं।

प्रश्न

१. उपसर्ग तथा प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उनका भेद स्पष्ट कीजिए।

२. निम्नलिखित उपसर्गों से शब्दों का निर्माण कीजिए :
कु, अति, वि, बद, बे, निर्, दुर्, अन, गैर।

३. निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय अलग-अलग छाँटिए :
सुपरीक्षित, उपप्रधान, स्वाभिमान, ओढ़नी, सिरजनहार, पालक, सिलाई, घबराहट, लुटिया, दलाली, चौड़ाई।

४. कृदंत तथा तद्धित का भेद सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

५. समास शब्द का क्या अर्थ है? समास-प्रयोग से क्या लाभ है?

६. समास कितने प्रकार के होते हैं?

७. तत्पुरुष समास के भेदों को सोदाहरण बताइए ।

८. कर्मधारय और बहुव्रीहि तथा द्विगु और बहुव्रीहि का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

९. समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम का निर्देश भी कीजिए :

मुँहमाँगा, युद्धभूमि, दाल-भात, कमलमुखी, माखनचोर, रोगयुक्त, पथभ्रष्ट, नीतिनिपुण, त्रिनेत्र, दशमुख, सप्तर्षि, त्रिलोक, अनुचित, दूध-दही, पीतांबर, नकटा, मिठबोला, घनश्याम, भुजदंड, सेनापति ।

अध्याय–१३

शब्द-समूह

किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द-समूह या शब्द-भंडार कहते हैं।

हिन्दी शब्दों को रचना तथा इतिहास के आधार पर कई वर्गों में बाँटा जा सकता है।

रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं :

(१) रूढ़ि : जिन शब्दों में सार्थक खंड न हों, उन्हें रूढ़ि कहते हैं। जैसे–घोड़ा, पेट, कपड़ा। इनमें से कसी भी शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते। **घोड़ा** को **घ् + ओड़ा** या **घो+ड़ा** आदि रूप में तोड़ सकते हैं, किन्तु इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। अन्य उदाहरणों के वारे में भी यही वात है। इसका आशय यह हुआ कि ये शब्द दो या अधिक तत्वों से जुड़कर नहीं वने हैं। गाय, कोयल, थाली, सिर, घास, कलम, पैर, हाथ आदि रूढ़ि शब्द हैं।

(२) यौगिक : वे शब्द जो एक से अधिक तत्वों से बने हों, अर्थात् जिनके सार्थक खंड हो सकें, उन्हें यौगिक कहते हैं। अपमान (अप+मान), सज्जन (सत्+जन), विद्यार्थी (विद्या+अर्थी), पाठशाला (पाठ+शाला) आदि। जैसा कि कोष्ठकों में दिखाए गए खंडों से स्पष्ट है ये सभी एक से अधिक सार्थक खंडों से वने हैं।

(३) योगरूढ़ि : 'योगरूढ़ि' 'योग' और 'रूढ़ि' से बना है। **जो शब्द यौगिक तो हैं, किन्तु साथ ही जो विशेष अर्थ में रूढ़ि हो**

चुके हैं, उन्हें योगरूढ़ि कहते हैं। जैसे—जलज (कमल), दशानन (रावण), पंकज (कमल) आदि। ये सभी यौगिक हैं (जल+ज, दश+आनन, पंक+ज) किन्तु इनका अर्थ रूढ़ि हो चुका है। उदाहरणार्थ **जल** में उत्पन्न कोई भी वस्तु (घास, मछली, सीपी, शंख आदि) जलज नाम की अधिकारिणी हैं, किन्तु इस शब्द का प्रयोग केवल **कमल** के लिए ही होता है। इस तरह यौगिक होते हुए भी ये शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ि हो गए हैं। चतुरानन (ब्रह्मा), भूपति (राजा), परपुष्ट (कोयल), जलद (बादल), जलधि (समुद्र), चौपाया (जानवर), चारपाई (खाट) आदि कुछ अन्य योगरूढ़ि शब्द हैं।

इतिहास के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं :

(१) तत्सम—**तत्** का अर्थ है **वह** तथा **सम** का अर्थ है **समान**—**तत्सम** अर्थात् **उसके समान** अर्थात् **संस्कृत के समान। जो संस्कृत शब्द अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं।** शरीर, पुस्तक, पुत्र, ध्वनि, एक, अध्यापक, विद्यार्थी, अवकाश, स्वप्न, फल, जल, लता, विद्या आदि शब्द तत्सम हैं।

(२) तद्भव—**तत्** का अर्थ है **वह** अर्थात् **संस्कृत**, और **भव** का अर्थ है **पैदा हुआ** अर्थात् **तद्भव** का अर्थ है **संस्कृत शब्द से पैदा शब्द। संस्कृत शब्दों से विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं।** ये शब्द प्रायः संस्कृत शब्दों के विकृत रूप हैं जो प्राकृत, अपभ्रंश आदि से विगड़ते-बनते विकसित होते हिन्दी में आए हैं। **हस्त** तत्सम है जिससे **हाथ** तद्भव रूप बना। घोड़ा (घोटक), हाथी (हस्ती), चाँद (चंद्र), दूध (दुग्ध), आग (अग्नि), पोथी (पुस्तिका), पत्ता (पत्र), घर (गृह), सच (सत्य), खेत (क्षेत्र) आदि शब्द भी इसी वर्ग के हैं।

(३) विदेशी—हिन्दी भाषा में विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों को विदेशी कहते हैं। हिन्दी में तुर्की, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं से विदेशी शब्द आए हैं :

तुर्की— चाकू, कैंची, तोप, लाश आदि।

अरबी— आदमी, हुक्म, वकील, कानून, किताब, कलम आदि।

फारसी— हज़ार, फौज, खर्च, बर्फ, नाशपाती, बादाम आदि।

पुर्तगाली--गमला, आलमारी, नीलाम, गोभी, तौलिया आदि ।

अंग्रेजी-- स्कूल, कापी, टिकट, कोट, पैंट, रेडियो, बटन आदि ।

(४) देशज--जो शब्द न तो तत्सम हों, न तद्भव और न विदेशी अर्थात् जो देश में ही जन्मे हों, देशज कहलाते हैं । इनमें कुछ तो अनुकरणात्मक (जैसे–भड़भड़ाना, खड़खड़ाना, खटखटाना आदि) होते हैं, और कुछ ऐसे जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं होता । जैसे--पेड़, खिड़की, टट्टू, अटकल, तेन्दुआ आदि । हिन्दी में देशज शब्द, अन्यों की तुलना में बहुत ही कम हैं ।

पर्यायवाची शब्द

समान अर्थवाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं । नीचे कुछ शब्दों के पर्याय दिए जा रहे हैं ।

अतिथि – अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, पाहुना, मेहमान ।

कमल – अब्ज, अंबुज, अरविन्द, उत्पल, कुवलय, जलज, नीरज, पंकज, पुंडरीक, राजीव, शतदल, वारिज, सरसिज, सरोज, सरोरुह ।

अग्नि – अनल, आग, ज्वाला, पावक ।

अमृत – अमिय, पीयूष, सुधा ।

अहंकार – अभिमान, अहं, दर्प, दंभ, घमंड ।

अपमान – अप्रतिष्ठा, अवमानना, अवहेलना, उपेक्षा, तिरस्कार, निरादर, बेइज्ज़ती ।

आँख – अक्षि, चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन ।

आकाश – अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, गगन, नभ, व्योम ।

इंद्र – देवराज, मधवा, शक्र, शचीपति, सुरेश, सुरेन्द्र ।

इच्छा – अभिलाषा, आकांक्षा, ईप्सा, एषण, कामना, लालसा, वांछा, मनोरथ, स्पृहा ।

ईश्वर – अंतर्यामी, ईश, जगदीश, दीनबंधु, दीनानाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, सच्चिदानंद, हरि ।

उन्नति – अभ्युदय, उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, विकास, वृद्धि ।

काम – अतनु, अनंग, कंदर्प, कामदेव, पंचवाण, पंचशर, मदन, मनसिज, मन्मथ, मनोज, मार, रतिपति, रतिनाथ ।

किरण – अंशु, कर, मयूख, मरीचि, रश्मि ।

कोमल – मुलायम, मृदु, अपरुष, मसृण, सुकुमार, नरम ।

कौशल – पटुता, प्रवीणता, दक्षता, चतुरता, चातुरी, कुशलता, पाटव ।

गंगा – जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपथगा, देवनदी, मंदाकिनी, सुर-सरि, सुरसरिता ।

घर – आलय, आगार, अयन, गृह, गेह, निकेत, निकेतन, भवन, धाम, सदन, सद्म ।

घोड़ा – अश्व, तुरंग, वाज, सैन्धव, हय ।

चंद्रमा – इंदु, कलानाथ, कलापति, उडुपति, कुमुदबंधु, क्षपाकर, चंद्र, चाँद, निशानाथ, निशाकर, निशापति, निशिपति, द्विज, मयंक, मृगांक, रजनीश, राकेश, विधु, शशांक, सोम, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु ।

चिड़िया – खग, पखेरू, पक्षी, विहग, विहंगम, पतंग, द्विज, शकुनि ।

जल–– अंबु, अंभ, उदक, क्षीर, तोय, नीर, पानी, पय, वारि, सलिल ।

झंडा – पताका, ध्वजा, फरहरा, वैजयंती ।

तरंग – उर्मि, कल्लोल, लहर, लहरी, वीचि, हिल्लोल

तारा – उडु, खग, तारक, नक्षत्र, सितारा ।

तालाव – जलाशय, झील, ताल, तड़ाग, सर, सरोवर ।

थोड़ा – अल्प, किंचित्, परिमित, न्यून, सीमित, स्वल्प ।

दिन – अह्न, दिवस, वासर, अह्, दिवा ।

देवता – अजर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, सुर ।
धन – अर्थ, दौलत, द्रव्य, मुद्रा, वसु, संपत्ति ।
नदी – तटिनी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयस्विनी, सरिता ।
पति – कंत, नाथ, भर्ता, वर, वल्लभ, रमण, स्वामी ।
पत्नी – अर्धांगिनी, कलत्र, जाया, कांता, दारा, परिणीता, बीवी, भार्या, वधू, वहू ।
पवित्र – पाक, पावन, पुण्य, पूत, शुचि, शुद्ध ।
पहाड़ – अचल, अद्रि, गिरि, नग, पर्वत, भूधर, धरणीधर, क्षितिधर, शैल ।
पृथ्वी – अवनी, क्षिति, धरती, धरणी, धरित्री, भूमि, भू, मही, वसुंधरा, क्षिति, ज़मीन ।
फूल – कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन ।
वाण – तीर, विशिख, शर, शिलीमुख, सायक ।
विजली – चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत, सौदामिनी, क्षणप्रभा ।
भौंरा – अलि, भ्रमर, भृंग, मधुकर, मधुप, षट्पद ।
मनुष्य – आदमी, मनुज, मानव, इंसान ।
मित्र – दोस्त, सखा, सहचर, साथी, सुहृद ।
मूर्ख – अबोध, अज्ञ, जड़, बेवकूफ, मूढ़ ।
युद्ध – रण, लड़ाई, संगर, संग्राम, समर, विग्रह ।
राजा – नराधिप, नरेश, पृथ्वीपति, भूप, महीप, महीपति, क्षितिपति ।
रात्रि – निशा, निशि, रजनी, रात, विभावरी, त्रियामा, क्षपा ।
वसंत – ऋतुराज, कुसुमाकर, पिकानंद, वहार, मधुऋतु, मधु, माधव ।
वायु – अनिल, प्रभंजन, पवन, मरुत, समीरण, वात, समीर, हवा ।
शरीर – अंग, कलेवर, काय, काया, गात, गात्र, तनु, नेह, वपु, जिस्म ।

समुद्र – अंबुनिधि, उदधि, क्षीरधि, जलनिधि, जलधि, नदीपति, नीरधि, पयोधि, सागर ।

सर्प – अहि, नाग, पन्नग, भुजंग, विषधर, व्याल, साँप ।

सिंह – केशरी, मृगपति, मृगेन्द्र, पंचानन, शेर, हरि ।

सूर्य – अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, दिन-मणि, पतंग, प्रभाकर, मार्तण्ड, मित्र, भानु, भास्कर, रवि, सूर, सविता ।

सोना – कनक, कांचन, कुंदन, सुवर्ण, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, जातरूप ।

स्त्री – नारी, महिला, अबला, कांता, कामिनी, भामिनी, वनिता, वामा, रमणी, ललना ।

स्वर्ग – देवलोक, पुलोक, सुरलोक, वहिवृत, जन्नत ।

हाथी – कुंजर, करी, गयंद, द्विरद, दंती, मतंग, हस्ती ।

पर्यायवाची शब्दों में अर्थ-भेद

सामान्यत: यह समझा जाता है कि पर्यायवाची शब्द पूर्णत: एकार्थी होते हैं। किन्तु तथ्य यह है कि किसी भी भाषा में बहुत कम ही शब्द ऐसे होते हैं, जिनका अर्थ पूर्णत: एक होता है। अधिकतर पर्यायवाची शब्द एकार्थी न होकर मिलते-जुलते अर्थवाले होते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को चाहिए कि शब्दों का प्रयोग करते समय उसके यथार्थ अर्थ का ध्यान रखें। नीचे कुछ इस प्रकार के शब्दों में अर्थ-भेद स्पष्ट किया जा रहा है।

(१) **अगम**–जहाँ न पहुँचा जा सके।

दुर्गम–जहाँ पहुँचना कठिन हो।

(२) **अधिक**–आवश्यकता से ज्यादा।

काफी, पर्याप्त–न ज्यादा न कम।

(३) **अनिवार्य**–जिसका निवारण न हो सके या जो टाला या छोड़ा न जा सके ।

आवश्यक–ज़रूरी । आवश्यक में अनिवार्य जैसी वाध्यता नहीं होती ।

(४) **अलौकिक**–जो सामान्यतः लोक (दुनिया) में न पाया जाए । जैसे–गांधी जी अलौकिक व्यक्ति थे ।

अस्वाभाविक–जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो । जैसे–पशुओं का मनुष्य जैसी वातें करना अस्वाभाविक है ।

(५) **अस्त्र**–जिसे फेंक कर मारा जाए । जैसे–वाण, गोली, वम ।

शस्त्र–जिसे हाथ में पकड़े हुए मारा जाए । जैसे–तलवार, छुरी, लाठी, गदा ।

(६) **अहंकार**–झूठा घमंड । जैसे–योग्यता न होने पर भी अपने आपको वहुत योग्य समझना अहंकार है ।

अभिमान–सच्चा घमंड । हमें अपने देश के प्राचीन गौरव पर अभिमान है ।

(७) **आधि**–मानसिक कष्ट । जैसे–चिन्ता ।

व्याधि–शारीरिक कष्ट या रोग । जैसे–ज्वर, दर्द आदि ।

(८) **ईर्ष्या**–दूसरों की उन्नति या उनके गुण आदि देखकर जलना ।

स्पर्धा–दूसरों की उन्नति या उनके गुण देख वैसा ही वनने की कामना ।

द्वेष–शत्रुता, दुश्मनी ।

(९) **पाप**–धर्म-विरुद्ध कार्य ।

अपराध–कानून-विरुद्ध कार्य ।

(१०) **प्रणाम**––अपने से वड़ों को करते हैं ।

नमस्कार–वरावर वालों को (कुछ लोगों द्वारा वड़ों के लिए भी प्रयुक्त) ।

नमस्ते–वरावर वालों को (कुछ लोगों द्वारा सभी के लिए प्रयुक्त) ।

(११) **प्रेम**–प्रणय, स्नेह, वात्सल्य आदि सभी के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द।

स्नेह–छोटे के प्रति बड़े का प्रेम।

प्रणय–पति-पत्नी का प्रेम।

वात्सल्य–माँ-बाप का संतान के प्रति प्रेम।

(१२) **भ्रम**–मिथ्या ज्ञान। जैसे–रस्सी को साँप समझ लेना।

संदेह–ऐसा ज्ञान जिसमें अनिश्चय हो। जैसे–साँप है या रस्सी।

(१३) **लड़का**–बालक या पुत्र किसी भी अर्थ में प्रयुक्त सामान्य शब्द।

बालक–कोई भी लड़का।

पुत्र, बेटा–माँ-बाप आदि के प्रसंग में प्रयुक्त।

(१४) **श्रम**–केवल शारीरिक।

परिश्रम–शारीरिक तथा मानसिक दोनों।

(१५) **सहयोग**–दोनों पक्ष सक्रिय होता है।

सहायता–एक पक्ष सक्रिय होता है।

विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द

किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलानेवाला शब्द विपरीतार्थक या विलोम कहलाता है। जैसे–योग्य-अयोग्य, धनी-निर्धन, उदय-अस्त आदि। विलोम शब्द प्रमुखतः चार प्रकार के होते हैं:

(१) वे जो किसी शब्द में अ, अन्, आ, नि, वि, प्रति, परा, अव, अना, ना आदि उपसर्ग जोड़ने से बनते हैं :

अ	ज्ञान – अज्ञान		**अन्**	अर्थ	– अनर्थ
	लौकिक – अलौकिक			आर्य	– अनार्य
	शुभ – अशुभ				
	सत्य – असत्य			आदर	– अनादर

अ	श्रद्धा – अश्रद्धा	**अन्**	एक – अनेक
	धर्म – अधर्म		
	चल – अचल		उचित – अनुचित
	सुर – असुर		उदार – अनुदार
	पूर्ण – अपूर्ण		उत्तीर्ण – अनुतीर्ण
	धार्मिक – अधार्मिक		उपयुक्त – अनुपयुक्त
	परिमित – अपरिमित		उपस्थित – अनुपस्थित
	कृतज्ञ – अकृतज्ञ	**प्रति**	वादी – प्रतिवादी
	स्पष्ट – अस्पष्ट		
	स्वस्थ – अस्वस्थ	**ना**	लायक – नालायक
	प्रसन्न – अप्रसन्न		आस्तिक – नास्तिक
	शांति – अशांति	**परा**	जय – पराजय
	योग्य – अयोग्य	**अव**	गुण – अवगुण
	नश्वर – अनश्वर	**अप**	मान – अपमान
	प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष		यश – अपयश
	हित – अहित	**वि**	पक्ष – विपक्ष
	सफलता– असफलता		सफलता – विफलता
	सभ्य – असभ्य	**अना**	वृष्टि – अनावृष्टि

(२) जो उपसर्ग बदलने से बनते हैं :

आदान-प्रदान	आयात-निर्यात
अनुकूल-प्रतिकूल	अज्ञ-विज्ञ
उपकार-अपकार	उत्कृष्ट-निकृष्ट
उत्कर्ष-अपकर्ष	उन्नति-अवनति
निष्काम-सकाम	निरपेक्ष-सापेक्ष
निरक्षर-साक्षर	साकार-निराकार
सुगंधि-दुर्गंधि	संयोग-वियोग
स्वतंत्र-परतंत्र	सदुपयोग-दुरुपयोग
सच्चरित्र-दुश्चरित्र	सज्जन-दुर्जन

सरस-नीरस	सदाचार-दुराचार
स्वदेश-विदेश	सार्थक-निरर्थक
सजीव-निर्जीव	सौभाग्य-दुर्भाग्य
सुलभ-दुर्लभ	सपूत-कपूत
सवल-निर्बल	सुबोध-दुर्बोध

(३) जो प्रत्यय वदलने से वनते हैं। ये प्राय: पुलिंग-स्त्रीलिंग के जोड़े होते हैं :

घोड़ा-घोड़ी	लड़का-लड़की
बेटा-बेटी	चाचा-चाची
दादा-दादी	नाना-नानी
मामा-मामी	साला-साली
वकरा-वकरी	काका-काकी

(४) वे जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, रचना की दृष्टि से ये आपस में प्राय: संवद्ध नहीं होते :

आय-व्यय	अच्छा-बुरा
जन्म-मृत्यु	उदय-अस्त
आकाश-पाताल	जल-थल
राजा-रानी	माँ-वाप
दाहिना-वायाँ	जड़-चेतन
पाप-पुण्य	प्राचीन-अर्वाचीन, नवीन
हानि-लाभ	विष-अमृत
दिन-रात	प्रातः-सायं
मुख्य-गौण	शत्रु-मित्र
सूक्ष्म-स्थूल	समर्थन-विरोध
सामान्य-विशेष	सरल-कठिन
आदि-अंत	स्वर्ग-नरक
सोना-जागना	अंधकार-प्रकाश
गुण-दोष	पूरा-अधूरा
ह्रस्व-दीर्घ	दूर-निकट

द्विरुक्त शब्द

द्विरुक्त एक प्रकार के यौगिक शब्द होते हैं, जिनमें ध्वनि या अर्थ (समानार्थी या विपरीतार्थी) की दृष्टि से द्विरुक्ति होती है। जैसे— घर-घर, काला-कलूटा, खेलना-कूदना, सुख-दुख आदि। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं। इनके प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं:

(१) पूर्ण द्विरुक्ति (ध्वनि)

(क) संज्ञा——घर-घर, कौड़ी-कौड़ी, पैसा-पैसा, दाना-दाना, रोम-रोम, देश-देश, स्थान-स्थान, दिन-दिन।

(ख) सर्वनाम——अपना-अपना, मैं-मैं, तू-तू।

(ग) विशेषण——मीठे-मीठे, अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े, छोटे-छोटे, लाल-लाल, काले-काले, थोड़ा-थोड़ा।

(घ) क्रिया——कूद-कूद, देख-देख, चल-चल, पढ़-पढ़।

(ङ) अव्यय——ऊपर-ऊपर, नीचे-नीचे, आगे-आगे, पीछे-पीछे, धीरे-धीरे, लेटे-लेटे, तब-तब, जब-जब।

(२) अपूर्ण द्विरुक्ति (ध्वनि)

(क) संज्ञा——हाथों-हाथ, दाल-दलिया, भीड़-भाड़, चाय-वाय।

(ख) विशेषण——काला-कलूटा, भोला-भाला, हरा-भरा, भारी-भरकम।

(ग) क्रिया——पढ़-वढ़ कर, देख-दाख कर, ताक-तूक कर।

(घ) अव्यय——आर-पार, बीचों-बीच।

(३) समानार्थी शब्दों की द्विरुक्ति

(क) संज्ञा——कथा-वार्ता, लाज-शर्म, साधु-संत, खेल-तमाशा, दवा-दारू, काम-काज, जीव-जंतु, दोस्त-मित्र, कपड़ा-लत्ता।

(ख) विशेषण——रूखा-सूखा, जला-भुना, हृष्ट-पुष्ट, भरा-पूरा।

(ग) क्रिया——मारना-पीटना, डाँटना-डपटना, डाँटना-फटकारना, चमकना-दमकना, काटना-छाँटना, समझना-बूझना, सोचना-विचारना।

(घ) अव्यय——सदा-सर्वदा।

(४) एक श्रेणी के शब्दों की द्विरुक्ति

(क) संज्ञा––भूख-प्यास, दूध-दही, रात-दिन, रोटी-पानी, वाप-दादा, मोह-माया, श्रद्धा-भक्ति ।

(ख) विशेषण––दीन-दुखी, लूला-लँगड़ा ।

(ग) क्रिया––तोड़ना-फोड़ना, गाना-वजाना, झाड़ना-पोंछना, नहाना-धोना, लेना-देना, खाना-पीना, खेलना-कूदना ।

(घ) अव्यय––जैसे-तैसे, जव-तव, जहाँ-तहाँ ।

(५) विपरीतार्थी शब्दों की द्विरुक्ति

(क) संज्ञा––हानि-लाभ, पाप-पुण्य, गुण-दोष, दुख-सुख, उत्थान-पतन, संयोग-वियोग, धूप-छाँह ।

(ख) विशेषण––भला-बुरा, थोड़ा-वहुत, नया-पुराना ।

(ग) क्रिया––उठना-बैठना, सोना-जागना, कहना-सुनना, लेना-देना, आना-जाना, लिखना-पढ़ना ।

(घ) अव्यय––आगे-पीछे, नीचे-ऊपर, यहाँ-वहाँ, इधर-उधर ।

अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द

भाषा में ऐसे शब्दों की आवश्यकता प्रायः पड़ती है, जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त हो सकें। इनसे रचना में कसावट आती है। उदाहरण के लिए 'मैं **राजनीति से संबंध रखनेवाली** वातें समझता हूँ' के स्थान पर 'मैं **राजनैतिक** वातें समझता हूँ' वाक्य अधिक गठा हुआ है। इस प्रकार के शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास आदि की सहायता से की जाती है। जैसे––जिसके पास धन न हो **निर्धन**; जो देखने योग्य हो **दर्शनीय**; मांस का आहार करनेवाला **मांसाहारी** आदि। यहाँ कुछ थोड़े से ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं :

अनुकरण करने योग्य––अनुकरणीय

अपनी हत्या करने वाला––आत्महंता

ईश्वर में विश्वास करने वाला––आस्तिक

ईश्वर में विश्वास न करने वाला––नास्तिक
काम से जी चुराने वाला––कामचोर
दूर तक देखने (सोचने) वाला––दूरदर्शी
जहाँ या जिस पर जाना कठिन हो––दुर्गम
जानने की इच्छा रखनेवाला––जिज्ञासु
जिस पर विश्वास किया जा सके––विश्वसनीय
जिस पर विश्वास न किया जा सके–अविश्वसनीय
जिसका भाग्य अच्छा न हो––अभागा
जिसका आदि न हो––अनादि
जिसका अंत न हो––अनंत
जिसका निवारण न हो सके––अनिवार्य
जिसका वर्णन न किया जा सके––अवर्णनीय
जिसका आचरण अच्छा हो––सदाचारी
जिसका कोई नाम न हो––अनाम
जिसका मूल्य बहुत अधिक हो––मूल्यवान, अमूल्य
जिसकी उपमा किसी से न दी जा सके––अनुपम
जिसकी बराबरी कोई न कर सके––अद्वितीय
जिसके पास धन न हो––निर्धन
जिसके माँ-बाप न हों ––अनाथ
जिसने अपने पर का ऋण उतार दिया हो––उऋण
जिसमें दया न हो––निर्दय
जिसमें रस न हो––नीरस
जिसमें रस हो––सरस
जिसके कोई संतान न हो––नि:संतान
जैसा (या जो) पहले कभी न हुआ हो––अभूतपूर्व, अपूर्व
जो अपने प्रति किए गए उपकार को माने––कृतज्ञ
जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने––कृतघ्न
जो एक दूसरे पर आश्रित हों––अन्योन्याश्रित
जो कभी न मरे––अमर
जो कुछ न करे––अकर्मण्य

जो कोई काम न कर रहा हो—बेकार
जो जल्दी न मिले—दुर्लभ
जो किसी का भी पक्ष न ले—निष्पक्ष
जो नियमों के विरुद्ध हो—अपवाद
जो क्षमा न किया जा सके—अक्षम्य
जो क्षमा किया जा सके—क्षम्य
जो पहले रह चुका हो—भूतपूर्व
जो पढ़ा न जा सके—अपठ्य
जो पढ़ा-लिखा न हो—अनपढ़
जो मानने योग्य हो—मान्य
जो राजनीति जाने—राजनीतिज्ञ
जो सहन न कर सके—असहिष्णु
मास में एक वार होनेवाला—मासिक
प्रत्येक काम में देर करनेवाला—दीर्घसूत्री
विना वेतन का—अवैतनिक
राजनीति से संबंध रखनेवाला—राजनैतिक
वर्ष में एक वार होनेवाला—वार्षिक
व्याकरण जानने या लिखनेवाला—वैयाकरण
सप्ताह में एक वार होनेवाला—साप्ताहिक
सव कुछ जाननेवाला—सर्वज्ञ
सहन न कर सकने योग्य—असह्य

समरूपी शब्द

हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो उच्चारण या वर्तनी की दृष्टि से वहुत कुछ समान हैं, किन्तु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर है। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सतर्कता वरतनी चाहिए। यहाँ ऐसे शब्दों की एक छोटी-सी सूची दी जा रही है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अंतर	भीतरी, भीतर का हृदय	अंश	भाग
अंतर	फ़र्क, भेद	अंस	कंधा

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अक्ष	धुरा	अगम	जहाँ जाया न जा सके
अक्षि	आँख	आगम	शास्त्र
अनल	आग	अभय	भय का अभाव
अनिल	वायु	उभय	दोनों
अभिज्ञ	जाननेवाला	अयुक्त	अनुचित
अनभिज्ञ	न जाननेवाला	आयुक्त	कमिश्नर
अवधि	सीमा	अवलंब	सहारा
अवधी	हिन्दी की एक बोली	अविलंब	शीघ्र
अनुभव	तजुर्बा	अनुसार	अनुरूप
अनुभाव	चेष्टा	अनुस्वार	(ं)
अपेक्षा	वनिस्वत	अविराम	लगातार
उपेक्षा	तिरस्कार	अभिराम	सुंदर
अशक्त	असमर्थ	अस्त	डूब जाना सूर्य आदि का
आसक्त	मोहित, मग्न	अस्तु	अच्छा, खैर
आकर	खानि	उधार	ऋण
आकार	शक्ल	उद्धार	बचाना, उठाना, मुक्त करना
ऋजु	सरल	ओर	तरफ
रज्जु	रस्सी	और	अन्य, तथा
करोड़	कोटि (संख्या)	कलि	कलियुग
कोड़	गोद	कली	फूल की डोंडी
कलुष	पाप	कुल	वंश, सब
कुलिश	वज्र	कूल	किनारा
कृतज्ञ	किए को मानने-वाला	कृति	रचना
		कृती	प़फल
कृतघ्न	किए को न मानने-वाला		

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
ग्रह	नक्षत्र	क्षति	हानि
गृह	घर	क्षिति	पृथ्वी
चर्तु	चार	चर्म	चमड़ा
चतुर	निपुण	चरम	अंतिम
छत्र	छतरी	छात्र	विद्यार्थी
क्षत्र	आधिपत्य	क्षात्र (धर्म)	क्षत्रिय का
जघन	जाँघ	जलद	बादल
जघन्य	नीच	जलधि	समुद्र
तरणि	सूर्य	दिन	दिवस
तरणी	नाव	दीन .	दरिद्र
तरुणी	युवती	दोषी	अपराधी
दूत	संदेश-वाहक	दोषा	रात्रि
द्यूत	जुआ	नद	बड़ी नदी
द्विप	हाथी	नाद	ध्वनि
द्वीप	टापू	निधन	मृत्यु
नाग	हाथी, सर्प	निर्धन	गरीब
नग	पर्वत	पथ	मार्ग
नियत	निश्चित	पथ्य	रोगी को दिया जाने वाला भोजन
नियति	भाग्य		
परशु	कुल्हाड़ी	परिषद्	सभा
परुष	कठोर	पारिषद्	सभासद
परिणाम	नतीजा	प्रभाव	असर
परिमाण	माप-तौल	पराभव	हार
प्रकार	ढंग	वदन	शरीर
प्राकार	परकोटा	वदन	मुख
प्रासाद	महल	भाग्य	तक़दीर
प्रसाद	कृपा	भाग	हिस्सा
बात	बातचीत	मत	राय, नहीं
वात	वायु रोग, हवा	मति	बुद्धि

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
भिक्षु	संन्यासी	लक्ष्य	उद्देश्य
भिक्षुक	भिखारी	लक्ष	लाख
राज	राज्य	वसन	कपड़े
राज़	रहस्य	व्यसन	बुरी आदत
वर्ण	अक्षर, रंग	विवरण	ब्योरा
वरण	चुनना	विवर्ण	रंग रहित
वस्तु	चीज़	व्यजन	पंखा
वास्तु	भवन, घर	व्यंजन	पक़वान
व्यक्ति	मनुष्य	शर	तीर
व्यक्त	प्रकट	सर	तालाब, सिर
शंकर	महादेव	शुल्क	फ़ीस
संकर	मिला हुआ	शुक्ल	सफ़ेद
शूर	वीर	सम्मति	सलाह
सूर	अंधा	समिति	सभा
समान	बराबर	स्त्री	औरत
सम्मान	आदर	इस्त्री	पोशाक की सिकुड़न आदि को मिटाने वाला यंत्र (प्रेस)
सुत	पुत्र		
सूत	सारथी, सूत्र, धागा		

प्रश्न

१. यौगिक और योगरुढ़ि के अंतर सोदाहरण समझाइए।

२. निम्नांकित शब्दों——रूढ़ि, यौगिक, योगरूढ़ि और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी——की अलग-अलग सूचियाँ बनाइए :

काम, घोड़ा, जल, जलज, हाथी, कलम, पेन्सिल, मेज़पोश, चारपाई, कुर्सी, खाना, मुँह, खिड़की, पेड़, गज़ला, तौलिया, कोट, चाकू तोप, हज़ार, मकान, भवन, घुड़दौड़, चना, अन्न, डाकखाना, गर्म, शीतल, पुष्प, पत्ती, व्रजराज।

३. तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है ?

४. हिन्दी में प्रमुख रूप से किन-किन विदेशी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं ? अंग्रेजी के १५ ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो हिन्दी के अपने हो गए हैं।

५. अपनी पुस्तकों में से कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द खोजिए जो उपर्युक्त सूची में नहीं हैं।

६. घोड़ा, सोना, समुद्र, मूर्ख, तरंग, जाल, इच्छा के पाँच-पाँच पर्यायवाची शब्द बतलाइए।

७. पर्यायवाची शब्दों में कुछ तो एकार्थी (सुंदर-खूबसूरत) होते हैं, और कुछ समानार्थी (अहंकार-अभिमान)। कुछ एकार्थी और समानार्थी शब्दों की सूची बनाइए।

८. सहायता-सहयोग, पाप-अपराध, ईर्ष्या-स्पर्धा, अस्त्र-शस्त्र, आधि-व्याधि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

९. निम्नांकित का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए :
अनिवार्य-आवश्यक, अहंकार–अभिमान, बालक-बेटा, प्रणाम-नमस्ते, योग्यता-कुशलता।

१०. ऊपर दिए गए विभिन्न वर्गों के कुछ ऐसे द्विरुक्त शब्दों की सूची बनाइए जो ऊपर की सूची में न हों।

११. निम्नांकित का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए :
आगे-पीछे, भला-बुरा, जैसे-तैसे, लूला-लँगड़ा, मोह-माया, समझना-बूझना, रूखा-सूखा, हाथों-हाथ।

१२. अंतर स्पष्ट कीजिए :

(क) तुम्हारे पास कलम है ?
तुम्हारे पास कलम-वलम है ?

(ख) घर की यही दशा है।
घर-घर की यही दशा है।

(ग) चाय है ?
चाय-वाय है ?

१३. निम्नांकित शब्दों के विलोम बतलाइए :
संतोष, आर्य, सत्य, ग्राह्य, आस्तिक, अशिक्षित, निर्यात, निर्बल, सुबोध, साला, आय, प्राचीन।

१४. कुछ ऐसे विलोम शब्द बतलाइए जिनमें **अ, अन्, अप, ना** उपसर्ग जुड़ने पर विलोमता आती हो।

१५. क्या विलोम सभी शब्दों के हो सकते हैं? यदि हाँ तो निम्नलिखित के विलोम बताइए :
चाकू, आदमी, बाल, बड़ा, घोड़ा, दोस्त।

१६. क्या एक शब्द के एकाधिक विलोम भी हो सकते हैं?
आदमी का विलोम औरत है या जानवर या दोनों?

१७. असहिष्णु, वीरप्रसू, दीर्घसूत्री, अक्षम्य तथा अन्योन्याश्रित के अर्थ बतलाइए।

१८. निम्नांकित के लिए एक शब्द बतलाओ :
(क) जो निन्दा करे;
(ख) जिसे कहा न जा सके;
(ग) जो देखने योग्य हो;
(घ) जिसे सभी लोग मानें;
(ङ) जो इस लोक का न हो;
(च) जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो।

१९. निम्नांकित शब्दों में अंतर बताइए :
पुरुष-परशु-परुष, कोश-कोष, अभिज्ञ-अनभिज्ञ, मद-मद्य, उद्यत-उद्धत, सीध-सिद्ध।

२०. ऐसे समरूपी शब्दों की सूची बनाइए जो उपर्युक्त सूची में नहीं हैं।

अध्याय–१४

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

भाषा का प्रयोग भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से अभिव्यक्ति अधिक सशक्त, आकर्षक तथा प्रभावशाली बन जाती है। इनके सहारे थोड़े में बहुत अधिक भाव बहुत गहराई के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं। जनता की भाषा मुहावरों एवं लोकोक्तियों से ओत-प्रोत होती है। अनेक साहित्यिकों की भाषा भी इस दृष्टि से बहुत संपन्न होती है। इनसे उनकी भाषा में अतिरिक्त सहजता तथा धाराप्रवाहिता आ जाती है। प्रेमचंद की भाषा मुहावरों एवं लोकोक्तियों के कारण बहुत ही सशक्त और आकर्षक किन्तु सहल-सरल बन पड़ी है।

मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर

(क) **अर्थ के आधार पर अंतर:** मुहावरों में एक या कुछ शब्द अपना शाब्दिक या कोश का अर्थ छोड़ कोई नया अर्थ देने लगते हैं। उदाहरण के लिए **बाग-बाग होना, दाँत खट्टे करना, अक्ल के पीछे लट्ठ लिए फिरना** आदि मुहावरों के शाब्दिक अर्थ तो कुछ और हैं किन्तु प्रयोग में ये **बहुत प्रसन्न होना, बुरी तरह हराना,** तथा **बहुत बड़ा मूर्ख होना,** या **मूर्खता करते फिरना** अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जब हम कहते हैं कि 'मोहन अक्ल के पीछे लट्ठ लिए फिरता है' तो हमारा आशय यह नहीं होता कि वह सचमुच ही अक्ल के

पीछे लाठी लिए फिरता है। अक्ल कोई पशु नहीं है कि उसके पीछे लट्ठ लेकर फिरा जा सके। हमारा आशय उसकी मूर्खता से ही होता है। दूसरी ओर लोकोक्ति लोक में प्रचलित ऐसा वाक्य (पूर्ण या संक्षिप्त) होता है, जिसमें कोई अनुभव की बात संक्षेप में व्यक्त रहती है। जैसे–'साँप मरे ना लाठी टूटे'। लोकोक्ति में शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं लेते जैसा कि मुहावरे में करते हैं, बल्कि पूरे वाक्य का सार ग्रहण कर लेते हैं। उपर्युक्त लोकोक्ति का सार है 'काम भी बन जाए और अपनी हानि भी न हो'। यह अंतर अर्थ के स्तर पर हुआ।

(ख) **रूप के आधार पर अंतर :** (१) रचना के स्तर पर भी दोनों में अंतर है। मुहावरा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता और वह जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य में घुल-मिल जाता है। जैसे 'चोर सिपाही को देखकर **नौ-दो ग्यारह हो गया**' या 'परशुराम तो यों ही क्रोध में थे, लक्ष्मण की खरी-खोटी बातों ने **आग में घी का काम किया**'। इसके विपरीत लोकोक्ति अपने आपमें पूर्ण तथा स्वतंत्र होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसकी सत्ता स्वतंत्र बनी रहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होने पर दूध-पानी की तरह मिल जाता है, किन्तु लोकोक्ति पानी में घी की बूँद की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती है। उदाहरण के लिए––'कल मोहन नाराज़ होकर उन लोगों को डराने-धमकाने गया था पर वहाँ सबने मिलकर उसकी खूब **गत बनाई**, और वह **अपना-सा मुँह लेकर लौट आया**। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ और लोगों को लेकर जाओ, **अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता** अथवा पढ़ा-लिखा तो **खाक नहीं** पर बातें बड़ी **ऊँची-ऊँची** करता है। ठीक ही कहा है, **थोथा चना बाजे घना**।'

(२) मुहावरों के संबंध में एक यह बात भी लक्ष्य करने की है कि क्रियायुक्त मुहावरे **ना-अंत्य** होते हैं। जैसे–नौ-दो ग्यारह **होना**, फूले अंग न **समाना**, अपना उल्लू सीधा **करना** आदि। प्रयोग के समय इनका रूप क्रियाओं के काल, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदल जाता है। किन्तु लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता।

प्रयोग

मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रयोग से अर्थ स्पष्ट हो जाए, प्रयोग केवल प्रयोग के लिए न हो। उदाहरण के लिए विद्यार्थी से कहा जाए कि 'थोथा चना बाजे घना' का वाक्य में प्रयोग करो और विद्यार्थी लिख दे कि 'थोथा चना बाजे घना एक अच्छी लोकोक्ति है', तो यह प्रयोग होते हुए भी अपेक्षित प्रयोग नहीं माना जा सकता। अपेक्षित प्रयोग वह होता है जिसमें उसकी पूरी अर्थसत्ता स्पष्ट हो जाए। ऊपर इस प्रकार के प्रयोग दिए गए हैं।

नीचे कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं :

अंग-अंग ढीले होना—बहुत थक जाना।
अंगारों पर लोटना—ईर्ष्या से जलना।
अक्ल का दुश्मन—बहुत बड़ा मूर्ख।
अक्ल चरने जाना—मूर्ख या बिना बुद्धि का हो जाना।
अक्ल पर पत्थर पड़ना—मूर्ख या बिना बुद्धि का हो जाना।
अपना उल्लू सीधा करना—अपना मतलब निकालना।
अपना-सा मुँह लेकर रह जाना—लज्जित होकर चुप बैठ जाना।
अपनी खिचड़ी अलग पकाना—सबसे अलग रहना, सहयोग से काम न करके, अलग करना।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना—अपनी प्रशंसा करना।
आँखें चार होना—एक दूसरे को देखना, प्यार हो जाना।
आँख पर परदा पड़ना—सामने की बातों से अनजान रहना, कुछ न सूझना, मूर्ख या अज्ञानी होना।
आँखों में चर्बी छाना—घमंड करना, गर्व में चूर होना।
आँखों में धूल झोंकना—धोखा देना।
आँखों में रात काटना—रात भर जागना।
आँधी के आम—बहुत सस्ती चीज़।
आकाश-पाताल एक करना—बहुत प्रयत्न करना।
आग लगाकर तमाशा देखना—झगड़ा करवाकर उसमें आनंद लेना।

आकाश-पाताल का अंतर--वहुत अधिक अंतर ।
आग में घी डालना--कोई वात कहकर या काम करके गुस्सा और वढ़ाना ।
आटे-दाल का भाव मालूम होना--यथार्थ का पता चलना, कष्ट अनुभव होना ।
आपे से वाहर होना--वहुत नाराज़ होना, गुस्से में होश-हवास खो बैठना ।
इधर कुआँ उधर खाई--दोनों ही ओर कठिनाई, कोई रास्ता न रह जाना ।
ईद का चाँद होना--वहुत कम या वहुत दिनों के वाद दिखाई पड़ना ।
उन्नीस-बीस होना--वहुत थोड़ा अंतर होना ।
उलटी गंगा वहाना--उलटे काम करना, उलटी वातें करना ।
ऊँट के मुँह में जीरा--आवश्यकता से वहुत कम ।
कब्र में पैर लटकाए होना--मरने के क़रीव होना, मरणासन्न ।
कान काटना--किसी से वढ़कर (अधिक चालाक) होना ।
कान पकड़ना--दंड देना, किसी काम को पुनः न करने के लिए प्रतिज्ञा करना ।
कान पर जूँ न रेंगना--तनिक भी ध्यान न देना ।
किताबी कीड़ा--वहुत पढ़नेवाला, हमेशा पुस्तकों में डूवा रहनेवाला ।
कुत्ते की मौत मरना--वहुत बुरी तरह मरना ।
कोल्हू का बैल--विना समझे-बूझे दिन-रात कठिन परिश्रम करनेवाला, कठिन परिश्रम करके भी अपनी मूर्खता के कारण तनिक भी उन्नति न करनेवाला ।
खटाई में पड़ना--किसी कार्य में व्यर्थ में देर होना ।
ख्याली पुलाव पकाना--कल्पना की दुनिया में रहना, हवाई क़िले वनाना ।
गड़े मुरदे उखाड़ना--पुरानी या भूली हुई वात को फिर से सामने लाना ।
गुड़-गोवर कर देना--काम विगाड़ देना ।
घड़ों पानी पड़ना--वहुत लज्जित होना ।
घाव पर नमक छिड़कना--किसी दुखी व्यक्ति को कड़वे शब्दों से और भी दुखी करना ।
घोड़े बेचकर सोना --निश्चिंत हो जाना ।
चल बसना--मर जाना

छक्के छुड़ाना--बुरी तरह हराना, डटकर इतना मुकावला करना कि विरोधी की हालत बुरी हो जाए ।
छाती पर मूँग दलना--ज़वर्दस्ती किसी का जी दुखाना ।
ज़मीन पर पाँव न पड़ना--बहुत अभिमानी हो जाना ।
ज़हर का घूँट पीना--कठोर वात सुनकर या कोई असह्य दृश्य देखकर भी अपने को दवाकर चुप रह जाना ।
जान पर खेलना--प्राणों को संकट में डालना ।
जीती मक्खी निगलना--जानते हुए भी गलत काम को स्वीकार करना ।
टट्टी की आड़ में शिकार करना--छिपे-छिपे या गुप्त रीति से अपना काम करना ।
टेढ़ी खीर--बहुत कठिन कार्य ।
ढोल पीटना--सवसे कहते फिरना ।
तिल का ताड़ वनाना--छोटी-सी वात को बहुत वड़ी वनाकर कहना ।
थूककर चाटना--पहले कहकर फिर वदल जाना ।
दाल में काला होना--कुछ गड़वड़ होना ।
दाल न गलना--वस न चलना ।
दीन-दुनिया भूल जाना--विल्कुल बेखवर हो जाना ।
नाक में दम करना--बहुत तंग करना ।
नाकों चने चववाना--बहुत परेशान करना ।
पहाड़ टूटना--बहुत वड़ी विपत्ति आ जाना ।
पाँचों उँगलियाँ घी में होना--लाभ ही लाभ होना, हर तरफ़ से लाभ होना ।
पेट में चूहे दौड़ना--बहुत भूखा होना ।
फूँक-फूँककर क़दम रखना--बहुत-समझ-बूझ कर आगे वढ़ना या कोई कार्य करना ।
फूले न समाना--बहुत प्रसन्न होना ।
वछिया का ताऊ--बेवकूफ़ ।
वहती गंगा में हाथ धोना--अवसर का लाभ उठाना ।
वाएँ हाथ का खेल--अत्यंत सरल कार्य ।
वाल-वाँका न कर सकना--थोड़ी भी हानि न पहुँचा सकना, कुछ न कर पाना ।

मुट्ठी गरम करना—रिश्वत देना ।
रफूचक्कर हो जाना—चलते बनना, भाग जाना ।
लकीर का फ़कीर होना—पुरानी परंपराओं का पालन करना, पुरानी लीक पर चलना ।
लट्टू होना—मोहित होना ।
लेने के देने पड़ना—लाभ के स्थान पर हानि होना, अच्छे के स्थान पर बुरा होना ।
सफ़ेद झूठ—बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ ।
सब्ज़ बाग दिखाना—झूठा लालच देना ।
हाथ धोकर पीछे पड़ना—बुरी तरह से पीछे पड़ना ।
हाथ-पाँव फूल जाना—अकस्मात् कोई परेशानी या विपत्ति आने से घबरा जाना, किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाना ।
हाथ मलना—पछताना ।

लोकोक्तियाँ :

अंधा क्या चाहे दो आँखें—आदमी वही चाहता है जिसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता होती है ।
अंधी पीसे कुत्ता खाए—मूर्ख कमाता है तो उसका उपभोग दुष्ट ही करते हैं । एक कमाए, दूसरा खाए ।
अंधों में काना राजा—मूर्खों के बीच थोड़े समझदार की भी पूछ होती है ।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता—अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता ।
अटका बनियाँ देय उधार—दबने पर मनुष्य सब कुछ करता है या विवश मनुष्य क्या-कुछ नहीं करता ।
अधजल गगरी छलकत जाए—ओछा आदमी बहुत दिखावा करता है या अयोग्य व्यक्ति बहुत ऐंठता है ।
अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष—अपने लोग बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहनेवालों का क्या दोष ।
अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत—अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है ।

अरहर की टट्टी गुजराती ताला——थोड़ी कीमत की वस्तु की रक्षा के लिए बहुत अधिक खर्च करना ।

आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास——आए थे कुछ और करने और करने लगे दूसरा काम ।

आ बैल मुझे मार——जान बूझकर झगड़ा अथवा विपत्ति मोल लेना ।

आम के आम, गुठलियों के दाम——एक काम से दुहरे लाभ ।

आमों की कमाई, नींबू में गँवाई——एक वस्तु से हुए लाभ का किसी और वस्तु से हुई हानि के कारण बेकार हो जाना ।

उलटा चोर कोतवाल को डाँटे——प्रायः ग़लती करनेवाला डाँटा जाता है, किन्तु यहाँ उलटी बात है–दोषी ही डाँटता है ।

ऊँची दुकान फीका पकवान——नाम बहुत बड़ा पर काम कुछ नहीं । ऊपरी आडंबर तो बहुत हो किन्तु भीतर से वास्तविकता कुछ न हो तो भी ऐसा कहते हैं ।

एक अनार सौ बीमार——चीज़ थोड़ी, चाहनेवाले बहुत ।

एक पंथ दो काज——एक काम में दुहरा लाभ अथवा एक काम करने से दो कामों का हो जाना ।

कंगाली में आटा गीला——मुसीबत में और मुसीबत ।

का बरखा जब कृषी सुखानी——काम बिगड़ जाने पर साधन जुटाने से क्या लाभ ?

काला अक्षर भैंस बराबर——बिल्कुल अनपढ़ ।

खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है——एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है ।

खरी मजूरी चोखा काम——उचित मज़दूरी से काम भी अच्छा होता है ।

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे——किसी काम या बात आदि से लज्जित होकर किसी समर्थ के प्रति व्यर्थ में क्रोध प्रदर्शित करना ।

खोदा पहाड़ निकली चुहिया——परिश्रम बहुत अधिक, लाभ बहुत कम ।

गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास——अवसरवादी ।

गेहूँ के साथ घुन पिसता है—दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। संगति का परिणाम भुगतना ही पड़ता है।

घर का भेदी लंका ढाए—आपस की फूट से सर्वनाश हो जाता है।

घर की मुर्गी दाल बराबर—घर की चीज़ की कद्र नहीं होती।

चोर की दाढ़ी में तिनका—चोर या अपराधी खुद डरता है।

छोटा मुँह बड़ी बात—योग्यता या शक्ति से बढ़कर बातें करना।

जंगल में मोर नाचा, किसने देखा—जब कोई अपना गुण ऐसे स्थान पर दिखाए जहाँ उसे देखने या समझने वाला कोई न हो तो ऐसा कहते हैं।

जल में रहकर मगर से बैर—जिसके आश्रय में रहना हो, उसी से बैर करना उचित नहीं।

जिसकी लाठी उसकी भैंस—बलवान की ही जीत होती है।

डूबते को तिनके का सहारा—आफ़त के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है।

तबेले की बला बंदर के सिर—दूसरे की आफ़त दूसरे पर।

ताली एक हाथ से नहीं बजती—झगड़े में कुछ न कुछ दोष दोनों ही पक्षों का होता है।

थोथा चना बाजे घना—अयोग्य, निकम्मे या ओछे आदमी बहुत बढ़-बढ़-कर बातें करते हैं।

दूर के ढोल सुहावने—दूर की बातें अच्छी लगती हैं।

दोनों हाथों में लड्डू—दोनों ओर लाभ।

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का—जो इधर-उधर बहुत जाता है वह कहीं का भी नहीं रहता।

नौ नकद न तेरह उधार—ज्यादा मूल्य में उधार देने की अपेक्षा कम मूल्य में नकद बेचना कहीं अच्छा है।

पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं—सभी एक एक-से नहीं होते।

बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख—संतोष करके न माँगनेवालों को सब कुछ मिल जाता है किन्तु माँगनेवाले को कुछ नहीं।

मन चंगा तो कठौती में गंगा—मन शुद्ध है तो घर ही तीर्थ है।

रस्सी जल गई पर बल नहीं गया——कमजोर, गरीब या पहले की तुलना में बहुत महत्त्वहीन हो जाने पर भी यदि कोई बहुत घमंड करे तो ऐसा कहते हैं।

लातों के भूत बातों से नहीं मानते——दुष्ट व्यक्ति दंड से ही मानते हैं, प्रेम से समझाने से नहीं।

सहज पके सो मीठा होय——धीरे-धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा या सुखदाई होता है।

साँच को आँच नहीं—जो सच्चे रास्ते पर है, उसे क्या डर ?

हथेली पर सरसों नहीं जमती——हर काम में समय लगता है, कोई काम चाहने से तुरंत नहीं हो जाता।

हाथी निकल गया दुम रह गई——सारा काम हो जाना, बस थोड़ा सा शेष रह जाना।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात——होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा के लक्षण उनके बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं।

प्रश्न

१. लेखन में मुहावरे और लोकोक्ति की क्या उपयोगिता है ?

२. मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है ?

३. पहले, चौथे, नवें, चौदहवें और अठारहवें मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए।

४. तीसरी, पाँचवीं, नवीं, तेरहवीं और बीसवीं लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए।

५. एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें एक मुहावरे और एक लोकोक्ति का प्रयोग हो।

६. अपनी पाठ्यपुस्तक से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ चुनिए।

७. बताइए निम्नांकित में कौन-कौन-से मुहावरे हैं, और कौन-कौन-सी लोकोक्तियाँ :

(क) जिसकी लाठी उसकी भैंस।

(ख) उल्टी गंगा बहाना।

(ग) घाव पर नमक छिड़कना।

(घ) अधजल गगरी छलकत जाय।

(ङ) आग में घी डालना।

अध्याय–१५

पत्र-लेखन और निबंध

पत्र-लेखन

पत्रों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। पत्र मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं :

(क) व्यक्तिगत या निजी पत्र : जो पत्र संबंधियों, मित्रों या परिचितों आदि को लिखे जाते हैं वे व्यक्तिगत या निजी पत्र कहलाते हैं।

(ख) व्यावसायिक पत्र : दुकानदारों, व्यापारियों, प्रकाशकों या कंपनियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहते हैं।

(ग) सरकारी पत्र : ये पत्र किसी व्यक्ति की ओर से शासन को, किसी शासन-विभाग से दूसरे शासन-विभाग को या शासन की ओर से व्यक्ति को लिखे जाते हैं। आवेदन-पत्र, अर्धसरकारी पत्र आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं।

पत्र के अंग : पत्र के निम्नांकित आठ अंग होते हैं :

(१) **पत्र-लेखक का पता और तारीख**---पत्र की दाईं ओर ऊपर कोने में पता लिखते हैं, और उसके नीचे तारीख। उदाहरण के लिए :

ई ४/२३ माडल टाउन, दिल्ली।

कभी-कभी केवल शहर का नाम ही लिखते हैं :

इलाहाबाद।

इनमें पहली पद्धति अधिक अच्छी है, क्योंकि पत्र पानेवाले को उत्तर देने के लिए पता खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(२) **संबोधन :** पता और तारीख से कुछ नीचे वाईं ओर संबोधन लिखते हैं। व्यावसायिक तथा सरकारी पत्रों में प्रिय महोदय, प्रिय महाशय, महाशय, महोदय आदि लिखा जाता है । व्यक्तिगत पत्रों में अनेक प्रकार के संबोधन चलते हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं :

वड़ों के लिए या तो केवल श्रद्धेय, परमपूज्य, आदरणीय, पूज्यपाद, माननीय, पूजनीय, मान्यवर आदि (स्त्रियों के लिए पूज्या, पूज्यपाद, माननीया आदि) या संबंधोल्लेख के साथ, जैसे परमपूज्य पिता जी, आदरणीय माता जी आदि लिखते हैं । वरावरवालों को प्रियवर, प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर या नाम के साथ (प्रिय मोहन, प्रिय भाई मोहन) प्रिय जोड़कर लिखा जाता है । छोटों के लिए आयुष्मान्, प्रियवर, परम प्रिय, प्रिय बंधु, या नाम के साथ प्रिय (प्रिय अरुण) चिरंजीव आदि जोड़ते हैं ।

(३) **अभिवादन** : सरकारी तथा व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा प्रायः नहीं है । व्यक्तिगत पत्रों में वड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरणस्पर्श, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, सादर नमस्कार आदि; वरावर वालों को नमस्ते, नमस्कार, जयहिन्द, जय रामजी की; तथा छोटों को आशीर्वाद, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, आशीष, सौभाग्यवती रहो (विवाहिता के लिए) आदि लिखा जाता है ।

(४) **पत्र का कलेवर :** अभिवादन के नीचे, वाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र का प्रारंभ करते हैं । मूल पत्र में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह न तो बेकार में वहुत लंवा हो और न इतना संक्षिप्त कि अपेक्षित सूचना न पहुँचा सके । पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा विषयानुकूल होनी चाहिए । व्यर्थ की भारी-भरकम शब्दावली तथा अलंकृत अभिव्यक्ति से वचना चाहिए ।

(५) **कलेवर की समाप्ति** : पत्र के कलेवर की समाप्ति प्रायः कुछ वाक्यों या शब्दों से की जाती है । जैसे–शेष फिर, शेष मिलने पर,

सधन्यवाद, धन्यवाद-सहित, कष्ट के लिए क्षमा, पत्र की प्रतीक्षा में, योग्य सेवा की प्रतीक्षा में, दर्शन की प्रतीक्षा में आदि । यों कुछ लोग इनका प्रयोग नहीं भी करते ।

(६) **हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली** : जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उससे अपने संबंध के अनुसार पत्र-लेखक पत्र के अंत में, हस्ताक्षर से पूर्व एक या अधिक संबंधद्योतक शब्दों का प्रयोग करता है । सरकारी तथा व्यावसायिक पत्रों में प्राय: **भवदीय** या **आपका** लिखते हैं । बड़ों को लिखे गए पत्रों में आज्ञाकारी, विनीत, आपका दास, दास, सेवक, कृपा-कांक्षी, स्नेहभाजन आदि; बराबर वालों के पत्रों में आपका, आपका ही, तुम्हारा, सस्नेह, तुम्हारा, अभिन्न, तुम्हारा अपना ही, अभिन्न-हृदय, तथा छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिन्तक, शुभैषी, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि लिखते हैं । आवेदन पत्र में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखते हैं ।

(७) **हस्ताक्षर** : बड़ों को लिखे गए पत्रों में विनम्रतावश प्राय: केवल नाम लिखने की परंपरा है । नाम के साथ तिवारी, शर्मा, सिंह, गुलाटी आदि नहीं । अन्य पत्रों में पूरा नाम लिखते हैं । व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में तो पूरा नाम अवश्य ही लिखा जाना चाहिए ।

(८) **पता** : पत्र के अंत में पता होता है । आवेदन-पत्र आदि में पता हस्ताक्षर के नीचे दाईं तरफ लिखते हैं । अन्य पत्रों में लिफाफे में ऊपर तथा पोस्टकार्ड में निर्धारित स्थान पर भी पता लिखते हैं । विश्व में सर्वत्र पता लिखने की एक ही पद्धति नहीं है । उदाहरण के लिए रूस में पते में देश या शहर का नाम सबसे ऊपर, मुहल्ला आदि उसके बाद और अंत में पत्र पानेवाले का नाम लिखते हैं । भारत आदि अधिकतर देशों में इसका ठीक उलटा चलन है—पते में पहले पत्र पानेवाले का नाम, फिर गाँव, डाकखाना, ज़िला और अंत में राज्य लिखा जाता है :

डा० मोहन लाल श्रीवास्तव

गाँव : आरीपुर

डाकघर : नोनहरा

ज़िला : गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश)

तथा शहरों के पते में नाम, मकान नंबर, मुहल्ला तथा शहर का नाम आदि लिखते हैं :

श्री रामनाथ चतुर्वेदी
४/१५, ईश्वरगंगी
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

कुछ पत्रों के नमूने

(१) पिता को रुपयों के लिए पत्र

ए१०/१४, राणाप्रताप बाग़
दिल्ली–७
२०-५-७१

परम पूज्य पिता जी,

सादर चरण-स्पर्श ।

बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला । विश्वास है, आप सभी लोग सकुशल होंगे ।

इस महीने मेरी वार्षिक परीक्षा के फ़ार्म भरे जाएँगे; साथ ही मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकें भी खरीदनी हैं । अतएव कृपाकर मेरे मासिक व्यय के साथ साठ रुपए और भेजने की कृपा करें ।

आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है । मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकूँगा ।

पूजनीया माता जी को सादर प्रणाम, मुन्नी को प्यार । आशा है पत्रोत्तर शीघ्र देंगे ।

विनीत,
गौरी शंकर

(२) छोटे भाई को पढ़ाई के संबंध में पत्र

४१५, टैगोर टाउन,
इलाहाबाद
३-४-७१

प्रिय अनूप,

प्रसन्न रहो।

तुम्हारा पिछला पत्र मुझे यथासमय मिल गया था, किन्तु व्यस्तता के कारण मैं इसके पूर्व उत्तर न दे सका। विश्वास है, बुरा न मानोगे।

इधर मुझे पिताजी का एक पत्र मिला है जिससे मैं अत्यधिक चिन्तित हो गया हूँ। पिताजी को अपने एक मित्र से पता चला है कि तुम अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हो, और अपना अधिकतर समय गपशप, सिनेमा तथा ताश खेलने में व्यतीत करते हो। तुम्हें पता है कि पिता जी अपना खून पसीना एक कर हम लोगों की शिक्षा के लिए साधन एकत्र करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम लोग उनके धन का तथा अपने समय का सदुपयोग नहीं करते तो यह उनके प्रति घोर अन्याय है। सिनेमा जाना, बात-चीत करना या ताश खेलना बुरा नहीं है, किन्तु हर काम अपनी सीमा के भीतर ही ठीक होता है। और फिर यह समय तो अधिक से अधिक अध्ययन का है। ऐसी स्थिति में इस समय तुम्हें अपना समय पढ़ने में ही लगाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में तुम्हारे बारे में ऐसी बात सुनने को न मिलेगी और तुम परिश्रम से पढ़कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे। पत्र का उत्तर देना। पिता जी को भी एक पत्र डाल देना।

शुभैषी,
सस्नेह,
जगदीश

आयुष्मान् अनूपचंद शर्मा
कमरा न० ११, जैन छात्रावास
कर्नलगंज, इलाहाबाद

(३) मित्र को कश्मीर-भ्रमण के संबंध में पत्र

७६, गणेशगंज, लखनऊ
१३-२-७२

प्रिय अरुण,

नमस्ते ।

वहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला । तुम कभी-कभी ऐसी चुप्पी साध जाते हो कि कुछ पता ही नहीं चलता । तुम्हें याद होगा, पिछले वर्ष जव हम लोग मसूरी घूमने गए थे तो यह तय हुआ था कि अगले ग्रीष्मावकाश में कश्मीर घूमने चलेंगे । अव समय नजदीक आ गया है, अतः पुनः कार्यक्रम वन जाना चाहिए । सुरेन्द्र का भी पत्र आया था । वह अपने एक मित्र की सहायता से, जो दो वार कश्मीर हो आए हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा वना रहा है । मैं शीघ्र ही कार्यक्रम तुम्हारे पास भेजूँगा ।

और हाँ, मैंने तय किया है कि कश्मीर-भ्रमण का समूचा व्यय-भार मैं वहन करूँगा और इस वार तुम्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं करनी होगी । मेरा यह निश्चय तुम्हें मानना होगा । परंतु इसे तुम कहीं ऋणशोध का प्रयत्न न मान बैठना । तुम मेरे इतने अभिन्न हो कि मुझे विश्वास है मेरी वात को तुम कभी अन्यथा न समझोगे । आशा है, तुम्हारा वायलिन का अभ्यास यथापूर्व चल रहा होगा। उसे साथ ले चलना । झीलों के किनारे वायलिन की सुरलहरी हमारे मनोरंजन में चार चाँद लगाएगी । पत्रोत्तर शीघ्र देना ।

अभिन्न,
रमेश

श्री अरुण कुमार वर्मा
हरिशंकरी
ग़ाजीपुर (उ० प्र०)

(४) मित्र का उत्तर

हरिशंकरी, गाज़ीपुर
२५-२-७२

प्रिय रमेश,

सस्नेह नमस्ते !

तुम्हारा पत्र मिला । कुछ परेशानियों के कारण मैं इधर बहुत दिनों से तुम्हें पत्र न लिख सका था, इसका मुझे दुःख है । अब सारी परेशानियाँ समाप्त हो गई हैं । मुझे प्रसन्नता है कि तुमने बड़े उचित समय पर कश्मीर-भ्रमण की याद दिलाई । मैं अवश्य चलूँगा । तुमने और भी जो संकेत दे दिया अच्छा ही किया । तुमसे क्या दुराव—मेरे लिए इस समय मार्ग आदि के व्यय की व्यवस्था करना दुष्कर ही होता । वायलिन का अभ्यास तो छूट-सा गया था, किन्तु एक सप्ताह से मैंने फिर प्रारंभ कर दिया है । कश्मीर में वायलिन की सुरलहरी निश्चय ही हमारा साथ देगी । कार्यक्रम शीघ्र भेजना । अनूप के संबंध में तुमने कुछ नहीं लिखा । उसे भी कश्मीर-यात्रा की सूचना दे देना ।

तुम्हारा,
अरुण

श्री रमेश चंद्र
७६, गणेशगंज
लखनऊ

(५) माता को पत्र

कमला नगर, दिल्ली
१५-५-७१

आदरणीया माता जी,

सादर चरणवंदना ।

आपका आशीष-भरा पत्र मुझे कल ही मिला । यह जानकर चिन्ता दूर हुई कि आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक है ।

आपने मेरे विवाह के संबंध में लिखा है । यों तो आपकी प्रत्येक आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, और आपको यह भी अच्छी तरह याद होगा कि मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की धृष्टता नहीं की है । किन्तु इस आज्ञा के संबंध में एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा । मैं अभी विद्यार्थी हूँ और कम से कम दो वर्ष तक और मेरा पढ़ने का विचार है । एक समय था जब बहुत कम आयु में लोगों का विवाह हो जाया करता था, किन्तु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यही उचित है कि अपने पैरों पर खड़े होने के बाद विवाह किया जाए । आप जानती हैं कि हम लोगों की आय के साधन बड़े सीमित हैं । साथ ही विद्यार्थी-जीवन में विवाह किसी न किसी सीमा तक बाधक अवश्य बनता है । ऐसी स्थिति में, सारी बातों को देखते हुए, मैं यही प्रार्थना करूँगा, कि आप अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगी और पत्र द्वारा अपने निर्णय से मुझे अवगत कराएँगी ।

पत्र की प्रतीक्षा में,

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
राकेश

श्रीमती सरला देवी,
ग्राम––आरीपुर
पो०––जंगीपुर
गाज़ीपुर (उ० प्र०)

(६) निमंत्रण-पत्र

४, लखनऊ रोड,
दिल्ली
१६-५-७१

प्रिय महोदय,

मेरे पुत्र चि० जसवंत का शुभ विवाह गाज़ियाबाद-निवासी डा० कुलदीप वर्मा की पुत्री कुमारी सरस्वती से ३०-५-७१ को होना निश्चित हुआ है। आप से सानुरोध निवेदन है कि बरात में सम्मिलित होकर हमारे परिवार को गौरव और वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान करें।

दर्शनाभिलाषी,
कृष्णवीर वर्मा

कार्यक्रम

३०-५-७१	तीसरे पहर : चार बजे लखनऊ रोड से बस द्वारा बरात का प्रस्थान;
३०-५-७१	शाम को छह बजे द्वारपूजा;
३०-५-७१	रात के ६ बजे विवाह-संस्कार;
३१-५-७१	प्रातः ६ बजे विदा।

(७) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

प्रधानाध्यापक महोदय,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
शक्तिनगर, दिल्ली ।

श्रीमन्,

आज सूचनापट पर यह सूचना पढ़कर कि विद्यालय की ओर से निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी, आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने का साहस कर रहा हूँ ।

निवेदन यह है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है । मेरे पिता जी प्रातः समाचारपत्र तथा शाम को रोटी और मक्खन बेचते हैं । माता जी सिलाई का काम करती हैं । उनकी अत्यंत सीमित आय से परिवार के सात सदस्यों का भरण-पोषण हो रहा है । इस समय हम चार भाई-बहिन पढ़ रहे हैं ।

मैं पिछली परीक्षा में कक्षा में द्वितीय आया था । खेलकूद में भी मेरी दिलचस्पी है और विद्यालय की ओर से मुझे कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं । और आपको यह भी ज्ञात होगा कि विद्यालय के सभी अध्यापक मेरे अनुशासित आचरण से पूर्णतः संतुष्ट हैं ।

इन सभी बातों को देखते हुए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें । मैं अभी तक सारी पाठ्यपुस्तकें नहीं खरीद सका हूँ । मुझे विश्वास है कि इस आर्थिक सहायता से अपनी पुस्तकें खरीद सकूँगा और आगामी परीक्षा में और अच्छे अंक ला सकूँगा ।

प्रार्थी,
रेवती रमण
कक्षा ६ ब
अनुक्रमांक-२

२०-७-७१

(८) वी० पी० द्वारा पुस्तकें भेजने के लिए प्रकाशक को पत्र

कमरा नंबर ८,
रामजस कालेज छात्रावास,
यूनिवर्सिटी इनक्लेव,
दिल्ली-७
१५-८-७१

व्यवस्थापक महोदय,
साहित्य भवन लिमिटेड,
जीरो रोड,
इलाहाबाद।

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित पुस्तकों की एक-एक प्रति वी० पी० द्वारा भेजने का कष्ट करें :

१. हमारे लेखक—राजेन्द्रसिंह
२. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—डा० वार्ष्णेय
३. तुलसी रसायन—डा० भगीरथ मिश्र

जैसा कि आपने चाहा था, ५ रु० अग्रिम अलग मनीआर्डर से सेवा में भेज रहा हूँ।

भवदीय,
देवदत्त पुरी

(९) नौकरी के लिए आवेदन-पत्र

डासनागेट, गाज़ियाबाद
(उ० प्र०)
१८-५-७१

सेवा में,

महानिदेशक,
डाक एवं तार विभाग, भारत सरकार,
डाक-तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट,
नई दिल्ली—१ ।

विषय—नौकरी के लिए आवेदन-पत्र

महोदय,

निवेदन है कि दैनिक नवभारत टाइम्स के १६-५-७१ के अंक में प्रकाशित विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके कार्यालय में कुछ लेखाकारों की जगहें खाली हैं। मैं भी उनमें से एक के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित करना चाहता हूँ ।

मेरी आयु इस समय लगभग २० वर्ष है ।

मैंने १९७० में आगरा विश्वविद्यालय से बी०काम० की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी ।

पिछले छह महीने से मैं एक स्थानीय फ़र्म में लेखाकार के पद पर सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे सेवा का अवसर दिया गया तो अपने कार्य एवं व्यवहार से मैं सभी संबंधित व्यक्तियों को संतुष्ट रख सकूँगा ।

प्रार्थी,
हरिकृष्ण वर्मा

(१०) नौकरी के लिए आवेदन-पत्र

ई ८/१३, माडल टाउन,
दिल्ली
१६-५-७१

श्रीमान प्राचार्य,
दिल्ली महाविद्यालय,
दिल्ली-६ ।

महोदय,

कल के 'दैनिक' हिन्दुस्तान से पता चला कि आपके पुस्तकालय में एक क्लर्क की आवश्यकता है। उक्त पद के लिए मैं अपनी सेवाएँ अर्पित करना चाहता हूँ ।

मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में इंटर पास किया है और दो महीने के लिए अलीगढ़ के एक पुस्तकालय में काम भी कर चुका हूँ । मेरी आयु २३ वर्ष है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे काम का अवसर दिया गया तो मैं अपने कार्य से आपको, तथा पुस्तकालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहयोगियों को पूर्णतः संतुष्ट कर सकूँगा ।

भवदीय,
यमुनाप्रसाद वर्मा

(११) चेचक के टीके के लिए आवेदन-पत्र

दत्तापुर,
२३-५-६८

श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी (हेल्थ आफिसर),
गाज़ीपुर

विषय: चेचक के टीके की व्यवस्था ।

महोदय,

शायद आपको ज्ञात होगा कि गाज़ीपुर ज़िले के उत्तरी भाग में जंगीपुर तथा कासिमाबाद के बीच ज़ोरों की चेचक फैली हुई है। लगभग १० व्यक्ति मर भी चुके हैं। कृपया इस क्षेत्र के तथा आसपास के गाँवों में शीघ्रातिशीघ्र चेचक का टीका लगवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
रणजीत सिंह

निबंध

निबंध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर अपने विचारों को एक सीमित आकार में और विषय के अनुरूप भाषा-शैली में व्यक्त किया गया हो।

निबंध प्रमुख रूप से पाँच प्रकार के माने जाते हैं :

(१) **वर्णनात्मक**—इसमें विषय का वर्णन रहता है।

जानवरों (हाथी, गाय, घोड़ा), **खनिजों** (कोयला, सोना, चाँदी), **नगरों** (दिल्ली, आगरा), **देशों** (भारत, अमरीका) तथा **ऋतुओं** (वर्षा, वसंत) आदि से संबंधित निबंध इसीके अंतर्गत आते हैं।

(२) **विवरणात्मक**–इसमें विवरण होता है। **घटनाओं** (कोई मनोरंजक घटना), **दुर्घटनाओं** (बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, रेल-दुर्घटना), **यात्राओं** (रेल-यात्रा, बस-यात्रा), **पर्वों** (होली, दिवाली) तथा **जीवनियों** (राम, कृष्ण, बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती) आदि से संबद्ध निबंध इसके अंतर्गत आते हैं।

(३) **विचारात्मक**–ऊपर के दोनों वर्गों में वर्णन या विवरण की प्रधानता थी किन्तु इस वर्ग के निबंधों में निबंध-लेखक अधिक गहराई में उतर कर विषय को देखता है तथा उसके संबंध में अपने निजी विचार व्यक्त करता है। सामाजिक-धार्मिक प्रश्न (अछूत-समस्या, विधवा-विवाह) या वीरता, धैर्य, ईमानदारी, सत्य, चरित्र, प्रेम, जैसे विषय इसमें आते हैं।

(४) **व्याख्यात्मक**—इस प्रकार के निबंधों में विषय-विशेष की व्याख्यात्मक विवेचना की जाती है। विज्ञान, कला, साहित्य आदि विषयक निबंध इस श्रेणी में आते हैं। लोकोक्ति (जहाँ चाह वहाँ राह) एवं उद्धरण ('अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी') पर लिखे जाने वाले निबंध भी इसी वर्ग में रखे जा सकते हैं।

(५) **कल्पनात्मक**—ऐसे निबंधों में प्रधानता उन विषयों की होती है जिनके लेखन में कल्पना का स्थान प्रमुख होता है, जैसे–'यदि मैं भारत का शिक्षा-मंत्री होता', 'यदि मैं देश का प्रधान मंत्री होता', 'पैसे की आत्मकथा', 'पुस्तक की आत्मकथा' आदि।

सच पूछा जाए तो इन बहुमान्य पाँच प्रकारों को केवल तीन वर्गों में भी रखा जा सकता है : वर्णनात्मक, विचारात्मक, कल्पनात्मक। यहाँ विवरणात्मक को वर्णनात्मक में तथा व्याख्यात्मक को विचारात्मक में समाहित किया गया है। इनमें वर्णनात्मक में मात्र वर्णन होता है, विचारात्मक में गहराई में उतर कर विषय पर विचार करते हैं तथा कल्पनात्मक में कल्पना से बहुत अधिक सहायता ली जाती है।

निबंध-लेखन :

निबंध-लेखन में **विषय-सामग्री, भाषा-शैली** तथा **निबंध के अंग** ये तीन बातें विचारणीय हैं ।

सामग्री–सामग्री का संकलन निबंध-लेखन की प्राथमिक आवश्यकता है । विषय से संबंधित सामग्री के चयन में निबंध-लेखक अपने **अध्ययन, चिन्तन, अनुभव** तथा **कल्पना** का सहारा लेता है । इन चारों ही दृष्टियों से निबंध-लेखक जितना ही संपन्न होगा, वह अपने निबंध के लिए उतनी ही अच्छी सामग्री संकलित कर सकेगा । सामग्री-संकलन प्राय: अपनी स्मरण-शक्ति के आधार पर विना किसी का सहारा लिए भी किया जा सकता है । किन्तु कभी-कभी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों एव अध्यापक आदि से सहायता भी लेनी पड़ सकती है ।

भाषा-शैली–भाषा-शैली विषय के अनुरूप तथा प्रभावोत्पादक होनी चाहिए । सरल तथा मुहावरेदार भाषा कठिन और कृत्रिम भाषा से अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होती है । इसी प्रकार व्यर्थ के आडंवरपूर्ण शब्द-जाल या अप्रचलित एवं अल्पप्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी वचना चाहिए। वाक्य वहुत वड़े एवं उलझे हुए नहीं होने चाहिए । विषय-विवेचन में ली गई विभिन्न वातों के अनुसार निबंध अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए । विराम-चिह्नों के प्रयोग की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । अपनी वात स्पष्ट करने के लिए कभी-कभी अलंकारों का प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है, किन्तु इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यर्थ में दुरूह अलंकारों के सायास प्रयोग से निबंध बोझिल एवं नीरस न हो जाए ।

निबंध के अंग :

निबंध के तीन अंग होते हैं: **भूमिका, प्रसार** और **उपसंहार** । साधारणत:इनमें विस्तार की दृष्टि से १:५:१ का अनुपात रखा जाता है ।

भूमिका : यह विषय-प्रवेश है । भूमिका कैसे प्रारंभ करें––इसका वहुत निश्चित उत्तर देना कठिन है । विषय एवं निबंध-लेखक की रुचि, शैली आदि के आधार पर इसके अनेक रूप हो सकते हैं । सामान्यत: निम्नांकित छह-सात तरह से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है :

१. किसी कवि, लेखक, वक्ता या शास्त्र के उद्धरण से ।

२. किसी घटना या कहानी आदि के अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख से।
३. निबंध के विषय की महत्ता के दिग्दर्शन से।
४. विषय की परिभाषा आदि से।
५. विषय के प्रतिकूल कुछ कहते हुए।
६. किसी लोकोक्ति से।
७. सीधे विषय पर आकर।

भूमिका के बारे में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह सुरुचि-पूर्ण एवं आकर्षक हो ताकि पाठक को सहज रूप से खींच सके। अंग्रेजी की कहावत है 'वैल बिगन इज़ हाफ डन'। इस प्रकार निबंध की सफलता काफ़ी अंशों तक उपयुक्त भूमिका पर निर्भर होती है, अतः यह बहुत समझ-बूझ कर लिखी जानी चाहिए।

प्रसार : प्रसार निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें विषय का वर्णन या विवेचन होता है। प्रसार के लिए जो सामग्री अपने पास हो उसका उचित वर्गीकरण कर लेना चाहिए कि विभिन्न बातें (Points) किस क्रम में ली जाएँ। हर बात तर्क, तथ्य, घटना या उद्धरण आदि द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा उन्हें इस रूप में व्यवस्थित होना चाहिए कि निबंधलेखक जिस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहता है, पाठक सहज रूप में वहाँ पहुँच जाए। इस बात को भी न भूलना चाहिए कि सारी अभीष्ट बातें आ जाएँ और किसी भी दृष्टि से कोई आवश्यक तर्क या तथ्य अथवा भाव या विचार छूटने न पाए, अन्यथा निबंध अधूरा-सा लगता है।

उपसंहार : भूमिका की भाँति उपसंहार भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है और निबंध का प्रभाव काफ़ी हद तक इस पर भी निर्भर होता है। अतः इस संबंध में भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रायः निबंधों के उपसंहारों के निम्नांकित रूप मिलते हैं :

१. विषय से संबद्ध मंगल वाक्य।
२. कोई उद्धरण।
३. लोकोक्ति।
४. निबंध का सारांश।
५. विषय के भविष्य का उल्लेख।

नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं ।

दिल्ली

दिल्ली संसार के उन गिने-चुने प्राचीन नगरों में है जिनके इतिहासों में सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के विकास और विनाश की, राजाओं और राजवंशों के उत्थान और पतन की तथा समूचे के समूचे देशों के बनने और बिगड़ने की कहानियाँ छिपी हुई हैं ।

संसार में पहले ग्रामीण सभ्यताओं का विकास हुआ, किन्तु जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई नागरिक सभ्यताएँ पनपती गई और धीरे-धीरे विश्व में अनेक बड़े-बड़े नगर विकसित हो गए । विश्व के उन्हीं विशाल नगरों में से एक दिल्ली है जिसे सच्चे अर्थों में भारत का हृदय कह सकते हैं ।

इस शहर का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इस संबंध में कई अनुमान लगाए गए हैं । कोई कहता है इंद्रप्रस्थ के मयूरवंशी राजा दिलु ने यह नगरी बसाई थी अतः यह दिल्ली कहलाई । कुछ अन्य लोगों के अनुसार किसी राजा ने ज्योतिषियों के कहने से यहाँ एक कीली गड़वाई थी। ज्योतिषियों ने कहा था कि कीली यदि ढीली रह जायगी तो तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं रह सकता । राजा ने बहुत प्रयत्न किया कितु कीली ढीली ही रही, और उसी के आधार पर राजा की यह राजधानी 'ढिल्ली' या 'दिल्ली' कहलाई । एक अन्य मत के अनुसार तुर्क जब भारत में आए तो उन्होंने इस नगर को भारत की 'देहली' कहा, फलतः इसका यही नाम पड़ गया । इसी प्रकार और भी कई किंवदंतियाँ हैं किन्तु इस प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका ।

दिल्ली का इतिहास चार कालों में विभक्त है । मुसलमानों के आगमन से पूर्व का, अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व का, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व का और स्वतंत्रता के बाद का ।

इसके प्रथम काल का संबंध प्राचीन भारत से है । तब इसका नाम दिल्ली तो नहीं था किन्तु महाभारत काल में कौरवों-पांडवों की कार्य-भूमि इसी के आस पास थी । हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के खंडहर, पांडवों के तथाकथित किले के भग्नावशेष, पार्श्ववर्ती कुरुप्रदेश तथा समीपवर्ती

नगर कुरुक्षेत्र आज भी उस काल की याद दिला रहे हैं। इसका आशय यह है कि भारत के उस वैभवपूर्ण युग में इस प्रदेश का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान था और इसने तत्कालीन इतिहास को बनते-बिगड़ते देखा था। यहाँ एक लौह स्तंभ भी है जो परवर्ती काल का है।

मुसलमानों के आने के बाद भारत में एक पूर्णतः नए अध्याय का प्रारंभ हुआ और हमारा आंतरिक और बाह्य जीवन नई संस्कृति से प्रभावित हुए बिना न रह सका। खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, भाषा-धर्म आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय हुआ और वह समन्वित संस्कृति हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने लगी। सात-आठ सौ वर्षों तक यह दूसरा काल चला और इसमें काफ़ी समय तक दिल्ली को भारत की राजधानी रहने का और इस प्रकार देश की बागडोर सँभालने का, सौभाग्य मिला। आज जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, वह कुछ अपवादों को छोड़कर मूलतः इस दूसरे काल की दिल्ली है। इस पुरानी दिल्ली के चारों ओर दीवार थी जिसके अवशेष अब भी विद्यमान हैं। पुरानी दिल्ली में अनेक मंदिर और मस्जिदों में जामा मस्जिद प्रसिद्ध है जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है। दिल्ली की शान लाल किला भी पुरानी दिल्ली में ही है जिसे १६२८ ई० में शाहजहाँ ने बनवाया था। इस किले में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास दर्शनीय हैं। इस दूसरे काल की दिल्ली के अन्य दर्शनीय स्मारक जंतर-मंतर, मोती मस्जिद, फ़तहपुरी की मस्जिद, रंगमहल, कुतुबमीनार आदि हैं। कुतुबमीनार अपनी २७८ फीट की ऊँचाई के कारण बहुत प्रसिद्ध है। विभिन्न देशों के पर्यटक इसे देखने आते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार चाँदनी चौक भी पुरानी दिल्ली में ही है।

दिल्ली के इतिहास का तीसरा युग भारत में अंग्रेजों के पाँव जमने के बाद से शुरू होता है। पुरानी दिल्ली का सिविल लाइंस क्षेत्र तथा नई दिल्ली के अधिकांश भाग इसी युग की देन हैं। दिल्ली के कॉलिज तथा विश्वविद्यालय भी अंग्रेजी काल के ही हैं। नई दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार कनॉट प्लेस, रेडियो स्टेशन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन तथा नए ढंग की अनेक इमारतें इस युग की देन हैं। पूर्ववर्ती युग की दिल्ली से इस युग की दिल्ली की चौड़ी सड़कें, नए ढंग के साफ़-सुथरे और खुले मकान, लान, पार्क आदि उसे स्पष्टतः अलग कर देते हैं। राजा-महाराजाओं

एवं नवाबों के आवास-गृह भी इसी युग के हैं।

दिल्ली का सर्वाधिक नूतन, और कई दृष्टियों से सर्वाधिक उज्ज्वल काल स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से शुरू होता है। तब से दिल्ली की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक लोग दिल्ली में आकर बस गए हैं, अतः बीसियों नए उपनगर बस गए हैं : जैसे राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, मॉडल टाउन, लाजपत नगर, कैलाश कॉलोनी आदि। चाणक्यपुरी विभिन्न देशों के राजदूतावासों का क्षेत्र है जो अत्यधिक आधुनिक ढंग का बना हुआ है। भारत की आजादी के बाद विदेशों से हमारे संबंध बहुत बढ़े हैं, अतः विदेशियों के आने-जाने का ताँता लगा रहता है। उनके लिए अनेक अच्छे-अच्छे होटल खुल गए हैं। होटल ओबराय तथा अशोक होटल इनमें सर्वोपरि हैं। नई दिल्ली के तथा पुरानी दिल्ली के भी अनेक सुंदर मकानों, पार्कों-लानों आदि के कारण इस नगर को विदेश के सर्वोत्तम नगरों की भाँति एक नया रूप प्राप्त हो गया है। स्कूलों, कॉलिजों, सिनेमाघरों की संख्या में भी इधर बहुत वृद्धि हुई है।

यह नगर भौगोलिक दृष्टि से निरंतर बढ़ता-फैलता चला जा रहा है। पहले यह एक चहारदीवारी के भीतर स्थित था; अब धीरे-धीरे यह पच्चीसों मील के क्षेत्र में फैल कर भी संतोष की साँस नहीं ले पा रहा है और दिनोंदिन फैलता ही जा रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से न सही परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी भाग और हरियाणा तथा पंजाब के समीपवर्ती प्रदेश दिल्ली के ही भाग बन गए हैं। कारण यह है कि देश के विभिन्न भागों से लोग आ-आकर यहाँ बसते जा रहे हैं और आवास की कठिनाई दूर करने के लिए नए-नए उपनगर बनते और बसते जा रहे हैं।

यहाँ दिल्ली के जीवन की कुछ कठिनाइयों की ओर भी संकेत कर देना अप्रासंगिक न होगा। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या मकानों की है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है किन्तु अभी उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। दूसरी समस्या जिसकी ओर सहज ही ध्यान चला जाता है—परिवहन की है। इस समय दिल्ली में लगभग एक हज़ार सरकारी बसें चल रही हैं। वस्तुतः इनकी संख्या दूनी कर देने की आवश्यकता

है । इसी प्रकार यहाँ की, विशेषत: पुरानी दिल्ली की, अधिकतर सड़कें वहुत खराव हैं । इनकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि इन तीनों दिशाओं में अपेक्षित सुधार हो जाए तो दिल्ली सच्चे अर्थों में महानगर वन जाए ।

आज हमारा देश संक्रांति के युग से गुजर रहा है । हर दिशा में नवीनता और प्राचीनता का समन्वय हो रहा है । हमारी राजधानी के आकर्षण का सवसे वड़ा रहस्य यही है कि नवीनता का स्वागत करते हुए भी इसने अपनी प्राचीनता को सँजोए रखा है । इस दृष्टि से देश के भावी विकास और स्वरूप के दर्शन निस्संदेह हमें दिल्ली में हो जाते हैं और इसका भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है ।

दीवाली

दीवाली शब्द मूलत: संस्कृत शब्द 'दीपावली' का परिवर्तित रूप है। दीपावली का अर्थ है 'दीप+अवली' अर्थात् 'दीपों की पंक्ति' । संसार के कई देशों में अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रसन्नता के अवसर पर दीपक जलाकर अपने पास-पड़ौस को जगमगाने की परंपरा मिलती है । हमारी दीपावली उसी परंपरा की देन है ।

भारत में दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को घर-घर में दीप जलाकर, अमावस्या को पूर्णिमा में वदल कर, मनाया जाता है । पूरा पर्व कार्तिक कृष्ण तेरस से शुक्ल पक्ष की दूज अर्थात् पाँच दिन तक चलता है । कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस भी कहते हैं । धनतेरस को लोग नए वर्तन खरीदते हैं । इस दिन नए वर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और कहते हैं इससे पूरे वर्ष घर वैभव-संपदा से भरा रहता है । यमराज की पूजा के लिए इसी दिन एक-एक दिया जलाकर हर घर के दरवाज़े पर रखा जाता है । ऐसी मान्यता है कि इस दीपावली से प्रसन्न होकर यमराज नरक-यातना नहीं देते । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, नरक चौदस कहते हैं ।

इस दिन भी शाम को थोड़े-से दिए जलाए जाते हैं। कुछ लोग इसे छोटी दीवाली भी कहते हैं। अमावस्या को दीवाली का मुख्य पर्व होता है। इस दिन लक्ष्मी-पूजन किया जाता है तथा बड़े उत्साह से घर के कोने-कोने को दीपपंक्ति से प्रकाशित किया जाता है। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा होती है। इसी दिन ब्रजवासियों ने श्रीकृष्ण के कहने से गोवर्धन की पूजा की थी। पाँचवें दिन 'भैया दूज' होती है जब बहिन भाई की आरती उतारकर उसे तिलक लगाती है तथा उसके भावी जीवन के लिए मंगल-कामना करती है।

दीपावली पर्व मनाए जाने के कई कारण बतलाए जाते हैं। एक मत के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का संहार कर इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके शुभागमन के अवसर पर प्रसन्न होकर अयोध्यावासियों ने अयोध्या को दीपकों की माला से आलोकित कर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया था। कहा जाता है कि तभी से दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मत है कि महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ इसी दिन समाप्त हुआ था, उसी उपलक्ष में दीपोत्सव मनाया गया और वही परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार कुछ लोगों के अनुसार इसी दिन नृसिंह अवतार हुआ था अर्थात् हिरण्यक-शिपु इसी दिन मारा गया था। एक मत यह भी है कि श्रीकृष्ण ने नरकासुर का बध इसी दिन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र-मंथन से लक्ष्मी इसी दिन निकली थीं। ये सभी पौराणिक बातें हैं। यों दीपावली मूलतः चाहे जिस कारण से भी मनाई गई हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अब यह हमारा एक अत्यंत व्यापक एवं आकर्षक पर्व है।

वैज्ञानिक दृष्टि से भी दीवाली कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। बरसात में घर में कीड़े-मकोड़े बहुत हो जाते हैं। वर्षा के कारण मकान गंदे हो जाते हैं। अतः बरसात की समाप्ति पर मकानों की सफ़ाई आवश्यक है। इस दृष्टि से दीपावली को सफ़ाई का त्यौहार कहें तो अनुचित न होगा। दीवाली के प्रायः दस-पंद्रह दिन पहले से लोग मकानों की सफ़ाई शुरू कर देते हैं। सफ़ाई के बाद सफ़ेदी की जाती है। दरवाज़ों, खिड़कियों पर रंग-रोगन होता है। खिलौनों आदि से घर सजाए जाते

हैं। इस तरह इस दिन पूरे वर्ष बाद हर घर नई सज्जा से सजकर तैयार हो जाता है।

ऐसे त्यौहारों का मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी कम नहीं होता। अपने रोज़ के कामों से हट कर एवं पर्वों की प्रफुल्लता में डूबकर आदमी अपूर्व आनंद-स्फूर्ति का अनुभव करता है, और ऐसी अनुभूति मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी लाभकर होती है। हमारे यहाँ प्रायः हर पखवाड़े में किसी-किसी त्यौहार का आना इस दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। यों मकान के साफ़-सुथरे एवं आकर्षक होने का तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है। इस तरह दीपावली का इस दृष्टि से भी महत्त्व है।

दीपावली के दिन घर में तरह-तरह के पकवान बनते हैं। बाज़ार में भी मिठाइयों की दूकानें भरी-सजी दिखाई पड़ती हैं। तरह-तरह की रोशनियों के अलंकरण बाज़ारों, घरों एवं दुकानों की शोभा बढ़ाते हैं। मुंडेरों की दीप-पंक्तियाँ दूर से प्रकाश की गाढ़ी रेखा जैसी लगती हैं। इधर रंगीन बल्बों के प्रचार ने इस प्रकाश-पर्व में और भी चार चाँद लगा दिए हैं; यद्यपि सरसों के तेल के दीपों में जो बात थी, इनमें नहीं है।

प्रसन्नता एवं प्रकाश का यह पर्व बहुत अच्छा होते हुए भी अब कुछ दृष्टियों से दूषित हो गया है, जिसकी ओर संकेत किए बिना नहीं रहा जा सकता। सबसे बुरी बात जुए का प्रचार है। लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा घर कर गई है कि इस दिन जुआ खेलने का बहुत माहात्म्य है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि दीवाली के दिन जो जुआ नहीं खेलता वह मरने पर दूसरे जन्म में चील या छछूँदर आदि बनता है। इसी प्रकार के अंधविश्वासों का शिकार होने के कारण बहुतों का तो दीवाली में दिवाला निकल जाता है और जुआरियों की बन आती है। वस्तुतः दीवाली को इस कुप्रथा से मुक्त करना चाहिए।

इसी प्रकार इस दिन जिस रूप में आतिशबाज़ी होती है उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस ग़रीब देश में लाखों रुपए आतिशबाज़ी में फूँक दिए जाते हैं। प्रकाश एवं सफ़ाई से हवा को शुद्ध करनेवाले इस पर्व में आतिशबाज़ी के कारण हवा दूषित हो जाती है और उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आतिशबाज़ी आदि के कारण जो

दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, उनकी क्षति भी नगण्य नहीं होती। यों आतिशबाज़ी की सीमित व्यवस्था इस पर्व के आकर्षण को बढ़ा सकती है, इसमें संदेह नहीं; किन्तु हम तो सीमा पार कर जाते हैं, और यह आकर्षण तत्वतः विकर्षण में परिवर्तित हो जाता है।

मिठाइयों का अपना एक दूषित पक्ष भी है। पैसे कमाने के लोभ में हलवाई तरह-तरह की सड़ी-गली चीज़ों का प्रयोग करते हैं और हफ्तों पहले से मिठाइयाँ बना-बना कर रखते जाते हैं, जो दीवाली के दिन तक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकर हो जाती हैं। इसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

वस्तुतः इन बुराइयों से मुक्त करके ही हम दीवाली को आदर्श रूप दे सकते हैं और उसके वास्तविक लाभ और आनंद के भागी बन सकते हैं।

महात्मा गांधी

कहा जाता है कि मनुष्य युग के अनुसार बदलता है किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे भी अवतरित होते हैं जो युग को बदल देते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही युग-पुरुष थे। उन्होंने विश्व के समक्ष प्रथम बार यह सिद्ध कर दिखाया कि अस्त्र-शस्त्रों की शक्ति की अपनी सीमाएँ हैं और सत्य-अहिंसा में उनसे कहीं अधिक शक्ति है।

इस युग-पुरुष को जन्म देने का सौभाग्य गुजरात में काठियावाड़ के अंतर्गत पोरबंदर को प्राप्त है। गांधीजी का जन्म १८६९ ई० में एक संपन्न परिवार में हुआ। उन के पिता एक रियासत के दीवान थे—अपने कार्य में दक्ष और निष्ठावान् वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्ति की दीक्षा उन्हें अपने परिवार में सहज रूप में ही मिल गई थी।

कुछ समय उपरांत गांधीजी बैरिस्टरी पास करने विलायत चले गए। तब तक उनका विवाह कस्तूरबा से हो चुका था और उनके पिता दिवंगत हो गए थे। लौटकर उन्होंने बंबई में वकालत शुरू की। इसी बीच एक कंपनी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका

जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने देखा कि यूरोपीयों ने भारतीय तथा अफ्रीकी लोगों की बहुत बुरी हालत कर रखी है। अंततः गांधी जी से न रहा गया और उन्होंने सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन के द्वारा गोरों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। शीघ्र ही गांधी जी वहाँ अत्यंत लोकप्रिय हो गए और लोग उनका तन-मन-धन से समर्थन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें पर्याप्त सफलता मिलने लगी और गोरे उनकी दृढ़ता एवं निष्ठा से विचलित हो उठे।

वहां से गांधी जी भारत आए तो यहाँ भी उन्हें वही स्थिति मिली। भला वे अपने देश को अत्याचार में तड़पता कब देख सकते थे। तुरंत उन्होंने गोरे शासन के विरुद्ध अहिंसा, सत्याग्रह एवं असहयोग का संग्राम छेड़ दिया। कांग्रेस थी तो पहले से, किन्तु उसे गांधी जी जैसे नेता की आवश्यकता थी। इनके सम्मिलित होते ही कांग्रेस में नए प्राण आ गए। इनके नेतृत्व में उक्त संस्था दिनोंदिन लोकप्रिय एवं शक्तिशाली होने लगी। १९१५ में उन्होंने चंपारन के मज़दूरों एवं खेतिहरों का साथ दिया। गोरे लोग उनपर तरह-तरह के अत्याचार करते थे। अंत में मजदूरों की विजय हुई और अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। इसी प्रकार और भी कई संघर्षों में गांधीजी को आशातीत सफलता मिली। धीरे-धीरे इन्होंने देश का मनोबल बढ़ाया और भारतीय जनता को यह विश्वास हो चला कि गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल कर रहेगी।

प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार के आश्वासन पर गांधी जी ने उसकी सहायता की। किन्तु इस सहायता के बदले युद्ध के उपरांत भारत को जलियाँवाला बाग़ में गोलियों का उपहार मिला और हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। परिणामतः गांधी जी के निर्देशन में हमारा स्वतंत्रता-आंदोलन और भी तेज़ हो गया। इन आंदोलनों में अन्य नेताओं के साथ इन्हें भी अनेक बार जेल जाना पड़ा। नमक-आंदोलन तथा डांडी-यात्रा आदि के बाद १९३१ में वे जेल से छूटे तो वाइसराय से समझौता हो जाने पर गोलमेज़ कांग्रेस में भाग लेने लंदन गए। वहाँ से आपको खाली हाथ लौटना पड़ा। परंतु गांधी जी निराश होने वाले न थे। भारतीय संस्कृति का प्रतीक भला निराश होना क्या जानता ? वे निरंतर अपने कार्य में लगे रहे और जनता में

सत्यनिष्ठा एवं न्यायपरायणता की ज्योति जलाते रहे । जनता स्नेहवश उन्हें 'बापू' कहने लगी ।

१९४२ में 'भारत छोड़ो' आंदोलन भारत के कण-कण में गूँज उठा । क्या नेता, क्या सामान्य जनता, क्या विद्यार्थी, क्या मज़दूर और किसान, सभी ने बड़े साहसपूर्वक इसमें भाग लिया । सरकार ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं को सींखचों के भीतर बंद कर दिया । जाने कितनों ने गोलियाँ खाईं । कितनी ही स्त्रियों का सिंदूर पुँछ गया, किन्तु गांधी जी द्वारा प्रज्वलित आग भीतर ही भीतर सुलगती रही और अंत में बापू के भगीरथ प्रयत्न सफल हुए । भारत स्वतंत्र हो गया ।

गांधी जी के हृदय में सभी धर्मों के प्रति आदर-भाव था । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई––उनके लिए सब समान थे । आजीवन वे इसी मार्ग पर चलते रहे । स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों के प्रति उनकी नीति से कुछ लोग नाराज़ हो गए और ३० जनवरी, १९४८ को नाथूराम विनायक गोडसे ने बिरला भवन, नई दिल्ली में गोली चलाकर उनकी लौकिक लीला समाप्त कर दी। यह भी एक विडंबना है कि आजीवन हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करनेवाले की मृत्यु हिंसा के ही द्वारा हुई।

यद्यपि वह संत अब इस संसार में नहीं है किन्तु उसके सिद्धांतों ने विश्व का नक्शा बदल दिया है । भारत की आज़ादी के पहले कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि बिना रक्तपात के भी किसी देश को आज़ादी मिल सकती है किन्तु इधर एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों ने न्यूनाधिक रूप में इसी मार्ग पर चलकर आज़ादी पाई है ।

गांधी जी एक राजनैतिक नेता ही नहीं थे, धार्मिक नेता भी थे, यद्यपि उनका धर्म का मार्ग परंपरागत मार्ग से थोड़ा भिन्न था और समन्वय पर आधारित था । उनके बाद नेहरू और विनोबा के रूप में दो रास्ते फूटे, और उन्होंने दो भिन्न स्तरों पर मानवता को नवीन शक्ति और स्फूर्ति दी । इन दोनों के ही मूल उत्स गांधी जी में ही थे । वस्तुतः मानवमात्र के लिए उनके द्वारा प्रदर्शित पथ आज भी उतना ही प्रशस्त है, जितना उनके सामने था । अब यह हम पर है कि हम उससे कहाँ तक लाभ उठा सकते हैं । पेड़ के नीचे शीतल छाया होती है, जो भीषण धूप से रक्षा कर सकती है, किन्तु रक्षा तो उन्हीं की हो सकती है जो पेड़ के

नीचे जाते हैं । परमाणु आयुधों से लैस विश्व आज महाप्रलय के कगार पर खड़ा है । उसे बापू के सिद्धांतों की जितनी आवश्यकता आज है, उतनी पहले कभी न थी । देखना यह है कि विश्व उन सिद्धांतों को सुनने और उनपर चलने को कहाँ तक तैयार है ।

बापू के अद्भुत व्यक्तित्व के संबंध में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ठीक ही कहा था "परवर्ती पीढ़ियाँ इस बात पर शायद ही विश्वास कर पाएँगी कि हाड़-मांस का बना ऐसा आदमी भी कभी इस धरती पर विचरण करता था ।"

विद्यार्थी और अनुशासनहीनता

विद्यार्थी-जगत में आज अनुशासन का बड़ा अभाव है । चाहे रेल-गाड़ी हो अथवा बस, सिनेमाघर, कॉलिज और स्कूल की कक्षाएँ हों या परिवार, सभी जगह इस बात का कटु अनुभव होता है कि विद्यार्थी अनु-शासन से दूर हटते जा रहे हैं । अध्यापकों के सामने आज यह बहुत बड़ी समस्या है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग अध्यापन में करें या अनुशासन स्थापित करने में । यों थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता विश्व के और कोनों में भी सुनाई पड़ती है, किन्तु इसका जो रूप भारत के विद्यार्थियों में है, वह तो अपूर्व है । सहसा विश्वास नहीं होता कि आज का अँगड़ाई लेता हुआ नवभारत उसी भारत का उत्तराधिकारी है जो कपिल आदि की साधनाओं एवं आत्म-संयम से सुवासित था, तथा जहाँ चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए 'योग' की शरण ली जाती थी । प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता जब हमारे रक्त में नहीं है, तो आई कहाँ से ? सच पूछिए तो इसका कारण जानने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं । आज के वर्तमान और निकट भूत में ही इस बीमारी के प्रायः सारे कीटाणु वर्तमान हैं ।

पिछली सदी के अंतिम चरण में यूरोपीय विचारधारा से हम प्रभावित होने लगे थे । उसी कारण हम में राजनैतिक चेतना आई और धीरे-धीरे हमने अपना स्वाधीनता-संग्राम छेड़ा । विद्यार्थी-वर्ग एक

ऐसा वर्ग था, जो अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद होने के कारण इस संग्राम में सरलता से हाथ बँटा सकता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि विद्यार्थी को, जो सच्चे अर्थों में भावी नागरिक था और जिस पर भविष्य का भार आने वाला था, प्रबुद्ध बनाए रखा जाए और देश के राजनैतिक विकास से संपृक्त रखा जाए। इन कारणों से १९०० से लेकर १९४७ तक विद्यार्थियों को हमारे छोटे-बड़े सभी नेताओं ने विद्रोही बनना सिखाया। उन्होंने राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए जीवन के हर क्षेत्र में विद्रोह का पाठ पढ़ना शुरू किया। विद्रोह की वही भावना आज के विद्यार्थी को पुरानी पीढ़ी से परंपरा में मिली है और अब जब विदेशी शासन समाप्त हो चुका है तब यह भावना अन्य क्षेत्रों में फूट रही है, जिसका परिणाम है अनुशासन-हीनता। निश्चय ही यह अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है, किन्तु एकमात्र कारण नहीं है। इसके अन्य कारण भी हैं, जो द्रष्टव्य हैं।

आज की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों का भी एक सीमा तक इस अनुशासनहीनता में हाथ है। स्वतंत्रता के पूर्व पार्टियाँ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्यार्थी-वर्ग को उकसाती थीं और आज कभी सत्य के लिए और कभी निहित स्वार्थों के लिए कांग्रेसी शासन के विरुद्ध उकसाती हैं। वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद आदि विश्वविद्यालयों में इसके कुपरिणाम देखे जा चुके हैं। आश्चर्य है कि देश के तथाकथित नेता अपने वैयक्तिक स्वार्थों के लिए भावी भारत को इस प्रकार उँगलियों पर नचाकर देश का सत्तानाश कर रहे हैं।

यह युग पुराने तथा नए के संघर्ष का युग है। इस संघर्ष में भी, किसी सीमा तक इस बीमारी के कीटाणु वर्तमान हैं। इसी प्रकार आज की शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है जो अंत में सारे विद्यार्थियों को, अधिक नहीं तो कम से कम खाने और पहनने की चिन्ता से मुक्त कर सके। स्वभावतः इस स्थिति ने शिक्षा के प्रति छात्रों की आस्था कम कर दी है। निश्चय ही यह अनास्था भी अनुशासनहीनता के लिए कुछ-न-कुछ उत्तरदायी है।

गुरु तथा शिष्य का संपर्क बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है किन्तु पहले की तुलना में आज उसका भी अभाव है। गुरु भी इस ओर से विमुख है

और शिष्य भी। इसके मूल में शायद कक्षाओं का बड़ा होना अर्थात् विद्यार्थियों की संख्या का अधिक होना है। जो भी हो, यह संपर्क का अभाव भी अनुशासनहीनता का एक कारण है।

उपर्युक्त सारे कारण मूलतः बाह्य-से हैं, किन्तु इसके लिए कुछ आंतरिक कारणों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यद्यपि वे आंतरिक कारण भी बाह्य से पूर्णतः असंबद्ध नहीं कहे जा सकते। इस प्रसंग में दो बातें उल्लेख्य हैं। एक तो विद्यार्थी के 'अहं' का आवश्यकता से अधिक पल्लवन और दूसरे उसका कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार की ओर अधिक ध्यान। 'अहं' पूर्णतः बुरी चीज़ नहीं कही जा सकती। वह व्यक्तित्व का एक अंग है और एक सीमा तक आवश्यक भी है, किन्तु आज के अधिकांश विद्यार्थियों में उसका इतना अधिक विकास हो गया है कि शील, विनम्रता, विनय आदि गुण उनमें नाम-मात्र को भी नहीं रह गए हैं। बात-बात में गुरुजनों या बड़ों का विरोध, उच्छृंखलता तथा असंयम आदि उनके व्यक्तित्व के जैसे प्रमुख अंग-से बन रहे हैं। इन्हीं बातों के कारण विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति बहुत अधिक सजग हैं--इतने सजग हैं कि जो उनका अधिकार नहीं भी है, उसे भी वे अपना अधिकार समझने लगे हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही अन्योन्याश्रित होते हैं। स्वस्थ स्थिति वही कही जा सकती है जब दोनों का संतुलन हो। आज जब विद्यार्थी अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक है तो स्वभावतः वह अपने कर्तव्यों की ओर से विमुख हो गया है। एक सीमा की अति का दूसरी पर भी प्रभाव पड़ता है।

ये थे अनुशासनहीनता के कुछ प्रमुख कारण।

इस अनुशासन की कमी से विद्यार्थियों का बहुत अहित हो रहा है। वे न तो अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर पा रहे हैं, और न ही अपेक्षित मनोयोग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक भी विद्यार्थियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जितना अपेक्षित है। इसके प्रमुखतः दो कारण हैं एक तो विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि की कमी देख उनको उत्साह नहीं होता, और दूसरे उन्हें अपने समय एवं शक्ति का अधिकांश अनुशासन स्थापित करने में लगाना पड़ता है।

इस तरह अनुशासनहीनता के कारण चरित्र-निर्माण और विद्योपार्जन छात्र-जीवन के दोनों ही ध्येय अधूरे रह जाते हैं।

सचमुच ही यह प्रश्न बड़ा गंभीर होता जा रहा है कि इस अनुशासनहीनता से नई पीढ़ी को कैसे मुक्त किया जाए। सच पूछा जाए तो यह रोग किसी एक के वश का नहीं है। इस महामारी से भावी भारत का पिण्ड छुड़ाने के लिए विद्यार्थी, शिक्षक, शासक-वर्ग, अभिभावक और विभिन्न पार्टियों के नेता आदि सभी के कटिवद्ध होने की आवश्यकता है। विद्यार्थी इस स्थिति को समझें और अपने हित में इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हों। शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपेक्षाकृत अधिक मनोयोग से अपना कर्तव्य-पालन करें और साथ ही अपने को यथार्थ 'आचार्य' बनाएँ ताकि उनका आचरण छात्रों के लिए अनुकरणीय हो। कहना न होगा कि अयोग्य तथा अपने उत्तरदायित्व के प्रति अन्यमनस्क शिक्षकों के कारण भी यह प्रवृत्ति बढ़ी है। शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे वह जीवन के लिए अधिक उपयोगी हो सके और विद्यार्थी उसमें अधिक रुचि लें। इस काम में शासन को भी धनादि की व्यवस्था कर सहयोग देना चाहिए। अभिभावक प्राय: प्यार-दुलार के कारण अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं और आगे चलकर उसका भी फल अनुशासनहीनता होता है। पिछली पीढ़ी में संतान तथा माता-पिता का संबंध कुछ दूसरा था, आज कुछ दूसरा है। इसका आशय यह नहीं कि माता-पिता अपने बच्चों को प्यार न करें; इसका आशय मात्र यही है कि प्यार इतना न करें कि बच्चा शील-विनय खोकर उच्छृंखल बन जाए। इसी प्रकार राजनैतिक दलों के नेता भी विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को बढ़ावा देकर उससे लाभ उठाना छोड़ दें। इस तरह, यदि उपयुक्त सभी वर्गों के लोग इस ओर ध्यान दें तो कोई कारण नहीं कि शीघ्र ही यह स्थिति न बदल जाए। सच पूछा जाए तो इस अनुशासनहीनता से मुक्त होकर ही हमारा विद्यार्थी-समाज सच्चे अर्थों में 'विद्यार्थी' (विद्या+अर्थी) बन सकता है और अपनी चतुर्दिक उन्नति कर सकता है।

मेरा प्रिय कवि

लीक-लीक गाड़ी चले लीकहि चले कपूत ।
लीक छाड़ि तीनहिं चलें सायर, सिंह, सपूत ।।

तो 'शायर' अर्थात् कवि लीक छोड़ कर चलता है ।

इस दृष्टि से कबीर का नाम अद्वितीय है । उन्होंने अपनी लीक आप बनाई । और यही कारण है कि वे मेरे प्रिय कवि हैं । यह केवल संयोग की बात नहीं है कि कवीन्द्र रवीन्द्र ने कबीर की ही सौ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया । इधर फ्रांसीसी तथा रूसी आदि कई यूरोपीय भाषाओं में उनकी बहुत-सी कविताएँ अनूदित हुई हैं ।

कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है वस्तुतः समन्वय कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व में साकार हो उठा है । ब्राह्मणी का पुत्र मुसलमान के घर पाला गया, भक्ति-ज्ञान-कर्म-योग को मिलाकर चला, और अंत में--कहा जाता है कि फूंका भी गया, गाड़ा भी गया । और उसकी भाषा ? ब्रज के रूप में भी है, अवधी के भी, खड़ी बोली के भी और राजस्थानी तथा भोजपुरी के भी । धर्म, जीवन, सिद्धांत और भाषा सभी में समन्वय का साक्षात् रूप ।

ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का जन्मकाल बहुत निश्चित नहीं है । वह पंद्रहवीं सदी के मध्य में बनारस में अवतरित हुआ और वहीं पला-बढ़ा । कबीर तथाकथित पाठशाला में कभी नहीं गए, न घर पर उन्हें पढ़ने का अवसर मिला--

मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ ।

जीवन के अनुभव ही उनके लिए वेद-शास्त्र हो गए । अन्य लोग पढ़-लिख कर अपना घर सँभालते हैं, किन्तु वे अनुभव की पाठशाला के स्नातक होकर फक्कड़ बन चल पड़े--अपना घर फूंक तथा अपने घर को फूँकनेवालों को बुलाते हुए --

कबिरा खड़ा बजार में लिए लुकाठी हाथ ।
जो घर फूँके आपना चले हमारे साथ ।

विवाह उन्होंने किया या नहीं, इसे लेकर विद्वानों में विवाद है। कुछ लोग लोई को उनकी स्त्री तथा कमाल को उनका पुत्र मानते हैं। उनकी मृत्यु मगहर में सोलहवीं सदी के तीसरे चरण में हुई।

कबीर ने लिखा नहीं। इसी कारण उनका जो कुछ कृतित्व है, उसके ठीक रूप का हमें पता नहीं। कबीर-रचित रमैनी और पद उपलब्ध हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है तथा इनमें कौन-कौन कबीर-रचित हैं और कौन-कौन उनके नाम पर दूसरों द्वारा रचित, यह शोध का विषय है और कदाचित् अंत तक शोध का विषय रहेगा। इसका निश्चित उत्तर देना या पाना कठिन है।

कबीर वस्तुतः कवि से अधिक जीवन-द्रष्टा थे। सत्यवक्ता थे। यही कारण है कि उनका कला या शैली-पक्ष कुछ दुर्बल है, किन्तु विचार पक्ष इतना प्रबल है कि वह सारी कमी पूरी कर देता है।

भगवान् बुद्ध या गांधी में जो समत्व मिलता है, कबीर में भी वह अपने पूरे रूप में है ——

ऊँच नीच समसरिया, ताथै जन कबीर निसतरिया।

उनके लिए ब्राह्मण-शूद्र, हिन्दू-मुसलमान एक हैं:——

एक ज्योति से सब उतपना, कौन ब्राह्मन कौन सूद्रा।

....

कहै कबीर एक राम जपहु रे हिन्दू तुरक न कोई।

कबीर का युग अंधविश्वासों का था। कबीर की आत्मा लोगों को इस कीचड़ में लिप्त देख कराह उठती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति लोगों को जगाने में लगाई। इस काल की अधिकतर जनता धर्म के वास्तविक रूप को भूल, बाल बढ़ाने, बाल मुड़ाने, कपड़ा रँगाने, नग्न रहने, मूर्ति-पूजा करने, माला फेरने तथा छुआछूत मानने आदि को धर्म मान बैठी थी। कबीर ने इन सभी का खुलकर विरोध किया। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं ——

दाढ़ी मूछ बढ़ाय जोगी बन गयो बकरा।

....

कैसों कहा विगाड़ियौ जो मूड़े सौ वार ।

....

मन ना रँगायो रँगायो जोगी कपड़ा ।

....

नगन फिरत जो पाइअ जोगु, वन का मिरगा कति समु होगु ।

....

माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माँहि ।

मनुवाँ तो दस दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाँहि ।।

कबीर ने हिन्दू के साथ-साथ मुसलमानों को भी अंधविश्वासों के लिए फटकारा है ––

कांकर पाथर जोरि करि मस्जिद लई चुनाय ।

ता चढ़ि मुल्ला वाँग दें, क्या वहिरा हुआ खुदाय ?

इन धार्मिक वातों के अतिरिक्त दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करने-वाली काफी वातें भी कबीर ने कही हैं । परनिन्दा, धन, दया, सत्संग, वहुत विचार कर बोलना, मन को काबू में रखना आदि विषयों पर उनकी पंक्तियाँ प्रायः उद्धृत की जाती हैं । वस्तुतः जीवन के अनेकानेक अवसरों पर उद्धरणीय पंक्तियों का होना भी एक अच्छे कवि का लक्षण है । तुलसी में यह उद्धरणीयता कदाचित् बहुत अधिक है ।

दर्शन की दृष्टि से कबीर अद्वैतवादी हैं । उनके लिए आत्मा-परमात्मा तत्वतः एक हैं । ज्ञान होने पर आत्मा को अपनी यथार्थता का पता चल जाता है और फिर वह परमात्मा से एकाकार हो जाती है । यह एक हो जाना ही मुक्ति है ।

कबीर का अवतार में विश्वास नहीं था । वे राम के भक्त थे, किन्तु उनके राम दशरथ-सुत राम से भिन्न हैं :

दशरथ-सुत तिहुँ लोक वखाना ।

राम-नाम को मरम है आना ।

इसी प्रकार उन्होंने केसौ (केशव), अल्लाह, आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है किन्तु उनके आराध्य परंपरागत 'केशव' या 'अल्लाह' नहीं हैं।

कबीर रहस्यवादी कवि थे। वे आत्मा को पत्नी तथा परमात्मा को पति मानते हैं :

दुलहनी गावहु मंगलाचार
हम घरि आए हो राजा राम भतार

पति को पाने के लिए साधना को आवश्यक कहा है :

हँसि-हँसि कोउ न पाइए, जिनि पाया तिनि रोई

कबीर 'लाल' की लाली खोजने जाते हैं, और स्वयं भी लाल हो जाते हैं :

लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल।
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।।

कबीर की उलटबाँसियाँ अद्वितीय हैं। ऊपर से तो वे अटपटी हैं, किन्तु उनमें तत्त्व की बहुमूल्य बातें भरी हैं। नारियल या बादाम की तरह उनको भेदना थोड़ा कठिन है किन्तु भेदने पर सारे श्रम का परिहार हो जाता है—

कबीरदास की उलटी बानी
बरसे कंबल भीजे पानी

या

समुंदर लागी आगि नदिया जरि कोइला भई।

जैसा कि ऊपर भी संकेतित है कबीर के काव्य का मेरुदंड विचार है। उनके विचार चिन्तन और अनुभव की गहराई से उद्भूत हैं। इनमें अधिकांश देश-काल की सीमा को पार कर सार्वभौम एवं सार्वकालिक रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर की भाषा में बहुत [illegible]

भले न हो किन्तु उनकी भाषा उनकी बातों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा सक्षम है। सच पूछा जाए तो उनको जो बातें कहनी थीं, उनके लिए ऐसी ही भाषा अपेक्षित थी जिसमें ताज़गी और शक्ति हो।

प्रतीकों की दृष्टि से कबीर की कविता बहुत संपन्न है। आधुनिक कविता में प्रतीकों का बाहुल्य मिलता है। कबीर में भी वह कम नहीं है। केशव आदि की तरह उन्हें अलंकारों का व्यर्थ का तो शौक नहीं है किन्तु अभिव्यक्ति में पूर्णता के लिए आवश्यकतानुकूल अन्योक्ति, उदाहरण, दृष्टांत, विभावना, उपमा, उपेक्षा आदि के उन्होंने अत्यंत सफल प्रयोग किए हैं।

कबीर की भाषा के बारे में विवाद है। किसी ने इसे भोजपुरी कहा तो किसी ने अवधी, किसी ने राजस्थानी तो किसी ने खड़ी बोली। किन्तु वास्तव में उनकी भाषा में उन सभी के न्यूनाधिक रूप हैं। प्राचीन काल में मध्यदेश में यही मिश्रित भाषा बोली जाती थी। भाषा पर कबीर का अद्भुत अधिकार है। उनको भाषा का 'डिक्टेटर' कहा गया है और ठीक ही कहा गया है।

हिन्दी में यों तो सूर, तुलसी आदि एक-से-एक अच्छे कवि हुए हैं, और समवेततः किसी को भी सबसे अच्छा या सबसे बड़ा कहना बहुत संगत नहीं है, किन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हिन्दी के मूर्धन्य कवियों में कबीर अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, और उनकी विचार-संपदा हिन्दी की अक्षय निधि है। किसी ने कहा भी है—

तत्त्व तत्त्व सब कबिरा कहिगा, सूरै कही अनूठी।
बची खुची कठमलिया कहिया, सेस कही सब झूठी।

चाँदनी रात में नौका-विहार

गत वर्ष शरद् पूर्णिमा के दिन मैं अपने मित्रों के साथ ताजमहल देखने आगरे गया था। वहाँ यह तय हुआ कि जमुना में नौका-विहार किया जाए।

चाँदनी रात में नौका-विहार का मेरा यह प्रथम अवसर था। अतः पहले से इसके लिए मेरे हृदय में एक अजीव-सा आकर्षण था। उस दिन अँधेरा होते ही मैं अपने पाँचों मित्रों के साथ नदी-तट की ओर कुछ वाद्य-यंत्र तथा भोजन आदि के साथ चल पड़ा। लहरों के थपेड़ों से काँपती पहले से निश्चित नौका जैसे हमारी प्रतीक्षा में बेचैन थी। वहाँ पहुँचते ही हमने नाव पर दरी विछाई, अपना सामान रखा तथा दो मल्लाहों को साथ ले, लंगर उठा चल पड़े।

नाव के चलते ही डाँड के चलने से लहरें उठने लगीं और नदी का शांत वातावरण कोलाहलपूर्ण हो उठा। नदी के दूसरे किनारे के पेड़ों की पंक्तियाँ पानी में प्रतिविम्वित हो रही थीं। पानी की हलचल से उनका प्रतिविम्व काँप रहा था तथा पेड़ कभी छोटे तो कभी बड़े हो जाते थे।

थोड़ी देर बाद चाँद और ऊपर आ गया मानो नदी के स्वच्छ पानी के दर्पण में अपना मुँह अच्छी तरह देखने को वह उत्सुक हो रहा था। किन्तु उसे क्या पता था कि नदी का पानी हमारे आगमन के कारण लहरों से भर गया है। परिणामतः उसका सुंदर मुख पानी में दिखाई पड़ रहा था किन्तु विकृत रूप में टेढ़ा-मेढ़ा, सुडौल बिल्कुल नहीं।

हमारी नाव और आगे बढ़ी। अब रात का सन्नाटा बढ़ गया था। आसमान बिल्कुल स्वच्छ था, चाँद की किरणें चाँदी के तारों जैसी लग रही थीं। स्वच्छ आकाश में चाँद बड़ा ही आकर्षक लग रहा था, तारे तो थे किन्तु बहुत मद्धिम। रात के पक्षी कभी-कभी विचित्र आवाज करते एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते थे।

आसमान के वाद फिर हमारा ध्यान नदी की ओर गया। अब हमारी नाव लंगर के सहारे, नदी में, किनारे से काफ़ी दूर खड़ी थी। शांत, अचंचल स्वच्छ जल में चाँद का प्रतिविम्ब पड़ रहा था। वह प्रतिविम्ब यथार्थ चाँद से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था।

मैं नदी और आसमान के सौन्दर्य का पान कर ही रहा था कि बाँसुरी और तबले की मधुर स्वर-लहरी से पूरा वाता-

वरण सुमधुर हो उठा। मैंने देखा कि मेरे दो मित्र ही यह मधु बरसा रहे थे। मुझे छोड़ मेरे मित्रों में सभी की संगीत में अच्छी गति थी। काफी देर तक हम लोग मधुर संगीत का आनंद लेते रहे। दोनों मल्लाहों ने भी एक-एक लोकगीत सुनाकर हम सब में अजीब-सी ताज़गी भर दी।

धीरे-धीरे खाने का समय हुआ। संगीत का कार्यक्रम बंद हुआ और हम भोजन करने बैठे। तय यह हुआ कि खाते समय हर आदमी एक-एक चुटकुला सुनाए। सभी ने सुनाया और हम लोग सुन-सुनकर हँसते-हँसते लोटपोट होते रहे। एक चुटकुला मुझे अब तक याद है जो मेरे मित्र गिरीश ने सुनाया था। चुटकुला इस प्रकार था :

'एक बार एक सेना का अफ़सर कुछ नए रंगरूटों को क़वायद सिखा रहा था। 'दायाँ' कहने पर रंगरूट दायाँ पैर ऊपर उठा रहे थे, और 'बायाँ' कहने पर बायाँ। अफ़सर ने बायाँ कहा तो सबने 'बायाँ' पैर उठाया। एक ने ग़लती से दायाँ उठा दिया। लाइन की सीध में खड़े अफ़सर को एक स्थान पर दाएँ-बाएँ दोनों पैर उठे दिखाई पड़े। अफ़सर नाराज़ होता हुआ बोला, 'वह कौन गदहा दोनों पैर ऊपर उठाए है?' यह सुन सभी रंगरूट हँस पड़े और अफ़सर अपनी मूर्खता पर झेंप गया।'

खाने के बाद सबने ओक से नदी का जल पिया और हमारी नाव आगे बढ़ी। अब हमने मल्लाहों को हटा दिया और खुद नाव फिर चलाने लगे। मगर नाव थी कि काबू में नहीं आती थी। रह-रह कर घूम जाती थी। अंत में मल्लाहों ने बतलाया कि ऐसे ख़तरा हो सकता है। यह सुनते ही हम अलग हो गए और मल्लाह फिर नाव चलाने लगे। आगे बढ़ने पर नदी के बीच में सूखी रेतीली जमीन—द्वीप जैसी—मिली। हमारी नाव वहाँ लगी और थोड़ी देर के लिए हम उस द्वीप पर उतरे। वहाँ से चारों ओर का दृश्य बड़ा आकर्षक था। पहले पानी के बीच रेतीला भूखंड। उस समय हवा चल रही थी। लहरें

आकर उस द्वीप से टकरा रही थीं। वहाँ पानी कम था। कभी-कभार मछलियाँ भी कूद जाती थीं।

कुछ देर रुककर हम पुनः नौका पर चढ़े। अब चाँद ठीक हमारे ऊपर था। चंद्रमा का एक नाम 'सुधाकर' है। सचमुच उस समय चंद्रमा की किरणें अमृतोपम थीं। अमृत कभी देखा नहीं गया किन्तु इस समय चंद्रमा की किरणों को देखकर एवं उनके सुखद शीतल स्पर्श का अनुभव कर अमृत की कल्पना साकार हो उठती थी।

हमारी नाव चल रही थी। मल्लाहों ने प्रस्ताव रखा कि अब वे अपनी कला दिखाना चाहते हैं। हमने सहर्ष सहमति दे दी। मल्लाहों ने डाँडों से नाव को नचाना शुरू किया। नाव पहिए की तरह बड़ी तेज़ी से नाचने लगी। घूम तो हम रहे थे, किन्तु हमें अपने चारों ओर की चीज़ें घूमती नज़र आ रही थीं––आसमान, चाँद, नदी, नदी के किनारे के पेड़ आदि। अंत में नाव इतनी तेज़ घूमने लगी कि चक्कर आने लगा, और जल्दी से हमने मल्लाहों को रोका। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि उनकी अपनी भाषा में नाव के इस प्रकार चक्कर काटने को 'झिझरी' कहते हैं।

'झिझरी' के संबंध में अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि उधर से एक दूसरी नाव आती दिखाई पड़ी। नाव पास आ गई। पूछने पर पता लगा कि वे लोग भी नौका-विहार करने आए हैं। परिचय हुआ। उनकी ओर से सुझाव रखा गया कि दोनों नावों की प्रतियोगिता हो। यह विचार सभी को पसंद आया। हम लोग उसी द्वीप के पास पहुँचे, जहाँ पहले गए थे। वहाँ से दोनों नावें किनारे के लिए चलीं। दोनों के मल्लाह अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। नावें धनुष से छूटे तीर की तरह पानी को चीरती आगे बढ़ रही थीं। कभी हमारी नाव आगे बढ़ जाती थी तो कभी उनकी। कभी-कभी दोनों नावें पास-पास आ जातीं और टकराते-टकराते बच जातीं। धीरे-धीरे किनारा काफ़ी समीप आ गया। प्रतियोगिता का अंतिम क्षण था। दोनों पक्षों के मल्लाह जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे। अंत में उनकी नाव किनारे पर पहले पहुँची और वे जीत गए। हमने उन्हें बधाई दी।

चाँद नीचे उतर रहा था। उन्नति के वाद अवनति का शाश्वत नियम। हवा कुछ अधिक शीतल हो गई थी। आँखों में नींद उतरने लगी थी।

रात का तीसरा पहर बीत रहा था। घर लौटने का समय था। उस नाव के लोगों से विदा हो हम अपने स्थान पर लौटे और मल्लाहों को पारिश्रमिक देकर अपने-अपने घर के लिए चल पड़े। वह नौका-विहार इतना आनंददायक था कि उसे भूल जाना असंभव-सा है। उसकी याद आज भी तरोताज़ा है। आनंदपूरित बीते हुए क्षणों की याद सचमुच ही कितनी मनोरम होती है। काश ! इस ज़िन्दगी का हर क्षण इस नौका-विहार जैसा सुखदायी होता।

यदि मैं भारत का प्रधान मंत्री होता

भारत जैसे महान्, परंपराओं में समृद्ध, बड़े और महत्त्वपूर्ण देश का प्रधान मंत्री होना निश्चित रूप से बहुत बड़े गौरव की वात है, किन्तु दूसरी ओर यह प्रधानमंत्रित्व काँटों का ताज भी है। आज का भारत एक दृष्टि से समस्याओं का भारत है। धर्मों की समस्या, जातिवाद की समस्या, देश के कई भागों के देश से अलग हो जाने की धमकियों, एवं आंदोलनों की समस्या, जनसंख्या-वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, रिश्वत, चोरबाज़ारी एवं खाद्य की समस्या और न जाने कितनी-कितनी समस्याएँ। ये इतनी गंभीर और अनेकमुखी समस्याएँ भारत के प्रधान मंत्री के लिए चुनौतियाँ हैं, और उसका कार्य है भारत को इन समस्याओं के दलदलों से निकाल कर उसे उन्नति के पथ पर ले जाना।

यदि मैं भारत का प्रधान मंत्री होता तो सबसे पहले जिस वात की ओर ध्यान देता, वह है हमारी खाद्य-समस्या। भारत कृषि-प्रधान देश है, किन्तु उसे अन्न के लिए दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ता है, यह कितनी लज्जाजनक वात है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं ४-५ बातों पर वल देता : (१) खेती-योग्य अधिक-से-अधिक ज़मीन पर खेती करवाना, (२) नहरों, नलकूपों, आदि के द्वारा सिंचाई की अधिकाधिक

व्यवस्था कराना ताकि सूखे की स्थिति में भी हमारी खाद्य व्यवस्था खराब न हो सके, (३) आवश्यकता से अधिक अनाज जमा करने की प्रवृत्ति को रोकना, तथा (४) अनाज खा जाने या नष्ट करनेवाले चूहे जैसे जीवों, एवं रोगों के उन्मूलन की व्यवस्था करना। इन सबके पूरा कर लेने पर कोई कारण नहीं है कि हमारी यह समस्या सदा-सर्वदा के लिए दूर न हो जाए।

हमारी खाद्य समस्या का संबंध जनसंख्या-समस्या से भी कम नहीं है। सच पूछा जाए तो बेरोज़गारी आदि अन्य अनेक समस्याएँ भी जनसंख्या की समस्या से जुड़ी हैं। हम सभी दिशाओं में यदि दस व्यक्तियों का प्रबंध करते हैं तो देखते-देखते दस के स्थान पर जनसंख्या में अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि के कारण १२ व्यक्ति हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारे सारे किए-कराए पर पानी फिर जाता है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम-अकृत्रिम सभी उपायों से जनसंख्या रोकने की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए विवाह की अवस्था कुछ और बढ़ाई जा सकती है तथा एक निश्चित सीमा, जैसे दो या तीन से अधिक बच्चों का माँ-बाप होने पर अतिरिक्त कराधान का कानून बनाकर इस बहुसंतति की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण रोक हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। इसकी ओर भी मैं समुचित ध्यान देता।

शिक्षा की समस्या भी कम महत्त्व की नहीं है। आज की शिक्षा पर ही कल का भारत निर्भर होगा। हमारी आज की शिक्षा-पद्धति बहुत ही दूषित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण तथा आदमी को इस योग्य बनाना कि अपने देश की स्थिति के अनुकूल वह देश के लिए उपयोगी हो और अपनी जीविका उचित रीति से कमा सके। हमारी शिक्षा में ये बातें बिल्कुल नहीं हैं। आज का पढ़ा-लिखा नवयुवक प्रायः देश के प्रति किसी भी उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करता, खेती या शारीरिक परिश्रम करने से कतराता है, तथा किसी भी तरह अपने स्वार्थ के लिए अधिकाधिक कमाना चाहता है। वस्तुतः अब नए ढंग के पाठ्यक्रम जो देश की आवश्यकतानुकूल बनाए जाएँ, तथा मनोज्ञान के ठीक मूल्यांकन की परीक्षा-प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस ओर भी मैं यथाशीघ्र समुचित ध्यान देता। उचित शिक्षा से जाति, धर्म,

रिश्वत, चोरबाज़ारी जैसी अनेक समस्याएँ अपने आप समाप्त हो जाएँगी ।

जाति एवं धर्म-विषयक समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा के अतिरिक्त अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह भी सहायक हो सकते हैं । रूस आदि समाजवादी देशों में इसके द्वारा ऐसी अनेक समस्याएँ सुलझा ली गई हैं । मैं यदि प्रधान मंत्री होता तो ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए यथासाध्य प्रयत्न करता ।

देश के विघटनकारी तत्त्वों तथा हर प्रश्न पर ज़बर्दस्ती का रुख अपनाने वाले पड़ोसियों के प्रति हमारी तुष्टीकरण की नीति एवं नर्मी ने भारत का बड़ा अहित किया है । आवश्यकता इस बात की है कि इनके प्रति शांतिपूर्ण, तर्कसम्मत किन्तु दृढ़ नीति अपनाई जाए ।

बेरोज़गारी की समस्या उपयुक्त शिक्षा एवं जनसंख्या पर रोक लगाने से एक बहुत बड़ी सीमा तक हल हो सकती है, किन्तु इसके साथ ही अर्धकालिक कार्यव्यवस्था या इसी प्रकार की अन्य बातों पर भी मैं यथेष्ट ध्यान देता ताकि इस बीमारी से भारत को छुटकारा मिल सके ।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त महँगाई रोकने, बेईमान अधिकारियों एवं लोगों को दंडित करने, महँगी और बहुत विलंबशील न्याय-व्यवस्था ठीक कर उसे सर्वसुलभ और अविलंबशील बनाने, शासन-व्यय घटाने, सभी लोगों के लिए वृद्धावस्था-पेंशन की व्यवस्था करने, मज़दूरों एवं किसानों की दशा सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को सम्मान-पूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए भी मैं यथासाध्य यत्न करता । इस तरह यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो देश की निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए उसे सर्वतोमुखी उन्नति के पथ पर अग्रसर करता जिससे भारत सचमुच हमारे सपनों का भारत बन जाता ।

प्रश्न

१. मुहल्ले में सार्वजनिक नल लगाने के संबंध में नगर-निगमाधिकारी को एक आवेदन-पत्र लिखिए ।

२. पिता जी को मनीआर्डर से कुछ रुपए भेजने के लिए पत्र लिखिए ।

३. स्कूल में चपरासी के स्थान के लिए एक आवेदन-पत्र लिखिए ।

४. व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्रों में क्या अंतर है ?

५. भवदीय, आपका और आज्ञाकारी में क्या अंतर है ?

६. निम्नांकित में किन्हीं दो पर निबंध लिखिए :
मेरी प्रिय पुस्तक, कोई मनोरंजक घटना, महात्मा गांधी, गंगा नदी, साहित्य और समाज, रुपए की आत्मकथा, यदि मैं भारत का शिक्षा-मंत्री होता ।

७. उपर्युक्त निबंधों में से किन्हीं चार की भूमिका लिखिए ।

८. किन्हीं तीन निबंधों के बारे में बताइए कि उन का उपसंहार कैसे करेंगे ।

९. निबंध कितने प्रकार के होते हैं ? दया, ऊँट, कलम की आत्मकथा पर लिखे गए निबंध किस प्रकार के कहलाएँगे ?

१०. निबंध के प्रमुख अंग कितने होते हैं, प्रत्येक का क्या अनुपात होना चाहिए ?

———